प्रेस – विज्ञप्ति

वर्ष – 2011

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

ललित बाबू की 36वें पुण्य–तिथि राजकीय बलिदान–दिवस के रुप में बलुआ बाजार सुपौल में सम्पन्न हुआ जिसे बिहार सरकार के मंत्री श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने संबोधित किया।

पटना, 03 जनवरी, 2011

आज पूर्व रेलमंत्री शहीद ललित नारायण मिश्र की **36वें** पुण्य–तिथि के अवसर पर उनके पैतृक गाँव सुपौल जिला के अंतर्गत बलुआ बाजार में **'बलिदान–दिवस'** राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। समारोह के प्रारंभ में ललित बाबू की समाधि एवं प्रतिमा पर बिहार सरकार की ओर से विधि योजना एवं विकास विभाग, मंत्री श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने माल्यार्पण किया और आरक्षी बल ने मातमी गारद सलामी दी। इस अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ललित बाबू ने बिहार को पिछड़ापन से निकालने के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ कराई और उन्होंने कोशी अंचल को बाढ़ की विभीषिका से बचाने एवं किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए कोशी योजना को कार्यान्वित कराया। उन्होंने अपनी योग्यता एवं सक्रियता से केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री के रुप में बिहार एवं देश की उल्लेखनीय सेवा की। पिछड़े बिहार को मुख्यधारा में लाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रहे। बिहार में ललित बाबू की सोच एवं कल्पना के अनुरूप श्री नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले पांच वर्षों में बिहार में विकास की नई संभावना बनाई है। बिहार की दिशाहीनता, विकासहीनता और उद्योगविहीनता समाप्त हुई है और क्षत–विक्षत प्रशासकीय ढांचें में परिवर्तन हुआ है। उन्होंने अपनी कर्मभूमि मिथिलांचल की राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए पूरी तन्मयता के साथ प्रयास किया। राज्य सरकार कोसी के पुनर्वास एवं बाढ़ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए हर संभव कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने 3.50 गृहविहीन परिवारों के आवास पुनर्वास एवं प्रत्येक गाँव में एक सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा की है। सम्पूर्ण कोशी क्षेत्र के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने 14,800 करोड़ की पैकेज केन्द्र सरकार से मांग की।

इस समारोह में विधायक श्री नीरज कुमार सिंह 'बबलू' के अतिरिक्त, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, सुपौल, अनुमंडलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, वीरपुर आनन्द मिश्रा, श्री जयकृष्ण गुरमैता, अजय कुमार मिश्र उर्फ रिन्कू, प्रो॰ रामचन्द्र मंडल तथा सभी राजनीतिक दलों के साथ–साथ सभी पंचायतों के मुखिया, सरपंच एवं बड़ी संख्या में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा एवं अररिया के लोगों ने भाग लिया।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

ललित बाबू की स्मृति में बेगूसराय जिला के सिमरिया घाट में राजकीय समारोह।

पटना, 03 जनवरी, 2011

आज ललित बाबू के **36वें बलिदान दिवस** के अवसर पर राजकीय आयोजन सिमरियाघाट में हुआ जहाँ ललित बाबू का अस्थि–विसर्जन किया गया था। राज्य सरकार की ओर से बेगूसराय के जिला पदाधिकारी तथा अनुमंडलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, सिमरिया ने माल्यार्पण कर ललित बाबू को भावभीनी श्रद्धांजलि की।

इस अवसर पर मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष श्री राम नारायण सिंह, श्री चितरंजन प्रसाद सिंह, जद (यू) अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री प्रमोद कुमार शर्मा के अलावे प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

एक अन्य आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा परिसर में कुलपति डा॰ एस॰पी॰ सिंह, मुजफ्फरपुर स्थित ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में ललित बाबू की मूर्त्ति पर माल्यार्पण किया गया एवं उन्हें श्रद्धा–सुमन अर्पित किये।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान

1, आई॰ए॰एस॰ कॉलोनी, किदवईपुरी, पटना–1

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में पूर्व रेलमंत्री पं॰ ललित नारायण मिश्र के 36वें बलिदान दिवस के अवसर पर ''ललित बाबू एक विलक्षण व्यक्तित्व'' विषय पर आयोजित परिसंवाद

पटना, 3 जनवरी, 2011

आज बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में पूर्व रेलमंत्री पं॰ ललित नारायण मिश्र के **36वें बलिदान दिवस** के अवसर पर संस्थान के सभागार में **''ललित बाबू एक विलक्षण व्यक्तित्व''** विषय पर आयोजित परिसंवाद को सम्बोधित करते हुए संस्थान के अध्यक्ष, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि राष्ट्रीय एवं बिहार की राजनीति के पुरोधा, लोकप्रियता के रहनुमा ललित बाबू राजनीति में प्रखर नेता, सांसद तथा केन्द्रीय मंत्री के रूप में मार्गदर्शक के रूप में लम्बे समय तक बहुमूल्य योगदान के लिए याद किये जाते रहेंगे। वे एक आदर्श व्यक्तित्व के धनी पुरुष थे, जो अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता, धर्मनिरपेक्षता, प्रशासनिक दक्षता, राष्ट्र–भक्ति और निःस्वार्थ जन–सेवा के लिए जन–जन में चर्चित हैं। महात्मा गांधी, श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की कड़ी में ललित बाबू की हत्या स्वतः जुड़ जाती है, क्योंकि ये हत्याएँ साम्प्रदायिक और उग्रवादी विचारों से प्रेरित होकर की गईं। किन्तु सबसे दुखद पक्ष तो यह है कि इन घटनाओं के बावजूद राष्ट्र ऐसे अबांछित तत्वों के विरुद्ध सजग एवं सक्रिय नहीं हो रहा है।

श्री रामउपदेश सिंह, भा॰प्र॰से॰ (अ॰प्रा॰) ने कहा कि पिछड़े बिहार को राष्ट्रीय मुख्यधारा के समकक्ष लाने के लिए ललित बाबू सदा कटिबद्ध रहे। उन्होंने अपनी कर्मभूमि मिथिलांचल की राष्ट्रीय पहचान बनाने में पूरी तन्मयता से प्रयास किया। उन्होंने मिथिला चित्रकला को देश–विदेश में प्रचारित कर उसकी अलग पहचान बनवायी।

श्री गोरेलाल यादव, भा॰प्र॰से॰ (अ॰प्रा॰) ने कहा कि ललित बाबू का जीवन गरीबों को सामाजिक समानता के स्तर पर लाने, अल्पसंख्यकों को बराबरी का अधिकार दिलाने के संवैधानिक प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध रहा। किन्तु आज संविधान सम्मत ''समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' पर ही चौतरफा संकट छा गया है।

प्रो॰ रत्नेश्वर मिश्र ने कहा कि ललित बाबू ने बिहार को पिछड़ापन से निकालकर एक विकसित राज्य बनाने की अनेक परियोजनाएँ मंजूर करायीं, केन्द्र और बिहार सरकार के नेताओं के बीच अधिकाधिक वार्त्ता कराके कठिन समस्याओं का समाधान कराया, कोशी जैसी शोकदायी नदी की बाढ़ और महामारी से पीड़ित असंख्य लोगों को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से उसे नियंत्रित करने की योजना स्वीकृत करायी।

श्री बच्चा ठाकुर, भा॰प्र॰से॰ (अ॰प्रा॰) ने कहा कि उनके विचार और क्रियाकलापों में गांधी, बिनोवा, नेहरु और श्रीमती इन्दिरा गांधी के सिद्धांत निरंतर परिलक्षित होते रहे। उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत रहता था।

श्री श्याम बिहारी मिश्र ने कहा कि बिहार में डा॰ श्रीकृष्ण सिंह और राष्ट्रीय स्तर पर पं॰ नेहरु एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी का विश्वास उन्होंने अर्जित किया और अपनी योग्यता, कर्मठता एवं सक्रियता से उन्हें प्रभावित किया।

प्रारंभ में संस्थान के निदेशक डा॰ प्यारे लाल ने विषय प्रवेश कराते हुए ललित बाबू के विलक्षण व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीतीश मिश्र भी उपस्थित थे।

डा॰ मिश्र एवं अन्य सभी लोगों ने ललित बाबू के चित्र पर माला अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस परिसंवाद में भाग लेने वालों में प्रमुख थे :– डा॰ आई॰ए॰ खान, श्री अरशद अहमद, श्री बी॰डी॰ राम, रामबाबू राय, प्रो॰ श्याम नारायण चौधरी, उपेन्द्र ना॰ विद्यार्थी, रघुवीर मोची, कालीकान्त झा, कृष्ण कुमार ठाकुर तथा अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

(डा॰ प्यारे लाल)
निदेशक

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को दो हजार करोड़ रूपये अतिरिक्त राशि देने की घोषणा को डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने भ्रामक करार दिया।

पटना, 07 जनवरी, 2011

बिहार सरकार की ओर से विशेष सहायता हेतु विशेष पैकेज तथा विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार की जा रही है। उन मांगों की पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार ने विशेष योजना के लिए बिहार को "पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष" के मद में दो हजार करोड़ रूपये दिये जाने की घोषणा भ्रामक है। क्योंकि यह राशि 2006 में बिहार के लिए इसी योजना अंतर्गत स्वीकृत 5,568 करोड़ रूपये की विशेष योजना पर बढ़ी मंहगाई के कारण हीं इस कोष को बढ़ाकर 8,753 करोड़ कर दिया गया है। यह कोई नई सहायता अनुदान नहीं है बल्कि पुरानी सड़क, बिजली एवं सिंचाई जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए मंहगाई के कारण अनुदान में यह बढ़ोतरी की गई है। कोशी क्षेत्र के पुनर्वास के लिए 14,800 करोड़ राशि की विशेष पैकेज की मांग भी बिहार सरकार द्वारा केन्द्र से की जाती रही है। किन्तु न विशेष राज्य का दर्जा न विशेष पैकेज और न कोशी के लिए 14,800 करोड़ की विशेष पैकेज स्वीकार नहीं कर केन्द्र ने जानबूझकर भ्रम उत्पन्न करने के लिए पुरानी योजनाओं की बढ़ी हुई आकलन को पूरा करने के लिए दो हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृति की है। यह बिहार राज्य की आवश्यकता के अनुपात में केवल सांकेतिक है।

डा॰ मिश्र ने कहा कि यह निर्विवाद है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सभी विकास सूचकों के लिहाज से योजना युग की लगभग शुरूआत से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सबसे कम योजना परिव्यय तथा निवेश का निम्न स्तर है। राज्य के प्रति किए गए अन्याय को दूर करने के लिए केन्द्र द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। फलतः राज्य अभी भी हर तरह की समस्या से पीड़ित है। उदारीकरण के दौर में भी, जब उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित हो रहे थे, बिहार समेत सारे पिछड़े राज्य वंचित ही बने रहे हैं। श्री नीतीश कुमार की सरकार में अब राज्य में आर्थिक नवजागरण लाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, राज्य में निवेशक आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने का भी वे प्रयास हो रहा है। गत पांच वर्षों के दौरान किए गए प्रयासों के चलते बिहार असफल राज्य से क्रियाशील राज्य (फंक्शनल स्टेट) में बदल रहा है। संविधान सभी प्रकार की असमानताएं दूर करने के प्रति बहुत गंभीर है, चाहे वे व्यक्तियों के बीच हों या समूहों के बीच। संविधान के अनुच्छेद 38(2) का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा जो राज्यों को असमानताएं दूर करने की जवाबदेही देता है। लेकिन संविधान के इस दिशा–निर्देश के बावजूद, बिहार के लोग व्यक्तियों और जनसमूहों के बीच मौजूद असमानताओं से पीड़ित हैं और केन्द्र सरकार न विशेष सहायता पैकेज और न हीं विशेष राज्य का दर्जा दे रहा है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादुर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 06 जनवरी, 2011

आज एस॰एस॰ प्रीपेट्री स्कूल गर्दनीबाग, पटना के तत्वावधान में स्कूल के वार्षिक समारोह को सम्बोधित करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्य मंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। परंतु अभी हमारे देश में ऐसे 30 करोड़ 50 लाख लोग हैं जिन्हें साक्षर बनने की जरूरत है और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उभरते हुए आधुनिक भारत और विश्व के अनुकूल रोजगार योग्य कौशल प्राप्त करना है। संविधान लागू हुए 60 वर्ष हो रहे हैं। पर, उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति में मात्र 37.41 प्रतिशत एवं जनजाति में मात्र 29.60 प्रतिशत साक्षरता है। यह संविधान की भावना का अपमान है। अपमान की वह प्रक्रिया अभी जारी है जिस दलित–आदिवासी ने सफलता प्राप्त की, उसकी कुंजी शिक्षा है। दलित–आदिवासी शिक्षा की स्थिति कितनी भयावह है, वह निम्न आंकड़ों से साबित हो जाती है। कक्षा 1 से 5 के बीच, कुल 2 करोड़ 88 लाख दलित–आदिवासी बच्चे अध्ययनरत हैं। पर, इसी वर्ष हाई स्कूल में इनकी संख्या मात्र 35 लाख है, यानी प्राइमरी और हाई स्कूल के बच्चे 2 करोड़ 53 लाख का अंतर। शिक्षाशास्त्री इस अंतर को "ड्राप आउट" की शुरूआत कक्षा 6 में प्रवेश के स्तर पर शुरू हो जाती है। ध्यान रहे कि कक्षा 6 में प्रवेश के समय बच्चों की औसत उम्र 12 वर्ष होती है।

डा॰ मिश्र ने कहा कि केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालय, सैनिकों के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल हैं, तो गाँव में मेरिट लिस्ट के बच्चों के लिए नवोदय स्कूल हैं, वहीं पिछड़े परिवार के बच्चों की एक बड़ी संख्या सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करती है। जाहिर है कि सभी के लिए शिक्षा कई परतों में बंट चुकी है। निजीकरण के सामानांतर यह बंटवारा भी उसी गति से फल–फूल रहा है। कई शिक्षाविदों का मानना है कि पूरे देश के हर हिस्से में शिक्षा का एक जैसा ढांचा, एक जैसा पाठयक्रम, एक जैसी योजना और एक जैसी नियमावली बनायी जाए। इससे मापदंड, नीति और सुविधाओं में होने वाले भेदभाव बंद होंगे। शिक्षा के दायरे से सभी परतों को मिटाकर एक ही परत बनाई जाए। इससे हर बच्चे को अपनी भागीदारी निभाने का एक समान मौका मिलेगा।

इस वार्षिक समारोह में भाग लेने वालों में प्रमुख थे :– श्री सुदर्शन सिंह निदेशक, एस॰एस॰ प्रीपेट्री स्कूल गर्दनीबाग, सुनिता प्रीतम वार्ड पार्षद, श्री नाथ सिंह, संपादक, विजय ध्वज, श्री अरूण गौतम कवि पत्रकार, श्री विश्वमोहन संत पत्रकार, श्री उमाशंकर सिंह, आदि।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार के राज्यपाल से डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने मिलकर उन्हें राज्य में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता बहाल करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा।

पटना, 10 जनवरी, 2011

आज राजभवन में बिहार के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति महामहिम श्री देवानन्द कोनवार से मिलकर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने नववर्ष की शुभकामना दी तथा इस अवसर पर राज्यपाल से अपील की है कि विश्वविद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जाय। चतुर्थ चरण के अंगीभूत महाविद्यालयों के सभी शिक्षकों की सेवा नियमित की जाय। विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े सात हजार शिक्षकों के पदों पर जबतक नियमित नियुक्तियाँ नहीं की जाती है तबकि सेवानिवृत्त शिक्षक जो 65 वर्ष से कम के हैं उनकी सेवा तदर्थ रूप में ली जाए। विश्वविद्यालयों में रिक्तियाँ सेवा आयोग के माध्यम से मेधा के आधार पर की जाए। पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं को सुसज्जित एवं संपन्न की जाए। गैर शिक्षक कर्मचारियों के साथ समय–समय पर हुए समझौता को कार्यान्वित की जाय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेश एवं मार्गदर्शिका के आधार पर कुलपतियों की नियुक्ति की जाए एवं विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल की जाय। बिहार राज्य की विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लगातार हो रहे गुणात्मक ह्रास, विश्वविद्यालय की बिगड़ती हुई प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय स्थिति विस्मयकारी है। बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कई वर्षों से लगातार सात हजार से अधिक व्याख्याता, उपाचार्य (रीडर) विश्वविद्यालय आचार्य एवं प्राचार्यों के पद रिक्त पड़े हैं। पिछले वर्षों में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के पद रिक्त हैं। यह प्रतिवेदित हुआ है कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में लगभग 60 प्रतिशत पद रिक्त है। शिक्षकों के अभाव में नियमित शिक्षण नहीं हो पा रहा है जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति लगातार नगण्य होती जा रही है। कालबद्ध प्रोन्नति और मेधा आधारित प्रोन्नति 1996 से बंद है। वरीय और योग्य शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। पिछले वर्षों में निगरानी विभाग ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग की शिक्षकों की अनुशंसा में अनियमितता स्थापित की है। पूर्व राज्यपाल, श्री बी॰डी॰ पाण्डेय ने नियुक्ति की तदर्थ मान्यता दी थी। अब यू॰जी॰सी॰ के निदेशानुसार सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष किया जाना उचित होगा। मुख्यमंत्री समय–समय पर ऐसा संकेत देते रहे हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में यू॰जी॰सी॰ मार्गदर्शिका एवं समय–समय पर जारी निर्देशों को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

डा॰ मिश्र ने कुलाधिपति को बताया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय सेवा आयोगों को विघटित किये जाने के बाद विश्वविद्यालयों में चयन समिति की व्यवस्था की गई है। चयन समिति में कुलपति ही अन्य सदस्यों का मनोनयन करते हैं। विश्वविद्यालय चयन समिति में कुलपति की अध्यक्षता में चयन सिमट कर रह गया है जहाँ मेधा की उपेक्षा हो रही है। अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के विघटन के बाद विश्वविद्यालयों के परिनियमों में एकरूपता समाप्त हो गई है। शैक्षणिक कैलेण्डर बाधित हो गयी है। इन्टर कौन्सिल के विघटन और बिहार परीक्षा समिति में इन्टर और मैट्रिक के एकीकरण के बाद अनेक प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई है। राज्य में माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं एवं 12वीं की कक्षा जोड़ी गई है। परंतु वहाँ योग्य शिक्षक एवं विज्ञान के लिए प्रयोगशाला विकसित नहीं है। विश्वविद्यालय कर्मचारियों के हड़ताल से नामांकन एवं शिक्षण बाधित होता है। योग्य साधन सम्पन्न व्यक्ति नामांकन के लिए राज्य से बाहर चले जाते हैं। चतुर्थ चरण के अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में सेवा सामंजन कर विश्वविद्यालयों उनकी सेवा नियमित कर दी थी एवं वेतन भुगतान नियमित हो गया था। परंतु एकाएक ऐसे सैकड़ों शिक्षकों का वेतन भुगतान बंद कर दिया गया है। जब महाविद्यालयों में पद रिक्त है, इन पदों पर अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति नियमित किया जाना श्रेयष्कर होगा। इन्हें नियमित किया जा सकता है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की विश्व बैंक के अध्यक्ष, श्री राबर्ट जॉलिक के साथ कोशी पुनर्वास के लिए एक हजार करोड़ की ऋण सहायता समझौता की डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने सराहना की और मुख्यमंत्री को बधाई दी।

पटना, 14 जनवरी, 2011

कोशी की 2008 की बाढ़ से सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया एवं मधेपुरा जिलों के 35 लाख प्रभावित आबादी को पुनर्वासित करने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ 1000 हजार करोड़ ऋण प्राप्त करने के समझौते का डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। अभी भी क्षेत्र में लाखों लोग विस्थापितों की तरह अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार के पहल पर विश्व बैंक 1000 करोड़ रूपये की रकम राज्य सरकार को काफी कम ब्याज दर पर स्वीकृत की है। इस रकम के जरिये 1 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। 290 किलो मीटर लम्बी सड़क और 19 पुलों का भी निर्माण होगा। साथ ही विस्थापित लोगों की आजीविका लौटाने के लिए भी स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाया जायेगा। इस रकम से स्कूलों और अस्पतालों का भी निर्माण भी किया जाएगा। इस रकम के एक हिस्से से आपदा प्रबंधन प्रणाली को भी मजबूत बनाया जाएगा। यह प्रसन्नता की बात है कि समझौते के समय बैंक के अध्यक्ष ने राज्य में बीते पांच सालों में हुए विकास कार्यों की भी सराहना की है। मुख्यमंत्री कोशी पुनर्निर्माण की अपनी घोषणा को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। अपनी उसी वचनबद्धता को साकार करने के लिए उन्होंने विश्व बैंक से यह समझौता किया है। इस धन राशि से कोशी क्षेत्र में ऐसे मकान बनेंगे जो बाढ़ नहीं नहीं आंधी और अन्य आपदा से भी लड़ने में सक्षम होंगे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने 14,800 करोड़ की कोशी पुनर्वास योजना के तहत केन्द्र से विशेष पैकेज की मांग की थी। परंतु विस्मयकारी रहा कि सुनामी एवं देश के अन्य राज्यों में ऐसे प्राकृतिक आपदाओं में पुनर्वास के लिए स्वीकृत सहायता के तर्ज पर बिहार को सहायता नहीं दी गई। बिहार सरकार ने अपने ही साधन से मुख्यमंत्री ने 4,900 करोड़ की लागत से पुनर्वास कार्य प्रारंभ करा दिया है। राज्य सरकार ने अप्रैल, 2010 में 1,500 करोड़ की लागत से कोशी नदी में निर्मित पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के सुदृढ़ीकरण एवं उंचीकरण के साथ ही कोशी तटबंधों के उपर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कराया है। उसी कड़ी में पूर्वी कोशी नहर प्रणाली के शुद्धीकरण का कार्य भी प्रारंभ कराया गया है। कोशी बैरेज के फाटकों का जीर्णोद्धार कार्य भी प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कोशी के प्रति तत्परता एवं वचनबद्धता लगातार बनी रही है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

कर्पूरी ठाकुर विचार मंच स्मारक न्यास

रजिस्ट्रेशन संख्या–3173
कार्यालय– कर्पूरी ठाकुर स्मारक स्थल
दारोगा राय पथ, पटना– 800 001

प्रेस विज्ञप्ति

कर्पूरी ठाकुर विचार मंच स्मारक न्यास के तत्वावधान में "जननायक कर्पूरी ठाकुर की 87वीं जयन्ती" समारोह का आयोजन।

पटना, 24 जनवरी, 2011

आज कर्पूरी ठाकुर विचार मंच स्मारक न्यास के तत्वावधान में आयोजित **"जननायक कर्पूरी ठाकुर की 87वीं जयन्ती"** समारोह को सम्बोधित करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्य मंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि श्री कर्पूरी ठाकुर बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई के पहले प्रवक्ता और मुख्यमंत्री थे। बिहार की पीड़ा से वे अपने अन्दर की जड़ों तक जुड़े थे। वे कहा करते थे कि "समाज में जब प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक रहने, अपने रीति–रिवाज तथा धार्मिक व्यवस्था के अनुरुप जीवन व्यतीत करने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तभी राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना को बल मिलता है। ईमानदारी और सादगी तो उनके जीवन की पहचान थी। उन्होंने अपने आदर्श व्यक्तित्व से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की तथा जनतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में सक्रिय योगदान किया। उन्होंने सामाजिक समरसता के वैचारिक सिद्धांत के अनुरूप 10 नवम्बर, 1978 को आरक्षण अधिसूचना में सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करते समय यह प्रावधान किया था कि 26 प्रतिशत में 12 प्रतिशत अति पिछड़े एवं 8 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ों, 3 प्रतिशत गरीब सवर्णों और 3 प्रतिशत सभी जातियों के महिलाओं के लिए आरक्षित कर सामाजिक न्याय के साथ–साथ सामाजिक समरसता को स्थापित किया था। उन्होंने आरक्षण के लाभ से उन सभी परिवारों को वंचित किया था जो परिवार आयकर की सीमा में थे। बिहार में श्री कर्पूरी ठाकुर की सोच एवं कल्पना के अनुरूप श्री नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले पांच वर्षों में बिहार में विकास की नई संभावना बनाई है। बिहार की दिशाहीनता, विकासहीनता और उद्योगविहीनता समाप्त हुई है और क्षत–विक्षत प्रशासकीय ढांचें में परिवर्तन हुआ है। सामाजिक समरसता स्थापित हुई है। इन पांच वर्षों में विकास की बुनियादी संरचना सृजित हुई। सरकार के प्रयत्नों से बिहार एक क्रियाशील राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ है।

प्रारंभ में जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र के साथ–साथ अन्य लोगों ने भी माल्यार्पण किये। इस अवसर पर न्यास के अध्यक्ष ने कर्पूरी ठाकुर विचार मंच से सम्बन्धित कार्यक्रमों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की।

इस जयन्ती समारोह में भाग लेने वालों में प्रमुख थे :– डॉ॰ शिवजतन ठाकुर, (भू॰पू॰ सदस्य, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना) श्री गुलाब चन्द्र ठाकुर, श्री श्याम बिहारी ठाकुर, श्री जीत नारायण दीपक, श्री उमेश रजक तथा श्री देव प्रसाद, आदि।

(बी॰एन॰ ठाकुर)
अध्यक्ष

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार का उच्च वर्गों (सवर्णों) के विकास के लिए उच्च वर्ग आयोग गठित करने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की समतावादी समरस समाज निर्माण का उस वादे को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक पहल – डा॰ जगन्नाथ मिश्र की सराहना।

पटना, 28 जनवरी, 2011

विषमतारहित समाज–व्यवस्था का निर्माण करना राज्य सरकार का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एक समतावादी समरस समाज के लिए प्रतिबद्ध है। उसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार का उच्च वर्गों (सवर्णों) के विकास के लिए उच्च वर्ग आयोग गठित करने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की उस वादे को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक निर्णय है जिसमें उन्होंने विधान सभा चुनाव के समय सवर्णो में पिछड़े वर्ग गरीब के कल्याण एवं सामाजिक समरसता प्राप्ति के लिए आयोग गठित करने की बात कही थी। उच्च वर्ग के लिए गठित आयोग उच्च वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सवर्णों के उत्थान के लिए अपनी अनुशंसा सरकार को करेगी। राज्य सरकार का यह निर्णय भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता एवं समानता को सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं बरतेगी। सरकार को इस निर्णय से प्रचलित विषमताओं के निराकरण हेतु विभिन्न उपायों से सक्षम बना सकता है। इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय तरीका "सकारात्मक पक्षपात" है। सकारात्मक पक्षपात का अर्थ होता है सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रुप से कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में विशेषाधिकार देना। शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उनके रास्ते के रोड़ों को हटाना।

अब जब आरक्षण में मलाईदार परत को वहिष्कृत किया गया है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधा भी दिया जा सकता है। इससे सामाजिक संतुलन होगा और यह संविधान के उद्देश्यों का सत्यपरक अर्थ भी होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का नियमन है– "पिछड़े वर्गों का निर्धारण पूर्णतः जाति पर नहीं किया जा सकता। गरीबी, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन– ये सब पिछड़ापन के निर्धारण के लिये अनिवार्य लक्षण हैं।" माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन पर आधारित वर्गीकरण को अनुज्ञापित करते हुए सामाजिक संतुलन का कार्य किया है। उनके निर्णय के आलोक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा सवर्ण आयोग गठन का निर्णय सराहनीय है।

अब यह बड़ा ही समीचीन होगा कि कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति को फिर से लागू कर सवर्ण गरीबों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण और महिलाओं के लिए आरक्षित 3 प्रतिशत में सवर्ण समेत सभी जातियों की महिलाओं को आरक्षण में सम्मिलित किया जाय।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र

(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुजफ्फरपुर, 03 फरवरी, 2011

देश के विकास को यदि कोई सबसे ज्यादा बाधित कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। आज इससे पूरा देश त्रस्त है। लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का कार्य काफी समय से इसके द्वारा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया है। उन्होंने मंत्रियों के साथ–साथ भारतीय सेवा के पदाधिकारी एवं राज्य में वर्ग तीन तक के सभी सरकारी सेवकों को विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने का निर्णय लिया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एंटी करप्शन एक्ट पारित किया है। इस एक्ट के तहत वह भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति ट्रायल के दौरान जब्त कर सकती है। इस एक्ट के तहत बिहार सरकार ऑल इण्डिया सर्विस के अधिकारियों की संपत्ति भी जब्त कर सकती है। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार राइट टू सर्विस एक्ट भी लागू करने का निर्णय लिया है। सेवा का अधिकार कानून बनाने की घोषणा सरकारी महकमों में कामकाज को सुचारू बनाने की दिशा में भरोसा जगाने वाला है। बिहार में सेवा का अधिकार लागू होने के बाद यहाँ के कर्मचारी अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। बिहार मंत्रिपरिषद ने विधायक कोष को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसे एक साहसिक व ऐतिहासिक निर्णय कहा जा सकता है। यह निर्णय देश को एक संदेश देगा।

भ्रष्टाचार के कारण राज्य के गरीबों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए लगातार किये जा रहे व्यय का अधिकांश भाग बिचौलियों के बीच सीमटता गया है। ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार और विकास जैसी चुनौतियों के लिए भगीरथी प्रयास की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ–साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की घोषणा अत्यंत ही सराहनीय है। यह घोषणा बड़ी एवं चुनौतियों से भरी है। इससे ऐसी आशा बनती है कि मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश से भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त करने में सरकार सफल हो सकती है। मुख्यमंत्री ने पहली पारी की सरकार में ई–गवर्नेस के लिए दुनियां में ख्याति अर्जित की है। इसलिए यह आशा बनती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में वे सफल हो सकते हैं। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सबसे जरूरी है कार्यालयों की कार्य संस्कृति में बदलाव तथा विकास की परिकल्पनाओं को आकार देने की चेष्टा के साथ व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। ऐसा होने से बिहार में विकास की गति तेज होगी। भ्रष्टाचार पर कारगर ढंग से रोकथाम कर, जनविश्वास अर्जित करने तथा प्रशासनिक शिथिलता समाप्त करने के उद्देश्य से ''बिहार विनिर्दिष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983'' को पूरे राज्य में तत्कालिक प्रभाव से दृढ़तापूर्वक लागू करने की आवश्यकता है।

बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत– (क) सरकारी कर्मचारियों और सरकार से अनुदानप्राप्त लोक उपक्रमों में नियुक्त कर्मचारियों, सहकारी समितियों, स्थानीय निकायों या अन्य एजेंसियों में नियुक्त कर्मचारियों के बारे में भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई की जा सकेगी, (ख) दोषी व्यक्तियों के लिए तीन महीने से लेकर तीन वर्ष तक की कैद या जुर्माने का प्रावधान किया गया है, (ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले सभी अपराधों की सूची भी बनाई गई है, (घ) यह अधिनियम सरकारी कर्मचारियों (जिसमें डाक्टर भी शामिल हैं), ठेकेदारों, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रेताओं, वन उत्पादों को चुरानेवाले, शराब में मिलावट करने वाले और विहित आय से अधिक सम्पति रखने वालों की वैसी सभी गतिविधियों पर अंकुश रख सकता है जो जनहित में नहीं है। (ड.) राज्य सरकार के अधीन एवं राज्य सरकार नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रम आदि के कर्मचारियों द्वारा समस्त समितियों का बिहार सरकार को सम्पति का विवरण सौंपने का प्रावधान है। भ्रष्टाचार से प्राप्त अवैध धन को राज्य सरकार जाँचोंपरांत जब्त कर सकती है। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान ने 16 सूत्री कार्य योजना में मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान को सहयोग करने का निर्णय लिया है। प्रतिष्ठान ने राज्य एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति गठित किया है।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार का उच्च वर्गों (सवर्णों) के विकास के लिए उच्च वर्ग आयोग गठित करने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की समतावादी समरस समाज निर्माण का उस वादे को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक पहल – डा॰ जगन्नाथ मिश्र की सराहना।

हाजीपुर, 01 फरवरी, 2011

विषमतारहित समाज–व्यवस्था का निर्माण करना राज्य सरकार का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एक समतावादी समरस समाज के लिए प्रतिबद्ध है। उसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार का उच्च वर्गों (सवर्णों) के विकास के लिए उच्च वर्ग आयोग गठित करने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की उस वादे को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक निर्णय है जिसमें उन्होंने विधान सभा चुनाव के समय सवर्णो में पिछड़े वर्ग गरीब के कल्याण एवं सामाजिक समरसता प्राप्ति के लिए आयोग गठित करने की बात कही थी। उच्च वर्ग के लिए गठित आयोग उच्च वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सवर्णों के उत्थान के लिए अपनी अनुशंसा सरकार को करेगी। राज्य सरकार का यह निर्णय भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता एवं समानता को सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं बरतेगी। सरकार को इस निर्णय से प्रचलित विषमताओं के निराकरण हेतु विभिन्न उपायों से सक्षम बना सकता है। इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय तरीका ''सकारात्मक पक्षपात'' है। सकारात्मक पक्षपात का अर्थ होता है सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रुप से कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में विशेषाधिकार देना। शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उनके रास्ते के रोड़ों को हटाना।

श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक समरसता के वैचारिक सिद्धांत के अनुरूप 10 नवम्बर, 1978 को आरक्षण अधिसूचना में सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करते समय यह प्रावधान किया था कि 26 प्रतिशत में 12 प्रतिशत अति पिछड़े एवं 8 प्रतिशत अत्यंत पिछड़ों, 3 प्रतिशत गरीब सवर्णों और 3 प्रतिशत सभी जातियों के महिलाओं के लिए आरक्षित कर सामाजिक न्याय के साथ–साथ सामाजिक समरसता को स्थापित किया था। उन्होंने आरक्षण के लाभ से उन सभी परिवारों को वंचित किया था जो परिवार आयकर की सीमा में थे। जातिगत पिछड़ेपन के साथ–साथ उन्होंने आर्थिक पिछड़ेपन को भी जरूरी समझा था जिससे कि समाज में बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सके। परंतु यह अत्यंत विस्मयकारी एवं दुखद रहा कि श्री कर्पूरी ठाकुर के बाद श्री ठाकुर द्वारा स्थापित आरक्षण नीति को खंडित करते हुए सवर्ण गरीब और सवर्ण महिलाओं को आरक्षण की परिधी से अलग करते हुए आयकर की सीमा भी समाप्त कर दी। अतः सामाजिक समरसता को फिर से स्थापित करने और बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए यह बड़ा ही समीचीन होगा कि कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति को फिर से लागू कर सवर्ण गरीबों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण और महिलाओं के लिए आरक्षित 3 प्रतिशत में सवर्ण समेत सभी जातियों की महिलाओं को आरक्षण में सम्मिलित किया जाय। उनके द्वारा निर्धारित नीति के तहद मध्य वर्गीय पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों के ऐसे लोगों को आरक्षण की परिधि से बाहर किया जाय जो व्यक्ति और परिवार आयकर सीमा से उपर हैं। आर्थिक रूप से विपन्न पिछड़ी जातियों के नवयुवकों को ही आरक्षण की परिधि में रखा जाए।

मुख्यमंत्री के निर्णय से सामाजिक संतुलन होगा और यह संविधान के उद्देश्यों का सत्यपरक अर्थ भी होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का नियमन है– ''पिछड़े वर्गों का निर्धारण पूर्णतः जाति पर नहीं किया जा सकता। गरीबी, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन– ये सब पिछड़ापन के निर्धारण के लिये अनिवार्य लक्षण हैं।'' माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन पर आधारित वर्गीकरण को अनुज्ञापित करते हुए सामाजिक संतुलन का कार्य किया है। उनके निर्णय के आलोक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा सवर्ण आयोग गठन का निर्णय सराहनीय है।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

दरभंगा, 01 फरवरी, 2011

विधान सभा चुनाव में बिहार में विगत पांच वर्षों में आये आर्थिक एवं सामाजिक बदलाव की निरंतरता बनाये रखने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्ववाले गठबंधन के उम्मीदवारों की अभूतपूर्व जीत हुई है। इस जीत से श्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिबद्ध विकास, धर्मनिरपेक्ष एवं सामाजिक समरसता के नेता के रूप में छवि बनी है। बिहार के लोगों ने श्री नीतीश कुमार को यह जनादेश बिहार में 'सामाजिक क्रान्ति' के उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए दिया है। श्री नीतीश कुमार के पास विकास 'भिजन' है। उनकी नीतियों में बिहार को एक आधुनिक राज्य बनाने का इरादा दिखता है। एक. इंजीनियर के रूप में श्री नीतीश कुमार की प्रतिभा राज्य में सामाजिक बदलाव की रूपरेखा तैयार करने में भी साफ झलकती है। अब इस विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद श्री नीतीश कुमार का दायित्व और बढ़ गया है। उन्हें अपनी नीतियां बनाते समय एक ओर जहां मध्यवर्ग और शहरों को ऊपर उठाने का प्रयास करना होगा, वहीं इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि गांव और गरीब इस विकास से अछूते नहीं रह जाएं। श्री नीतीश कुमार को ऐसी शानदार सफलता नहीं मिल पाती, यदि गरीब, उपेक्षित तबके और खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों ने उन्हें अपना समर्थन नहीं दिया होता। इसलिए सभी विकास कार्यक्रमों में उन्हें गरीबों और उपेक्षितों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। श्री नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार का बागडोर संभालने के साथ इस बात को समझ लिया था कि आरक्षण के लाभ से जो सवर्ण जाति वंचित रह गयी हैं। उन्हें विशेष सुविधाएं देनी होंगी, ताकि समाज के सभी तबकों का विकास हो सके। बिहार जैसे आर्थिक सुधारों से वंचित राज्य को केन्द्र से विशेष सहायता देना निहायत आवश्यक है। गरीब राज्य के लिए अपने क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका अधिसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना ही हो सकता है।

विषमतारहित समाज–व्यवस्था का निर्माण करना राज्य सरकार का उद्‌देश्य है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एक समतावादी समरस समाज के लिए प्रतिबद्ध है। उसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार का उच्च वर्गो (सवर्णों) के विकास के लिए उच्च वर्ग आयोग गठित करने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की उस वादे को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक निर्णय है जिसमें उन्होंने विधान सभा चुनाव के समय सवर्णो में पिछड़े वर्ग गरीब के कल्याण एवं सामाजिक समरसता प्राप्ति के लिए आयोग गठित करने की बात कही थी। उच्च वर्ग के लिए गठित आयोग उच्च वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सवर्णों के उत्थान के लिए अपनी अनुशंसा सरकार को करेगी। राज्य सरकार का यह निर्णय भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता एवं समानता को सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं बरतेगी। सरकार को इस निर्णय से प्रचलित विषमताओं के निराकरण हेतु विभिन्न उपायों से सक्षम बना सकता है। इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय तरीका "सकारात्मक पक्षपात" है। सकारात्मक पक्षपात का अर्थ होता है सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रुप से कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में विशेषाधिकार देना। शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उनके रास्ते के रोड़ों को हटाना।

मुख्यमंत्री के निर्णय से सामाजिक संतुलन होगा और यह संविधान के उद्‌देश्यों का सत्यपरक अर्थ भी होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का नियमन है– "पिछड़े वर्गों का निर्धारण पूर्णतः जाति पर नहीं किया जा सकता। गरीबी, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन– ये सब पिछड़ापन के निर्धारण के लिये अनिवार्य लक्षण हैं।" माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन ने गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन पर आधारित वर्गीकरण को अनुज्ञापित करते हुए सामाजिक संतुलन का कार्य किया है। उनके निर्णय के आलोक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा सवर्ण आयोग गठन का निर्णय सराहनीय है।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

सवर्ण आयोग सामाजिक समरसता की आवश्यकता– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 05 फरवरी, 2011

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की मान्यता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय आधार पर सामाजिक सद्भाव एवं समरसता को खंडित कर राजनीति नहीं चलायी जा सकती। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि राजनीति की बुनियाद सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता और सभी समूहों और जातियों की साझेदारी है। इसी मान्यता के आधार पर विषमतारहित समाज–व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उच्च वर्ग आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। उच्च वर्ग के लिए गठित आयोग उच्च वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सवर्णों के उत्थान के लिए अपनी अनुशंसा सरकार को करेगी। राज्य सरकार का यह निर्णय भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता एवं समानता को सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं बरतेगी। सरकार को इस निर्णय से प्रचलित विषमताओं के निराकरण हेतु विभिन्न उपायों से सक्षम बना सकता है। इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय तरीका ''सकारात्मक पक्षपात'' है। सकारात्मक पक्षपात का अर्थ होता है सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रुप से कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में विशेषाधिकार देना। शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उनके रास्ते के रोड़ों को हटाना। आज की आवश्यकता यह है कि जो भी आर्थिक रूप से पीछे हैं उनके उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाएं। वे चाहे जिस जाति, वर्ग, समुदाय या क्षेत्र के हों। आर्थिक आधार पर आरक्षण सभी निर्धनों–पिछड़ों के लिए हितकारी तो होगा ही, वह समाज में किसी प्रकार का द्वेष भी पैदा नहीं करेगा। आजादी के तुरंत बाद तो जातिगत आधार पर आरक्षण का औचित्य बनता था, क्योंकि तब अनेक समुदायों के पिछड़ेपन का मुख्य कारण उनकी जाति थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 1962 के 28 सितम्बर को माननीय न्यायाधीश गजेन्द्र गदकर द्वारा 'मिस्टर बालाजी बनाम मैसूर राज्य' मामला में स्पष्ट नियमन दिया गया है–''नागरिकों के वे वर्ग जो बुरी तरह निर्धन हैं, स्वतः सामाजिक रूप में पिछड़े हो जाते हैं, वे समाज में किसी स्तर का आनन्द नहीं ले पाते और, इसलिये इन्हें पीछे की जगह बैठने से ही तृप्त रहना पड़ता है।'' 2008 के 10 अप्रैल को माननीय न्यायाधीश के॰जी॰ बालकृष्णन उन्हीं (गजेन्द्र गदकर) की निर्णय को दुहराते हैं, जब वे यह कहते हैं,–''सभी ब्राह्मण उच्च स्तरीय प्रतिष्ठित नियोजन में संलग्न नहीं हैं और न ये सभी बहुत धनी ही हैं। यह भी हो सकता है कि कुछ ब्राह्मण निम्न जाति के सदस्यों के नौकर हों या यह भी हो सकता है कि किन्हीं धनी ब्राह्मण के निजी नौकर कोई गरीब ब्राह्मण हों।'' सामाजिक पिछड़ापन की यह विनिर्मिति, गरीबी के साथ–साथ सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन का एक बड़ा प्रतिरक्षात्मक लक्षण तैयार कर देती है जिससे बिना संविधान संशोधन के ही 'आरक्षण' समेत स्वीकृत चालू कार्यक्रमों के लाभों को हासिल करने का मार्ग आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिये पक्का हो जाता है। आरक्षण, आर्थिक रूप से उन पिछड़ों के लिए, जो इस कारण समाज में पीछे गिरे–पड़े हैं कि बिना जाति–भेद के उनके माता–पिता झड़ूदार हैं, कचड़े–टुकड़े उठाने वाले हैं या रिक्शा चालक हैं, संविधान के अंतर्गत ही तत्वतः न्यायसंगत है। जो भी लोग इस संवैधानिक तत्वार्थ के बावजूद संविधान–संशोधन की जरूरत दिखाते हैं, उन्हें इस यथार्थ की जाँच पुनः कर लेने की आवश्यकता है। तथाकथित अगड़ी जाति के झड़ूदार के बेटा के लिये इस स्वीकारात्मक पहल के फलादेशकर्त्तावृन्द मंडल आयोग में पारित फैसला के पीछे की राह पकड़ते हैं। इन फलादेशकर्त्तावृन्द को यह परामर्श देय है कि ये भारत के संवैधानिक इतिहास की झांकी लें और 'आर॰ चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य' मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला को प्रसंगित करें जिसमें पिछड़े वर्गों की पहचान व्यवसाय–सह–आय के आधार पर की गयी, न कि जाति के आधार पर और यह पहचान संवैधानिक रूप में बिल्कुल ठीक मानी गयी। इस फैसला पर माननीय न्यायाधीश जीवन रेड्डी ने बहुमत फैसला लिखते हुए अंकित किया '' इस न्यायालय ने चित्रलेखा में स्वीकृत किया कि ऐसी पहचान अनुज्ञेय है। हमें उक्त विचार से भिन्न होने का कारण नहीं दिखता, चूंकि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता एक दूसरे जरिया से भी मिलता है।''

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 10 फरवरी, 2011

आज पटना म्यूजियम हॉल में रूरल यूथ को–ऑर्डिनेशन सेन्टर द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 2010–11 के तहत **"जैव विविधता संरक्षण"** विषय पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्य मंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मानव प्रगति की अंधी दौड़ में आगे रहने के लिए प्रकृति सदैव प्रभावित करती रही है। मानव विकास की दौड़ में यह भूल गया कि पर्यावरण का सीधा संबंध मानव जीवन से तथा मानव जीवन का सीधा संबंध पर्यावरण से है। दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। पर्यावरण में होने वाली समस्त घटनाऐं किसी न किसी रूप में हमें सदैव प्रभावित करती रही हैं। हम स्पष्ट शब्दों में यह कहत सकते हैं कि जीवन के लिए प्रकृति ही एकमात्र विकल्प है। अतः पर्यावरण संरक्षण ही मानव जीवन के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है। विश्वव्यापी समस्या बन चुका पर्यावरण प्रदूषण सर्वविदित् है। पर्यावरण का सीधा संबंध जीव समूहों के जीवन व विकास की प्रक्रिया से होता है। पिछले कई दशकों से हमारी पृथ्वी की जैव–विविधता पर खतरा मंडराता आ रहा है। पर्यावरण में तेजी से हो रहे बदलाव से प्रतिवर्ष हजारों प्रजातियाँ हमारी पृथ्वी से विलुप्त होती जा रही हैं। वैज्ञानिकों और विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे कारण इन प्रजातियों के आस–पास के परिसीमन में होने वाला व्यापक परिवर्तन है। यह परिवर्तन विभिन्न रूपों में मानव, जीव–जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीव समूहों और इनके गुणों को प्रभावित करता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, औद्योगिकीकरण, प्रौद्योगिकी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रान्ति के बावजूद विभिन्न चरणों की विकास प्रक्रिया का जहाँ मानव ने प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया है, वहीं इनसे होने वाली अप्रत्यक्ष हानियों को दर किनार कर दिया गया है। अब चूंकि प्रकृति के नियम, मानव द्वारा स्थापित देशों की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, इसलिए 'पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण' एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, एक देश की नहीं। अर्थात इसका समाधान, विश्व के सब देशों को मिलकर करना होगा।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार द्वारा दलित, पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों के परिवारों को आवास के लिए तीन डीसमिल भूमि अथवा 20 हजार रूपये का अनुदान की स्वीकृति का डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने सराहना करते हुए सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक कहा है।

पटना, 11 फरवरी, 2011

एक भूमिहीन व्यक्ति के लिए जमीन का आर्थिक महत्व वासस्थल के रूप में ही नहीं बल्कि आत्ममहत्व, आत्मसम्मान व स्वनियोजन के आधार के रूप में कई गुणा ज्यादा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिपरिषद ने इसी दृष्टि से गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले बेघर पासवान, पिछड़ों और अति पिछड़ों (पिछड़ी जातियों की अनुसूची एक और अनुसूची दो) के लोगों को महादलितों की भांति सरकार की ओर से घर निर्माण के लिए तीन डीसमिल जमीन या जमीन के एवज में 20 हजार रूपये मुहैया कराने का निर्णय किया है, जो अत्यंत ही सराहनीय एवं सामाजिक समरसता एवं सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

यह निर्विवाद है कि बिहार में इस संबंध में सरकारी प्रयास अबतक अपर्याप्त रहे हैं, यद्यपि इस मामले में आजादी के बाद के दशकों में राज्य में कई महत्वपूर्ण पहल हुए हैं। भूमिहीनता के मामले में बिहार के अन्य समुदायों की तुलना में दलितों की स्थिति विशेषकर चिन्ताजनक है।

बिहार सरकार द्वारा भूमिहीन परिवारों के बीच अलग–अलग प्रकार की जमीन के वितरण के मामलों का गहराई से अध्ययन किया गया उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवंटन के बावजूद एक बड़ी संख्या में लाभार्थियों का भूमि एवं वासगीत पर प्रभावी अधिकार नहीं हो सका है। ऐसा मुख्यतः भूस्वामित्व से संबंधित सभी कानूनी औपचारिकताओं का पूरी तरह अनुपालित न होना है।

इस निर्णयानुसार बिहार विशेषाधिकृत वास भूमि अभिघृति अधिनियम की मंशा के अनुरूप व बिहार सरकार के निर्णय के मुताबिक आवासीय भूमि से विहीन परिवारों के लिए चरम प्राथमिकता के साथ एक समयबद्ध तरीके से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को 3 डीसमील आवास की भूमि उपलब्ध कराया जायगा। बिहार गृह स्थल योजना में आवासीय भूमिहीन परिवारों में ज्यादातर मामले अनुसूचित जातियों (दलित एवं महादलित) व अत्यंत पिछड़ी जातियों के परिवारों के ही पाये गए। राज्य सरकार द्वारा आवास की जमीन से वंचित परिवारों के लिए वासगीत पर्चा दिये जाने व इन्दिरा आवास के निर्माण हेतु उपयुक्त गैर मजरूआ मालिक जमीन या 3 डीसमील भूमि अर्जित कर उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अति महत्वपूर्ण कार्य के निष्पादन की जिम्मेदारी जिलाधिकारी के स्तर के किसी अधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्य में भूमिहीनता के विशाल स्तर के मद्देनजर बड़े पैमाने के नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। सरकारी और रैयती आवंटित भूखण्डों पर गरीबों को प्रभावी कब्जा दिलवाना राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए आवश्यक है कि सुयोग्य श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य भू–संपन्न बर्गों द्वारा जमीन के किसी भी प्रकार के अधिकृत कब्जे के निषेध हेतु कड़े से कड़े दण्डात्मक प्रावधान किये जाएं तथा उनके प्रभावी अनुपालन हेतु अनुमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त दण्डाधिकार भी दिये जाएं साथ ही, एक निश्चित समय–सीमा के अंदर उपुयक्त कार्रवाई न कर पाने या सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को प्रभावी रूप से आवंटित जमीन पर कब्जा न दिलवा पाने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी दण्डात्मक कार्रवाईयों का प्रावधान होना चाहिए।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार की 2011–12 की 24 हजार करोड़ वार्षिक योजना की स्वीकृत पर – डा॰ जगन्नाथ मिश्र प्रसन्नता व्यक्त की।

पटना, 16 फरवरी, 2011

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने योजना आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के लिये 24 हजार करोड़ वार्षिक योजना स्वीकृत करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि योजना आयोग ने बिहार के पिछले पाँच वर्षों की प्रगति एवं विकास से संतुष्ट होकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं अधिक संरचनात्मक सुविधाओं में विस्तार के लिये पिछले वर्ष की वार्षिक योजना के उद्व्यय में 20 प्रतिशत वृद्धि कर 24 हजार करोड़ की वार्षिक योजना स्वीकृत की है। यह प्रसंसता की बात है कि योजना आयोग ने बिहार की वित्तीय आवश्यकता पर विकसित राज्यों से अलग होकर विचार किया है, क्योंकि पिछले पाँच वर्षों में विकास की बुनियादी संरचना सृजित हुई है। सरकार के प्रयत्नों से बिहार क्रियाशील राज्यों के रूप में परिवर्तित हुआ है। बिहार की दिशाहीनता, विकासहीनता और उद्योगविहीनता समाप्त हुई है और प्रशासकीय ढांचा में परिवर्तन हुआ है।

यह निर्विवाद है कि बिहार अभी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सभी विकास सूचकों के लिहाज से योजना युग की लगभग शुरूआत से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सबसे कम योजना परिव्यय तथा निवेश का निम्न स्तर। राज्य के प्रति किए गए अन्याय को दूर करने के लिए केन्द्र को विशेष प्रयास करना पड़ेगा। नब्बे के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी, जब उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित होते रहे हैं, बिहार राज्य वंचित ही बना रहा। फलतः राज्य अभी भी हर तरह की समस्या से पीड़ित है और तो और नब्बे के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी, जब उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित हुए है। बिहार राज्य वंचित बना रहा। अब केन्द्र को साहसपूर्ण और सुदृढ़ वित्तीय नीति बनानी पड़ेगी। पिछड़े राज्यों और विकसित राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चालू प्रणाली को त्यागकर पिछड़े राज्यों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने में अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा।

पिछले पाँच वर्षों में आन्तरिक संसाधन जुटाये जाने में बिहार सरकार की सफलता, राज्य में आधारभूत सुविधा में विस्तार, वित्तीय अनुशासन में सुधार, प्रशासन में उत्तरोत्तर सुधार, कृषि क्षेत्र में अपेक्षित विकास के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार इस वार्षिक योजना के लिए उद्व्यय का 41 प्रतिशत 9,934 करोड़ अपने संसाधन से जुटायेगी एवं 27 प्रतिशत 6,342 करोड़ बाजार से ऋण लेगी जबकि केन्द्र शेष राशि 32 प्रतिशत 7,700 करोड़ देगी। बिहार की गरीबी, पिछड़ापन एवं क्षेत्रीय असंतुलन संबंधी दिये गये तथ्यों से संतुष्ट होकर ही योजना आयोग ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत से अधिक की योजना स्वीकृत की है। योजना आयोग वार्षिक योजना के कार्यान्वयन एवं संबंधित प्रशासनिक स्तर पर उत्तरोत्तर सुधार एवं विकास दर में तेजी से प्रभावित है। योजना आयोग बिहार सरकार की बेहतर वित्तीय प्रबंधन एवं राज्य में बाह्य कर्ज के प्रतिशत में गिरावट और बाह्य श्रोतों से अधिक राशि जुटाये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस वर्ष की 2011–12 की वार्षिक योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क, सिंचाई, सामाजिक सेवा और ऊर्जा को अधिक प्राथमिकता दी गई है। इससे विकास का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता मिलेगी। योजना के अंतर्गत विकास की रणनीति में विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। राज्य सरकार की दृढ़ता से सभी नीतियों के दूरगामी दृष्टिकोण से अधिक प्रभावकारी बनाया जा सकता है।

बिहार में विकास की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ गरीबी और बेरोजगारी, अशिक्षा बेहद और लगातार बनी हुई रही है। इस वार्षिक योजना की रणनीति से भूख, कुपोषण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा कमजोर तबके विशेषकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प प्रदर्शित हुआ है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा लागू करना चुनौती पूर्ण – डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 21 फरवरी, 2011

6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का गारंटी करने वाला कानून (आरटीई) आज सम्पूर्ण राज्य में लागू हो चुका है। परंतु इसे व्यवहार्य रूप में लाने में राज्य सरकारों से अनेक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी करने वाला कानून (आरटीई) आज हकीकत बन चुका है। लेकिन इसे व्यवहार में उतारने की भारी चुनौती खड़ी है। राज्य सरकारें अपने बच्चों को 'शिक्षा की गारंटी' देने के कितने करीब या दूर है, इस बात की परख चार बुनियादी सवालों पर की जा सकती है– क्या सभी बच्चों का स्कूल में दाखिला हो सकता है? क्या सभी स्कूल आरटीई के वांछित मानकों पर खड़े हैं? क्या सभी स्कूल शिक्षा के अधिकार की गारंटी करने में सक्षम हैं? और क्या इन स्कूलों में बच्चे स्कूल में सचमुच संतोषजनक ढंग से सीख रहे हैं? आरटीई कानून इस बात की गारंटी नहीं करता। आरटीई कानून की मूल भावना है कि सभी बच्चे अच्छी और असरदार शिक्षा पाए। इसके बाद भी अगर बच्चे स्कूल में सीख नहीं रहे हैं तो यह कानून निरर्थक है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पूरी तत्परता से इस अधिकार के अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य देने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 25 प्रतिशत अनिवार्य आरक्षण देने के प्रावधानों को लागू कर रहे हैं जिससे अल्पसंख्यक एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्था ने इस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। उनकी ओर से तीन बिन्दुओं पर विरोध है। उन लोगों ने दावा किया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहद निजी शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन लोगों का यह भी तर्क है कि यह अधिनियम बिना सरकार के हस्तक्षेप से चलाये जा रहे संस्थान की निजी स्वायत्तता में बाधक बन रहा है। उनका यह भी कहना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना सरकार का उत्तरदायित्व है, उनका नहीं। उन्हें अल्पसंख्यक गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में आरक्षण थोपने का अधिकार नहीं है। उनके तर्क के मुताबिक इन संस्थानों को अपनी पसंद के छात्रों का दाखिला लेने का अधिकार है। परंतु वास्तविकता यह है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को समानता एवं प्रतिष्ठापूर्वक जीने के अधिकार के अंतर्गत राज्य का यह दायित्व बनता है कि सभी नगारिकों को शिक्षित, स्वस्थ एवं प्रतिष्ठापूर्वक जीने का अधिकार उपलब्ध हो क्योंकि शिक्षा के अधिकार को इन सभी संवैधानिक प्रावधानों के आलोकों में आकलन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 21 समानता का अधिकार सभी नागरिकों को सुनिश्चित करता है। सरकार तथा न्यायपालिका वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है। केवल शाब्दिक समानता के लिए नहीं। सरकार ने शिक्षा से वंचित समूह को शिक्षित करने के लिए हीं इस प्रकार के अधिनियम को लागू किया है। जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुनिश्चित है जिसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं। उस अधिनियम के अंतर्गत अब शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकार सम्मिलित माना जाता है। शिक्षा के अधिकार को राज्य के निदेशक तत्व के अंतर्गत देखा जाना चाहिए। समानता के अधिकार निश्चित रूप से जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का अर्थ नागरिकों को गौरवपूर्ण जीवन प्रदान करना है। इस अवधारणा के अंतर्गत निजी स्वामित्व एवं प्रबंधन वाले विद्यालयों में वंचित समूह के 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन किये जाने का प्रावधान बंधनकारी है।

समाज का विशिष्ट वर्ग बेहतर शिक्षा पर केवल अपना अधिकार बनाये रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। इस काम में तथाकथित संभ्रांत वर्ग के लिए आरक्षित समझे जाने वाले स्कूलों में गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के बच्चों का प्रवेश निषेध माना जाता है। यह कैसी शिक्षा नीति है? शिक्षा पर सभी लोगों का समान अधिकार उनका मूलभूत अधिकार है। केन्द्र ने शिक्षा को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा बना दिया है मगर इसके लिए सरकारी स्कूलों की ही व्यवस्था है। खुली बाजार की अर्थव्यवस्था की हमने जिस अमरीका से सीख ली है उस देश में शिक्षा का अधिकार भी समाज के हर वर्ग के लिए खुला हुआ है और हर बच्चे को हक है कि वह अपने निकटतम पड़ोसी स्कूल में दाखिला ले सकता है। साथ ही हर स्कूल का शिक्षा स्तर हाई स्कूल तक एक समान होता है और सभी में एक समान सुविधाएं होती हैं मगर, भारत में सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों के शिक्षा स्तर में जमीन–आसमान का अंतर है। गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल और उच्च वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूल है। जिस प्रकार शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है उसने शिक्षा के क्षेत्र को उद्योग में बदल दिया है। शिक्षा के व्यापारीकरण का सीधा अर्थ है जन्म से ही ऊँच–नीच का भाव पैदा हो जाये और गरीब के बच्चों को केवल चपरासी या चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए तैयार किया जाये।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने अपील की है कि आगामी बजट में दलित अंगीभूत, आदिवासी उप योजना एवं अन्य कल्याणकारी कार्य के लिए बजट में अलग उपशीर्ष का प्रावधान किया जाए।

पटना, 24 फरवरी, 2011

केन्द्र सरकार द्वारा 2011–12 के आम बजट को प्रस्तुत किये जाने के अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी का ध्यान दलित एवं आदिवासी कल्याण संबंधी संयुक्त राष्ट्र की विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2010 पर आकृष्ट करते हुए कहा है कि उस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दलित एवं आदिवासी कल्याणकारी योजनाओं के लिए राशि आवंटन के बावजूद भी योजनाओं का लाभ उनतक नहीं पहुँची है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अभी भी दलित एवं आदिवासी विशेषकर उनके परिवार की महिलाएं संविधान की बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। उनके कल्याण के लिए हजारों करोड़ का व्यय प्रतिवर्ष दर्शाया जाता है। परंतु उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनतक नहीं पहुँच पाता जो इनके वास्तविक हकदार हैं। इसका मुख्य कारण केन्द्रीय बजट में उनके संबंधित योजनाओं की राशि विभिन्न मंत्रालयों के आवंटन में दर्शाया जाता है। मंत्रालय स्वतंत्र रूप से इस धन राशि का उपयोग विचलित करता रहता है। धनराशि उन वर्गों तक मुख्य रूप से इसलिये भी नहीं पहुँच पाता क्योंकि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए बजट में उपखण्ड निर्धारित नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय बजट का 16.2 प्रतिशत भाग इन वर्गों के लिए पिछले वर्षों में आवंटित किया जाता रहा है। फिर भी उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, रोजगार आदि की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। इन समूहों में राष्ट्रीय स्तर पर असंतोष व्याप्त है। वे उग्रवाद एवं चरमपंथी की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं।

देश की विकास संबंधी योजनाओं का अध्ययन करते हुए यह स्थापित होता है कि वर्तमान नीतियाँ के परिणाम स्वरूप ही दलित, आदिवासी एवं अन्य कमजोर वर्गों के हितों को संरक्षण नहीं हो रहा है। बजट में समुचित आवंटन के बाद भी दलित एवं आदिवासी वर्ग समूह अभी भी निरक्षर, बेघर–बेरोजगार और भूखे हैं। उच्च शिक्षा में शैक्षिक पदों पर दलितों एवं आदिवासी वर्ग समूह की भागीदारी नहीं है। देश के विश्वविद्यालयों में 75000 आरक्षित पद रिक्त हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुसूचित जाति में मात्र 37.41 प्रतिशत एवं जनजाति में मात्र 29.60 प्रतिशत साक्षरता है। कक्षा 1 से 5 के बीच, कुल 2 करोड़ 88 लाख दलित–आदिवासी बच्चे अध्ययनरत हैं। पर, इसी वर्ष हाई स्कूल में इनकी संख्या मात्र 35 लाख है, यानी प्राइमरी और हाई स्कूल के बच्चे 2 करोड़ 53 लाख का अंतर।

डा॰ मिश्र ने कहा कि स्थिति गंभीर है इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है कि गरीबों को सीधे तौर पर कैश ट्रांसफर किया जाना चाहिए। सशर्त कैश ट्रांसफर योजना की शुरूआत 1997 में मैक्सिको में की गई थी। उस समय दुनिया के मात्र तीन देशों में सशर्त कैश ट्रांसफर किया जाता था। पर 2010 में सशर्त कैश ट्रांसफर करने वाले देशों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। इनके अलावा दुनिया के 30 अन्य देशों में इस योजना को हाल के दिनों में अपनाया गया है। यह योजना गरीबी उन्मूलन और असमानता की खाईं कम करने में कितना कारगर रही है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सशर्त कैश ट्रांसफर सुरक्षा कार्यक्रम विकासशील देशों में पिछले एक दशक के भीतर काफी लोकप्रिय हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सशर्त कैश ट्रांसफर ने प्रायः गरीबी को कम करने और उनके माता–पिता को बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक इस कार्यक्रम ने मैक्सिको और ब्राजील के भीतर असमानता की खाईं को 21 फीसद कम किया। ऐसे हालात में अपने देश में सशर्त कैश ट्रांसफर की योजनाओं क्यों नहीं अपनाई जा सकती है। इस योजना से देश के गरीब परिवारों को अधिक लाभ मिल सकता है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

रेल बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र की प्रतिक्रिया – बजट आधुनिकीकरण संरक्षा एवं सुरक्षा की दृष्टि से काफी कमजोर।

पटना, 25 फरवरी, 2011

रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011–12 के रेल बजट में लोकलुभावन घोषणाएँ तो है लेकिन रेल विकास के ठोस प्रावधान नहीं है। राजनीतिक प्राथमिकताएं ही ज्यादा झलकती हैं। हालांकि इसमें यह नहीं प्रदर्शित किया गया है कि आखिर भारतीय रेलवे आगे कैसा रेलवे बनना चाहता है। उसे एक दिशा तय करनी चाहिए कि कैसे वह फ्रांस या फिर जापान की रेलवे के समझ खड़ा होगा। संरक्षा, सुरक्षा और आधुनिकीकरण पर रेल मंत्री को ज्यादा बात करनी चाहिए थी क्योंकि रेल संरक्षा आयोग ने रेल मंत्रालय को सतर्क किया है कि रेल की सुरक्षा एवं संरक्षा खतरे में है। देश भर में फैले 1 लाख 2 हजार रेलवे पुल की स्थिति जर्जर हो चली है। इस हालत पर रेल संरक्षा आयोग ने गहरी चिंता व्यक्त की है। पुलों के रख–रखाव पर ध्यान दिए बिना क्षमता से अधिक मालगाड़ियों की लदान पर आयोग ने रेल मंत्रालय को उत्तरदायी बताया है और आयोग ने रेलवे संरक्षा पर अनेक सवाल उठाये हैं। सुरक्षा और संरक्षा की उपेक्षा कर अधिक क्षमता वाली मालगाड़ियों को पुलों पर दौराने को बेहद खतरनाक माना है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कभी भी देश के विभिन्न भागों के पुलों पर दुर्धटना की संभावना बतलाया है। उन अनुशंसाओं को रेल मंत्री जानने की चेष्टा नहीं की है। यह बजट आधुनिकीकरण की दृष्टि से भी काफी कमजोर है।

पिछले पांच साल में माल यातायात में काफी तेजी आयी है और हर साल औसतन 17 फीसदी की दर से इसमें बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय रेल की सबसे बड़ी समस्या अब भी उसकी दुर्धटना दर अधिक है, जो सालाना 200 से ऊपर है। रेलवे ने यह मान लिया है कि इतने विशाल नेटवर्क को देखते हुए दुर्धटनाओं को पूरी तरह रोकना नामुमकिन है, लिजाहा दुर्घटनाओं को कम करना ही उसके एजेंडे में है। रेल दुर्धटनाओं की मुख्य वजह मानवीय भूल है जो 83 प्रतिशत है। संरक्षा और सुरक्षा के पुराने उपकरण रेलवे की समस्याएं हैं। रेल बजट में 94 स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में अपग्रेड करने की योजना, 10 अन्य स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की योजना, 93 अतिरिक्त बहुउद्देशीय परिसर बनाने की योजना, पीपीपी मोड़ के जरिये मल्टी लोकल पार्क बनाने की योजना, कर्मचारियों के लिए आवास संबंधी योजना समेत अन्य तमाम योजनाओं को अमलीजामा नहीं पहनाया गया। अतः आवश्यक है कि लोकसभा में पेश किये गये रेल बजट में प्रस्तावित योजनाओं को कार्यरूप दिया जाए। विभिन्न रेल मंत्रियों द्वारा बिहार के लिए स्वीकृत रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन शिथिल रहा है। अधिकांश योजनाएं प्रारंभ भी नहीं हुआ है, यह विस्मयकारी है। रेल बजट में पिछले बजटों की समीक्षा और अनुश्रवण के साथ–साथ सतर्कता का प्रावधान नहीं है। रेल परियोजना का सही मूल्यांकन नहीं किये जाने के कारण रेल प्रतिष्ठान में लोगों का विश्वास कमजोर पड़ता जा रहा है। निजी निवेश की संभावना बढ़ाई जा रही है। 85 निजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। परंतु विकास और औद्योगीकरण से रेल की प्रमुख अपनी भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार विधान मंडल में आज राजग सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा उपस्थापित छठा बजट (2011–12) पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र की प्रतिक्रिया।

पटना, 25 फरवरी, 2011

2011–12 वर्ष के बजट में प्रस्तुत तथ्यों से प्रमाणित हुआ है कि पिछले पाँच वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की छवि में सकारात्मक बदलाव आया है। लोग बिहार को क्षमतावान राज्य मानने लगे हैं। पाँच वर्षों में समाज के सभी वर्गों को न्याय और सबको समुचित विकास हेतु पूरी ईमानदारी से प्रयास किया गया है। न्याय के साथ विकास व्यवहारिक प्रमाणित हुआ है। फलतः बिहार का विकास दर 10.49 प्रतिशत स्थापित हुआ है। इस बजट की रणनीति के अंतर्गत भूख, कुपोषण, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा कमजोर तबके विशेषकर दलित अल्पसंख्यक एवं महिलाओं का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प प्रदर्शित हुआ है। कृषि उत्पादकता बढ़ाकर एवं कृषि की इन्द्रधनुषी परिकल्पना से किसानों की आमदनी बढ़ायी जा सकती है। बिहार की आबादी का बड़ा हिस्सा राज्य एवं देश के बाहर प्रवासी बिहारियों का है। बिहार, देश और दुनिया में फैले बिहारियों की पूर्ण सुरक्षा, उनके कल्याण तथा मान–सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ हीं बिहार उनके हुनर और कौशल विकास के लिए, उन्नत प्रशिक्षण के लिए तत्पर हैं। सामाजिक संरचना के साथ–साथ आधारभूत संरचना के विकास को शिथिल नहीं किया जा सकता है। सर्वाधिक राशि देकर सड़क निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जाने का है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपना उत्पादन बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। संकल्प बिहार के विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। विकास की दौर में देर से शामिल होने के कारण जबतक सामाजिक और आधारभूत संरचना निजी क्षेत्र को आकर्षित नहीं करती है तबतक सार्वजनिक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भर करना पड़ रहा है। अब निजी निवेश तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के अनुकुल वातावरण बना हैं बड़े–बड़े उद्योग समूहों ने बिहार में रूचि लेना प्रारंभ किया है। बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरूद्धार में निजी निवेशकों की रूचि उत्साहवर्द्धक है। जहाँतक विकास की बात है, बिहार ने कई नयी योजनाएं शुरू की हैं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लिए हो, चाहे ग्रामीण इलाकों और शहरों में मूलभूत ढांचे के लिए हो। सबसे अहम बात यह है कि न केवल सरकारी खर्चे में 2–3 गुना बढ़ोत्तरी हुई बल्कि बिहार में विकास का एक नया ढांचा बनाया है जो अगले 4–5 सालों में राज्य के चेहरे को बदल देगा। प्रशासन की कार्यशैली में परिवर्तन कर स्थिति में बदलाव लाने का प्रयत्न इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसी रणनीति बनाई गई है जिससे बिहार के विकास की चुनौती का सामना करने में सफलता मिलेगी। बिजली, सड़क निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, बच्चों की शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिया जा रहा है। दृष्टिकोण में इस बदलाव से विकास का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता मिलेगी।

बजट के उपबंधों को देखने से ऐसा लगता है कि वित्तीय सुधार रणनीति के तीन मुख्य अंग हैं:– (क) व्यय सम्बंधी एक मध्यकालीन रूपरेखा बनायी गई है और उसी के इर्द–गिर्द संभावित और व्यय आधारित उपाय सोची गई है ताकि उनसे जुड़ी समस्याओं का निदान निकले। वित्तीय–सुधार के मुख्य आधारों को संगठित करने के लिए कम खर्चीली योजना को प्राथमिकता दी गई है। अधिक खर्चीला ऋण का पुनः संतुलन कर और नये विनिवेश को निरंतर चालू रखकर और उसकी कार्यप्रणाली में कोई बाधा नहीं आने देने के उपाय करके वित्तीय लक्ष्य को पूरा किया गया है। व्यय की समीक्षा करके कार्यक्रम की प्राथमिकता निर्धारित की गई है और बर्वादी वाले क्षेत्र की पहचान की गई है। (ख) केन्द्रीय सहयोग के इस्तेमाल में पड़नेवाली बाधाओं को चिन्हित किया है तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त धनराशि उपयोग की दर बढ़ाने के उपाय सोचा गया है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

संसद में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2011–12 पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र की प्रतिक्रिया

पटना, 28 फरवरी, 2011

आज लोक सभा में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी जी ने 2011–12 का केन्द्रीय बजट जो राष्ट्रीय बजट की 80वीं और उनका छठा बजट है जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से आर्थिक सुधारों की गति को तेज करने के लिए सामाजिक सेवाओं के खर्चों में बढ़ोतरी कर समाज कल्याण संबंधी योजनाओं के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा व्यय करने का प्रावधान किया है। उन्होंने कुशलतापूर्वक परस्पर विरोधी अपेक्षाओं के दबावों एवं उम्मीदों तथा जन आकांक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित किया है। देशी–विदेशी बड़ी पूंजी और कारपोरेट जगत के दबावों के साथ–साथ सरकार की नव उदारवादी आर्थिक सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प दुहराया है। उन्होंने बेकाबू महंगाई को नियंत्रित करने के उपायों पर गंभीरतापूर्वक चिन्तन किया है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और उससे पैदा हो रहे सुविधाओं को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए अनेक प्रावधान किये हैं। ऐसा संतुलन बैठाना आसान नहीं है। परंतु उन्होंने समावेशी विकास को व्यावहारिक रूप देने के लिए आर्थिक व्यवस्था के हर क्षेत्रों को किसी न किसी (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) रूप से सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने राजकोषीय घाटे पर कड़ाई से अंकुश लगाया है। देशी–विदेशी पूंजी की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखा है। उन्होंने सरकार की आय बढ़ाने के लिए कुछ टैक्स बढ़ाये एवं उस टैक्स में कुछ छुट देने की भी गुंजाईश है। उन्होंने अमीर, मध्यवर्गीय एवं गरीब वर्गों के लिए भी गहरी संतुलन बनाये रखने का कार्य किया है परिणामस्वरूप उदारीकरण का मानवीय चेहरा इस बजट में परिलक्षित हो रहा है।

बजट में कृषि और ग्राम विकास, बुनियादी सुविधाओं और शहरी विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है और इनके लिये अधिक राशि जुटाई गई है तथा समर्थक नीतियां तय की गई हैं। कृषि विकास की जरूरत को मान्यता देते हुए इस बजट के जरिये किसानों को काफी समर्थन प्रदान किया गया है। कृषि उपज बढ़ाने के जो उपाय किए गए हैं उनमें बैंक ऋण सुविधा से लेकर सिंचाई, प्रशिक्षण और शिक्षा जैसी चीजें शामिल हैं। जहाँ तक मूल सुविधाओं का प्रश्न है, इस बजट में बड़ी बिजली परियोजनाओं की व्यवस्था है, साथ ही, स्वर्ण चतुर्भुज योजना पूरी करने और निजी–सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने की भी व्यवस्था है। समर्पित निधियों की स्थापना और विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल बुनियादी सुविधा विस्तार के लिये करने की अनुमति देना भी महत्वपूर्ण उपाय है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का सरलीकरण, उदारीकरण एवं छूट की सीमा बढ़ाना सराहनीय निर्णय है। कर वसूली में वृद्धि और कर प्रणाली में सुधार महत्वपूर्ण प्रशासनीक उपलब्धि है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा० जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तथा विशेष पैकेज नहीं देना विस्मयकारी– डा० जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य

पटना, 03 मार्च,, 2011

बिहार एक ऐसा राज्य है जो उदारीकरण के लाभों से वंचित है। इसलिये बिहार जैसे पिछड़े राज्यों एवं विकसित राज्यों की वित्तीय आवश्यकता को एक ही तराजू पर नहीं रखा जा सकता। इस सिद्धांत को त्याग कर बिहार जैसे राज्य के लिए विशेष संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बिहार के लिए यह बजट अत्यंत ही निराशाजनक कहा जा सकता है कि रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी की तरह वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने भी बिहार को निराश किया है। इस आम बजट में बिहार को कुछ हासिल नहीं हुआ है। 2010–11 की आर्थिक समीक्षा संसद में पेश करते हुए वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने बिहार की विकास दर के संबंध में सकारात्मक टिप्पणी की है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की दृष्टि से देश में बिहार का उपर से दूसरा स्थान है। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने भी 2011–12 के बजट भाषण में पिछले वर्ष की विकास दर को 10.49 दर्शाया है। ऐसे पूर्व में उपेक्षित प्रदेश को अगर केन्द्र से न्यायोचित मदद मिलनी शुरू हो जाए तो बिहार जल्द ही देश का पहला विकसित राज्य हो सकता है। अभी जो बिहार ने प्रगति की है वह अपनी बूते से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद की है। 1990 से जारी आर्थिक सुधार से संबंधित कार्यक्रमों से बिहार लाभान्वित नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इस हकीकत से वाकिफ थे यही कारण था कि इस बजट के पहले वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात कर उन्होंने बिहार के हितों से जुड़े मुद्दों से संबंधित ज्ञापन उन्हें सौंपा था। परंतु केन्द्रीय बजट में वित्त मंत्री ने चुप्पी साध ली। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के अलावे अतिरिक्त विशेष पैकेज के रूप में 4 हजार करोड़ की मांग की गई थी। लेकिन बजट में बिहार राज्य के लिए अलग से कोई उदारता नहीं दिखायी गई जबकि केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास का खास ख्याल रखा है। इसलिये विशेष दर्जे वाले राज्यों के विकास के लिए बजट में 8 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो पिछले बजट के मुताबिक दुगुनी है। बजट में पिछड़ा राज्य साहायता कोष के तहत विभिन्न राज्यों के 250 जिलों के सहायता राशि को बढ़ायी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार में विकास दर बढ़ाकर रखने के लिए 4 हजार करोड़ की सालाना विशेष पैकेज की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को कहा था कि 12वीं वित्त आयोग में राज्य का हिस्सा 11.2 प्रतिशत था लेकिन 13वीं वित्त आयोग में इसमें बढ़ोत्तरी के बजाय घटाकर 10.9 प्रतिशत कर दिया गया है जो उचित नहीं है। इस कारण इस राज्य को 2500 करोड़ का नुकसान हुआ है। बिहार ने अपनी साधनों से सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि की है। हालांकि अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। लिहाजा विशेष आर्थिक सहायता एवं विशेष राज्य के दर्जे की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा केन्द्रीय बजट में दलित अंगीभूत, आदिवासी उप योजना एवं अन्य कल्याणकारी कार्य के लिए बजट में अलग उपशीर्ष का प्रावधान किये जाने की डा॰ जगन्नाथ मिश्र द्वारा सराहना।

पटना, 05 मार्च, 2011

संयुक्त राष्ट्र की विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2010 में यह दर्शाया गया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दलित एवं आदिवासी कल्याणकारी योजना के लिए आवंटित राशि दलितों तक नहीं पहुँचती है क्योंकि उन आवंटन के लिए बजट में अलग उपशीर्ष नहीं है। इसे ही ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 2011–12 के केन्द्रीय बजट में भारत के वित्त मंत्री श्री प्रणंव मुखर्जी ने कहा है कि इसे स्वीकार करते हुए धनराशि उन वर्गों तक मुख्य रूप से इसलिये नहीं पहुँच पाती क्योंकि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए बजट में उपखण्ड निर्धारित नहीं है। धन राशि का मंत्रालयों द्वारा विचलन कर दिया जाता रहा है। यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय बजट का 16.2 प्रतिशत भाग इन वर्गों के लिए पिछले वर्षों में आवंटित किया जाता रहा है। फिर भी उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, रोजगार आदि की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। इन समूहों में राष्ट्रीय स्तर पर असंतोष व्याप्त है। वे उग्रवाद एवं चरमपंथ की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। देश की विकास संबंधी योजनाओं का अध्ययन करते हुए यह स्थापित होता है कि वर्तमान नीतियों के परिणाम स्वरूप ही दलित, आदिवासी एवं अन्य कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। बजट में समुचित आवंटन के बाद भी दलित एवं आदिवासी वर्ग समूह अभी भी निरक्षर, बेघर–बेरोजगार और भूखे हैं।

भारत के वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमता से देश के सबसे कमजोर तबकों– अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपयोजना के तहत संसाधनों के आवंटन की अनिश्चितता और बंदरबांट को खत्म कर दिया है। इन तबकों के लिए आवंटित धन के दुरूपयोग की वजह से केन्द्र सरकार को पिछले सालों संसद में काफी असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता रहा है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तबकों के लिए मंत्रालयवार अलग आवंटन बजट कोड द्वारा करके उन्होंने दलित को सरकार की तरफ से साफ राजनैतिक संदेश दिया है कि सरकार उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है। यही नहीं, उनके इस कदम से देश की तरक्की के लिए आवश्यक इन तबकों की तरक्की के लिए जरूरी सरकारी संसाधनों का रास्ता भी खुल गया है। कई पंचवर्षीय योजनाओं एवं चार बार्षिक योजनाओं के जरिए विकास के परिणामों को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की सरकार इस निर्णय पर पहुँची थी कि योजनाओं के विकास का लाभ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तक नहीं पहुँच रहा है। फलतः उनकी सरकार ने योजनाओं का फायदा सीधे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तक पहुँचाने के लिए इन समुदायों की आबादी के अनुपात में विशेष दलित अंगीभूत योजना तथा आदिवासी उप योजना शुरू की। इस नीति के अनुसार प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में देश के संसाधनों का आवंटन इस तरह से करना तय किया गया जिससे कि मोटे तौर पर अनुसूचित जाति के विकास पर 16.2 फीसदी और आदिवासियों के विकास पर लगभग 8.2 फीसदी राशि खर्च हो लेकिन इन्दिरा सरकार की बाद वाली कोई सरकार उसे लागू नहीं कर पाई है। इस बार मंत्रालयों और विभागों ने दलितों के लिए पहलीबार धन का आवंटन किया है। सरकार ने अंततः दलितों के विकास के लिए बजट गत आवंटन की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार कर ली है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

'मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना' और बहुप्रतीक्षित सेवा के अधिकार विधेयक के प्रस्ताव को बिहार की राजग–दो सरकार द्वारा दी गयी मंजूरी के लिये डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री की, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को चुनावी घोषणा को कार्यान्वित करने हेतु, बधाई।

पटना, 09 मार्च, 2011

80 लाख गरीबों को अपने खाते से कम कीमत पर अनाज मुहैया कराने एवं चिरप्रतीक्षित सेवा के अधिकार विधेयक के प्रस्ताव के बड़े मुद्दों पर बिहार की सरकार द्वारा 8 मार्च, 2011 तदनुसार मंगलवार की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सराहना की है और चुनावी घोषणा को लागू करने हेतु उन्हें बधाई दी है। :मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना' को मंजूरी मिलने से प्रति परिवार को 15 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ की आपूर्त्ति कम कीमत पर की जायगी। केन्द्र सरकार तो बिहार में 65 लाख परिवारों को ही गरीबी रेखा के नीचे मान रही है और उन्हें ही कम कीमत पर अनाज की सुविधा दे रही है, जबकि राज्य सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार 1 करोड़ 45 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं। केन्द्र की योजना से छूटे हुए लोगों के लिये राज्य सरकार चिन्तित रही है। खैर, 'मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना' के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे बचे हुए 80 (अस्सी) लाख परिवारों को अपने खर्चे पर राज्य सरकार ने कम कीमत पर अनाज मुहैया कराने का निर्णय किया है। इस प्रकार 1.45 करोड़ परिवारों को खाद्य–सुरक्षा योजना से अच्छादित कर लिया जायगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई भी नागरिक कभी भी भूखा न सोये। अब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को हर महीने एक निश्चित मात्रा में रियायती दरों पर अनाज दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री के भाषण में 2009 में भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम की घोषणा की गई थी, परंतु केन्द्र सरकार नहीं कर पाई। इस निर्णय से मुख्यमंत्री की घोषणा की पूर्ति हुई है। चुनावी घोषणा को जमीनी रूप देने के लिये डा॰ मिश्र ने हर्ष व्यक्त किया और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बधाई दी।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार की वित्तीय आवश्यकता पर विकसित राज्यों से अलग होकर विचार करने की जरूरत — डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

मुजफ्फरपुर, 10 मार्च, 2011

बिहार एक ऐसा राज्य है जो उदारीकरण के लाभों से वंचित है। इसलिये बिहार जैसे पिछड़े राज्यों एवं विकसित राज्यों की वित्तीय आवश्यकता को एक ही तराजू पर नहीं रखा जा सकता। इस सिद्धांत को त्याग कर बिहार जैसे राज्य के लिए विशेष संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बिहार के लिए यह बजट अत्यंत ही निराशाजनक कहा जा सकता है कि रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी की तरह वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने भी बिहार को निराश किया है। इस आम बजट में बिहार को कुछ हासिल नहीं हुआ है। जब वित्त मंत्री ने संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2010–11 में आर्थिक विकास के कई पैमानों पर अलग–अलग राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया तथा समीक्षोपरांत वित्तीय वर्ष 2003 से 2008–09 के दौरान विकास के दर के मामले में सर्वश्रष्ठ प्रदर्शन गुजरात का रहा है। उसके बाद बिहार का ही स्थान रहा है। सबसे आम बात यह है कि 2008–09 में बिहार का विकास दर 16.58 प्रतिशत जो देश भर में सर्वाधिक थी जबकि यह सर्वविदित है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लगातार 11वीं पंचवर्षीय योजना तक बिहार में प्रति व्यक्ति योजना व्यय और प्रति व्यक्ति केन्द्रीय साहाय्य सबसे कम है। 1990 से जारी आर्थिक सुधार से संबंधित कार्यक्रमों से बिहार लाभान्वित नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इस हकीकत से वाकिफ थे यही कारण था कि इस बजट के पहले वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात कर उन्होंने बिहार के हितों से जुड़े मुद्दों से संबंधित ज्ञापन उन्हें सौंपा था। परंतु केन्द्रीय बजट में वित्त मंत्री ने चुप्पी साध ली। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के अलावे अतिरिक्त विशेष पैकेज के रूप में 4 हजार करोड़ की मांग की गई थी। लेकिन बजट में बिहार राज्य के लिए अलग से कोई उदारता नहीं दिखायी गई जबकि केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास का खास ख्याल रखा है। इसलिये विशेष दर्जे वाले राज्यों के विकास के लिए बजट में 8 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो पिछले बजट के मुताबिक दुगुनी है। बजट में पिछड़ा राज्य साहायता कोष के तहत विभिन्न राज्यों के 250 जिलों के सहायता राशि को बढ़ायी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार में विकास दर बढ़ाकर रखने के लिए 4 हजार करोड़ की सालाना विशेष पैकेज की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को कहा था कि 12वीं वित्त आयोग में राज्य का हिस्सा 11.2 प्रतिशत था लेकिन 13वीं वित्त आयोग में इसमें बढ़ोत्तरी के बजाय घटाकर 10.9 प्रतिशत कर दिया गया है जो उचित नहीं है। इस कारण इस राज्य को 2500 करोड़ का नुकसान हुआ है। बिहार ने अपनी साधनों से सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि की है। हालांकि अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। लिहाजा विशेष आर्थिक सहायता एवं विशेष राज्य के दर्जे की मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए अपने क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका अधिसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना ही हो सकता है। गरीब राज्यों को ऐसे अधिसंरचनात्मक निवेश की जरूरत अधिक है, लेकिन इस कार्यभार को पूरा करने के लिए उनके पास कम वित्तीय संसाधन मौजूद हैं। जबतक उनके अधिसंचनात्मक व सेवा संबंधी स्तर इस अवस्था में न पहुँच जायं कि वहाँ निजी निवेश का अच्छा–खासा प्रवाह होने लगे, इसके लिए आवश्यक संसाधनों को उस समय तक केन्द्रीय पुल से ही आना है। भारत में भारी आंचलिक विविधता और संसाधनों का असमान वितरण है। बिहार की वित्तीय आवश्यकता पर विकसित राज्यों से अलग होकर विचार करने की जरूरत है।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 80 लाख गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा की परिधि में लाने का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सरकार के निर्णय की डा॰ जगन्नाथ मिश्र की सराहना।

पटना, 10 मार्च, 2011

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की दूसरी पारी की सरकार के सौवें दिन पूरा होने पर भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा की योजना से बाहर 80 लाख बचे हुए गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को उन्होंने अपनी सरकार में सम्मिलित कर सराहनीय कार्य किया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पिछले विधान सभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता को आश्वस्त किया था कि उनकी सरकार का यह दायित्व होगा कि राज्य का कोई भी नागरिक कभी भी भूखा न सोये। इसलिए उन्होंने राज्य की जनता को आश्वस्त किया था कि भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हर परिवार को एक निश्चित मात्रा में रियायती दर पर अनाज दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उसी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के आकलन के अनुसार 1 करोड़ 45 लाख परिवार जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं किन्तु केन्द्र सरकार अपने आकलन के अनुसार केवल 65 लाख परिवारों को हीं गरीबी रेखा के नीचे मानते हुए उसे अनाज की सुविधा दे रही है। इस प्रकार केन्द्र की योजना से बचे हुए 80 लाख परिवारों को "मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना" के तहत राज्य सरकार ने कम कीमत पर अनाज मुहैया करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में हमारा देश खाद्य समस्या से जूझ रहा है। देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में आशानुकूल वृद्धि नहीं होने के कारण खाद्यान्नों की मांग और पूर्ति में अंतर बढ़ता जा रहा है जिस वजह से खाद्यान्नों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। देश की समस्त जनसंख्या को 'खाद्य सुरक्षा' प्रदान करने के लिए खाद्य की भौतिक उपलब्धि आवश्यक है। गरीब और बेसहारा लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार कई कार्यक्रम चला रही है जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना आदि प्रमुख हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना से गरीब लोग लाभान्वित हो रहे हैं, परंतु बढ़ती कीमत के कारण उनकी परेशानी जारी है। सरकार के पुरजोर प्रयासों के बावजूद बढ़ती जनसंख्या और उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि न होने के कारण हम अभी भी 'सभी को भोजन' के लक्ष्य से कोसों दूर हैं। इन तमाम चुनौतियों के बीच राज्य के सभी गरीब नागरिकों को खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा लिये गये निर्णय अत्यंत ही सराहनीय हैं।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान

1, आई॰ए॰एस॰ किदबईपुरी,, पटना–1

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में ''केन्द्रीय बजट 2011–12'' विषय पर परिचर्चा :

पटना, 12 मार्च, 2011

आज बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में **''केन्द्रीय बजट 2011–12''** विषय पर आयोजित परिचर्चा को सम्बोधित करते हुए संस्थान के अध्यक्ष, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंदी के बावजूद लगातार विकास की गति बनाए हुए है और पिछले वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दौरान अर्थव्यवथा में विकास दर बनाए हुए हैं और यह देश सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था के साथ समावेश बनाए हुए हैं। योजना आयोग ने मध्यावधि समीक्षा में 11वीं योजना (जो 2012 में समाप्त होगी) के विकास दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया है इस आधार पर कि विश्व- आर्थिक मंदी से आर्थिक विकास की गति धीमी हो गयी है। योजना अवधि में औसत विकास दर 8 प्रतिशत से थोड़ा ऊपर 8.1 प्रतिशत हो सकती। यह मूल योजना लक्ष्य के औसत 9 प्रतिशत विकास दर के नीचे हो जायेगी। किन्तु यह 10वीं योजना अवधि में प्राप्त 7.8 प्रतिशत से बेहतर होगा। 2010–11 तक योजना आयोग 8.5 प्रतिशत के आर्थिक विकास की उम्मीद करता है और यह भी उम्मीद करता है कि योजनावधि के समापन वर्ष में यह 9 प्रतिशत तक उठ सकता है। डा॰ मिश्र ने कहा है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो उदारीकरण के लाभों से वंचित है। इसलिये पिछड़े राज्यों एवं विकसित राज्यों की वित्तीय आवश्यकता को एक ही तराजू पर नहीं रखा जा सकता। इस सिद्धांत को त्याग कर बिहार जैसे राज्य के लिए विशेष संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने समावेशी समाज की अवधारणा पर अपनी आर्थिक नीत को सफलतापूर्वक मूर्त रुप दिया है। 2013–14 तक भारत दूनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत दूनिया में दूसरी तीव्रगति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था विश्व मंदी के बावजूद 6.7 प्रतिशत वृद्धि दर बनाए रहा है।

डा॰ नवल किशोर चौधरी, अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय ने कहा कि केन्द्र सरकार के 2010 के बजट में जो प्रस्ताव किए गए हैं उनसे वित्त मंत्री की इस वचनबद्धता की झलक मिलती है कि वे भारत की अर्थव्यवस्था की नौ प्रतिशत विकास दर को दो अंकों की विकास दर में बदलना चाहते हैं। हमारी नीतियों की चरम कसौटी गरीबी को कम करने में उनकी सफलता के संदर्भ में होनी चाहिए। दुर्भाग्य से गरीबी के मोर्चे पर भारत को अभी काफी रास्ता तय करना है। मुख्य चुनौती है–गरीबी मिटाने के लिए पहले से ही आवंटित धन को दिशा देना। ऐसा कर पाने में हमारी असमर्थता निहित स्वार्थ की अपेक्षा अवधारणाओं के कारण अधिक है।

श्री आई॰ सी॰ कुमार ने कहा ''सबसे गरीब लोगों के जीवनस्तर को केवल तभी उन्नत किया जा सकता है जब देश में श्रमिकों को ज्यादा उत्पादक काम धंधों में लगने का विकल्प मिले। आर्थिक बढ़त गरीबी को घटाना भी शुरू कर देगी और आय के विवरण को भी सुधारने लगेगी, यानी समानता की ओर अग्रसर करने लगेगी।

श्री आर॰ यू॰ सिंह ने कहा कि 2010–11 के लिए प्रस्तावित बजट का पहला मकसद इस बढ़त दर को बढ़ाना है। कृषि, समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक सेवाओं आदि के लिए आवंटन कुछ–कुछ बढ़ाया गया है। परंतु वास्तविक, स्थिर कीमतों पर या तो यह आवंटन यथावत है अथवा कहीं–कहीं, जैसे मनरेगा में, कम भी हो गया है। एक हजार करोड़ रुपये का चालू कीमतों पर इजाफा किया गया है।

डा॰ आई॰डी॰ शर्मा ने कहा कि भारत के बजट 1991 के पहले के अंतर्निहित उदारवाद के साये में जनाभिमुख राजकोषीय तथा विकल्प नीतियों द्वारा असमानतामय समाज के विभिन्न भागों में संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं।

डा॰ गोरेलाल यादव ने कहा कि बुनियादी ढांचे की मजबूती इसकी मजबूती प्रयास किए जाने के बावजूद इसकी मजबूती के लिए और भी उपाय किए जाने की दरकार है।

डा॰ के॰के सिन्हा ने कहा कि एक तरफ एक वर्ग को राहत दी गई है, दूसरी ओर मंदी के दौरान रोजगार पर आफत आई है।

प्रारंभ में संस्थान के निदेशक डा॰ प्यारे लाल द्वारा सेमिनार के विषय वस्तु पर विशद् चर्चा की।

इस सेमिनार में डॉ॰ कुमकुम नारायण, डा॰ (श्रीमती) मिरा वर्मा, डा॰ जी॰एस॰ दत्त, डा॰ राजीव नन्दन यादव, डा॰ टी॰ एन॰ झा, श्री सत्य नारायण मदन, डा॰ डी॰ एन॰ झा डा॰ बचन पाण्डेय, डा॰ आई॰ए॰ खान, मौलाना समशुल होदा, श्री रामउदार झा, श्री श्याम बिहारी मिश्र, श्री भरत त्रिपाठी, श्री बी॰डी॰ राम, श्री बच्चा ठाकुर, तथा अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

(डा॰ प्यारे लाल)
निदेशक

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को उनके द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिये जाने की घोषणा के विरूद्ध डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने ज्ञापन सौंपा।

पटना, 17 मार्च, 2011

आज नई दिल्ली में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने संबंधी केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा राज्य सभा में की गई घोषणा के विरूद्ध डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में डा॰ मिश्र ने कहा है कि उनके द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने संबंधी की गई घोषणा अत्यंत ही विस्मयकारी एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री मुखर्जी का यह कहना कि विशेष राज्य का दर्जा देना राष्ट्रीय विकास परिषद के दायरे में आता है। यह इसलिये उचित नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद उन्हीं विषयों पर विचार करती है जो विषय केन्द्र सरकार द्वारा परिषद में उपस्थापित किये जाते हैं। राज्य में प्रति व्यक्ति सबसे कम आय तथा प्रति व्यक्ति सबसे कम केन्द्रीय साहाय्य के कारण अबतक सभी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रति व्यक्ति परिव्यय तथा प्रति व्यक्ति केन्द्रीय साहाय्य का निम्नतर स्तर रहा है। राज्य के प्रति किए गए अन्याय को दूर करने के लिए केन्द्र द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। फलतः राज्य अभी भी हर तरह की समस्या से पीड़ित है और तो और नब्बे के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी, जब उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित हुए हैं, बिहार राज्य लाभ से वंचित ही बना रहा है। राज्यों का सामाजिक–आर्थिक विकास जनसंख्या के आकार, जनसंख्या वृद्धि, अधिसंरचना, अवस्थिति और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता जैसे विविध प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। यह भी अच्छी तरह ज्ञात है कि गरीबी, असाक्षरता और पिछड़ापन एक ही साथ अस्तित्वमान रहते हैं और एक–दूसरे को बल देते हैं। इनके दुष्चक्र को तोड़ने के लिए वित्तीय संसाधनों की उलब्धता एक पूर्वशर्त है। अतएव समता को प्रोत्साहित करने और राज्यों के बीच असमानता में कमी लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा एक अनिवार्य शर्त बन जाती है।

डा॰ मिश्र ने ज्ञापन में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव आया है और हाल के वर्षों में वृद्धि दरें त्वरित हुई हैं। परंतु उदारीकरण और आर्थिक सुधारों से बिहार लाभान्वित नहीं हुआ है। क्योंकि बिहार का अधिसंरचनात्मक सुविधाएं लगातार निम्नतर बनी रही हैं। बिहार में अधिसंरचनात्मक निवेश की आवश्यकता है। परंतु उसके पास वित्तीय संसाधन मौजूद नहीं रहा है। यह भी सर्वविदित है कि भारत में आंतरिक विविधता और संसाधनों का असमान वितरण है। राज्यों में सामाजिक आर्थिक स्थितियों में काफी अंतर बना रहा है। इसलिये बिहार की वित्तीय आवश्यकता पर विकसित राज्यों से अलग होकर विचार करने की जरूरत है। असमान विकास और निरंतर चल रही पिछड़ापन का कारण अल्पविकसित बिहार में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बिहार जैसे राज्य को विशेष मदद करने की जरूरत है। इसके लिए साहसपूर्ण और सुदृढ़ वित्तीय नीति बनानी पड़ेगी। आज पिछड़े राज्यों और विकसित राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को एक ही तराजू पर तौलकर अनुमान करने की जो प्रणाली बनी हुई है उसे त्यागकर पिछड़े राज्यों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने में अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा।

संविधान सभी प्रकार की असमानताएं दूर करने के प्रति बहुत गंभीर है, चाहे वे व्यक्तियों के बीच हों या समूहों के बीच। संविधान के अनुच्छेद 38(2) का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा जो राज्यों को असमानताएं दूर करने की जवाबदेही देता है। ''राज्य खास करके आय की असमानताएं न्यूनतम करने का प्रयास करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को व्यक्तियों के बीच ही नहीं, विभिन्न इलाकों में विभिन्न स्थानों पर रह रहे जन समूहों के बीच की भी असमानताओं को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा।'' लेकिन संविधान के इस दिशा–निर्देश के बावजूद, बिहार के लोग व्यक्तियों और जनसमूहों के बीच मौजूद असमानताओं से पीड़ित हैं।

श्री नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले पांच वर्षों में बिहार में विकास की नई संभावना बनाई है। इन पांच वर्षों में विकास की बुनियादी संरचना सृजित हुई। सरकार के प्रयत्नों से राज्य एक क्रियाशील राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ है। पिछले पाँच वर्षों की प्रगति और विकास को देखते हुए बिहार जैसे आर्थिक सुधारों से वंचित राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना निहायत आवश्यक है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना-23

प्रेस विज्ञप्ति

22 मार्च 2011 को बिहार दिवस के आयोजन के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र की बधाई।

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार दिवस के आयोजन के माध्यम से बिहार कि ऐतिहासिक उपलब्धियों एवं गौरवपूर्ण परम्पराओं से बिहार के नई पीढ़ी को अवगत कराने का सपफल अभियान प्रारंभ किया है ऐसे कार्यक्रम से बिहार में बिहारी उपराष्ट्रीयता कि भावना सृजित हो रही है। उनके नेतृत्व में बिहार में व्याप्त हीन भावनाओं का अंत हुआ है और विकास के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच बनी है पिछले पाँच वर्षो के शासन के दौरान बिहार को स्वच्छ एवं व्यवस्थित सरकार मिली है जो परिर्वतन के नीतियों में विश्वास करती है। पिछले पाँच वर्षो में बिहार में प्रभावकारी बदलाव सभी क्षेत्राों में दिख रहा है जहाँ पहले पाँच वर्षो में दूसरे राज्यों में बिहार कि आलोचनाएँ होती थी आज सम्पूर्ण राष्ट्र में सभी प्रकार के आकलन से बिहार के प्रति सोच में बदलाव हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी सम्भवना बनी है कि बिहार राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश किये जा सकतें हैं। प्रशासनिक, औधोगिक योजना, कर सुधर और ढ़ांचागत सुविधओं में विस्तार होने से बिहार कि नकारात्मक छवि से बिहार को बाहर निकालने का पूरा श्रेय श्री नीतीश कुमार को जाता है और उनके नेतृत्व में बिहार कि पूरानी गौरव कि परमपराऐं वापस कि जा सकती है और बिहार विकससित राज्यों कि पंक्ति में खड़ा होने कि सभी सम्भावनाऐं स्थापित कर रहा है। बिहार दिवस के आयोजन से बिहार राज्य के सृजन एवं सौ वर्षो में बिहार कि सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक विभिन्न स्वरूपों को आत्म मंथन करने का अवसर प्रदान करता है साथही राष्ट्र को सबल-मजबूत करने में सक्षम बना सकता है। इन सारी शोच और ढृढ निश्चय के लिए बिहार के मुख्यमंत्राी श्री नीतीश कुमार को बधई।

बिहार में विकास की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यहॉ गरीबी बेहद और लगातार बनी हुई है, सामाजिक संगठन का ढॉचा उलझा हुआ है, बुनियादी संरचनाएॅ संतोषजनक नहीं है और शासन-तंत्र कमजोर है। ये सारी समस्याएॅ हैं तो चिर परिचित किन्तु इनके भलीभांति समझने का प्रयास नहीं किया गया था। बिहार की जनता जिसमें समाज के संभ्रान्त लोग, व्यापारी वर्ग, सरकारी अधिकारीगण, किसान और राजनीतिज्ञ शामिल हैं, सबके सब बिहार की इस छवि को दुरूस्त करने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जुटें हैं। जिसके चलते बिहार के विकास की संभावनाओं पर असर पड़ रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह की स्थिति में बदलाव लाया जाएॅ और ऐसे निदान ढ़ूॅढे जाएॅ तथा ऐसी रणनीति बनायी जाए जो बिहार के विकास की चुनौती का सामना करने में सहायक बनें।

बिहार में सफलता के अनेक उदाहरण हैं जिनसे राज्य के बाहर के लोग अवगत हो रहें हैं और वे बताते हैं कि बिहार में कितनी बड़ी संभावनाएॅ हैं। इन संभावनाओं से दूसरे क्षेत्रों को अनेक प्रोत्साहन मिल सकते हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा, सामाजिक सद्भाव के विकास के सूचक तत्वों और गरीबी घटाने के उपायों के प्रदर्शित करने के लिए बहुआयामी विकास नीति बनाने की जरूरत है। उससे बिहार को सफलता की ओर अग्रसर होना संभव होगा और बिहारवासियों में उदासीनता दूर करके उनमें आत्मबल का संचार होगा।

बिहार को जबर्दस्त चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ रहा है, किन्तु कठिन वातावरण के होते हुए भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सफल नेतृत्व मे दूरगामी दृष्टिकोण से विकास सम्बंधी सफल प्रयासों की परियोजनाएॅ सफल हो रही है,। ये उदाहरण भारत के अन्य राज्यों तथा विदेश के लिए अनुकरण करते योग्य हो सकते हैं।

बिहार के विकास की प्रमुख बाधाओं का विश्लेषण किया जाए और उसके सम्बंध में अपनायी जानेवाली आधारभूत नीति निर्धारित की जाए। समस्याओं पर चर्चा की जाए उनपर सरकार के स्तर पर तथा उसके बाहर भी वाद-विवाद चलाने की जरूरत है। जिन पॉच क्षेत्रों का विश्लेषण करना है और उनके लिए महत्वपूर्ण ढंग से चर्चा। चलानी है वे हैं :- (1) बिहार में विनिवेश के वातावरण में सुधार लाना, (2) सार्वजनिक प्रशासन और प्रकियाओं में सुधार लाना, (3) महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं की सुदृढ़ रूपरेखा बनाना और उनका कियान्वयन करना, (4) बजट प्रबंध और वित्तीय सुधार तथा (5) विधि-व्यवस्था में सुधार लाना।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

डॉ॰ राम मनोहर लोहिया की जन्म–दिवस के अवसर पर उनके व्यक्तित्व का डा॰ जगन्नाथ मिश्र का विश्लेषण।

पटना, 23 मार्च, 2011

इस अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि आजाद भारत के जीवन को डॉ॰ राम मनोहर लोहिया जितना प्रभावित करने वाला शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति हुआ है। विलक्षण मौलिक विचारक, धारदार राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले और अपनी मौत के लगभग चालीस वर्ष बाद भी अपने विचारों से राजनीति को दिशा देते रहे हैं। जातिगत भेदभाव समाप्त करने की बात हो या लैंगिक विषमता, आर्थिक समानता की लड़ाई हो या चमड़ी के रंग पर आधारित भेदभाव मिटाना, अंग्रेजी या शासक भाषा के प्रयोग का विरोध हो या स्वयं पार्टी की तानाशाही का, डाक्टर लोहिया कभी खामोश न रहे। महान विचारक डॉ॰ राम मनोहर लोहिया ने शिक्षा के समान स्तर को इस देश के विकास और सामाजिक समानता की पहली शर्त कहा था। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था कि– **"राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा या बिड़ला का सबकी शिक्षा एक समान।"** 63 साल बाद हमने शिक्षा को अनिवार्य तो किया मगर इसका स्तर अमीर व गरीब के लिए अलग–अलग रख कर। क्या नर्सरी में प्रवेश के समय कोई भी शिक्षक यह बता सकता है कि किस बच्चे में प्रतिभा ज्यादा है और किस में कम मगर अमीर–गरीबी के आधार पर यह तय किया जा रहा है कि केवल अमीर का बच्चा ही प्रतिभावान है। यह पूरी तरह शोषण है, इसे केवल दसवीं तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके और निकटतम पड़ोसी स्कूल के हर बच्चे के प्रवेश को अनिवार्य नियम बनाकर ही खत्म किया जा सकता है। डॉ॰ लोहिया के विचारों का आकलन करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू होने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करते हुए यह स्पष्ट होता है कि अपने देश के अंदर घनेरों निजी स्कूलों को स्थापित किया जा चुका है। सरकारी स्कूल सब तो अति दबे–कुचले लोगों के लिये हो चुके हैं। दबे–कुचले परिवारों के बच्चों का ही सरकारी स्कूलों में नामांकन हो रहा है। अन्य लड़के निजी स्कूलों को भरते जा रहे हैं। निजी स्कूलों में नामांकन–वृद्धि का मुख्य कारण शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा का उपयोग है; अंग्रेजी को छोड़कर कोई अन्य भाषा बोलने वाले छात्रों को आर्थिक रूप से दण्डित किया जाता है। सरकार को जी॰डी॰पी॰ का 6 प्रतिशत शिक्षा के लिये कर्णांकित करना चाहिये और इसका 50 प्रतिशत अर्थात् 3 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा के लिये निर्धारित करना चाहिये। इससे प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर नामांकन–वृद्धि का संरक्षण होगा। सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता को समुन्नत करने हेतु शिक्षकों में निवेश करना चाहिये। मात्र प्रशिक्षित शिक्षकों को नियमित रूप से नियुक्त करने की जरूरत है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों ही प्रकार के अर्द्ध–शिक्षकों को नियुक्त करने की व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिये; जो नियुक्त हो चुके हैं, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कर मुख्य धारा में ले आना चाहिये। कोठारी कमीशन द्वारा अनुशंसित समान स्कूल प्रणाली ही देश भर में गरीब से गरीब समेत सबों के लिये गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु लागू की जानी चाहिये। सरकार को लाभ कमाने की दृष्टि से लोगों को निजी स्कूल खोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

विपलीक्स के तथ्यहीन खुलासे को डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने राष्ट्र के संप्रभुता एवं प्रतिरक्षा के लिए खतरनाक संकेत कहा।

पटना, 24 मार्च, 2011

विपलीक्स के तथ्यहीन खुलासे ने कुछ गंभीर प्रश्न देश के सामने खड़े कर दिये हैं। अंदरूनी मुद्दा यह है कि अमेरिका का बढ़ता दखल भारत ही नहीं सारी दूनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा उदाहरण लिबिया है। अमेरिका की दादागिरी बढ़ती जा रही है। 40 वर्ष पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था जब बंगला देश के युद्ध में भारत के जीत के बाद अमेरिका ने भारत में अधिकतम राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। श्रीमती इन्दिरा जी ने कहा था कि अमेरिका सी॰आई॰ए॰ के माध्यम से सरकार को अस्थिर करना चाहता है। विपलीक्स के प्रतिवेदन से अमेरिका का हस्तक्षेप खुलकर सामने आ गया है। समय आरोप–प्रत्यारोप का नहीं है बल्कि भारत की संप्रभुता बचाने की है। विपक्ष को अमेरिका के इस आचरण को हल्का से नहीं लेना चाहिए। विपलीक्स अमेरिका को उच्च स्तर के पहुँच से निर्देश प्राप्त करता रहा है और सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषकर 1991 के बाद भूमंडलीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के नीतियों से विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन अमेरिका के हित में अपना आर्थिक वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थापित करने में लगा हुआ है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियाँ इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से लगातार खंडित की जा रही है। श्रीमती गांधी ने 1971 में बंगला देश युद्ध के समय में भारत के विरूद्ध अमेरिका द्वारा भेजे गये 7वाँ बैरा का कोई फिक्र नहीं किया वरन लगातार सोवियत संघ के सहयोग समर्थन से उत्साहित होकर बंगला देश स्वतंत्रता की लड़ाई में सहयोग करता रहा। श्रीमती गांधी के नीतियों का परित्याग करते हुए हीं भारत की निर्भरता पश्चिमी राष्ट्रों पर बढ़ती जा रही है। श्रीमती गांधी की निर्भीकिता एवं दृढ़ निश्चय ने तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के रात्रि भोज को बहिष्कार करने का साहस दिखाया था जब उन्होंने कहा था कि जबतक बंगला देश के एक करोड़ शरणार्थियों का पुनर्वास की व्यवस्था के लिए अमेरिका सहमति नहीं देती तबतक वह अमेरिकी राष्ट्रपति से बात नहीं करेगी। वही भारत आज अमेरिकी दबाव के परमाणु समझौता एवं अन्य समझौते के माध्यम से भारत की संप्रभुता पर आघात पहुँचा रहा है। विपलीक्स के खुलासे को इसी पृष्ठभूमि तथा तथ्यों के आलोक में वगैर किसी राजनीति एवं मतभेदों के विचार करना चाहिए जिससे भारत की संप्रभुता, प्रतिरक्षा एवं लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित रखा जा सके। आज सवाल भारत को अमेरिका एवं चीन के समकक्ष विकसित करने का है वहीं खाड़ी देशों में फसे 8 लाख से ज्यादा भारतीयों के भविष्यों की चिन्ता एवं भारत की तेल जरूरतों की चुनौती है। ऐसे में विपलीक्स जैसे खुलासे पर अपनी ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए और अमेरिका की अस्थिरता पैदा करने वाली नीतियों से बचना चाहिए।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार प्रदेश सर्वब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण महासभा के आयोजन के अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 26 मार्च, 2011

आज विद्यापति भवन, पटना के सभागार में आयोजित बिहार प्रदेश सर्वब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण महासभा के अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस समय बिना किसी ठोस प्रमाण और तथ्य के ऊँची जातियों के खिलाफ सामाजिक अन्याय का निर्मूल आरोप लगाया जाता है। यह भ्रांति मूलक खतरनाक मिथ्या अफवाह ही है, जो किसी सोची–समझी साजिश के तहत ही कही जाए, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह कट्टरपंथी हिन्दू संगठन अल्पसंख्यकों, खासकर मुलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और उनके खिलाफ वातावरण बनाते रहते हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर उसी तरह का वातावरण उँची जातियों के विरूद्ध प्रसारित किया जाता है। यह सर्वविदित है कि अत्यंत पवित्र वेदों के रचयिता वेद व्यास शूद्र थे। यदि वेदों में शूद्रों और गैर ब्राह्मणों के विरूद्ध कुछ भी लिखा गया है तो उसके लिए सवणों को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? वेद व्यास ने महाभारत और 18 पुराणों की संस्कृत में रचना की थी। यदि महाभारत और पुराणों में शूद्रों के विरूद्ध अन्यायपूर्ण बातें लिखी गयीं तो उसके लिए सवर्णों को उत्तरादयी नहीं ठहराया जा सकता है। भगवद् गीता को महाभारत का ही अंग माना जाता है और उसके रचयिता भी वेद व्यास ही है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डा॰ पी॰बी॰ गजेन्द्र गड़कर, पी॰एन॰ भगवती, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी॰आर॰ कृष्ण अय्यर और डी॰ए॰ देसाई ने सदैव क्रान्तिकारी और प्रगतिशील निर्णय देकर शोषितों, गरीबों, हरिजनों, आदिवासियों और दलित जनता का साथ दिया। इन जजों का एक भी फैसला गरीबों के खिलाफ नहीं हुआ, जबकि ये सबके सब ब्राह्मण न्यायाधीश थे। पं॰ जवाहर लाल नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेदकर को विधि मंत्री बनाकर संविधान का प्रारूप तैयार कराया। पं॰ नेहरू ने ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं सामाजिक न्याय की नींव डाली थी। बिहार में डा॰ श्रीकृष्ण सिंह ने हीं अन्य पिछड़े वर्गों की प्रथमबार पहिचान स्थापित की एवं भूमि सुधार कार्यक्रम के जरिये से सामाजिक उत्पीड़न की समाप्ति का कार्य प्रारंभ किया था। सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय आधार पर सामाजिक सद्भाव एवं समरसता को खंडित कर राजनीति नहीं चलायी जा सकती। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि राजनीति की बुनियाद सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता और सभी समूहों और जातियों की साझेदारी है।

डा॰ मिश्र ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसी मान्यता के अनुरूप विषमतारहित समाज–व्यवस्था के लिए उच्च वर्ग आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। उच्च वर्ग के लिए गठित आयोग उच्च वर्ग के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर सवर्णों के उत्थान के लिए अपनी अनुशंसा सरकार को करेगी। राज्य सरकार का यह निर्णय भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता एवं समानता को सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रुप से कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं बरतेगी। सरकार को इस निर्णय से प्रचलित विषमताओं के निराकरण हेतु विभिन्न उपायों से सक्षम बना सकता है। इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय तरीका "सकारात्मक पक्षपात" है। सकारात्मक पक्षपात का अर्थ होता है सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रुप से कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में विशेषाधिकार देना। शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उनके रास्ते के रोड़ों को हटाना। आज की आवश्यकता यह है कि जो भी आर्थिक रूप से पीछे हैं उनके उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाएं, वे चाहे जिस जाति, वर्ग, समुदाय या क्षेत्र के हों।

अतः आर्थिक आधार पर आरक्षण एवं कल्याणकारी कार्य योजना सभी निर्धनों–पिछड़ों के लिए हितकारी तो होगा ही, साथ हीं वह समाज में किसी प्रकार का द्वेष भी पैदा नहीं करेगा।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार विधान मंडल द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम पारित होने से बिहार में लोक प्रशासन–संवेदनशील, पारदर्शी एवं दायित्वपूर्ण होगा – डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 29 मार्च, 2011

बिहार विधान सभा ने लोक प्रशासन की दिशाहीनता, दायित्वविहीनता, असंवेदनशीलता और भ्रष्टाचार के निवारण के उद्देश्य से सेवा का अधिकार अधिनियम पारित कर नागरिकों के भीतर जजवा पैदा कर सकता है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने प्रशासनिक स्तर पर व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के कार्यक्रम एवं अधिनियम बनाकर यह संदेश दिया है कि वे प्रशासन तंत्र को चुस्त–दुरूस्त करके अधिकारियों में कार्यक्षमता एवं अनुशासन स्थापित करने की दृढ़ इच्छाशक्ति बनाई है। अबतक आम लोगों में यह धारणा रही है कि बिहार राज्य की मूल समस्याओं का समाधान वर्तमान प्रशासन तंत्र से संभव नहीं है और यह चिन्ता का विषय बना हुआ है। श्री नीतीश कुमार की नेतृत्ववाली सरकार से जनता में अपूर्व उत्साह एवं भरोसा दिखाई पड़ रहा है। अबतक यह धारणा रही है कि विकास के लिए योजनाएं बनती है, कार्यान्वयन के लिए धन का आवंटन होता है, लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं, किन्तु योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रशासनिक शिथिलता एवं उत्तरदायित्वहीनता के कारण निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती। लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं कर पाने के लिए प्रशासन को विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना बड़ा ही दुखद प्रसंग है। लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होने के कारण हीं गरीबी एवं बरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि होती रही है। सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के व्यापकता के कारण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गंभीर कमियाँ रहती है। भ्रष्टाचार की गहनता, व्यापकता एवं संबंधित तथ्यों से ऐसा लगता है कि राज्य में प्रशासनिक दायित्व के निर्वहन में कमी रही है। जबकि दायित्वशील और संवेदनशील प्रशासन, लोक प्रशासन का मुख्य मानक है और वही प्रशासन तंत्र का मूल मंत्र है। सूचना के अधिकार कानून से आम लोगों में भरोसा–विश्वास उत्पन्न हुआ है। उसी तर्ज पर सेवा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रशासन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता स्थापित की जा सकती है। इस अधिनियम से यह स्पष्ट किया गया है कि लोगों की अपेक्षायें और सरकार की निदेशों–नियमों के अंतर्गत पदाधिकारी समय पर अपने कार्यों का निष्पादन यदि नहीं करता है तो वह दण्डित हो सकता है। जो अधिकारी समय–सीमा के भीतर सेवाओं की पूर्ति नहीं कर पायेंगे वे दोषी ठहराये जायेंगे और उन्हें आदतन कसूरवार मानकर विभागीय प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है तथा उन्हें आर्थिक दण्ड भी दिया जा सकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नागरिकों के प्रति जिम्मेदार बनाना और कार्य संस्कृति में सुधार लाना है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रारंभ में कठिनाईयाँ हो सकती है। परंतु मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जिस तत्परता एवं दृढ़ता से भ्रष्टाचार के विरूद्ध सभी स्तरों पर अभियान छेड़ा है। उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति से बिहार में संवेदनशील दायित्वपूर्ण प्रशासन सभी स्तरों पर स्थापित कर जन विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। लोकतंत्र की यही कसोटी है कि लोक शासन कितना संवेदनशील दायित्वपूर्ण एवं लोकमुखी है। सेवा का अधिकार कानून बनाया जाना निश्चय ही सरकारी महकमों में काम–काज को सुचारू बनाने की दिशा में भरोसा जगाने वाला साबित होगा। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद यहाँ के कर्मचारी अपने जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं करेंगे ऐसी आशा की जाती है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा० जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

अखिल भारतीय समाज कल्याण संस्थान, पटना के तत्वावधान में "जैव विविधता संरक्षण" विषय पर आयोजित सेमिनार।

पटना, 31 मार्च, 2011

आज अखिल भारतीय समाज कल्याण संस्थान, पटना के तत्वावधान में **"जैव विविधता संरक्षण"** विषय पर आयोजित सेमिनार को सम्बोधित करते हुए डा० जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि विश्वव्यापी समस्या बन चुका पर्यावरण प्रदूषण सर्वविदित् है। पर्यावरण का सीधा संबंध जीव समूहों के जीवन व विकास की प्रक्रिया से होता है। पिछले कई दशकों से हमारी पृथ्वी की जैव–विविधता पर खतरा मंडराता आ रहा है। पर्यावरण में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण प्रतिवर्ष हजारों प्रजातियाँ पृथ्वी से विलुप्त होती जा रही हैं। वैज्ञानिकों और विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे कारण इन प्रजातियों के आस–पास के परिसीमन में होने वाला व्यापक परिवर्तन है। यह परिवर्तन विभिन्न रूपों में मानव, जीव–जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीव समूहों और इनके गुणों को प्रभावित करता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, औद्योगिकीकरण, प्रौद्योगिकी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रान्ति के बावजूद विभिन्न चरणों की विकास प्रक्रिया का जहाँ मानव ने प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया है, वहीं इनसे होने वाली अप्रत्यक्ष हानियों को दर किनार कर दिया गया है। यही अप्रत्यक्ष हानियाँ अब प्रत्यक्ष रूप से जीवों को प्रभावित करने लगी हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि अमीर देशों में विश्व की कुल जनसंख्या के 20 से 22 प्रतिशत लोग ही रहते हैं पर विश्व के औद्योगिक कचड़े का 68 प्रतिशत हिस्सा यहाँ पैदा होता है। मानव प्रगति की अंधी दौड़ में आगे रहने के लिए प्रकृति सदैव प्रभावित करती रही है। मानव विकास की दौड़ में यह भूल गया कि पर्यावरण का सीधा संबंध मानव जीवन से तथा मानव जीवन का सीधा संबंध पर्यावरण से है–दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। पर्यावरण में होने वाली समस्त घटनाऐं किसी न किसी रूप में हमें सदैव प्रभावित करती रही हैं। हम स्पष्ट शब्दों में यह कह सकते हैं कि जीवन के लिए प्रकृति ही एकमात्र विकल्प है। अतः पर्यावरण संरक्षण ही मानव जीवन के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने अपील की है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने और भ्रष्टाचार के विरूद्ध छेड़े गये अभियान की सफलता के लिए जद (यू॰) उम्मीदवार डा॰ महाचन्द्र प्रसाद सिंह को समर्थन दें।

पटना, 04 अप्रैल, 2011

भारत सरकार द्वारा लगातार बिहार की उपेक्षा किये जाने के फलस्वरूप बिहार में बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी एवं अशिक्षा के निराकरण के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने एवं आर्थिक उदारीकरण के लाभों से वंचित इस राज्य को अन्य राज्यों की बराबरी में लाने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री डा॰ मनमोहन सिंह से बिहार की ज्वंलत आर्थिक समस्याओं एवं पिछड़ापन से अबगत कराने के लिए विशेष भेंट करने की अभियाचना की। पंरतु 10 करोड़ की आबादी वाले बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ने अनेक निवेदनों के बावजूद मिलने का समय नहीं दिया। प्रधानमंत्री द्वारा इस अपमानजनक व्यवहार और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के विषय पर मुख्यमंत्री से वार्त्ता नहीं किये जाने के विरूद्ध कांग्रेस पार्टी के 30 वर्ष तक बिहार विधान परिषद में स्नातक क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित होते रहे डा॰ महाचन्द्र प्रसाद सिंह ने बिहार के स्वाभिमान के नाम पर कांग्रेस की सदस्यता त्यागकर श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विशेष दर्जा दिलाने वाले अभियान में सम्मिलित होने के लिए जनता दल (यू॰) की सदस्यता ग्रहण की। यह अत्यंत ही सराहनीय है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने डा॰ महाचन्द्र प्रसाद सिंह की बिहार के प्रति दिखाई गई निष्ठा एवं बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले अभियान में सम्मिलित होने के लिए सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें जद (यू॰) का अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। यह उल्लेखनीय है कि इस निर्वाचन क्षेत्र से हीं उन्होंने (डा॰ मिश्र ने) 1968 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारण के सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्नातकों से उनका निरंतर संपर्क बना रहा है। इसलिये डा॰ मिश्र ने एक वक्तव्य जारी कर उस क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि श्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में विकास की नई संभावना बनाई है। बिहार में प्रशासनिक जड़ता, दिशाहीनता, उद्योगविहीनता समाप्त हुई है। राज्य में सामाजिक समरसता स्थापित हुआ है। विकास की बुनियादी संरचना सृजित हुई है। श्री नीतीश कुमार के प्रयत्नों से बिहार एक क्रियाशील राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ है उसे देखते हुए हीं आर्थिक सामाजिक बदलाव की निरंतरता बनाये रखने के लिए उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पिछले विधान सभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है। यह निर्विवाद है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, जो योजना युग के आरंभ से ही सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है। 90 के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में बिहार लाभान्वित नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने राज्य में आर्थिक नवजागरण लाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है परंतु समुचित ढांचागत निवेश के लिए धन की अनुपलब्धता के कारण अपेक्षित विकास नहीं हो रहा है। यहीं मूल मुद्दा है जिसके लिए डा॰ महाचन्द्र प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री का साथ देने का निर्णय लिया है। यह भी वास्तविक तथ्य है कि भ्रष्टाचार के कारण राज्य के गरीबों को बुनियादी सुविधायें साधन उपलब्ध नहीं हो रहा है। धन का अधिकांश भाग बिचौलियों के बीच सिमटता गया है। मुख्यमंत्री की अवधारणा है कि भ्रष्टाचार विकास की सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त कर इसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का अभियान प्रारंभ किया है। उनकी घोषणा बड़ी चुनौती पूर्ण है। परंतु उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदार प्रयासों से बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। वे बिहार में कार्य संस्कृति में बदलाव एवं व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के अभियान में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। इन्हीं तथ्यों के पृष्ठभूमि में बिहार विधान परिषद के द्वि–वार्षिक चुनाव का बड़ा ही महत्व है। इस चुनाव के नतीजे से एक राष्ट्रीय संदेश जायेगा कि विकास की सफलता के लिए भ्रष्टाचार का समापन प्रथम प्राथमिकता सभी राज्यों के लिए निर्धारित हो। सारण क्षेत्र के स्नातकों का बड़ा ही दायित्व है कि जिस व्यक्ति ने 30 वर्षो तक लगातार उस क्षेत्र की प्रभावकारी प्रतिनिधित्व प्रदान किया है और आज इस समय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बिहार के साथ न्याय किये जाने तथा विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने का अभियान छेड़ रखा है।

डा॰ मिश्र ने इस चुनाव की महत्ता का आकलन करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के डा॰ महाचन्द्र प्रसाद सिंह, जद (यू॰) उम्मीदवार को विशाल बहुमत से विजयी बनाने की अपील की है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

श्री अन्ना हजारे को जन लोकपाल विधेयक पर जन प्रतिनिधियों और सरकार की संयुक्त समिति बनाये जाने पर उन्हें तथा आंदोलन में सम्मिलित लोगों को बधाई देते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि आज भी गांधीवादी विचारों की प्रासंगिकता है।

पटना, 09 अप्रैल, 2011

श्री अन्ना हजारे को यह ज्ञात था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्वकाल से ही लोकपाल विधेयक दस बार संसद में 1966 में श्री मोरारजी दसाई तथा श्री हनुमनतैया प्रशासन सुधार आयोग की अनुशंसा पर आधारित उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए लोकपाल विधेयक की अवधारणा बनी। लोकपाल विधेयक पहलीबार चतुर्थ लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। 1969 में यह पारित भी हुआ परंतु लोकसभा विघटन के कारण यह विधेयक का रूप नहीं ले सका। 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998 तथा 2001 में यह विधेयक संसद में प्रस्तुत हुआ। संसद की समिति में भेजा भी गया परंतु अभीतक यह विधेयक पारित नहीं हुआ। इतने दिनों से लम्बित जन लोकपाल विधेयक आज आम चर्चा का विषय बना और अब श्री हजारे की आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप इस विधेयक का पारित होना सुनिश्चित हुआ है। उच्च स्तरीय प्रशासन को नियंत्रित करने में निःसंदेह यह मिल का पत्थर साबित होगा। 72 वर्षीय गांधीवादी सामाजिक कार्यकता श्री अन्ना हजारे ने लोकपाल विधेयक मसौदा तैयार करने के लिए सामाजिक संगठन तथा अन्य सरकारी प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति बनाने के लिए केन्द्र सरकार की सहमति प्राप्त कर पुनः यह मिशाल विशाल राष्ट्र में प्रस्तुत किया है कि किसी भी गंभीर समस्या का समाधान बातचीत तथा सोच में लचीलापन के माध्यम से किया जा सकता है। जन लोकपाल विधेयक को जारी करने पर श्री हजारे द्वारा प्रारंभ किया गया आमरण अनशन को राष्ट्र का व्यापक समर्थन मिलना प्रारंभ हुआ और यह समर्थन इस बात का प्रगटीकरण है कि देश के लोग भ्रष्टाचार से तंग और तबाह हैं और यह मानते हैं कि भ्रष्टाचार विकास का सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है। ऊपर से नीचे सभी स्तरों पर उच्च पदस्थ लोगों के लिए अलग से को कानून नहीं है। अबतक भ्रष्टाचार भाषणों, परिपत्रों और संकल्पों तक ही सीमटा रहा है। हाल के 1 लाख 75 हजार करोड़ के विरूद्ध 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले, आदर्श कॉपरेटिव हाउसिंग घोटाले एवं कामन वेल्थ घोटाले आदि देश के लोगों को उद्वेलित कर दिया है। देश के लोगों ने एक सबल नेतृत्व में जन आंदोलन और सरकारी स्तर से व्यापक कठोर अधिनियम की अपेक्षा कर रहे हैं। श्री अन्ना हजारे ने इसी नब्ज को पहचाना और सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकपाल विधेयक को लागू करने में जन भावनाओं और आकांक्षाओं को सम्मिलित करने की मांग उठायी। अबतक राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी विधेयक के मसौदा तैयार करने में गैर सरकारी प्रतिनिधियों से औपचारिक विचार–विमर्श की परंपरा नहीं रही। श्री हजारे के इस अभियान ने लोकतंत्र में नई परंपरा की शुरूआत ही है। इसलिये श्री अन्ना हजारे को उनके संगठन के लोगों को साथ हीं उनके समर्थकों को इस सफलता पर जितनी भी बधाई दी जाए कम है। श्री अन्ना हजारे की आमरण अनशन की सफलता ने उग्रवादियों, माओवादियों, नक्सवादियों तथा अन्य चरमपंथियों–कट्टरपंथियों को एक संदेश दिया है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं है वरन् आपसी बातचीत समस्या का वास्तविक समाधान हीं जनहित में है। इस जन आंदोलन ने प्रमाणित किया है कि गांधी की सार्थकता और लोकतंत्र की उत्कृष्टता अभी भी कायम है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 6 मई, 2011

आज पंचायत चुनाव के छठे चरण में सुपौल जिलान्तर्गत छातापुर प्रखण्ड के बलुआ बाजार पंचायती राज संस्था में अपनी भागीदारी और सहभागिता स्थापित करने के लिए डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने बलुआ बाजार मतदान केन्द्र पर मतदान किया।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

कोशी की प्रलयंकारी बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों के मुकाबले के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी पुनर्निर्माण कार्यों में अधिक तत्परता एवं गति लाने की आवश्यकता– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 9 मई, 2011

कोशी क्षेत्र के चार दिवसीय के भ्रमण के दौरान 2008 में कोशी बाढ़ की विभीषिका एवं सरकार द्वारा किये जा रहे कोशी पुनर्निर्माण कार्यों की गहन अध्ययन एवं बाढ़ पीड़ित लोगों से सम्पर्क स्थापित करने तथा अभी तक बिहार सरकार की ओर से की जा रही कोशी तटबंधों, कोशी बैरेज तथा कोशी नहर प्रणाली की पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की जायजा लेने के उपरांत डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जहाँतक कुसहा टूटान की मरम्मति, तटबंधों के रख–रखाव, सुदृढ़ीकरण और विस्तार का सवाल है अभीतक की प्रगति को संतोषप्रद कहा जा सकता है। डा॰ मिश्र ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को उनकी तत्परता एवं कोशी निर्माण के लिए लिये गये संकल्पों तथा तदनुरूप कार्यों की सराहना करते हुए डा॰ मिश्र ने मिम्नलिखित बिन्दुओं पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जल संसाधन मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी एवं कृषि मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए कोशी पुनर्निर्माण संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्राथमिकता के साथ–साथ आवश्यक कार्रवाई में गति प्रदान करने की आवश्यकता बतलाया।

कोशी की बाढ़ से जमीन की स्थिति एवं प्रकृति जो निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध की जा सकती है :– (1) **पाक युक्त जमीन :** बाढ़ के साथ आई पाक जिसे कृषि वैज्ञानिक पूसा की टीम ने केवल पाक युक्त जमीन नाम दिया जिसमें नमी को बरकरार रखने की क्षमता है, परंतु मिट्टी जाँच के उपरांत उसमें अंकुरण नहीं होता है यदि कहीं होता है तो पौधा 1 से 1–2 सेंटी मीटर का होकर पीला होकर रह जाता है। इस रासायनिक पदार्थों की कमी को दूर कर इनको ठीक किया जा सकता है। फिर हर तरह की फसल इन जमीनों में उगाई जा सकती है। (2) **पाक बालू जमीन :** इस जमीन का किस्म एक से तीन इंच तक पाक होता है उसके नीचे बालू ही बालू है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो ऐसे जमीन में नमी को अत्याधिक समय तक रखने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार की जमीनों में अत्यधिक पानी (सिंचाई) की आवश्यकता है। खेत को उर्वरा शक्ति देने वाली फसलें यानी मूंग, मुंगफली, आलू इस प्रकार की फसलें समुचित सिंचाई के बाद उगाई जा सकती है। (3) **शुष्क बालू युक्त जमीन :** कृषि वैज्ञानिकों की राय में इस प्रकार की जमीन में नमी बरकरार रखने की क्षमता नहीं होती है। इस जमीन में (1 मीटर/ 1 मीटर) गड्ढ़ा खोद कर उसमें बर्मी कम्पोस्ट और मिट्टी डालकर उसमें आंवला, लिच्ची का पेड़ लगाया जा सकता है, वहीं कद्दू, परवल, तरबूज, ककड़ी आदि की फसलें उगाई जा सकते हैं। बिहार सरकार को केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से विशेष अपील करनी चाहिये कि कृषि वैज्ञानिकों का एक विशेष दल कोशी क्षेत्र में प्रतिनियुक्त किया जाय जो बालू से भरी जमीन एवं जमीन की बदली हुई स्थिति में गुणात्मक सुधार के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कर समुचित सुझाव सरकार एवं किसानों को प्रस्तुत करे।

कोशी बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र की वर्तमान निम्नलिखित समस्याओं का निराकरण आवश्यक :– (1) कृषि योग्य भूमि से होकर नदी की नई धार बनना। (2) कृषि योग्य भूमि पर बालू की रेत जमा होना। (3) फसल का नुकसान। (4) कृषि योग्य भूमि में अब बीज का अंकुरण नहीं होना। (5) कोशी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में पेड़ पौधे सूखने की समस्या। (6) पेयजल की समस्या। (7) गृह क्षतिग्रस्त की समस्या। (8) आवासहीनता एवं आवास भूमि की समस्या। (9) घरेलू सामग्री क्षति की समस्या। (10) मृत्यु एवं विकलांगता की समस्या। (11) मवेशी क्षति की समस्या। (12) भूख की समस्या। (13) रोजगार (मजदूरी) की समस्या। (14) पलायन की समस्या। (15) जानवरों को कम मूल्य पर बेचा जा रहा है। (16) वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

कोशी की प्रलयंकारी बाढ़ को प्रधानमंत्री डा॰ मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित किये जाने के बावजूद भी केन्द्र सरकार की उदासीनता पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने विस्मय एवं चिन्ता व्यक्त की।

पटना, 12 मई, 2011

2008 की कोशी की प्रलयंकारी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में 6 दिवसीय भ्रमण के बाद आज यहाँ पटना वापस आने पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह विस्मयकारी है कि कोशी जैसी राष्ट्रीय आपदा से क्षति का सही आकलन और पुनर्वास के संबंध में केन्द्र सरकार अबतक शिथिलता बरती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एवं पुनर्वास समिति और मंत्री की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति पुनर्वास समिति ने निर्धारित कार्य सूची के अनुसार अभीतक कार्रवाई पूरी नहीं की है। केन्द्र सरकार सुनामी इलाकों में राहत और पुनर्वास के प्रति जो रूचि दिखायी थी, उसमें से 10 प्रतिशत भी कोशी आपदा के लिए नहीं दिखा रही है। राष्ट्रीय आपदा के संबंध में कोशी क्षेत्र की ऐसी उपेक्षा न्यायोचित नहीं है। इस क्षेत्र के किसानों की खेती और मवेशी संपदा बर्वाद हो गयी हैं। लाखों एकड़ जमीन पर बालू की मोटी परत है। इसे हटाकर ही खेती करने योग्य भूमि बनायी जा सकती है जिसके लिए किसान के पास धन नहीं है। उसे सहयोग देने में केन्द्र सरकार अबतक कोई तत्परता नहीं दिखा रही है। किसानों की मात्र एक खेती हीं जीवन का आधार है जबकि मुआवजे की राशि 4 हजार प्रति हेक्टेयर जो अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा में ही वितरित की गई है। इस निर्णय का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। किसानों के प्रति केन्द्र सरकार का जो रवैया है वह निराशाजनक है। सबसे बड़ी जरूरत है आधारभूत संरचनाओं को दुरूस्त करने की। सड़कें आज भी पूरी तरह दुरूस्त नहीं हो पाई है। डायवर्सन के जरिए सड़कें तो चालू की गई है। कई जगह रेल सेवा भी चालू नहीं हो पाई है। क्षेत्र के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के क्रम में नहरें, सड़क, पुल एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का पुनर्निर्माण अति आवश्यक है।

केन्द्र सरकार से 14,800 करोड़ का विशेष पैकेज की अबतक स्वीकृति नहीं मिल पाने के बावजूद भी राज्य सरकार ने कोशी त्रासदी के 4,900 करोड़ की लागत से कोशी की प्रलयंकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ एवं अररिया जिलों के 3.50 लाख गृहविहीन परिवारों के लिए आवासों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण तथा हरेक बस्ती में एक सामुदायिक भवनो का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्णय सराहनीय है। अभी विश्व बैंक से प्राप्त 1000 करोड़ की सहायता राशि से एक लाख आवास एवं ग्रामीण सड़क के साथ–साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण बाढ़ पीड़ितों किसानों के लिए आजीविका का मुख्य कृषि ही साधन है। आज भी लोग अनिश्चितता की स्थिति में जीने को बाध्य है। ऊपजाउ खेत में बालू की रेत भर गया है और जहाँ–जहाँ नई नदी निकली है वहाँ किसानों की ऊपजाउ खेत गायब है। सरकार द्वारा घोषित मुआवजा, इसके लिए पर्याप्त नहीं है। बिहार सरकार को केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से विशेष अपील करनी चाहिये कि कृषि वैज्ञानिकों का एक विशेष दल कोशी क्षेत्र में प्रतिनियुक्त किया जाय जो बालू से भरी जमीन एवं जमीन की बदली हुई स्थिति में गुणात्मक सुधार के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कर समुचित सुझाव सरकार एवं किसानों को प्रस्तुत करे। विभिन्न मद के लिए प्राप्त धन के वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितता पक्षपात और भ्रष्टाचार की सूचना लगातार मिलती रही है। अत्यंत गरीब, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के परिवारों की आवास क्षति का सही सर्वेक्षण नहीं हुआ है फलतः उन्हें आवास सहायता नहीं प्राप्त हो रही है। अतः आवश्यक है कि आवास क्षति का पुनः सर्वेक्षण कराया जाय।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि 34 वर्षों के बाद सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का परिचायक है।

पटना, 13 मई, 2011

पश्चिम बंगाल की जनता ने 34 वर्षों की मार्क्सवादी पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर भारत की लोकतांत्रिक ढांचे और भारतीय मतदाताओं की राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है। आसाम, तमिलनाडु और केरला के साथ–साथ पांडीचेरी के चुनाव नतीजे निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से लोक मत का प्रगटीकरण कहा जायेगा। भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वह पहलीबार 1967 में 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी शासन को सत्तारूढ़ किया और 1977 में श्रीमती इन्दिरा गांधी को सत्ता से च्यूत किया और 1980 में श्रीमती इन्दिरा गांधी को सत्तासीन किया। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन मुख्यतया सुश्री ममता बनर्जी की लगातार वामपंथी सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरूद्ध जारी संघर्ष और विशेषकर किसानों पर सरकार द्वारा ढ़ाये जुल्म और प्रताड़ना विशेषकर सिंगुर और लालगढ़ के विरूद्ध लोक संघर्ष में तीव्रता लाकर राज्य व्यापी संघर्ष के माध्यम से आम लोगों में विश्वास तथा संभावनाएं सृजित की। सुश्री ममता बनर्जी ने 1997 में कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कर लगातार संघर्ष और आंदोलन जारी रखा और उसी के परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल की मतदाताओं ने उनके नेतृत्व में भरोसा विश्वास कर सत्ता सौंपी है। ठीक ऐसा हीं बिहार में हुआ था जब 1994 में जनता दल से अलग होकर श्री नीतीश कुमार ने समता पार्टी की स्थापना कर बिहार की तत्कालीन जद–राजद सरकार की दिशाहीनता, विकासहीनता और अराजकता के विरूद्ध 11 वर्षों तक लगाकार संघर्ष कर 2005 में सत्ता परिवर्तन किया और बिहार की विकास, कार्यशीलता और संभावनायें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज चर्चित है। ठीक उसी तर्ज पर सुश्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने में सफल होगी। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार के विरूद्ध जनादेश माना जायेगा।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान

1, आई॰ए॰एस॰ कॉलोनी किदवईपुरी, पटना–1॰

प्रेस–विज्ञप्ति

आज स्थानीय पाटलीपुत्र होटल के सभागार में बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना के तत्वावधान में रूरल डवलपमेंट इन्स्टीच्यूट, यू॰एस॰ए॰ द्वारा सम्पोषित ''बिहार में समावेशी ग्रामीण विकास के लिए भूमि सुधार नीति'' विषय पर आयोजित द्वि-दिवसीय सेमिनार।

पटना, 16 मई 2011

आज स्थानीय पाटलीपुत्र होटल के सभागार में बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना के तत्वावधान में रूरल डवलपमेंट इन्स्टीच्यूट, यू॰एस॰ए॰ द्वारा सम्पोषित ''बिहार में समावेशी ग्रामीण विकास के लिए भूमि सुधार नीति'' विषय पर आयोजित द्वि-दिवसीय सेमिनार का उदघाटन करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधार और उदारीकरण के दौर में भूमि सुधार की प्राथमिकता नहीं रही जिसके फलस्वरूप ग्रामीण स्तर पर सामाजिक तनाव एवं हिंसात्मक घटना लगातार बढ़ती गई। देश में आदिवासियों और दलितों को विकास की मुख्य धारा में सहभागी या सहयात्री नहीं बनाये जाने के कारण हीं माओवादी और नक्सलवादी हिंसात्मक घटनाओं को स्थानीय स्तर पर जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा जनजातियों, दलितों एवं समाज के सबसे अधिक वंचित समूहों के लिए संचालित जनजातीय उपयोजना दलित अंगीभूत योजना, जंगल, भूमि सुधार, निम्नतम मजदूरी, खनिज संपदा संबंधित नीतियों का कार्यान्वयन या तो शिथिल कर दिया गया या उसे समाप्त कर दिया गया है। सरकार की सभी नीतियां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं देश के बड़े पूंजी पतियों की स्वार्थ पूर्ति के लिए ही प्रेरित है। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं नौकरशाहों में प्रतिबद्धता की कमी, कानूनों में मौजूद खामियों, भूस्वामियों की दॉव-पेंच की व्यापक क्षमता, गरीबों के बीच संगठन के अभाव और अदालतों की अत्यधिक दखलंदाजी की भेंट चढ़ गया।

डॉ॰ टी॰हक, पूर्व अध्यक्ष सी॰ए॰सी॰पी॰ कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने कहा कि बिहार ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत परिवर्त्तन वांछनीय है भूमिहिन को जमीन देने कि आवश्यकता है जमीन उपलब्ध नही है तो अधिक कीमत पर जमीन खरीदकर भूमिहिनों के बीच वित्तरित की जानी चाहिए। बटाईदारी व्यवस्था में परिवर्त्तन की आवश्यकता बतलाते हुए उनहोनें कहा कि दलित एवं महादलितों को केवल वासकीत हेतु जमीन नही दी जाए बल्कि कृषि कार्य हतु भी जमीन दी जाए ताकी वें अपना जीवन यापन कर सकें।

प्रो॰ आर॰ पोस्टेरमैन आर॰डी॰आई॰ यू॰एस॰ए॰ ने कहा कि भूमि वितरण कि विषमताओं का दूर करने कि दिशा में वर्त्तमान सरकार को और अधिक प्रयत्न करने कि आवश्यकता है। यद्यपि इस मामले में आजादी के बाद के दशकों में कई महत्वपूर्ण पहल हुए है। भूमि सुधार के विषय पर सबसे पहले कानून बनाने वाले राज्यों में बिहार भी शामिल है।

मिस्टर ग्रेगोरी रैक, अमेरिका के ग्रामीण विकास संस्थान के दिल्ली अवस्थीत निदेशक ने कहा कि देश के किसी भी दूसरे राज्य की तुलना में बिहार में जमीन के वितरण में अत्यधिक विषमता है।

डॉ॰ नवल किशोर चौधरी, अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय ने कहा कि एक भूमिहीन व्यक्ति के लिए जमीन का आर्थिक महत्व महज आजीविका के साधान या वासस्थल के रूप में ही नहीं बल्कि आत्ममहत्व, आत्मसम्मान व स्वनियोजन के आधार के रूप में कई गुणा ज्यादा है। राज्य की बहुसंख्यक आबादी कृषि के सहारे ही अपना गुजारा चलाती है, चाहे वह खेतों के मालिक हों, खेतिहर मजदूर या बटाईदार।

डॉ॰ सी॰ अशोक वर्द्धन, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने बिहार सरकार द्वारा भूमि सुधार और राजस्व विभाग के कार्यो का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि केरल और पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार एक मिसाल कायम किया है। वहाँ 1970 और 1977 में भूमि सुधार कानून को राजनितिक एवं सामाजिक दृढ इच्छा शक्ति से सफलता मिली है भूमि सुधार के कार्यान्वयन से वहाँ कि स्थिति में परिवर्त्तन हुआ है। भूमि सुधार कानून को लागू करने के लिए प्रथम कार्रवाई भूमि अभिलेखों का अद्यतन कराना है।

बद्री नारायण, सचिव सी॰पी॰आई॰ ने कहा कि आज यह एक सच्चाई है आर्थिक एवं सामाजिक विकास के, बावजूद गांव की गरीब जनता अभाव से जूझ रही है क्योंकि जनता स्वंय संगठित नहीं है।

परिसंवाद के दुसरे सत्र कि अध्यक्षता भारतीय प्रशासनीक सेवा के अवकाश प्राप्त पदाधिकारी कुमार देवेन्द्र की इस सत्र में डॉ॰ जगदीश प्रसाद, डॉ॰ अनुपमा राय, डॉ॰ गोरे लाल यादव, डॉ॰ डी॰एन॰ झा, डॉ॰ बी॰के॰ पाण्डे तथा डॉ॰ पी॰के॰ तिवारी ने अपना-अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया।

संस्थान के निदेशक डॉ॰ प्यारे लाल ने प्रारंभ में भूमिनीत संबंधीत विभिन्न पक्षों को विस्तार से प्रस्तुत किया तथा डॉ॰ जगदीश प्रसाद ने धन्यवाद ज्ञापन किया। परिसंवाद के दूसरे दिन 17.05.2011 को अन्य विद्वानो द्वारा शोधपत्र प्रस्तुत होंगें साथही अपराहन में बिहार सरकार के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री **श्री नीतीश मिश्र** समारोह का समापन करेंगें।

प्यारे लाल

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान

1, आई॰ए॰एस॰ कॉलोनी किदवईपुरी, पटना–1॰

प्रेस–विज्ञप्ति

स्थानीय होटल पाटलीपुत्रा अशोक के सभागार में बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना के तत्वावधन में रूरल डवलपमेंट इन्स्टीच्यूट, यू॰एस॰ए॰ द्वारा सम्पोषित ''बिहार में समावेशी ग्रामीण विकास के लिए भूमि सुधार नीति'' विषय पर आयोजित द्वि–दिवसीय सेमिनार का समापन।

पटना, 17 मई 2011

स्थानीय पाटलीपुत्रा होटल के सभागार में बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना के तत्वावधन में रूरल डवलपमेंट इन्स्टीच्यूट, यू॰एस॰ए॰ द्वारा सम्पोषित ''बिहार में समावेशी ग्रामीण विकास के लिए भूमि सुधर नीति'' विषय पर आयोजित द्वि–दिवसीय सेमिनार के समापन को सम्बोधित करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस राज्य में ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने और किसानों की हालत सुधारने तथा कृषि कार्य को बढ़ावा देने की दृष्टी से यह आवश्यक है कि पूरी ताकत के साथ भूमि–सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाएँ। अतः सरकार सर्वेक्षण कराके यह जानकारी प्राप्त करे कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लोगों को कौन–सी जमीन दी गई है और जिन्हे जमीन दी गई है उन्हें जमीन पर दरअसल कब्जा दिया गया या नही। यदि उन्हे वहाँ से बेदखल कर दिया गया होतो एक समय कार्यक्रम बनाकर कब्जा दिलाने की व्यवस्था की जाए। भूमि, किसान की सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान परिसंपत्ति होती है। यह उसके परिवार को भोजन और आहार उपलब्ध कराती है और अतिरिक्त आय पैदा करने के लिए अतिरिक्त पैदावार की अनुमति देती है। परन्तु इस समय भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण विवादास्पद हो गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 स्पष्टतः इस प्रयोजन से बनाया गया था कि निजी रूप से धारित भूमि को सरकारी प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने को सुविधापूर्ण बनाया जा सके। समय–समय पर यथासंशोधित यह अधिनियम लोकतांत्रिक शासन और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के साथ मेल न खाने के कारण हाल के वर्षो में आलोचना का विषय रहा है। कानून के विरूद्व मुख्य आलोचना यह रही है कि यह अत्यधिक रूप से राज्य और निजी कंपनियों के हितों के प्रति झुका हुआ है जबकि विस्थापित व्यक्तियों को पेश परिणामों की अनदेखी की जाती है। साथ ही भूमि का अधिग्रहण विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जाता है तथा 'सरकारी प्रयोजन' शब्द को अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। जब तक अपरिहार्य न हो उपजाउ कृषि भूमि का अधिग्रहण नही किया जाना चाहिए क्योंकि इससे राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है। साथ ही वास्तविक भूमि अधिग्रहण से पूर्व परियोजना से संभावित विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास तथा उन्हे पुनः स्थापित करना जरूरी है। 'लोक प्रयोजन' शब्द की सही ढंग से परिभाषा की जानी चाहीए। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण विधेयक में यहां तक कि आधारित संरचना की परिभाषा में खनन भी शामिल है यथा वह भूमि अधिग्रहण के लिए पात्रा हो। यह गलत है। संसद द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किए जाने से पूर्व आवश्यक संशोधन किए जाने जरूरी है भूमि सुधार कानून को लागू करने के लिए प्रथम कार्रवाई भूमि अभिलेखों का अद्यतन कराना है जिसकी आवश्यकता कृषकों को ऋण के लिए भी होती है। सरकार का बराबर यह प्रयास हो कि बटाईदारों तथा भू–धारियों का संबंध बराबर सौहार्दपूर्ण रहे। जहां–जहां यह संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, वहां–वहां वातावरण दूषित हुआ है, अप्रिय घटनायें हुई हैं। वहां काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमें भी दर्ज किये गये हैं। राज्य सरकार ऐसे मुकदमों का शीघ्रातिशीघ्र निष्पादन कराने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिये।

दो द्वि–दिवसीय परिसंवाद में व्यक्त किये गये विचारो के आधर पर परिसंवाद में केन्द्र और राज्य सरकार से निम्नलिखित बिन्दुओं पर त्वरित कार्रवाई करने कि अनुसंसा की गई :– (1) बड़े भू–स्वामियों से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का वितरण अवलम्बित किया जाना चाहिए। (2) भू–रिकार्डों की तैयारी रख–रखाव और कम्प्यूटरीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (3) अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन पर लागू कानूनों में छिद्रों को समाप्त करना होगा और इनके लिए प्रशासनिक मशीनरी मजबूत बनानी होगी। जनजातीय क्षेत्रों में भूमि की सीमा, मूल्य और स्वामित्व संबंधी भू–स्वामित्व सर्वेक्षण जहां कहीं भी न किए गए हों, पूरा किया जाए। (4) कृषि भूमि का कोई भी स्वामिस्वांतरण किसी गैर–कृषक को नहीं किया जाना चाहिए। (5) विकलांगों और सेना के कर्मचारियों को छोड़, भू–स्वामियों द्वारा भूमि को पुनःकाश्त करने के लिए स्व–खेती के नाम पर हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (6) यदि भू–स्वामी और किसी अन्य व्यक्ति अर्थात् काश्तकार या पफसल–सहभाजक के बीच विवाद हो जाए, तो इसे प्रमाणित करने का भार भू–स्वामी पर डालना चाहिए। (7) राजनीति इच्छाशक्ति को मजबूत बनाना चाहिए। इसके लिए भूमिहीनों, छोटे और सीमांत किसानों के प्रतिनिधियों को स्थानीय पंचायत निकायों और मंत्रालयों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि वे निर्णय करने के प्रत्येक स्तर के साथ जुड़े रहें। (8) गरीब किसानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ग्रामीण न्यायालयों अर्थात् न्याय पंचायतों या ग्राम–न्यायालयों को भू–सुधार के मामलों में तेजी से पैफसले करने चाहिए और इसके साथ–साथ लोक अदालतों को भी इन मामलों को निपटाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय मंत्री मंडल द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने का लिया गया निर्णय भारतीय संविधान की मूल अवधरणा, भावना एवं समाजिक समरसता की अवहेलना : डॉ॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना 20 मई 2011

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने विभिन्न राजनीतिक दलों के दबाव में जाति आधारित जनगणना कराये जाने का औपचारिक निर्णय लिया है, जो भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव को कमजोर करेगा। क्योंकि, इससे समाज में विभाजन का खतरा और बढ़ेगा। जाति पर आधारित जनगणना संविधान की अवधारणा एवं इसके प्रावधान के विरूद्ध है। संविधान में कहा गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बराबरी एवं समानता पर कार्य करेगी। संविधान में कहा गया है कि देश में किसी भी स्थिति में जाति, सम्प्रदाय और नागरिकता के आधार पर व्यक्तियों और समाज के बीच भेदभाव नहीं किया जायेगा। हमारा संविधान समाज को टुकड़ों में बांटने और इसे सार्वजनिक करने की अनुमति नहीं प्रदान करता है। डॉ॰ भीमराव अम्बेदकर ने भी जातिविहीन समाज का सपना देखा था। उस समय संविधान सभा में उन्होंने कहा था कि भारत को तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होना है और अपने लोकतंत्र की नींव को मजबूत रखना है, तो जातीय व्यवस्था को तोड़ना होगा।

जाति आधारित जनगणना से जातियों की राजनीति करने वालों का हित हो सकता है। लेकिन, समाज को इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्रश्न यह है कि जाति आधारित जनगणना से क्या अपेक्षा है? जातियों की राजनीति करने वालों के लिए इस जनगणना का महत्व हो सकता है परंतु मुल्क एवं समाज के लिए यह अहितकारी है। राष्ट्र निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर समानता को बुनियादी माना था। अंग्रेज ने धर्म के नाम पर मुल्क बंटबाने का काम किया अब जाति जनगणना से सामाजिक व्यवस्था को खंडित किया जा रहा है। जातिवाद के सही आंकड़े होने से सरकारी नीतियां निर्धारित करने और कमजोर समूह को प्राथमिकता देने का तर्क दिया जाता है। यह दलील निरर्थक है क्योंकि अभी सभी जनगणनाओं में दलित, आदिवासी एवं अल्पसंख्यकों के आंकड़े एकत्रित किये जाते रहे हैं किन्तु 61 वर्षों के बाद भी उनकी स्थिति में बदलाव नहीं आया है। यह हैरानी की बात है कि कांग्रेस की राजनीति जाति आधारित नहीं रही है। उसकी नीति में यह परिवर्तन कैसे हो रहा है? कांग्रेस निरंतर यह मानती रही है कि जाति जनगणना से जातिवादी राजनीति बढ़ेगी तथा जातिवादी विभाजन बढ़ेगा। कांग्रेस का पारंपरिक विचार रहा है कि जाति एक सामाजिक संस्था है। जातीय जनगणना का निर्णय पण्डित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर, जयप्रकाश नारायणा, डा॰ राम मनोहर लोहिया, इन्दिरा गांधी की घोषित नीतियों के अनुरुप नहीं है न ही संविधान में इसकी व्यवस्था की गयी है। यदि कांग्रेस की नीति होती तो नेहरू, इन्दिरा जैसे नेताओं ने ऐसी जनगणना पहले करायी होती।

केन्द्र सरकार जातिगत आधार पर इस बार जनगणना करवाने का निर्णय करके देश को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रही है जिससे निकल पाना बेहद मुश्किल होगा। इससे कई झमेले पैदा होंगे जिसके भारतीय राजनीति में बड़े खतरनाक एवं दूरगामी विपरीत परिणाम होंगे। समाज विभाजित होगा और राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जायेगी। इस तरह की मांग 2001 में भी उठायी गयी थी मगर तत्कालिन वाजपेयी सरकार ने तब इसे ठुकरा दिया था। इस बार जनगणना के साथ–साथ राष्ट्रीय 'पापुलेशन रजिस्टर' भी बनाया जा रहा है जिसके आधार पर हर नागरिक को स्थायी पहचान मिलेगी।

जाति जैसे जटिल, उलझे हुए और संवेदनशील घटक को जनगणना में शामिल कराने का दबाव स्पष्ट रुप से इंगित करता है कि अपने तात्कालिक लाभ के लिए हमारे नेता देश के दूरगामी हितों को ताक पर रख सकते हैं। जातीय जनगणना की पहली व्यावहारिक कठिनाई यही है कि जाति इतनी जटिल अवधारणा है, जो उम्र, लिंग, पेशा और यहांतक कि मजहब से भी अधिक व्यक्तिनिष्ठ है। अर्थात् एक ही व्यक्ति की कई जातीय पहचान हो सकती है। फिर, अलग–अलग राज्यों में पिछड़े होने के अलग मानदंड हैं। ओबीसी की अवधारणा भी स्पष्ट नहीं है। यह अन्य पिछड़ा वर्ग है न कि पिछड़ी जातियां। हालांकि इसमें जातीय समूहों को ही शामिल किया गया, लेकिन फिर सवाल उठता है कि सरकार ओबीसी का कालम बनायेगी या सिर्फ जाति का। ओबीसी बनायेगी तो उसमें भी एमबीसी या ईबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) को अलग रखेगी या नहीं? यह भी कि किसी पिछड़ी जाति की गणना करते समय उनके क्रीमीलेयर तबके को कहां परिगणित करें, क्योंकि सरकारी योजनाओं या आरक्षण का लाभ तो उन्हें नहीं मिलना है। तीसरे, जनगणना कर्मी अधिकांशतः प्राइमरी स्कूल के शिक्षक या अन्य सरकारी बाबू होते हैं, जो जाति संबंधी इन विभिन्न जटिलताओं को समझने और उसे रिकार्ड करने के लिए न तो प्रशिक्षित होते हैं और न ही समर्थ। एक आशंका यह भी जतायी जा रही है कि जिन जातियों के लोगों की संख्या अधिक होगी, राजनीतिक दल उन्हीं को पूछेंगे और कम संख्या वाली जातियां हाशिये पर आ जायेंगी। इसका जो सबसे खतरनाक प्रभाव होना है, वह है जाति की घोर राजनीति। हालांकि अभी ही राजनीति में जाति घुस चुकी है, लेकिन जनगणना के बाद जाति और राजनीति के मिश्रण का ऐसा घोल बन सकता है, जो देश के लिए शायद बहुत विस्फोटक हो। ऐसे संवेदनशील मुद्दे को सिर्फ राजनीतिज्ञ तय नहीं कर सकते। समाजशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और नागरिक समाज में इस पर व्यापक बहस चलानी चाहिए थी।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान

1, आई॰ए॰एस॰ कॉलोनी किदवईपुरी, पटना–1॰

प्रेस–विज्ञप्ति

बिहार में समावेशी ग्रामीण विकास के लिए भूमि सुधार नीति आवश्यक– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 24 मई 2011

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना तथा रूरल डवलपमेंट इन्स्टीच्यूट, यू॰एस॰ए॰ के संयुक्त तत्वावधान में **"बिहार में समावेशी ग्रामीण विकास के लिए भूमि सुधार नीति"** विषय पर आयोजित परिचर्चा के आधार पर संस्थान के अध्यक्ष डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस राज्य में ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने और किसानों की हालत सुधारने तथा कृषि कार्य को बढ़ावा देने की दृष्टी से यह आवश्यक है कि पूरी ताकत के साथ भूमि–सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाएँ। अतः सरकार सर्वेक्षण कराके यह जानकारी प्राप्त करे कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लोगों को कौन–सी जमीन दी गई है और जिन्हे जमीन दी गई है उन्हें जमीन पर दरअसल कब्जा दिया गया या नही। बिहार राज्य में भूमिहीनता के विशाल स्तर के मद्देनजर बड़े पैमाने के नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है, ताकि राज्य के एक बहुसंख्यक हिस्से को आजीविका का एक स्थायी आधार उपलब्ध हो सके। बिहार के कम से कम एक तिहाई ग्रामीण परिवार पूरी तरह से भूमिहीन हैं और कुछ जिलों में यह अनुपात 70 प्रतिशत तक पहुँचता है। यह स्पष्ट है कि भूमि सुधार के नाम पर भूमिहीन लोगों के बीच सिर्फ जमीन का आवंटन ही पर्याप्त नहीं है। आवंटित भूखण्डों पर गरीबों को प्रभावी कब्जा दिलवा पाना ही राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए आवश्यक है कि सुयोग्य श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य भूसंपन्न वर्गों द्वारा जमीन के किसी भी प्रकार के अनधिकृत कब्जे के निषेध हेतु कड़े से कड़े दण्डात्मक प्रावधान किये जाएं तथा उनके प्रभावी अनुपालन हेतु अनुमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त दण्डाधिकार भी दिये जाएं। साथ ही, एक निश्चित समय सीमा के अंदर उपयुक्त कार्रवाई न कर पाने या सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को प्रभावी रूप से आवंटित जमीन पर कब्जा न दिलवा पाने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी दण्डात्मक कार्रवाईयों का प्रावधान होना चाहिए।

परिसंवाद में केन्द्र और राज्य सरकार से निम्नलिखित बिन्दुओं पर त्वरित कार्रवाई करने कि अनुसंसा की गई :– (1) बड़े भू–स्वामियों से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का वितरण अवलम्बित किया जाना चाहिए। (2) भू–रिकार्डों की तैयारी रख–रखाव और कम्प्यूटरीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। (3) अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन पर लागू कानूनों में छिद्रों को समाप्त करना होगा और इनके लिए प्रशासनिक मशीनरी मजबूत बनानी होगी। जनजातीय क्षेत्रों में भूमि की सीमा, मूल्य और स्वामित्व संबंधी भू–स्वामित्व सर्वेक्षण जहां कहीं भी न किए गए हों, पूरा किया जाए। (4) कृषि भूमि का कोई भी स्वामिस्वांतरण किसी गैर–कृषक को नहीं किया जाना चाहिए। (5) विकलांगों और सेना के कर्मचारियों को छोड़, भू–स्वामियों द्वारा भूमि को पुनःकाश्त करने के लिए स्व–खेती के नाम पर हासिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। (6) यदि भू–स्वामी और किसी अन्य व्यक्ति अर्थात् काश्तकार या पफसल–सहभाजक के बीच विवाद हो जाए, तो इसे प्रमाणित करने का भार भू–स्वामी पर डालना चाहिए। (7) राजनीति इच्छाशक्ति को मजबूत बनाना चाहिए। इसके लिए भूमिहीनों, छोटे और सीमांत किसानों के प्रतिनिधियों को स्थानीय पंचायत निकायों और मंत्रालयों में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि वे निर्णय करने के प्रत्येक स्तर के साथ जुड़े रहें। (8) गरीब किसानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ग्रामीण न्यायालयों अर्थात् न्याय पंचायतों या ग्राम–न्यायालयों को भू–सुधार के मामलों में तेजी से फैसले करने चाहिए और इसके साथ–साथ लोक अदालतों को भी इन मामलों को निपटाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

(डॉ॰ प्यारे लाल)
निदेशक

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान

1, आई॰ए॰एस॰ कॉलोनी किदवईपुरी, पटना–1

प्रेस–विज्ञप्ति

बिहार में समावेशी ग्रामीण विकास के लिए भूमि सुधार नीति के कार्यान्वयन के लिए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को पत्र सौंपा।

पटना, 26 मई 2011

16–17 मई, 2011 को बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना के तत्वावधान में रूरल डेभलपमेंट इन्स्टीच्यूट, यू॰एस॰ए॰ द्वारा सम्पोषित **"बिहार में समावेशी ग्रामीण विकास के लिए भूमि सुधार नीति"** विषय पर आयोजित द्वि–दिवसीय सेमिनार में स्वीकृत कार्य योजना को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को समुचित कार्रवाई करने के लिए अग्रसारित करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने और किसानों की हालत सुधारने तथा कृषि कार्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि पूरी ताकत के साथ भूमि–सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाएँ। सरकार सर्वेक्षण कराके यह जानकारी प्राप्त करे कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लोगों को कौन–सी जमीन दी गई है और जिन्हें जमीन दी गई है उन्हें जमीन पर दरअसल कब्जा दिया गया या नही। यदि उन्हे वहाँ से बेदखल कर दिया गया हो तो एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कब्जा दिलाने की व्यवस्था की जाए।

बिहार राज्य में भूमिहीनता के विशाल स्तर के मद्देनजर बड़े पैमाने के नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है, ताकि राज्य के एक बहुसंख्यक हिस्से को आजीविका का एक स्थायी आधार उपलब्ध हो सके। बिहार के कम से कम एक तिहाई ग्रामीण परिवार पूरी तरह से भूमिहीन हैं और कुछ जिलों में यह अनुपात 70 प्रतिशत तक है। आवंटित भूखण्डों पर गरीबों को प्रभावी कब्जा दिलवा पाना ही राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए आवश्यक है कि सुयोग्य श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य भूसंपन्न वर्गों द्वारा जमीन के किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कब्जे के निषेध हेतु कड़े से कड़े दण्डात्मक प्रावधान किये जाएं तथा उनके प्रभावी अनुपालन हेतु अनुमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त दण्डाधिकार भी दिये जाएं। साथ ही, एक निश्चित समय सीमा के अंदर उपयुक्त कार्रवाई न कर पाने या सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को प्रभावी रूप से आवंटित जमीन पर कब्जा न दिलवा पाने की स्थिति में संबंधित क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी दण्डात्मक कार्रवाईयों का प्रावधान होना चाहिए। नीतिगत हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण विषय राज्य में बड़ी संख्या में कार्यरत बटाईदारों के भूअधिकारों से जुड़ा हुआ है। चूंकि राज्य में हिस्सेदारी पर खेती के लगभग सभी मामले पूरी तरह मौखिक समझौतों पर आधारित होते हैं, आवश्यक है कि बड़े स्तर पर राज्य में बटाईदारी की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाए तथा गाँवों के स्तर पर जन सुनवाई जैसी प्रक्रियाओं के जरिए बटाईदारों की बड़ी संख्या के भूअधिकारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल किया जाए। उनके भूअधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनकी अवैधानिक तरीकों से होने वाली बेदखली पर रोक लगाने के लिए तथा उन्हें बटाई के एवज में उपचुक्त पारिश्रमिक दिलवाने के लिए आवश्यक है कि चरम प्राथमिकता के साथ उनकी पहचान की जाए, जिसके लिए विशेष अधिकारों से संपन्न कार्यदल बनाये जाने की जरूरत है।

(डॉ॰ प्यारे लाल)
निदेशक

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

30–31 मई, 2011 को 12वीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर की तैयारी के सिलसिले में योजना आयोग द्वारा पटना में आयोजित पाँच राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया को डा॰ जगन्नाथ मिश्र का पत्र।

पटना 28 मई 2011

योजना आयोग के उपाध्यक्ष, डॉ॰ मोंटेक सिंह अहलुवालिया को भेजे गये पत्र में डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि 12वीं योजना में प्रस्तावित मसौदे घर विचार करते समय इस सम्मेलन में विचार किया जाना चाहिए कि बिहार अभी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सभी विकास सूचकों के लिहाज से योजना युग की लगभग शुरूआत से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सभी योजना में प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय के साथ प्रति व्यक्ति सबसे कम केन्द्रीय सहायता है। फलतः राज्य अभी भी हर तरह की समस्या से पीड़ित है। अब राज्य के प्रति किये गये इस कमी को दूर करने के लिए केन्द्र को विशेष प्रयास करना पड़ेगा। नब्बे के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भीं, जब उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित हुए हैं, वहीं बिहार जैसा पिछड़ा राज्य लाभ से वंचित ही बना रहा है। लेकिन श्री नीतीश कुमारजी की सरकार में अब राज्य में आर्थिक नवजागरण लाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने का भी वे प्रयास हो रहा है। गत पांच वर्षों के दौरान किए गए प्रयासों के चलते बिहार असफल राज्य से क्रियाशील राज्य (फंक्शनल स्टेट) में बदल रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव आया है और हाल के वर्षों में विकास वृद्धि दरें त्वरित हुई हैं। तथापि उदारीकरण के परिणामस्वरूप, पूंजी और श्रम का गरीब राज्यों से संपन्न राज्यों की ओर पलायन हो हीं रहा है। कमजोरियों को दूर करने के लिए योजना आयोग को अवश्य मदद करनी चाहिए। आमतौर पर निवेश दर को किसी अर्थव्यवस्था में विकास का एक महत्वपूर्ण कारक समझा जाता है जो अधिकांशतः अधिसंरचना से संबंधित होती है। सार्वजनिक एवं निजी निवेश योजना काल में बिहार निम्नतम रहा है।

डा॰ मिश्र ने पत्र में कहा है कि अगर भारत की औसत विकास दर 2019–20 तक 9 प्रतिशत से अधिक बनी रहती है, जैसी संभावना है तो बिहार को उसके समकक्ष पहुँचने के लिए 2019–20 तक 15 प्रतिशत की औसत विकास दर हासिल करनी होगी। उस विकास दर हासिल करने के लिए समस्त संभावनाओं के जरिए लगभग 80 हजार करोड़ रूपये की वार्षिक योजना की आवश्यकता होगी। यह विशाल राशि विशेष राज्य का दर्जा के अंतर्गत अनुदान के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है। योजना आयोग इस पहलू पर भी विचार करे और राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की अनुशंसा केन्द्र सरकार को दे ताकि बिहार पिछड़ा राज्य न रहे। पूंजीगत अधिसंरचना के निर्माण और प्रशासनिक व सामाजिक सेवाओं के उन्नयन के लिए आयोग लक्षित सहायता अनुदान की अनुशंसा भी करे। बिहार की अर्थ–व्यवस्था जिस तरह वित्तीय साधनस्रोत पिछले वर्षों में विशेषकर राज्य विभाजन के बाद सीमित रही उसे देखते हुए यह नितान्त आवश्यक है कि राज्य सरकार पर केन्द्र सरकार के ऋण का जो बोझ है उससे मुक्ति दे दी जाए जैसा कि अनेक अवसरों पर कई अन्य राज्यों के मामलों में किया जा चुका है। वस्तुतः जरूरत इस बात की है कि बिहार को विशेष कोटि के राज्य का दर्जा दिया जाए और उसी के अनुरुप वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए। क्योंकि विशेष राज्य के लिए निर्धारित सभी मानक को बिहार पूरा करता है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने राजभवन के सबंध मे खटाल अथवा बथान शब्द का प्रयोग नहीं किया था, राजभवन के प्रति उनको सम्मान है।

मुजफ्फरपुर 30 मई, 2011

प्रभात खबर के प्रथम पृष्ठ पर **"राजभवन बना बथान"** शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संबंध में डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले 27 मई शुक्रवार को मुजफ्फरपुर स्थित विश्वविद्यालय अतिथिशाला में अनौपचारिक रुप से प्रेस के लोगों से वार्त्ता में सरकार एवं राजभवन के बीच चल रहे विवाद के संबंध मे प्रेस के लोगों ने उनसे जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी उसी वार्त्ता में राजभवन को खटाल नहीं कहा था उनका आशय था कि शैक्षणिक वातावरण नहीं रह गया है जिसकी अपेक्षा की जाती है उसी क्रम में डा॰ मिश्र ने कहा था कि समाचार पत्रों में उनके उस अनौपचारिक बातों को सही रुप से तथ्यों पर आघारित प्रकाशित नहीं किया है। उन्होंने केवल यह कहा था कि विशिष्ट शैक्षणिक परंपराओं पर आधात पहुँच रहा है। कुलपति, प्रतिकुलपति के पद पर विशिष्ट शिक्षित विद्वानों की अनदेखी होने से विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक माहौल पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। कुलपति एवं प्रतिकुलपति के लिए विभिन्न सूत्रों से उत्कृष्ठ शैक्षणिक योग्यताघारी व्यक्तियों की सूची प्राप्त हो सकती है और उसी आघार पर सरकार विमर्श दे सकती है,।

राज्य सरकार से विमर्श नहीं होने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी। संवैधानिक रुप से श्री नीतिश कुमार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। अधिनियम 1976 का प्रावधान है कि कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से की जानी चाहिए। हाल में पटना उच्च न्यायालय ने भी ऐसी हीं अवधारणा व्यक्त की है।

डा॰ मिश्र ने इस विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है उन्होंने बथान अथवा खटाल शब्द का प्रयोग नही किया है। फिर भी इस समाचार में बथान तथा खटाल शब्द के प्रकाशन पर अफसोस जाहिर किया है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने राजभवन के सबंध मे खटाल अथवा बथान शब्द का प्रयोग नहीं किया था, राजभवन के प्रति उनको सम्मान है।

पटना 30 मई, 2011

आज के दैनिक अंग्रेजी हिन्दुस्तान टाइम्स के पृष्ठ चार पर Mishra asks guv to appoint full time vcs; शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संबंध में डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले 27 मई शुक्रवार को मुजफ्फरपुर स्थित विश्वविद्यालय अतिथिशाला में अनौपचारिक रुप से प्रेस के लोगों से वार्त्ता में सरकार एवं राजभवन के बीच चल रहे विवाद के संबंध मे प्रेस के लोगों ने उनसे जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी उसी वार्त्ता में राजभवन को खटाल नहीं कहा था उनका आशय था कि शैक्षणिक वातावरण नहीं रह गया है जिसकी अपेक्षा की जाती है उसी क्रम में डा॰ मिश्र ने कहा था कि समाचार पत्रों में उनके उस अनौपचारिक बातो को सही रुप से तथ्यों पर आधारित प्रकाशित नहीं किया है। उन्होंने केवल यह कहा था कि विशिष्ट शैक्षणिक परंपराओं पर आधात पहुँच रहा है। कुलपति, प्रतिकुलपति के पद पर विशिष्ट शिक्षित विद्वानों की अनदेखी होने से विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक माहौल पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। कुलपति एवं प्रतिकुलपति के लिए विभिन्न सूत्रों से उत्कृष्ठ शैक्षणिक योग्यताधारी व्यक्तियों की सूची प्राप्त हो सकती है और उसी आधार पर सरकार विमर्श दे सकती है,। परंतु विमर्श हो सकते हैं। राज्य सरकार से विमर्श नहीं होने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी। संवैधानिक रुप से श्री नीतिश कुमार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। अधिनियम 1976 का प्रावधान है कि कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से की जानी चाहिए। हाल में पटना उच्च न्यायालय ने भी ऐसी हीं अवधारणा व्यक्त की है।

डा॰ मिश्र ने इस विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है उन्होंने बथान अथवा खटाल शब्द का प्रयोग नही किया है। फिर भी इस समाचार में बथान तथा खटाल शब्द के प्रकाशन पर अफसोस जाहिर किया है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान

1, आई॰ए॰एस॰ कॉलोनी किदवईपुरी, पटना–1

प्रेस–विज्ञप्ति

12वीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर की तैयारी के अवसर पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया को डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान की ओर से ज्ञापन सौंपा।

पटना 30 मई, 2011

ज्ञापन में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया द्वारा इस क्षेत्रीय सम्मेलन में बिहार को विशेष दर्जा देने के मुद्दे पर विचार नहीं करने की घोषणा पर विस्मय प्रकट किया गया है। जबकि इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार की जनभावनाओं के अनुरूप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की सूची में सम्मिलित करने की इच्छा व्यक्त की थी।

आज बिहार इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जिसे तीसरी बार बटवारे का दंश झेलना पड़ा है। देश का दूसरा घनी आबादीवाला राज्य होने के नाते राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इसकी महत्ता कितना अधिक है यह बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के सामने विशाल आबादी और गरीबी, बेरोजगारी एवं आर्थिक संकट के साथ–साथ लोगों में व्याप्त निराशा को यदि नजर–अंदाज किया गया तो उससे देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक राजनीतिक स्थिरता को खतरा हो सकता है।

पिछले वर्षों में केन्द्रीय प्रक्षेत्र में निवेश के निम्न व गिरते स्तर ने भी बिहार के पिछड़ेपन में योगदान किया है। केन्द्रीय सार्वजनिक प्रक्षेत्र के उपक्रमों के सकल निवेश कोष में बिहार का हिस्सा लगातार गिरता रहा है। हाल के पिछले वर्षों में बिहार में कोई केन्द्रीय निवेश नहीं हुआ है। बिहार में औद्योगिक विकास की अभी शुरूआत की संभावना बनी है। श्री. नीतीश कुमार की सरकार में विकास का नया वातावरण बना है। बिहार लम्बे समय से निवेश, रोजगार तथा आय जनित लाभों से वंचित है। विभाजन के कारण लगभग सभी बड़े व मंझोले उद्योगों के साथ–साथ अधिकांश लघु उद्योग भी झारखंड में चले गए हैं। संयुक्त बिहार लगभग चार दशकों से कोयला, इस्पात आदि भाड़ा समानीकरण के कारण पीड़ित रहा। राज्य विशाल खनिज संपदा के प्राकृतिक लाभों से वंचित रहा। हालांकि केन्द्र द्वारा कुछ वर्ष पहले यह नीति वापस ले ली गई है, लेकिन तब भी अन्य स्थानों पर हो चुके पूंजी संचय के कारण राज्य में निवेश के माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। केन्द्र की गलत औद्योगिक नीति के कारण राज्य को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र की ओर से भी कोई प्रयास नहीं हुआ है।

योजना आयोग और वित्त आयोग, दोनों के उच्चस्तरीय उद्देश्यों के बावजूद बिहार पिछड़ा ही रहा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि गड़बड़ी क्या और कहाँ हुई। बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि योजना आयोग और वित्त आयोग, दोनों ही शिखर निकाय कमजोर राज्यों के लिए संसाधनों के अंतरण का कोई ऐसा फार्मूला नहीं निकाल सके जो इन्हें विभिन्न विकास सूचकों के लिहाज से कम से कम राष्ट्रीय औसत तक तो पहुँचने में समर्थ बनाए। वित्त आयोग के बारे में कहें, तो उसने आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की प्राप्तियों के वितरण में किसी समरूप मापदंड का उपयोग नहीं किया है। अलग–अलग आयोगों ने अलग–अलग मापदंड का उपयोग किया। वित्त आयोग ने इस संबंध में कहा कि विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत विभाजन योग्य आयकर राजस्व और उत्पाद राजस्व के आवंटन के लिए कोई वैधानिक या आर्थिक आधार नहीं दिखता है। अगर भारत की औसत विकास दर 2019–20 तक 9 प्रतिशत से अधिक बनी रहती है, तो बिहार को उसके समकक्ष पहुँचने के लिए 2019–20 तक 15 प्रतिशत की औसत विकास दर हासिल करनी होगी। वर्ष 2019–20 तक यह 15 प्रतिशत विकास दर हासिल करने के लिए समस्त संभावनाओं के जरिए लगभग 80 हजार करोड़ रूपये की वार्षिक आवश्यकता होगी। यह विशाल राशि विशेष अनुदान और विशेष राज्य का दर्जा के जरिए ही आ सकेगी। योजना आयोग इस पहलू पर भी विचार करे और राज्य के लिए विशेष समस्या हेतु विशेष अनुदान का सुझाव दे ताकि बिहार पिछड़ा राज्य न रहे। पूंजीगत अधिसंरचना के निर्माण और प्रशासनिक व सामाजिक सेवाओं के उन्नयन के लिए आयोग लक्षित सहायता अनुदान की अनुशंसा करे।

ज्ञापन में डा॰ मिश्र ने योजना आयोग से अनुरोध किया है कि वह इस राज्य की वित्तीय समस्याओं को योजना और गैर योजना का फर्क किए बिना समग्र रूप में देखे और वित्तीय सहायता देने की ऐसी प्रणाली बनावे कि राज्य की वित्तीय स्थिति में जान आवे और वह चुस्त बन सके। असमान विकास और निरंतर चल रहे पिछड़ापन के कारण बिहार जैसे अल्प विकसित राज्य के क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिए ऐसे राज्य को मजबूत सहारा देने की जरूरत है। इसके लिए साहसपूर्ण और सुदृढ़ वित्तीय नीति बनानी पड़ेगी। आज पिछड़े राज्यों और विकसित राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को एक ही तराजू पर तौलकर अनुमान करने की जो प्रणाली बनी हुई है उसे त्यागकर बिहार जैसे पिछड़े राज्य की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने में अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण में मूल रूप से इस महत्वपूर्ण मुद्द पर विचार किया जाना चाहिये।

(डॉ॰ प्यारे लाल)
निदेशक

डा० जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुसलमानों को समान अवसर की अनुपलब्धता – डा० जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना 02 जून, 2011

सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र आयोग ने कहा है कि आज अल्पसंख्यक मुसलमानों की जीवन–दशा जितनी दर्दनाक है और जिस तरह की गरीबी एवं अशिक्षा से वे गुजर रहे हैं उस पर तुरंत ध्यान दिया जाना लाजिमी है। मुसलमानों के लिए शिक्षा, रोजगार एवं समान अवसर नहीं के बराबर हैं। उन्हें ना कोई कारोबार या व्यापार चलाने का रास्ता हीं दिखाई पड़ता है। इन सभी कारणों से वे इतने पिछड़ चुके हैं कि जबतक उनके आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी पिछड़ेपन को तुरंत दूर करने के उपाय में काफी तेजी नहीं किए जायेंगे तो वे राष्ट्रीय प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदारी करने योग्य नहीं बन सकते हैं। भारतीय संविधान एक समतावादी समाज के लिए प्रतिबद्ध है। यह सरकार को प्रचलित विषमताओं के निराकरण हेतु विभिन्न उपायों से सक्षम बनाया है। इसमें सबसे अधिक लोकप्रिय तरीका ''सकारात्मक पक्षपात'' है। सकारात्मक पक्षपात का अर्थ होता है सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में विशेषाधिकार देना। ''सकारात्मक पक्षपात'' के पीछे की मंशा में समाज के वंचित वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकों को दूसरों के बराबर लाने की है। इसका जोर शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उनके रास्ते के रोड़ों को हटाना है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को समानता स्थापित करने के लिए सकारात्मक पहल के लिए निर्देश दिया गया है। इस संदर्भ में अनुच्छेद 46 उल्लेखनीय है। इसमें कमजोर वर्ग के लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यक समूहों को सामाजिक अन्याय और शोषण के विरूद्ध संरक्षण देने की बात कही गयी है।

सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र कमेटी ने मुसलमानों के बीच भेदभाव एवं पिछड़ेपन की आड़ में 'समान अवसर आयोग' गठित करने का सुझाव दिया है। क्योंकि आयोग ने पाया है कि शिक्षा, रोजगार एवं अन्य सुविधाओं में अल्पसंख्यक समूह की भागीदारी आंकड़ों के आधार पर निम्नतम है।

अतः राजनीति से ऊपर उठकर मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं नियोजन में बढ़त स्थापित करने का प्रयत्न करना होगा। मुसलमान राष्ट्रीय मुख्य धारा से अलग–थलग हैं जबकि देश में मुसलमानों की संख्या 16 करोड़ से अधिक है। 16 करोड़ मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं नियोजन के मामले में पीछे रखते हुए देश का विकास नहीं हो सकता और भारत समृद्ध राष्ट्र नहीं बन सकता। यही मुसलमानों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

श्री पी॰ व्ही राजगोपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकता परिषद् के नेतृत्व में ''भूमि अधिकार के न्यायोचित निदान'' के लिए बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु हार्डिंग पार्क (आर॰ ब्लॉक चौराहा) पर आयोजित रैली।

पटना, 07 जून, 2011

आज श्री पी॰ व्ही राजगोपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकता परिषद् के नेतृत्व में ''भूमि अधिकार के न्यायोचित निदान'' के लिए बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु हार्डिंग पार्क (आर॰ ब्लॉक चौराहा) पर आयोजित रैली को सम्बोधित करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार एवं काले धन के खिलाफ अनशन कर रहे बाबा रामदेव तथा उनके हजारों समर्थकों के विरूद्ध 4 जून की आधी रात के बाद दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की वह गलत थी। एक लोकतांत्रिक समाज में ऐसे किसी आन्दोलन पर आधी रात को की गई पुलिस कार्रवाई को जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह सत्याग्रह शांतपूर्ण था, साथ हीं इसके हिंसक होने की संभावना भी नहीं थी। ऐसे में सरकार को यह सोचना चाहिए था कि लोकतंत्र में आन्दोलनों की पूरी छूट होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आन्दोलन की पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित की हुई है। सरकार की इस कार्रवाई पर सर्वत्र भर्त्सना की जा रही है। यह निर्विवाद है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार जनता को उद्वेलित कर दिया है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध लोकतांत्रिक विरोध अथवा आन्दोलन होता है तो और अलोकतांत्रिक तरीके से उसे खत्म करबाना सर्वथा अनुचित है।

डा॰ मिश्र ने कहा कि आर्थिक सुधार और उदारीकरण के दौर में भूमि सुधार की प्राथमिकता नहीं रही जिसके फलस्वरूप ग्रामीण स्तर पर सामाजिक तनाव एवं हिंसात्मक घटना लगातार बढ़ती गई। देश में आदिवासियों और दलितों को विकास की मुख्य धारा में सहभागी या सहयात्री नहीं बनाये जाने के कारण हीं माओवादी और नक्सलवादी हिंसात्मक घटनाओं को स्थानीय स्तर पर जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। धन का असमान ढंग के वितरण से हीं इन समूहों में आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है और वही हिंसा का रुप लेता है। शासन निष्क्रिय तथा मूक ही रहता है। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, संसाधन प्राप्त करने के अवसरों का अभाव, खेती का पिछड़ापन, भूमि सुधार का अभाव आदि जिम्मेदार है। यह विस्मयकारी है कि इन वर्षों में ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि होती गई है। प्रधानमंत्री ने इन चिन्हित घटनाओं के कारणों में जिन बिन्दुओं को चिन्हित किया है उनपर कोई प्रभावकारी रणनीत नहीं बनायी गई है और न हीं इन घटनाओं को थामने के लिए सकारात्मक, रचनात्मक तथा विकासमूलक कार्यक्रम हीं कार्यान्वित किया जा सका है।

श्री पी॰ व्ही राजगोपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकता परिषद् ने कहा कि बंधोपाध्याय कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए गैर दलीय संगठनों को साथ लेकर विशेष कार्य दल का गठन किया जाय। सभी आवासीय भूमिहीनों को 10 डिसमिल आवासीय भूमि दिया जाय। बटाईदारों को उनका कायमी हक दिया जाय। वनाधिकार अधिनियम 2007 के तहत सभी वनवासियों को वन भूमि का पट्टा दिया जाय। कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य के लिए अधिग्रहण बंद हो। बिहार के श्रमिकों एवं युवाओं को केन्द्र में रखकर विकास की योजना बनायी जाय। विकास योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं लूट पर रोक के लिए लोक के निगरानी समिति का गठन किया जाय। बिहार में भूमिहीनता एक बड़ी समस्या है। उसमें भी आवासीय भूमिहीनता का प्रश्न लाखों परिवार के सामने एक मारक और मर्मस्पर्शी प्रश्न है। कृषि योग्य भूमि का गैर कृषि कार्य में उपयोग किसान विरोधी हैं। प्रत्येक शिक्षित और अनपढ़ बेरोजगार युवाओं को स्थायी एवं चतुर्दिक भरण–पोषण योग्य रोजगार मुहैया कराने के लिए एक राज्यस्तरीय मास्टर प्लान तैयार कर उस पर अमल प्रारंभ हो।

रैली को सम्बोधित करने वालों में – श्री प्रदीप प्रियदर्शी, संयोजक एकता परिषद्, बिहार एवं अन्य लोग।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

"नई औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास की संभावनाएं" – डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने सराहना की।

पटना, 09 जून, 2011

राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति प्रस्तुत की है। बिहार में निवेश को लाने के लिए राज्य सरकार की नजर अब छोटे उद्यमियों पर टिक गई है। राज्य में बड़ी कंपनियां तो बाद में आ सकती है, लेकिन पहले तो निवेश छोटे उद्यमी की तरफ से आ सकता है। इसीलिए नई औद्योगिक नीति में इनके लिए कई सुविधाओं का प्रावधान है। सबसे पहले तो इन उद्यमियों को लालफीताशाही के चक्करों से मुक्त किया जा रहा है। सिंगल विंडो व्यवस्था तो पहले भी की गई है, लेकिन फिर भी उद्यमी को एक उद्योग लगाने के लिए सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने होते हैं। निश्चित रूप से सिंगल विंडो व्यवस्था में कुछ खामी रह गई है। इसीलिए इस व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। आज अक्सर उद्यमियों को कई सारे विभाग से मंजूरी की जरूरत होती है। इसके लिए उन्हें अनेक सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है। अब एक बार किसी विभाग में आवेदन करने के बाद उस उद्यमी को उस विभाग में वापस न आना पड़े। ऐसी व्यवस्था की जा रही है। मंजूरी से संबंधित दस्तावेज सीधे उसके पास भिजवा दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने प्रोत्साहन के लिए छूटों में इजाफा की है। मौजूदा छूटों का दायरा बढ़ाया गया है। साथ ही, राज्य सरकार कुछ नई छूट या अनुदान की व्यवस्था भी उद्यमियों के लिए की है। औद्योगिक भूमि की कमी कारोबारियों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रही है। इससे छुटकारे लिए कृषि भूमि का औद्योगिक इस्तेमाल की इजाजत दी जा रही है। साथ ही, राज्य सरकार कई नए औद्योगिक पार्कों का भी निर्माण कर रही है। इसके अंतर्गत नये उद्योगों की स्थापना के साथ ही बंद पड़ी औद्योगिक इकाईयों को दुबारा चालू करने की संभावना बनी है। सरकार राज्य के उद्योगों को फिर से नया जीवन देकर औद्योगीकरण को गतिशील करना चाहती है। सरकार ने राज्य में नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के साथ–साथ पुरानी बंदी पड़ी इकाईयों को भी चालू करने के लिए कार्यकारी नीति बनाई है। औद्योगीकरण के लिए नई औद्योगिक नीति सराहनीय है। सरकार ने बंद पड़ी सरकारी और निजी क्षेत्र के चीनी मिलों में दिलचस्पी ली है इसके लिए एक आकर्षक पैकेज पहले ही लागू है। राज्य सरकार सुविधाएं और सहुलियतें उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। इन मिलों को खुलने से किसानों का सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने देशी/विदेशी (प्रवासी भारतीय) पूंजी निवेश में रूचि दिखाई है। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार की उद्योगविहीनता एवं औद्योगिक क्षेत्र की दिशाहीनता को दूर करने के स्पष्ट प्रावधान है। घोषणाओं को व्यवहारिक रूप देने का प्रावधान है। नई नीति से राज्य की 25 हजार से अधिक बंद औद्योगिक इकाइयां पुनर्जीवित करने की संभावना बनी है। 80 के दशक में औद्योगिक प्रांगणों की स्थापना विशेष तौर पर लधु उद्योग के विस्तार के लिए की गई थीं। अनेक बड़ी इकाइयां भी लगायी गईं परन्तु 1990 के बाद इन सभी इकाईयों की स्थिति गंभीर होती गई। नई नीति से उसे फिर से व्यवहार्य बनाये जाने की संभावना बनी है।

डा॰ मिश्र ने कहा कि बिहार राज्य में औद्योगीकरण एवं उद्योगों के गुणात्मक विकास के लिए 80 के दशक में 37 औद्योगिक प्रांगण स्थापित किये गये थे और बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार अधिनियम के अधीन 3 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में स्थापित किये गये। औद्योगिक जो पटना क्षेत्र औद्योगिक विकास प्राधिकार, उत्तर बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के रूप में जाने गये। पिछली राजद सरकार की नीति के तहत इन तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकारों का पृथक अस्तित्व समाप्त करते हुए केन्द्रीय स्तर पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नाम से नये विकास प्राधिकार का गठन किया गया। इसका नतीजा हुआ कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने की जो संभावनाएं विद्यमान हैं उन्हें गौण कर दिया गया। अब फिर से उत्तर बिहार में कृषि आधारित उद्योग के लिए मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा प्राधिकार को पुनर्जीवित किया जाय। उद्यमियों की अपेक्षा है कि नियमों का सरलीकरण एवं प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की आशंका आज भी व्याप्त है, क्योंकि उद्यमियों के प्रोत्साहन और आकर्षण के संबंध में जो प्रावधान है, वह प्रशासनिक इच्छाशक्ति के अभाव में कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है।

उद्यमियों का मानना है कि बिहार में उद्योग के विकास के लिए जरूरी मूल सुविधाएं बिजली, सड़क और कच्चे माल की कमी है। बिजली की समस्या तो अति गंभीर है। आर्थिक तंगी की मार झेल रही इकाइयों को बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार साख निवेश कॉरर्पोरेशन तथा बैंक आदि से वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है जबकि राज्य सरकार बार–बार आश्वासन देती रही है कि बंद पड़ी इकाई को चालू करने के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इन उद्यमियों का मानना है कि उद्योगं विभाग की उदासीनता के कारण सैकड़ों करोड़ रूपए की लागत पूँजी वाली इकाई बन्द है। सरकार की नई नीत में ऐसे उद्यमों की समस्या के समाधान के लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बाबा रामदेव का अनशन समाप्त करना स्वागत योग्य है – डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 13 जून, 2011

बाबा रामदेव ने अपना अनशन समाप्त किया जिसका स्वागत सभी लोगों ने किया है। बाबा रामदेव का अनशन उनके हठ का परिचायक बन गया था। भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने जैसे जटिल मामले को सुलझाने के लिए आवश्यक यह था कि दोनों पक्ष सहयोग और सद्भाव के माहौल में वार्त्ता करते। किन्तु जब ऐसा संभव नहीं हुआ तो राष्ट्र के व्यापक हित में अनशन समाप्त करना सभी अर्थों में जायज ठहराया जा सकता है। भ्रष्टाचार, काले धन और विदेशी बैंकों में काले धन को जमा करने संबंधी गंभीर मुद्दे को अनशन और जन आन्दोलन का आम मुद्दा बनाने के पूर्व बाबा रामदेव और अन्ना हजारे को गंभीरता से सोचना चाहिए था कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। उदारवादी अर्थव्यवस्था के दौर में हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है। व्यापारी, उद्योगपति घराने केवल पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। वह राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व भूल चूके हैं और सामाजिक सरोकारों से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। उदारवादी नीतियों के चलते पूरा देश एक बाजार बन चुका है। फायदा निजी व्यापारी, उद्योगपति, बिल्डर उठा रहे हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अन्ना हजारे के जंतर–मंतर रोड के अनशन में उपस्थित लोग एवं बाबा रामदेव के रामलीला मैदान के अनशन में उन्हीं समूह के लोग बड़ी संख्या में भाग ले रहे थे जो पिछले 20 वर्षों से इन नीतियों से अधिकतम लाभान्वित हुए हैं। यह भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि देश के 80 प्रतिशत लोग जो 20 रूपये प्रतिदिन पर जीवन–बसर करते हैं उनकी भागीदारी इन आंदोलनों में सांकेतिक रूप से भी नहीं देखी गई। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार और महंगाई है, परंतु इसके समाधान के लिए व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान तो पहले भी कई बार किया गया लेकिन इसके लिए जनचेतना का अभाव रहा। जन लोकपाल बिल के अन्ना का आंदोलन मीडिया के सहयोग से चेतना जागृत करने में काफी हद तक सफल रहा। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या अच्छा रहेगा और क्या बुरा इस पर राष्ट्रव्यापी बहस की जरूरत है। यह भी सच है कि केन्द्र की अबतक की सभी सरकारें काले धन एवं स्विस बैंकों की तिजोरियां भरने वालों को आम माफी होती रही हैं। बाबा रामदेव को आंदोलन की पवित्रता बनाए रखने के लिए राजनीतिज्ञों से दूरी बनाये रखनी चाहिए थीं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि व्यवस्था में परिवर्तन केवल अनशन से नहीं हो सकता। व्यवस्था परिवर्तन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए लम्बा रास्ता तय करना होगा। मुद्दे व्यावहारिक हैं इसपर आम सहमति बनानी चाहिए थीं। उन्हें आंदोलन करने, जनचेतना जागृत करने का अधिकार है, लेकिन सजग काफिले को बिखरने नहीं देने का दायित्व भी उनपर काफी है।

उनकी जो प्रमुख मांगें हैं उनमें –'11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में 5.8 करोड़ लोगों के लिए आयकर संबंधी ब्योरों को सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाना, अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा करना, देश भर में भिन्न–भिन्न प्रकार के श्रमिकों के लिए मजदूरी में एकरूपता लाना, भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करना ताकि किसानों को उद्योगों के हाथों अपनी भूमि न गंवानी पड़े, तथा अंग्रेजी पर हिन्दी को तरजीह देना। इतने सभी मुद्दों पर एक साथ सरकार से यह अपेक्षा करना कि सभी मुद्दों के संबंध में अधिनियम बनावे या कारगर निर्णय ले यह किसी भी सरकार से कराना उचित नहीं माना जा सकता। ऐसी मांगों की पूर्ति संविधान के अंतर्गत निहित प्रावधानों के विरूद्ध लोक मंच अथवा संसद से बाहर किसी जन आंदोलन से अपेक्षित नहीं हो सकता। बाबा रामदेव ने संभवतः इन विषयों की गंभीरता को महसूस करते हुए हीं अनशन समाप्त कर जन जागृति, जन चेतना का अभियान चलाये रखने का निर्णय लिया है।

(विद्‌यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने स्वामी निगमानन्द जी का पार्थिव शरीर उनके परिजनों को हीं सौंपे जाने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को उत्तराखण्ड सरकार से सम्पर्क स्थापित करने की अपील की।

पटना 16 जून, 2011

स्वामी निगमानन्द की मौत से सम्पूर्ण मिथिलांचल मर्माहत है। साधु समाज, सन्यासी समाज, सामाजिक संगठन, प्रबुद्ध समाज तथा उत्तराखण्ड सरकार की उपेक्षा, निर्दयता और अमानवीयता के कारण ही स्वामी निगमानन्द को अपने जान की आहुति देनी पड़ी। क्योंकि किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि एक सन्यासी गंगा की पवित्रता और निर्मलता के लिए आमरण अनशन पर बैठा है। साधारण व्यवहार भी हरिद्वार के लोगों ने नहीं दी और न ही सरकार हीं ऐसी गंभीर आमरण अनशन की सूचना ली और न हीं कोई उपाय की। अब जब गंगा की पवित्रता बचाने के लिए स्वामी निगमानन्द ने जान न्योछावर कर दी है तो मिथिलांचल और उनके परिजनों का अधिकार बनता है कि उनके पार्थिव शरीर को अन्तिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंपा जाए। अब उनका श्राद्ध कर्म उनके परिवार में हीं हो। इसलिए उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंपा जाए। बिहार सरकार से अपील है कि वह उत्तराखण्ड एवं केन्द्र सरकार से सम्पर्क स्थापित कर दबाव बनाये जिससे कि स्वामी निगमानन्द का शव उनके परिवार वालों को प्राप्त हो और मिथिलांचल के लोगों को उनके अन्तिम दर्शन करने का मौका मिल पाये। स्वामी निगमानन्द का आमरण अनशन लगातार 116 दिनों के बावजूद भी न इलेक्ट्रोनिक मीडिया, न प्रिन्ट मीडिया, न सामाजिक संगठन, न उत्तराखण्ड सरकार और न हीं केन्द्र सरकार ने सूचना प्राप्त की। यह अत्यंत ही विस्मयकारी है। यह हमारी तंत्र व्यवस्था की उदासीनता, असंवेदनशीलता, उत्तरदायित्वहीनता को उजागर करता है। स्वामी निगमानन्द जी की उपेक्षा के कारण हुई मौत के संबंध में अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अतः यह उचित होगा कि गृह मंत्रालय (भारत सरकार) उत्तराखण्ड सरकार से इस पूरे प्रकरण की जाँच करावे।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 24 जून, 2011

माननीय डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री के **75वें** जन्म–दिन के अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गो के सैकड़ों लोगों ने बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। लोगों ने अपने बधाई–संदेश में डा॰ मिश्र द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में किये गये अनेक उल्लेखनीय निर्णयों एवं कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी और दीर्घ जीवन की कामना की।

आज डा॰ मिश्र के जन्म–दिन के अवसर पर उनके निजी आवास में सत्यनारायण भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक सम्पन्न की गई।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में कुलाधिपति से रिक्त पदों पर कुलपतियों की नियुक्ति के लिए डा॰ जगन्नाथ मिश्र की अपील।

पटना 21 जून, 2011

उच्चतम न्यायालय ने भी मगध एवं कुँवर सिंह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति को अवैध घोषित किये गये पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर स्थगन आदेश देने से इन्कार कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में कुलाधिपति को अब तुरंत राज्य सरकार की अनुशंसा पर नियुक्ति करनी चाहिये अथवा विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत औपबंधिक नियुक्ति करनी चाहिये। पिछले एक वर्ष से अनेक विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण विश्वविद्यालयों की स्थिति लगातार तनावपूर्ण और अनुशासनहीन बनती जा रही है। शैक्षणिक एवं वित्तीय अराजकता व्याप्त है। मुख्यमंत्री लगातार उच्च शिक्षा में सुधार के लिए प्रयत्नशील है। परंतु राज्यपाल के असहयोगात्मक व्यवहार के कारण मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बावजूद विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार नहीं कर पा रहे हैं।

बिहार राज्य की विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लगातार गुणात्मक ह्रास, विश्वविद्यालय की बिगड़ती हुई प्रशासनिक, शैक्षणिक, एवं वित्तीय स्थिति विस्मयकारी है। इन वर्षों में विश्वविद्यालय शिक्षा के गुणवत्ता और स्तरीयता की अल्पता उत्पन्न होती जा रही है। जिस कारण से उच्च शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यू॰जी॰सी॰ द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण से यह प्रकाश में आया है कि लगभग सभी सूचकों पर यथा निकाय के स्तर, शिक्षण पुस्तकालयीय सुविधायें, संगणक (कम्प्यूटर) की उपलब्धता, विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षक–छात्र का अनुपात आदि– उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से असंतोषप्रद है जिसे यथाशीघ्र समुन्नत करना अत्यावश्यक है। बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कई वर्षों से लगातार आठ हजार से अधिक व्याख्याता, उपाचार्य (रीडर) विश्वविद्यालय आचार्य एवं प्राचार्यों के पद रिक्त पड़े हैं। पिछले वर्षों में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के पद रिक्त हैं। शिक्षकों के अभाव में नियमित शिक्षण नहीं हो पा रहा है जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति लगातार नगण्य होती जा रही है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। परंतु राज्यपाल की सहमति के अभाव में आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है। कालबद्ध प्रोन्नति और मेधा आधारित प्रोन्नति 1996 से बंद है। वरीय और योग्य शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। पिछले वर्षों में निगरानी विभाग ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग की शिक्षकों की अनुशंसा में अनियमितता स्थापित की है। प्रतिभावान युवकों में असंतोष व्याप्त है। उसी तरह प्राचार्यों की नियुक्ति में विधान परिषद समिति ने अनियमितता उजागर किया है। पटना उच्च न्यायालय ने भी प्राचार्यों की नियुक्ति रद्द कर दी है। उन दोनों प्रतिवेदनों पर समुचित कार्रवाई की जरूरत है।

राज्य में माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं एवं 12वीं की कक्षा जोड़ी गई है। परंतु वहाँ योग्य शिक्षक एवं विज्ञान के लिए प्रयोगशाला विकसित नहीं है। योग्य साधन सम्पन्न व्यक्ति नामांकन के लिए राज्य से बाहर चले जाते हैं। स्थानीय गरीब मेघावी एवं सामान्य छात्रों को बड़ी कठिनाई होती है। चतुर्थ चरण के अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में सेवा सामंजन कर विश्वविद्यालयों उनकी सेवा नियमित कर दी थी एवं वेतन भुगतान नियमित हो गया था। परंतु एकाएक ऐसे सैकड़ों शिक्षकों का वेतन भुगतान बंद कर दिया गया है। शिक्षकों में असंतोष रहने से शिक्षा के गुणवत्ता में प्रभाव पड़ रहा है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारियों के बीच हुई, समझौते से सरकार की वचनबद्धता थी, परंतु समझौता लागू नहीं होने के कारण आये दिन हड़ताल होता है। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल बिगड़ जाता है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

कुलाधिपति द्वारा कुलपति के प्रभार देने में एक मात्र दलित प्रतिकुलपति डॉ॰ बिलट पासवान शास्त्री को मगध विश्वविद्यालय का प्रभार नहीं देने संबंधी निर्णय को डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने अत्यंत ही निन्दनीय कहा।

पटना 23 जून, 2011

यह अत्यंत ही विस्मयकारी है कि बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ॰ अरबिन्द कुमार की नियुक्ति को पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द घोषित किये जाने तथा उस आदेश को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन नहीं किये जाने के कारण कुलपति के रिक्त स्थान पर बी॰एन॰ मंडल विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रो॰ अरूण कुमार जिन्हें पूर्व से हीं बी॰एन॰ मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार दिया जा चुका है को हीं मंगध विश्वविद्यालय के कुलपति का प्रभार दिया है जबकि मगध विश्वविद्यालय ने प्रतिकुलपति के रूप में डॉ॰ बिलट पासवान शास्त्री कार्य कर रहे हैं। जब बी॰एन॰ मंडल विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति, जयप्रकाश विश्वविद्यालय एवं कुँवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति को कुलपति का प्रभार दिया जा चुका है; ऐसे में केवल एक दलित प्रतिकुलपति को कुलपति का प्रभार नहीं देना उचित नहीं ठहराया जा सकता। राज्य के 14 विश्वविद्यालयों में केवल एक विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति के रूप में डॉ॰ बिलट पासवान शास्त्री कार्यरत हैं। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की निर्धारित नीति की पृष्ठभूमि में दलित समूह से किसी व्यक्ति को राज्य के 14 विश्वविद्यालयों में से किसी एक विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं बनाया जाना उचित तथा न्याय संगत नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के सामान्य विश्वविद्यालयों एवं कृषि विश्वविद्यालय, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट विज्ञान विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय चाणक्य विश्वविद्यालयों में भी अल्पसंख्यक समूह के कुलपति या प्रतिकुलपति नहीं हैं। केवल मौलाना मजहरूल हक अरबी–फारसी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें अल्पसंख्यक समूह के कुलपति हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों की अनदेखी एवं उपेक्षा राजभवन की ओर से लगातार की जा रही है। राज्य सरकार की अनुशंसा, परामर्श एवं सलाह की उपेक्षा हो रही है। अतः राज्य के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण राजभवन के हस्तक्षेप से खण्डित होता जा रहा है जो राज्य की उच्च शिक्षा के गुणात्मक ह्रास का मुख्य कारण बनता गया है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की उपेक्षा एवं अनदेखी नहीं की जा सकती। इस समय राज्य के विश्वविद्यालयों में दलित, मुसलमान की नियुक्ति नहीं होने के कारण इन समूहों में आक्रोश तथा असंतोष व्याप्त है। इन समूहों से कुलपति तथा प्रतिकुलपति बनाये जा सकते हैं। वैसी स्थिति में मगध विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति जो दलित हैं उन्हें प्रभार नहीं देने का क्या औचित्य हो सकता है? बिहार के विश्वविद्यालयों की बदतर स्थिति किसी से छुपी नहीं है। विश्वविद्यालयों की वित्तीय शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्थिति लगातार बिगड़ती गयी है। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री निरंतर विश्वविद्यालयों की वित्तीय एवं शैक्षणिक अराजकता दूर करने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। राजभवन के अवरोधात्मक व्यवहार एवं विश्वविद्यालय अधिनियमों की अनदेखी के बावजूद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में जनादेश चुनाव से किसी सरकार को प्राप्त होता है उसी आदेश से केन्द्र तथा राज्य सरकार चलती है। दो सत्ता केन्द्र नहीं हो सकता है। केन्द्र सरकार को बिहार के विश्वविद्यालयों की बदतर स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कारण राज्य सरकार तथा राजभवन के बीच के गतिरोध बने रहने दिया गया है। अतः केन्द्र सरकार को चाहिये कि बिहार सरकार के साथ सहयोग तथा सम्पर्क स्थापित करने हेतु राजभवन को निर्देश दे जिससे गतिरोध समाप्त किया जा सके।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113 / 77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्तिं

पटना 30 जून, 2011

डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने पूर्णियां उप–चुनाव जीत पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि पूर्णियां बिहार विधान सभा उप–चुनाव में राजग की जीत ने श्री नीतीश कुमार सरकार की लोकोन्मुख, नीतियों चौमुखी विकासात्मक क्रियाओं पर लोगों का विश्वावस पुनः दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठापित किया है। चुनाव नतीजे ने मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार अभियान और बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त करने के साथ–साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की घोषणा का भरपूर समर्थन किया है। मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश की भी मतदाताओं ने सराहना की है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्तिं

पटना 01 जुलाई, 2011

आज बाबा भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर ने स्मिता मिश्रा को **"Socio Economic and Political though of Lok Nayak Jayprakash Narayan"** विषय पर **Ph.D** की परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया। यह शोध लंगट सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के राजनीतिक विज्ञान के प्रो॰ (डॉ॰) नागेन्द्र प्रसाद चौधरी के निर्देशन में सम्पन्न हुआ।

स्मिता मिश्रा डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री की पुत्री हैं।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

राशीद हुसैन एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, पटना के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम।

पटना, 12 जुलाई, 2011

आज राशीद हुसैन एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में अंजुमन इस्लामिया हॉल, अशोक राजपथ पटना में ट्रस्ट के अध्यक्ष, मो॰ जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित व्हील चेयर वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के संविधान में यह प्रकल्पना की गई है कि राज्य सुविधा वंचित नागरिकों के प्रति सकारात्मक भूमिका निभाएगा। अनुच्छेद 41 में यह आदेश दिया गया है। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अशक्तता के मामलों में कार्य, शिक्षा तथा लोक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करेगा। समस्त विकास क्रमों के परिणामस्वरूप प्रायः सरकार द्वारा विकलांगता से सम्बन्धित विधायन पारित किए गए। साथ हीं भू–मंडलीकरण तथा उदारीकरण का राष्ट्रीय नीतियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। फलतः विकलांगता के मुद्दे को आज महज चिकित्सीय–नैदानिक नहीं मानकर अधिकार आधारित दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी है। अब यह मान्तया निरंतर जोर पकड़ती जा रही है कि विकलांगों के समक्ष विद्यमान समस्याओं तथा बाधाओं की जड़ असंवेदनशील सामाजिक व्यवस्था ही है, जो विकलांग व्यक्तियों की क्षमता को नजरअंदाज करती है तथा सामाजिक समानता का दर्जा नहीं देना चाहती। विकलांगों की समस्याओं के लिए विकलांग व्यक्तियों को जिम्मेदार नहीं मानकर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रमुख बाधा के रूप में देखा जाता है। भारत सरकार द्वारा जो भी कदम उठाये गए हैं, वे पूर्णतः अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। अतः गैर सरकारी संगठनों को व्यापक रूप से इस कार्यक्रम में आना चाहिये।

इस मौके पर अरोमा फार्मास्युटिकल, केरला के सौजन्य से 20 विकलांगों को व्हील चेयर वितरित किया गया।

आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वालों में प्रमुख थे :– डॉ॰ ए॰ए॰ हई, डॉ॰ आई॰ए॰ खान (सचिव), राबिया बेगम (ट्रस्टी), रेखा सिन्हा (उपाध्यक्ष), आदि।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

दरभंगा, 14 जुलाई, 2011

वर्त्तमान् सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार दबाने का तथा जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करबाने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। चिन्तन और क्रियाशीलता दोनों ही दृष्टिकोणों से श्री नीतीश कुमार संकीर्ण जातिवादी, संप्रदायवादी और वर्गवादी विचारों के ऊपर के नेता के रूप में उभर रहे हैं। देश के विकास को यदि कोई सबसे ज्यादा बाधित कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। आज इससे पूरा देश त्रस्त है। लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का कार्य काफी समय से इसके द्वारा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया है। उन्होंने मंत्रियों के साथ–साथ भारतीय सेवा के पदाधिकारियों एवं राज्य में वर्ग तीन तक के सभी सरकारी सेवकों से विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से अपनी सम्पत्ति की घोषणा करबाने का निर्णय लिया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एंटी करप्शन एक्ट पारित किया है। इस एक्ट के तहत वह भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति ट्रायल के दौरान जब्त कर सकती है। इस एक्ट के तहत बिहार सरकार ऑल इण्डिया सर्विस के अधिकारियों की संपत्ति भी जब्त कर सकती है। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट भी लागू करने का निर्णय लिया है। सेवा का अधिकार कानून सरकारी महकमों में कामकाज को सुचारू बनाने की दिशा में भरोसा जगाने वाला है। बिहार में सेवा का अधिकार लागू होने के बाद यहाँ के कर्मचारी अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। बिहार मंत्रिपरिषद् ने विधायक कोष को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसे एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय कहा जा सकता है। यह निर्णय पूरे देश को एक संदेश देगा। भ्रष्टाचार के कारण राज्य के गरीबों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए लगातार किये जा रहे व्यय का अधिकांश भाग बिचौलियों के बीच सिमटता गया है। ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार और विकास जैसी चुनौतियों के लिए भागीरथी प्रयास की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ–साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की घोषणा अत्यंत ही सराहनीय है। यह घोषणा बड़ी एवं चुनौतियों से भरी है। इससे ऐसी आशा बनती है कि मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश द्वारा भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त करने में सरकार सफल हो सकती है। इसलिए यह आशा बनती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी वे सफल हो सकते हैं। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सबसे जरूरी है कार्यालयों की कार्य संस्कृति में बदलाव तथा विकास की परिकल्पनाओं को आकार देने की चेष्टा के साथ व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। ऐसा होने से बिहार में विकास की गति तेज होगी। भ्रष्टाचार पर कारगर ढंग से रोकथाम कर, जनविश्वास अर्जित करने तथा प्रशासनिक शिथिलता समाप्त करने के उद्देश्य से ''बिहार विनिर्दिष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983'' को पूरे राज्य में तात्कालिक प्रभाव से दृढ़तापूर्वक लागू करने की आवश्यकता है।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

जुलाई, 2011

सामाजिक संगठन लोकपाल एवं काले धन से सम्बन्धित आंदोलन एवं संघर्ष कर रहा है उससे ऐसी अवधारणा बनती है कि हमारी संसदीय प्रणाली अपने कर्तव्यों के निर्वहन में चुक रही है। ऐसा भी लगता है कि सामाजिक आंदोलन संसदीय राजनीति पर हावी हो रहा है। इन दिनों की गतिविधियों से ऐसा आभास मिल रहा है कि ''प्रधानमंत्री'' की महत्ता कमजोर हो रही है। ऐसा लगता है कि विपक्ष की सक्रियता इस संबंध में क्षीण होती जा रही है। ऐसा ही आभास होता है कि राजनीतिक दलों में तथा नेताओं में ईमानदारी का अभाव है। इसी कारण बाहर से नेताओं को आंदोलन के लिए सक्रिय होना पड़ रहा है। बाहर के नेता ईमानदार आंदोलन के प्रतीक बन रहे हैं और राजनीतिक नेताओं की छवि लगातार खराब हो रही है। ऐसे सवाल भारत के नागरिकों को उद्वेलित कर रहे हैं। लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि किसी राजनीतिक दल या नेता की ऐसी हैसियत क्यों नहीं बन पा रही है कि वे अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से मुद्दों को उठाये जिस पर देश की सहमति बन जाय। संसद में भ्रष्टाचार तथा काले धन का मुद्दा अनेकों बार उठा है, लेकिन संसद के गलियारे से बाहर जनचेतना उत्पन्न करने में वे विफल रहे। संसद में गूँज रही आवाज आम जनता के बीच नहीं आ पाना अवश्य ही चिन्ताजनक है। क्या लोगों का भरोसा संसद पर नहीं रहा? राजनेताओं ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक नहीं किया है? देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीति है। सामाजिक संगठन या अन्य कोई व्यक्ति राजनीतिक मुद्दों का नेतृत्व संभाले, निश्चित रूप से राजनीतिक दलों तथा नेताओं के लिए यह चिन्ता का विषय है। कानूनी एवं राजनीतिक मान्यता दिलाना राजनीतिक दलों का दायित्व है। उसके क्या तरीके हों, क्या व्यवस्था और स्वरूप हो, वह राजनीतिक दलों को तय करना है। आज संसदीय राजनीति को बचाने का सवाल है। सत्ता के लिए सत्ताधारी दल तथा विपक्ष दोंनो को अपनी राजनीतिक स्वरूप देना होगा और संसदीय राजनीति करने वाले दलों को एक मंच पर आना पड़ेगा। आज संसदीय प्रणाली को सामाजिक संगठनों से टक्कर है। देश में भ्रष्टाचार एवं काले धन के विरूद्ध संघर्ष प्रारंभ हो चुका है। राजनीतिक दलों को इस संघर्ष का निर्णायक बनाना पड़ेगा। यह भी देखना है कि यह संघर्ष कहीं हिंसक न हो जाय। क्योंकि एक ओर माओवादी, नक्सलवादी हिंसा से लोकतंत्र तथा संसदीय प्रणाली को कुंठित करना चाहते हैं वहीं सिविल सोसायटी जैसे गैर सरकारी संगठन अहिंसात्मक आंदोलन से संसदीय प्रणाली को निरर्थक साबित करना चाहते हैं।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुजफ्फरपुर, 13 जुलाई, 2011

भ्रष्टाचार का अंत राजनैतिक प्रक्रिया के इस्तेमाल से ही होगा। यह सोचना गलत है कि राजनैतिक लोगों को अलग–थलग करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल बना है, वह राजनैतिक पार्टियों द्वारा पैदा किये गये दबाव की भी देन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने में संसद की सर्वोपरि भूमिका की कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। संसदीय और लोकतांत्रिक दबाव सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिये बाध्य कर देंगे। हमें संसद पर भरोसा करना चाहिये। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका हल अंततः संसद से ही निकलना है।

वास्तव में यह संदेश देने की चेष्टा की जा रही है कि संसद और विधिक संस्थान उपयोगी एवं प्रभावकारी नहीं हैं। दरअसल में कथित सिविल सोसायटी का मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं, नियमों और परंपराओं की अवहेलना कर उन्हें व्यर्थ बनाना है। इनका लक्ष्य है राजनीतिक दलों को निरर्थक करार देना। सिविल सोसायटी संकीर्णतावादी विचारों को हवा दे रही है। इसका तेजी से मध्यवर्ग में प्रचार–प्रसार हो रहा है। भ्रष्टाचार, काले धन और विदेशी बैंकों में काले धन को जमा करने संबंधी गंभीर मुद्दे आखिर कैसे उत्पन्न हुई? उदारवादी अर्थव्यवस्था के दौर में हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है। व्यापारी, उद्योगपति घराने केवल पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। वह राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व भूल चूके हैं और सामाजिक सरोकारों से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। उदारवादी नीतियों के चलते पूरा देश एक बाजार बन चुका है। फायदा, कारपोरेट जगत, निजी व्यापारी, उद्योगपति, बिल्डर उठा रहे हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वर्तमान आन्दोलन में उपस्थित लोग उन्हीं समूह के हैं जो पिछले 20 वर्षों से इन नीतियों से अधिकतम लाभान्वित हुए हैं। यह भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि देश के 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो 20 रूपये प्रतिदिन पर जीवन–बसर करते हैं। उनकी भागीदारी इन आंदोलनों में सांकेतिक रूप से भी नहीं देखी जा रही है। आर्थिक सुधान और उदारीकरण से केवल 24 करोड़ लाभान्वित हुए हैं, वही वर्ग आज आंदोलन में सक्रिय है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार और महंगाई है, परंतु इसके समाधान के लिए व्यवस्था परिवर्तन का आह्‌वान तो पहले भी कई बार किया गया लेकिन इसके लिए जनचेतना का अभाव रहा। यह भी सच है कि केन्द्र की अबतक की सभी सरकारों से काले धन एवं स्विस बैंकों की तिजोरियाँ भरने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग होती रही हैं। यह समझना चाहिए कि व्यवस्था में परिवर्तन केवल आंदोलन से नहीं हो सकता। श्री जयप्रकाश नारायणजी का सम्पूर्ण क्रान्ति का आधार भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन था, परंतु व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सका। व्यवस्था परिवर्तन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए लम्बा रास्ता तय करना होगा। सरकार को सिविल सोसायटी को महत्व नहीं देना चाहिये और भ्रष्टाचार के विरूद्ध जंग को अधिक धारदार करना चाहिये।

सवाल प्रशासनिक पारदर्शिता का है, भारत के मूल लोकतांत्रिक ढांचे को विकृत करने का नहीं। मुद्दा लोकतंत्र को अधिकाधिक जवाबदेह बनाने का है, इसमें कहीं भी कोई विसंगति नहीं है। प्रस्तावित जन लोकपाल विधेयक का दायरा काफी व्यापक है। यह तमाम नौकरशाहों के साथ–साथ शीर्ष न्यायपालिका के सदस्यों को भी अपनी सीमा में समेटता है। यह व्यवस्था हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे को विकृत कर देगी। संविधान के तहत देश की न्यायपालिका की आजादी और स्वायत्तता इस हद तक महफूज रखी गई है कि उसकी शीर्ष कतार में बैठे न्यायाधीशों को उनके पद से महाभियोग की एक जटिल प्रक्रिया के जरिये ही हटाया जा सकता है। लेकिन जन लोकपाल बिल इसकी जगह 11 गैर निर्वाचित बौद्धिकों के एक ऐसे समूह का विकल्प सुझा रहा है, जिसके पास शीर्ष न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने का पूरा अधिकार हो। किसी भी मुकदमे में अदालती प्रक्रिया के बाद आए फैसले से एक पक्ष को निराश होना ही पड़ता है। मैजूदा व्यवस्था में नाराज वादी यदि फैसला देने वाले जज के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाता है, तो उसे अदालत के कोप का शिकार बनना पड़ता है, लेकिन सिविल सोसायटी द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल के अस्तित्व में आने पर ऐसे आरोप हर रोज लगाए जाएंगे, जो न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया की स्वायत्तता के लिए खतरा है, बल्कि न्याय के मार्ग को भी दूषित करने वाला है। राजनीतिक दल आपस में बैठकर यह फैसला करें कि किस प्रकार राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करते हुए लोकतांत्रिक प्रणाली को और मजबूत बनाने में भ्रष्टाचार के विरूद्ध सर्वानुमति बनायी जाय।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने हेतु किये जा रहे आन्दोलन के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह द्वारा प्रभावित होकर राष्ट्रीय विकास परिषद् की अगली बैठक की कार्य सूची में इसे सम्मलित किये जाने की घोषणा का डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने स्वागत किया।

पटना 16 जुलाई, 2011

आज प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के विषय में राष्ट्रीय विकास परिषद् की आगामी बैठक की कार्य सूची में सम्मिलित करने की घोषणा का स्वागत करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के पक्ष में लगातार चलाये गये संघर्ष के कारण ही सबा करोड़ लोगों का हस्ताक्षर युक्त प्रतिवेदन जद (यू॰) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री शरद यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को सौंपा गया। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बिहार की हुई लगातार उपेक्षा के कारण उत्पन्न राज्य के पिछड़ापन को राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचारार्थ स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाना निश्चित रूप से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के इस तर्क को सम्पुष्ट करता है कि बिहार का विकास कम से कम हुआ है और योजना की शुरूआत से ही बिहार सबसे निचले पायदान पर है। इस पिछड़ापन के मुख्य कारण कम योजना परिव्यय, सबसे कम केन्द्रीय साहाय्य एवं निजी निवेश हैं। राज्य के प्रति किये गये अन्याय को दूर करने के लिए केन्द्र को विशेष प्रयास करना पड़ेगा। श्री नीतीश कुमार के इस कथन में भी औचित्य है कि 90 के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी जहाँ उच्च आय वाले राज्य लगातार लाभान्वित हुए हैं, वहीं बिहार इन लाभों से वंचित बना रहा है। जैसी सूचना है, प्रधानमंत्री इससे भी संतुष्ट हैं कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में आर्थिक नवजागरण का हर प्रयास हो रहा है। राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के अतिरिक्त निजी निवेशकों को आकर्षित करने की समुचित क्षमता भी बढ़ायी जा रही है। यह भी प्रमाणित है कि गत पांच वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों के चलते बिहार असफल राज्य से क्रियाशील राज्य में बदल रहा है। श्री नीतीश कुमार का यह कहना भी औचित्यपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 38 (2) के अंतर्गत राज्य की असमानतायें दूर करने का उत्तरदायित्व केन्द्र का है। इसलिए बिहार की वित्तीय आवश्यकता पर विशेष राज्यों से अलग होकर विचार करने की जरूरत है। इसके लिए साहसपूर्ण वित्तीय नीति बनानी पड़ेगी।

डा॰ मिश्र ने श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के साथ हुए अन्याय के विरूद्ध जारी संघर्ष के उपरांत प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने को राष्ट्रीय विकास परिषद् की कार्य सूची में सम्मिलित किये जाने के निर्णय पर इसलिये विशेष प्रसन्नता जाहिर की है कि अपने मुख्यमंत्रित्वकाल (डा॰ मिश्र के मुख्यमंत्रित्वकाल) में 1976 से लगातार राष्ट्रीय विकास परिषद् की सभी बैठकों में बिहार के साथ केन्द्र द्वारा किये जा रहे भेदमूलक दृष्टिकोण से उत्पन्न परिस्थिति को वे उपस्थापित करते रहे। केन्द्र सरकार से रॉयल्टी को मूल्य आधारित करने की मांग, बिहार के आनुषांगिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीददारी बिहार के बड़े उद्योगों द्वारा नहीं किये जाने, कनसाइनमेंट टैक्स लगाने का अधिकार देने तथा माल भाड़ा समानीकरण की मांग के कारण उन्होंने (डा॰ मिश्र ने) केन्द्र से टकराहट ले ली थी। अन्ततोगत्वा 26 जुलाई, 1983 को बिहार विधान सभा में जब केन्द्र द्वारा लगातार उपेक्षापूर्ण नीति का व्याख्यात्मक विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया था, तो उसी के बाद उन्हें (डा॰ मिश्र को) बाध्य होकर मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा था। उस समय काँग्रेस पार्टी की राजनीतिक ताकत थी, उनकी (डा॰ मिश्र की) व्यक्तिगत शक्ति नहीं थी; किन्तु, अब वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में श्री नीतीश कुमार व्यक्तिगत राजनीतिक हैसियत के साथ–साथ बिहार के जनादेश से भी सशक्त हैं। इसलिए बिहार के जनादेश के संद र्भ में बिहार राज्य को न्यायसंगत हक दिलाने हेतु प्रधानमंत्री से औचित्यपूर्ण मांग पर विचार करने हेतु सहमति प्राप्त करने के लिए डा॰ मिश्र ने विशेष रूप से श्री नीतीश कुमार को बधाई दी है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

गांधीवादी अन्ना हजारे का प्रधानमंत्री को जन लोकपाल विधेयक 16 अगस्त से पहले पारित कराने की चेतावनी लोकतंत्र और संविधान के विरूद्ध डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 19 जुलाई, 2011

गांधीवादी अन्ना हजारे ने सोमवार को प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह को चेतावनी दी है कि अगर संसद में सख्त लोकपाल विधेयक पेश नहीं किया गया तो वे 16 अगस्त से आमरण अनशन करेंगे क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जायेगा। सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने यह भी घोषणा की है वे और उनके साथी कार्यकर्ता 21 से 24 जुलाई के बीच केन्द्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक में लोकपाल के मुद्दे पर जनमत संग्रह करायेंगे। यह लोकतंत्र में संवैधानिक प्रावधानों के विरूद्ध संसद पर दबाव बनाने की यह घोषणा संसदीय प्रणाली और संविधान में कभी भी अनुमान्य नहीं कहा जा सकता। संविधान ने देश के लोगों द्वारा चुने गये सांसदों को अधिनियम बनाने और सरकार चलाने का अधिकार दिया है। 'प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखकर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दिया है जिसे लोकतंत्र के हितों के विरूद्ध कहा जायेगा। उन्होंने संसद में अपना जन लोकपाल विधेयक ही पेश करने को कहा है क्योंकि वे केन्द्र के मसौदा स्वीकार नहीं करते हैं। वे सरकार से सख्त विधेयक ही संसद में पेश करबाना चाहते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार का अंत राजनैतिक प्रक्रिया के इस्तेमाल से ही होगा। यह सोचना गलत है कि राजनीतिक लोगों को अलग–थलग करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल बना है, वह राजनीतिक पार्टियों द्वारा पैदा किये गये दबाव की भी देन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने में संसद की सर्वोपरि भूमिका की कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। संसदीय और लोकतांत्रिक दबाव सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिये बाध्य कर देंगे। हमें संसद पर भरोसा करना चाहिये। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका हल अंततः संसद से ही निकलना है। तथाकथित सिविल समाज वास्तव में यह संदेश देने की चेष्टा में है कि संसद और विधिक संस्थान उपयोगी एवं प्रभावकारी नहीं हैं। दरअसल में तथाकथित सिविल सोसायटी का मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं, नियमों और परंपराओं की अवहेलना कर उन्हें व्यर्थ बनाना है। इनका लक्ष्य है राजनीतिक दलों को निरर्थक करार देना है। सिविल सोसायटी संकीर्णतावादी विचारों को हवा दे रही है।

सिविल समाज द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल का अधिकार क्षेत्र शिकायतों का संज्ञान लेने से शुरू होता है और जाँच करने, मुकदमा चलाने की प्रक्रिया तक सुरसा के मुँह की तरह बढ़ता चला जाता है। विश्व स्तर पर आपराधिक न्याय प्रक्रिया का स्थापित सिद्धांत है कि अपराध का संज्ञान लेने वाली, जाँच करने वाली, अभियोजन करने वाली, संस्थाएं अलग–अलग और एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। न्याय प्रक्रिया की शुद्धता और निष्पक्षता का भी यही तकाजा है। आधुनिक युग में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था यह कैसे स्वीकार कर सकती है कि लोकपाल में पुलिस, अभियोजन और दंडाधिकारी की शक्तियाँ एक साथ समाहित कर दी जाएं। ऐसा करना न्याय की मूल अवधारणा के विरूद्ध होगा। निरंकुशता किसी को भी तानाशाह बना देती है। प्रस्तावित जन लोकपाल जैसी सर्वशक्तिमान संस्था की परिकल्पना करना लोकतंत्र की राह से भटक जाने के समान है। निम्न स्तर के सरकारी कर्मचारी से लेकर प्रधानमंत्री तक के विरूद्ध शिकायत सुनने, जाँच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार जन लोकपाल की अवधारणा का केन्द्र बिन्दु है। देश के कई करोड़ सरकारी कर्मचारी और राजनेता इस प्रकार जन लोकपाल के दायरे में आ जाते हैं। भ्रष्टाचार की व्यापकता की पृष्ठभूमि में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकपाल के पास कई करोड़ भ्रष्टाचार के मामले निपटारे के लिए आएंगे। इन मामलों का संज्ञान लेने, जाँच करने और मुकदमा चलाने के लिए कितने जटिल और विस्तृत तंत्र की आवश्यकता होगी, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है।

लोकपाल का मसौदा तैयार करने के लिए संयुक्त समिति का गठन हुआ था। जो लोकतांत्रिक परंपराओं के विरूद्ध था। किसी अधिनियम पर विमर्श और राय संसद के बाहर करने की अनुमति संविधान नहीं देता है। समिति संविधान को बदलने के लिए नहीं महज लोकपाल का मसौदा तैयार करने के लिए बनी थी। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने से अगर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसकी सरकार के लिए देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। संविधान ने न्यायपालिका को स्वायत्तता दी है, लोकपाल के लिए उसे तो नहीं छीना जा सकता। सिविल सासोयटी चाहती है कि न्यायपालिका ही नहीं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी लोकपाल के दायरे में आ जाएं। ऐसा होने से न्यायिक व्यवस्था क्षत–विक्षत हो सकता है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

15 अगस्त, 2011 से प्रशासन को उत्तरदायी बनाने के लिए लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू करने का डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बधाई दी।

पटना, 16 अगस्त, 2011

बिहार सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधारों के लिए उठाये गये कदमों की कड़ी में प्रशासन में उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से दिनांक 15 अगस्त, 2011 से सम्पूर्ण बिहार राज्य में, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। इससे राज्य के आम नागरिकों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों को लोक सेवा प्राप्त करने में सुविधा होगी। पिछले वर्षों में श्री नीतीश कुमार की सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार दबाने का तथा जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करबाने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। राज्य के विकास को यदि कोई सबसे ज्यादा बाधित कर रहा है तो प्रशासनिक विलम्ब और भ्रष्टाचार। आज इससे पूरा देश त्रस्त है। लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का कार्य काफी समय से इसके द्वारा हो रहा है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एंटी करप्शन एक्ट लागू किया है। इस एक्ट के तहत वह भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति ट्रायल के दौरान सरकार जब्त कर सकती है। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने लोक सेवा अधिकार अधिनियम भी 15 अगस्त, 2011 से लागू किया है। इसे एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय कहा जा सकता है। इस निर्णय ने पूरे देश को सुशासन एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति का एक संदेश दिया है। भ्रष्टाचार के कारण राज्य के गरीबों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए लगातार किये जा रहे व्यय का अधिकांश भाग बिचौलियों के बीच सिमटता गया है। ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार और विकास जैसी चुनौतियों के लिए भागीरथी प्रयास की आवश्यकता है। उसी कड़ी में लोक सेवा अधिकार अधिनियम कारगर साबित होगा। सरकार ने बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ–साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है। ऐसी आशा बनती है कि सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश द्वारा भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त करने में सरकार सफल हो सकती है। यह आशा बनती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने एवं सुशासन को व्यवहारिक रूप देने में सरकार सफल होगी। ऐसा होने से बिहार में विकास की गति तेज होगी। सेवा का अधिकार कानून सरकारी महकमों में कामकाज को सुचारू बनाने की दिशा में भरोसा जगाने वाला है। बिहार में 'सेवा का अधिकार' लागू होने के बाद यहाँ के कर्मचारी जन समस्याओं को शीघ्रता से निष्पादन करेंगे। अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। बिहार का प्रशासन कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने पहली पारी की सरकार में ई–गवर्नेस के लिए ख्याति अर्जित की है। इसलिए यह आशा बनती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी वे सफल हो सकते हैं। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सबसे जरूरी है। कार्यालयों की कार्य संस्कृति में बदलाव तथा विकास की परिकल्पनाओं को आकार देने की चेष्टा के साथ व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। ऐसा होने से बिहार में विकास की गति तेज होगी। भ्रष्टाचार पर कारगर ढंग से रोकथाम कर, जनविश्वास अर्जित करने तथा प्रशासनिक शिथिलता समाप्त की जा सकती है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

संविधान के अन्तर्गत प्राप्त मानवाधिकार के संरक्षण के लिए 'लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम' लागू करने हेतु – डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बधाई दी।

पटना, 17 अगस्त, 2011

पिछले वर्षों में श्री नीतीश कुमार की सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार दबाने का तथा जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करबाने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। राज्य के विकास को यदि कोई सबसे ज्यादा बाधित कर रहा है तो प्रशासनिक विलम्ब और भ्रष्टाचार। आज इससे पूरा देश त्रस्त है। लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का कार्य काफी समय से इसके द्वारा हो रहा है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया है। प्रशासन में उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से दिनांक 15 अगस्त, 2011 से सम्पूर्ण बिहार राज्य में, 'बिहार लोक सेवाओं का अधिकार' अधिनियम लागू किया है। इससे राज्य के आम नागरिकों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों को लोक सेवा प्राप्त करने में सुविधा होगी। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने लोक सेवा अधिकार अधिनियम लागू किया है। इसे एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय कहा जा सकता है। इस निर्णय ने पूरे देश को सुशासन एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति का एक संदेश दिया है। यह आशा बनती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने एवं सुशासन को व्यावहारिक रूप देने में सरकार सफल होगी। ऐसा होने से बिहार में विकास की गति तेज होगी। सेवा का अधिकार कानून सरकारी महकमों में कामकाज को सुचारू बनाने की दिशा में भरोसा जगाने वाला है। बिहार में 'सेवा का अधिकार' लागू होने के बाद यहाँ के कर्मचारी जन समस्याओं का शीघ्रता से निष्पादन करेंगे। अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। बिहार प्रशासन को कुशल बनाने और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कार्यालयों की कार्य संस्कृति में बदलाव तथा विकास की परिकल्पनाओं को आकार देने की चेष्टा से प्रशासनिक व्यवस्था भी भ्रष्टाचार मुक्त हो सकेगी। ऐसा होने से बिहार में विकास की गति और तेज होगी।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान

1, आई.ए.एस. कॉलोनी, किदवईपुरी, पटना–1

प्रेस – विज्ञप्ति

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना में महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) से जुड़कर मातृभाषा हिन्दी के माध्यम से एम.बी.ए. (MBA) एवं बी.बी.ए. (BBA) एवं अन्य रोजगारपरक विषयों में अध्ययन कार्य प्रारंभ– संस्थान के अध्यक्ष, डा. जगन्नाथ मिश्र की घोषणा।

पटना 18 अगस्त, 2011

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना विगत 20 वर्षो से आर्थिक, सामाजिक, शोध विभिन्न विषयों पर परिसंवाद एवं अन्य शैक्षणिक कार्य सुचारू ढंग से करता आ रहा है। विगत वर्ष 2010 से इस संस्थान ने केन्द्रीय महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) से जुड़कर मातृभाषा हिन्दी के माध्यम से रोजगारपरक विषयों में अध्ययन कार्य प्रारंभ किया है। यह अध्ययन कार्य कॅरियर निर्माण हेतु उक्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी माध्यम से रोजगारपरक विषयों में शुरू करने से हिन्दी भाषियों के लिये सुगम व सहज माध्यम बन गया है। 14 विषयों में अध्यापन कार्य महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा संस्थान में शुरू किये गये हैं। अध्ययन कार्य का प्रतिफल यह है कि दूर–दराज गाँवों से लड़के व लड़कियाँ तथा सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों ने भी आवश्यकतानुसार विषयों में नामांकन करबाना प्रारंभ किया है। शहरों की अपेक्षा गाँवों के छात्र व अन्य नामांकन हेतु विहित प्रक्रियाओं से आबद्ध हुए हैं। हिन्दी माध्यम में रोजगारपरक विषयों का अध्ययन उपलब्ध होने से महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान को अपनी पहचान गाँवों में भी बनाने में काफी सहायता मिली है।

हिन्दी माध्यम से एम.बी.ए. (MBA) एवं बी.बी.ए. (BBA) की पढ़ाई भी इस सत्र से शुरू की जा रही है। गाँवों–कस्बों में ऐसी चर्चा होती रहती है कि हिन्दी माध्यम में एम.बी.ए. (MBA) एवं बी.बी.ए. (BBA) की पढ़ाई संभव नहीं है। लेकिन इस संस्थान में इन विषयों की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि बिहार के सभी 38 जिलों के गाँवों के इच्छुक छात्र–छात्राएं एवं अन्य एम.बी.ए. (MBA) एवं बी.बी.ए. (BBA) शिक्षा हिन्दी माध्यम से ले सकें और अपनी जीविका को सुरक्षित कर सकें। चूंकि अंग्रेजी माध्यम में उक्त विषयों के अध्ययन से अधिकांश हिन्दी भाषी इच्छुक छात्र वंचित हो जाते हैं, इसी को ध्यान में रखकर महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय से उक्त पाठ्यक्रमों की सुविधा बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान ने उपलब्ध कराकर हिन्दी माध्यम से अध्ययन करने वालों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। सचमुच ऐसी सुविधा इस संस्थान ने उपलब्ध कराकर राज्य के हिन्दी भाषी छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। आर्थिक सुधार और आर्थिक विकास के दौर में रोजगार की संभावना कारपोरेट क्षेत्र में लगातार विस्तारित हो रही है। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के सुखी सम्पन्न समूह के छात्र ही अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त एम.बी.ए. (MBA) एवं बी.बी.ए. (BBA) की डिग्री लेकर नियोजन प्राप्त कर रहे हैं। गरीब एवं वंचित समाज अंग्रेजी माध्यम से डिग्री नहीं प्राप्त कर सकने के कारण रोजगार से वंचित होते रहे हैं।

अतः उक्त रोजगारपरक कोर्स का प्रचार–प्रसार जोर–शोर से किया जाए, तो ग्रामीण इलाकों के छात्रों का भविष्य संवर सकता है। बिहार सरकार भी उक्त व्यावसायिक/तकनीक/रोजगारपरक शिक्षा हिन्दी में होने व उन्हें रोजगार का अवसर राज्य में ही उपलब्ध कराने की हिमायती है। बिहार में इस समय बड़ी संख्या में एम.बी.ए. (MBA) एवं बी.बी.ए. (BBA) डिग्री प्राप्त लोगों का नियोजन लगातार हुआ है। अब हिन्दी माध्यम से एम.बी.ए. (MBA) एवं बी.बी.ए. (BBA) डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को सरकार प्राथमिकता दे सकती है।

(डा. जगन्नाथ मिश्र)
अध्यक्ष

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

डा॰ जगन्नाथ मिश्र, चारा घोटाले के मामले की सुनवाई कर रही सी॰बी॰आई॰ अदालत (पटना) के विशेष न्यायाधीश श्री विजय कुमार जैन द्वारा भागलपुर कोषागार से अधिकृत 63 लाख की अवैध निकासी के मामले में उनका (डा॰ मिश्र) आरोप मुक्त करने वाली अर्जी को खारिज करने के विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

पटना 19 अगस्त, 2011

डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि वे चारा घोटाले के मामले की सुनवाई कर रही सी॰बी॰आई॰ अदालत के विशेष न्यायाधीश, श्री विजय कुमार जैन द्वारा भागलपुर कोषागार से अधिकृत 63 लाख की अवैध निकासी के मामले में उनके (डा॰ मिश्र) आरोप मुक्त करने वाली अर्जी को खारिज करने के विरूद्ध वे (डा॰ मिश्र) इस निर्णय के विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय में इस आधार पर अपील करेंगे कि उनके विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर सी॰बी॰आई॰ ने इस मामले में उन्हें अभियुक्त बनाया है। सी॰बी॰आई॰ कोर्ट ने तथ्यों पर विस्तार से विचार नहीं किया है।

डा॰ मिश्र ने कहा है कि सी॰बी॰आई॰ ने जानबूझकर उन्हें 1988 में मुख्यमंत्री बताते हुए उनपर आरोप लगाया है कि उन्होंने श्री लालू प्रसाद की अनुशंसा पर डा॰ रामराज राम को वरीयता दी और उन्हें पशुपालन निदेशक बनाकर श्री लालू प्रसाद को उपकृत किया और उनकी अनुशंसा पर श्री लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री के रूप में डा॰ एस॰बी॰ सिन्हा को सेवा–विस्तार देकर उन्हें उपकृत किया। यही दुरभि–संधि का आधार बनाया गया है। यही षडयंत्र का आधार बनाया गया है। इस प्रसंग में पहला विचारनीय प्रश्न हो जाता है कि 1988 में वे मुख्यमंत्री नहीं थे। डा॰ रामराज राम को पशुपालन निदेशक बनाने में उनका नहीं, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भागवत झा आजाद और श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा का निर्णय था। यदि उनकी कोई भी भागीदारी चारा घोटाला कांड में रही होती या वे अनधिकृत निकासी के षडयंत्र में किसी भी तरह शरीक होते तो 22 नवम्बर, 1990 को और 8 जुलाई, 1993 को बिहार विधान सभा में और फिर 2 अप्रैल, 1993 एवं 4 जून, 1993 को प्रेस वक्तव्य के माध्यम से पशुपालन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा की जा रही अनधिकृत निकासी का सवाल क्यों उठाते? सी॰बी॰आई॰ ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है जिसमें कहा गया है कि "राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के सामान्य संरक्षण से वंचित नहीं करेगा"। उसने 1988 ई॰ में डा॰ राम को वरीयता और प्रोन्नति देने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री मानकर श्री लालू प्रसाद के साथ मिलीभगत का दोष डा॰ मिश्र पर मढ़ दिया। उसने इतना भी सत्यापित करने की कोशिश नहीं की कि 1988 में वे नहीं बल्कि श्री भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री थे जिन्होंने श्री लालू प्रसाद की अनुशंसा पर 23.11.1988 को डा॰ राम को वरीयता दी थी। उसी डा॰ राम को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा ने 31 जुलाई, 1989 को निदेशक का प्रभार दिलाया। सी॰बी॰आई॰ कोर्ट ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि जिन आरोपों के आधार पर उनके (डा॰ मिश्र) विरूद्ध यह मामला इस कोर्ट में दाखिल किया गया है उन्हीं सभी आरोपों के आधार पर झारखण्ड की सी॰बी॰आई॰ कोर्ट में उनके विरूद्ध अलग–अलग पाँच मामले चल रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 20 खण्ड– 2 के अधीन किसी एक व्यक्ति को एक ही आरोप के आधार पर एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जा सकता है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना 22 अगस्त, 2011

डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने एक वक्तव्य में कहा है कि कोशी त्रासदी के तीन वर्ष पूरे होने के बाद भी केन्द्र सरकार अबतक शिथिलता बरत रही है। केन्द्र सरकार सुनामी इलाकों में राहत और पुनर्वास के प्रति जो रूचि दिखायी थी उसमें से 10 प्रतिशत भी कोशी आपदा के लिए नहीं दिखायी है। राष्ट्रीय आपदा के संबंध में कोशी क्षेत्र की ऐसी उपेक्षा न्यायोचित नहीं है। लाखों एकड़ जमीन पर बालू की मोटी परत है जिसे केन्द्रीय सहायता के वगैर खेती योग्य नहीं बनाया जा सकता है। बालू हटाकर ही खेती करने योग्य भूमि बनायी जा सकती है जिसके लिए किसान के पास धन नहीं है। जमीन की स्थिति में सुधार के लिए बिहार सरकार को केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से विशेष अपील करनी चाहिये कि कृषि वैज्ञानिकों का एक विशेष दल कोशी क्षेत्र में प्रतिनियुक्त किया जाय जो बालू से भरी जमीन एवं जमीन की बदली हुई स्थिति में गुणात्मक सुधार के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कर समुचित सुझाव सरकार एवं किसानों को प्रस्तुत करे। केन्द्र सरकार अबतक कोई तत्परता नहीं दिखायी है। केन्द्र से सहयोग प्राप्त नहीं होने पर भी 4,900 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कोशी की प्रलयंकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ एवं अररिया जिलों के गृहविहीन परिवारों के लिए आवासों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण तथा सामुदायिक भवनो के निर्माण कराने का कार्यक्रम स्वीकृत किया। कोशी योजना के पुनर्निर्माण (बैरेज) तटबंध एवं नहरों के लिए लगभग 800 करोड़ की स्वीकृत की है। विभिन्न चरणों में कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री के पहल पर इस बीच विश्व बैंक से भी 1000 करोड़ की राशि प्राप्त की है जिसके अंतर्गत एक लाख आवास बनाये जा रहे हैं।

कोशी की बाढ़ से जमीन की स्थिति एवं प्रकृति बदल गई है जो निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध की जा सकती है :– (1) **पांक युक्त जमीन** : बाढ़ के साथ आई पांक जिसे कृषि वैज्ञानिक पूसा की टीम ने केवल पाक युक्त जमीन नाम दिया जिसमें नमी को बरकरार रखने की क्षमता है, परंतु मिट्टी जाँच के उपरांत उसमें अंकुरण नहीं होता है यदि कहीं होती है तो पौधा 1 से 1–2 सेंटी मीटर का होकर पीला होकर रह जाता है। इन रासायनिक पदार्थों की कमी को दूर कर इनको ठीक किया जा सकता है जिस पर केन्द्र सरकार गंभीरता से विचार कर उपाय सुझाव सकती है। फिर हर तरह की फसल इन जमीनों में उगाई जा सकती है। (2) **पांक बालू जमीन** : इस जमीन का किस्म एक से तीन इंच तक पांक होता है उसके नीचे बालू ही बालू है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो ऐसी जमीन में नमी को अत्यधिक समय तक रखने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार की जमीनों में अत्यधिक पानी (सिंचाई) की आवश्यकता है। खेत को उर्वरा शक्ति देने वाली फसलें यानी मूंग, मुंगफली, आलू इस प्रकार की फसलें समुचित सिंचाई के बाद उगाई जा सकती हैं। (3) **शुष्क बालू युक्त जमीन** : कृषि वैज्ञानिकों की राय में इस प्रकार की जमीन में नमी बरकरार रखने की क्षमता नहीं होती है। इस जमीन में (1 मीटर/1 मीटर) गड्ढ़ा खोद कर उसमें बर्मी कम्पोस्ट और मिट्टी डालकर उसमें आंवला, लिच्ची का पेड़ लगाया जा सकता है, वहीं कद्दू, परवल, तरबूज, ककड़ी आदि की फसलें उगाई जा सकती हैं। अतः केन्द्र सरकार तत्काल सभी सुविधा उपलब्ध करावे।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

संसद में आम जनता की आकांक्षा और विशेष रूप से श्री अन्ना हजारे के आग्रह पर लोकपाल पर चर्चा हुई और उनपर सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति का– डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने स्वागत किया।

पटना, 28 अगस्त, 2011

डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि यह सचमुच ऐतिहासिक है कि संसद में आम जनता की आकांक्षा और विशेष रूप से श्री अन्ना हजारे के आग्रह पर लोकपाल पर चर्चा हुई और उनपर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने करीब–करीब सहमति जतायी। निःसंदेह ऐसा करने के लिए जनता का भारी दबाव था। संसद के दोनों सदनों में हुई चर्चा के बाद देश को यह भरोसा हुआ कि अंततः लोकपाल का निर्माण होगा और जैसा कि सभी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर कुछ न कुछ तो लगाम लगेगी ही। केवल लोकपाल से भ्रष्टाचार रूकने वाला नहीं है और इस संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिये। राष्ट्र श्री अन्ना हजार को सलाम करता है और संसद ने उनके आंदोलन की पवित्रता और सदिच्छा को स्वीकार करके अपने धर्म का पालन किया है। लोकतंत्र में व्यक्ति संस्थान से बड़ा नहीं हो सकता। यदि संस्थान से ऊपर हम व्यक्ति को रखते हैं तो यह लोकतंत्र की मूल भावना और संसद की सर्वोच्चता के आधरभूत सिद्धांत के खिलाफ है। सामाजिक संगठन लोकपाल एवं काले धन से संबंधित आंदोलन एवं संघर्ष कर रहा है परंतु ऐसी अवधारणा बनी है कि हमारी संसदीय प्रणाली अपने कर्तव्यों के निर्वहन में चुक रही है। ऐसा भी लगता है कि सामाजिक आंदोलन संसदीय राजनीति पर हावी हो रहा है। अब सशक्त लोकपाल के लिए सरकार, सभी राजनीतिक दल और सिविल सोसायटी तैयार हैं। व्यवस्था में कमजोरी के कारण बाहर से नेताओं को आंदोलन के लिए सक्रिय होना पड़ रहा है। बाहर के नेता इमानदार आंदोलन के प्रतीक बन रहे हैं और राजनीतिक नेताओं की छवि लगातार खराब हो रही है। ऐसे सवाल भारत के नागरिकों को उद्वेलित कर रहे हैं। लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि किसी राजनीतिक दल या नेता की ऐसी हैसियत क्यों नहीं बन पा रही है कि वे अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से मुद्‌दों को उठायें जिस पर देश की सहमति बन जाय। क्या लोगों का भरोसा संसद पर नहीं रहा? राजनेताओं ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन इमानदारीपूर्वक नहीं किया है? देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार है। अब संगठित रूप से देश में भ्रष्टाचार एवं काले धन के विरूद्ध संघर्ष प्रारंभ हो चुका है। आम लोग उद्वेलित एवं सक्रिय हैं। अतः राजनीतिक दलों को इस संघर्ष में निर्णायक बनाना पड़ेगा।

(विद्‌यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार के सिमरिया में होने जा रहे कुम्भ के संबंध में डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने पत्र द्वारा मुख्यमंत्री से अपील की।

पटना, 01 सितम्बर, 2011

आपके क्षेत्राधिकार में, कहें बिहार में प्रवहमाना पुरातन पौराणिक (प्रागैतिहासिक) सुपूजनीया गंगा का सिमरिया घाट अवस्थित है। उत्तरवाहिनी अर्थात् भारतीय संस्कृति की अजस्र अमर धारा हैं। विशेष स्थिति से बिहार के वर्तमान शीर्षस्थ मान्यवर मुख्यमंत्री के रूप में आप स्वयं भी अवगत होंगे ही। गंगा के सिमरिया घाट को 'सिमरिया धाम' कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में 'धाम' की सर्वमान्य धारणा भी स्मरणीय है। वस्तुतः जिस सिमरिया घाट पर बिहार सरकार के राजस्व विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अक्टूबर–नवम्बर में पवित्र 'कल्पवास मेला' का आयोजन जिला प्रशासन के माध्यम से करबाया जाता है, उस 'सिमरिया घाट' को 'सिमरिंया घाम' ही कहना सर्वथा उचित भी है और इसीलिये 12.11.2010 को पत्रांक 54 द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को संबोधित प्रार्थना–पत्र का शीर्षक भी 'सिमरिया धाम; कुम्भ प्रमाण' दिया गया है। प्रासंगिक पत्र अवलोक्य है। यहाँ कुम्भ प्रमाण के रूप में जो लिखित सर्वसम्मत साक्ष्य उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ अनुलग्न हैं, उनके निष्पक्ष एकाग्र अध्ययन की भी अनिवार्यता से सहमति सुनिश्चित है। साथ–साथ उक्त सहमति पर सकारात्मक निर्णय और कार्रवाई की अनिवार्यता जनहित में ध्यातव्य है।

दिल्ली के पत्र 'नई दुनिया', सोमवार, 21 फरवरी, 2011 में प्रकाशित शीर्षक 'सिमरिया कुम्भ को सफल बनाने का लिया संकल्प' के अंतर्गत प्रकाशित समाचार स्पष्ट निर्णय और सरकारी सकारात्मक कार्रवाई को भी निर्धारित करता है– "बिहार के सिमरिया में होने जा रहे कुम्भ को लेकर देश भर में हलचल तेज हो गयी है। इलाहाबाद के बाद दिल्ली के बिड़ला मन्दिर में रविवार को परमहंस स्वामी चिदात्मन् जी महाराज के सान्निध्य में देश भर से जुटे संतों और प्रबुद्ध जनों ने सिमरिया कुम्भ को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्रयाग पीठाधीश्वर जगद्गुरू शिवमंगल दास जी महाराज ने कुम्भ की परंपरा पर बोलते हुए कहा कि सिमरिया ही वह स्थान है जहाँ पहलीबार कुम्भ परंपरा की शुरूआत हुई। कुम्भ के प्रेरणा पुरूष चिदात्मन् जी महाराज ने कहा कि आज भारत एक महान् देश है। इसका कारण अध्यात्म, वेद, ऋषि, महात्मा, चिन्तकों का यहाँ वास होता है। इस अवसर पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री अखिलेश सिंह, हिन्दू महासभा के अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश कौशिक, दिनकर स्मृति न्याय के अध्यक्ष नीरज कुमार आदि उपस्थित थे।" इन प्रासंगिक समाचार की फोटो प्रति द्रष्टव्य है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के आगम विभाग के आचार्य श्री विमलेश झा अपने 10.02.2011 को जारी वक्तव्य में कहते हैं– ".......... श्री शुकदेवः तदन्ये च यतयो विद्वांसः अश्विनी कुमार प्रभृतयो देवाश्चेहैव बिहारान्तर्गत मिथिलायां ज्ञानं भक्तिं वैराग्यं चावाप्तुं श्री गुरूमवाप्नुवन्तिस्म। शास्त्राणि प्रर्थायतुं भारतीयां संस्कृतिं च प्रसारयितुं मिथिलेयं मथ्नाति पापानीत्यन्वर्थासंज्ञामादधाना कुम्भमुहूर्तविशेषमवाप्य मिथिलादक्षिणसीम्नि सिमरिया–प्रथिताभिधाने महातीर्थक्षेत्रे कुम्भार्द्धमहाकुम्भसमायोजनैः सुप्रथिताऽभूत् पुरा। अन्यत्रापि श्रीप्रयागेतीर्थराजे महाकालाधिष्ठितायामुज्जयिन्यां, नासिकक्षेत्रे, हरिद्वारक्षेत्रे कुम्भकोणादौ च कुम्भपर्वविस्तार समभिलाषमुदिक्तैः याज्ञवल्क्य–भरद्वाजप्रभृतिभिः सत्प्रवृत्यागच्छकालेन मिथिलायां श्रीकार्तिकमासे कल्पवाससमात्रावशेषं कुम्भपर्व सम्प्रत्यपि सश्रद्धं निष्ठ्या समायोज्यते।"

उपर्युक्त अंश से तो कुम्भ पर्व के सतत् निरंतर मनाये जाते रहने का भी साक्ष्य उपलब्ध होता है। सिमरिया में 'कल्पवास' को तो राज्य सरकार की मान्यता जब प्राप्त है, तो कल्पवास सहित सतत् हो रहे अवशिष्ट कुम्भ पर्व को सरकारी मान्यता की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। हाँ! समय–समय पर आयोजित होने वाले अर्द्ध कुम्भ पर्व और कुम्भ या महाकुम्भ पर्व के अवसरों पर अपार भीड़ को सुरक्षा–जैसी सुविधायें देने, संयमित करने हेतु सरकार को विशेष ध्यान देने, कार्रवाई करने के लिये आवश्यक कदम उठाने पड़ सकते हैं। चूंकि सिमरिया में कुम्भ सदा से लगते रहने के अगणित साक्ष्य–प्रमाण अनादिकाल से मिलते रहे हैं और उनमें से अकाट्य कुछ हालिया स्थिति में भी अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं, इसलिये सरकार को 'कल्पवास' को दी गयी मान्यता की तरह समय–समय पर, यहाँ तक कि लम्बे–लम्बे अंतराल पर भी यहाँ मनाये जाने वाले 'कुम्भ पर्व' के लिये मान्यता देने, प्रबंध करने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अपितु, राज्य सरकार बिहार की सुषुप्त कुम्भ–परंपरा को पुनरूज्जीवित कर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,

उत्तराखण्ड आदि की आध्यात्मिक–सांस्कृतिक गरिमा की तरह बिहार की अपनी विस्मृत जैसी गरिमा को भी राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दर्शा देगी। अपनी ही मौलिक सोयी, खोयी–सी गरिमा को लौटाकर प्रकाशित करने में लोकप्रिय बिहार सरकार को स्वतःस्फूर्त्त सकारात्मक कार्रवाई अविल्म्ब करनी चाहिये। इससे राज्य के पर्यटन उद्योग को भी तो अगणित लाभ निश्चित रूप से मिलेंगे ही।

आस्था, विश्वास, श्रद्धा, तपस्या, उपासना, अध्यात्म आदि के सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो बिहार सरकार को 'शुभस्य शीघ्रम्' जैसा कर्त्तव्य प्राप्त हुआ है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी 'उपासना' का अधिकार नागरिकों को प्रदत्त ही है। ऐसे इस वर्ष के लिये कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा प्रकाशित पंचांग के अतिरिक्त अन्य मान्य पंचांगों में भी अर्द्ध कुम्भ वहाँ लगाने का उल्लेख मिला है।

''अखिल भारतीय सर्वमंगला अध्यात्मयोग विद्यापीठ, दिव्यशक्तिपीठ, सिद्धाश्रम माँ कालीधाम, सिमरियाघाट, बेगूसराय मिथिलांचल'' एक संस्था है, जिसके द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को संबोधित करते हुए ई॰ 2011 के कार्त्तिक मास में सिमरिया घाट पर अर्द्ध कुम्भ की व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया गया। उल्लेखनीय यह भी है कि बिहार विधान परिषद् में सिमरिया में अर्द्ध कुम्भ लगाने के लिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी माननीय श्री रजनीश कुमार, सदस्य, बिहार विधान परिषद एवं अन्य द्वारा हाल ही में लाया गया।

इधर अगस्त, 2011 में समाहर्त्ता, बेगूसराय द्वारा स्वामी चिदात्मन जी महाराज, दिव्यशक्तिपीठ सिद्धाश्रम, सिमरिया घाट को संबोधित पत्र से यह विदित होता है कि सरकार द्वारा अर्द्ध कुम्भ का आयोजन इस वर्ष कार्त्तिक मास में मात्र यह कहकर नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है कि ''साधारणतः कोई नई धार्मिक परंपरा का प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिये।'' इस प्रसंग में यक कहना है कि जिलाधिकारी, बेगूसराय को भेजे गये आवेदन–पत्र के अनुलग्नकों से यह प्रमाणित होता है कि यह परंपरा नई नहीं है, अपितु देश के अन्य भागों में जैसे हरिद्वार, प्रयागराज आदि में जिस विख्यात स्तर पर उक्त आयोजन होते रहे हैं, वैसे ही स्तर पर आयोजन हेतु सरकार से अनुरोध किया गया है। फलतः इसे 'नई धार्मिक परंपरा का प्रारंभ' मानना उपलब्ध तथ्यों से परे होगा।

पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित विद्वानों, धर्माचार्यों, साधुओं, संतों आदि के मंतव्यों के अतिरिक्त बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों के विचार–मंतव्य, जो अनुलग्नकों से प्राप्त हुए हैं, उनका गंभीर अध्ययन सरकार के स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र कराना पूर्णतः अपेक्षित है, तत्पश्चात् सरकार के स्तर पर आवश्यक निर्णय और कार्रवाई संभवतः इस समस्या के अल्पकालीन या दीर्घकालीन निदान के लिये अनिवार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में हरिद्वार, प्रयागराज आदि की सुदृढ़ व्यवस्था का भी अध्ययन आवश्यक होगा, ताकि भगदड़ का खतरा अथवा अन्य कानून–व्यवस्था के व्यतिक्रम की आकस्मिक दुर्घटना से सदा बचा जा सके। लेकिन, सिमरिया में कुम्भ या अर्द्ध कुम्भ से देश के अन्य भागों की भीड़ भी तो निश्चित रूप से विभाजित होकर कम होगी। इससे राष्ट्र के श्रद्धालुओं को सुविधा ही होगी।

यह कहना कि यह समस्या अब मात्र क्षेत्रीय जनता द्वारा लिये गये संकल्प से ही नहीं, अपितु देश भर के साधु–संतों, धर्माचार्यों, विद्वानों, भक्तों के द्वारा भी सिमरिया में, कार्त्तिक मास (2011) में अर्द्ध कुम्भ लगाने हेतु लिये गये संकल्पों के आलोक में भी अत्यधिक संवेदनशील हो गयी है; आप भी कृपया इससे सहमत होने का कष्ट करेंगे। आपकी लोकप्रिय सरकार से इस समस्या के सकारात्मक निदान की बलबती अपेक्षा भी है।

अस्तु, 'अखिल भारतीय सर्वमंगला अध्यात्म योग विद्यापीठ, दिव्यशक्तिपीठ, बेगूसराय, मिथिलांचल' के आवेदन–पत्र (अनुलग्नकों समेत) में वर्णित बिन्दुओं की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध है कि पुनर्विचार कर राज्यहित एवं जनहित में अपेक्षित ठोस निर्णय लेते हुए समुचित कार्रवाई के लिये यथाशीघ्र आदेश पारित करने का कृपया कष्ट किया जाय।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 13 सितम्बर, 2011

पूर्व वर्षों की भाँति श्री बच्चा ठाकुर, आई॰ए॰एस॰ (अ॰प्रा॰) द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर इस वर्ष भी **'हिन्दी–दिवस की पूर्व संध्या पर'** किये गये आयोजन के अध्यक्ष, माननीय डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार की अनिवार्यता पर जोर देते हुए कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रीय एकता–अखण्डता की अद्वितीय आधारशिला है जिसे देशवासियों के लिये अभिरक्षित करना परम पवित्र कर्त्तव्य है। इस अवसर पर डा॰ मिश्र ने हिन्दी के सभी रचनाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों, हिन्दीप्रेमियों, पाठकों को प्रेरित करते हुए कहा कि मिल–जुलकर हम सबों को अपने–अपने क्षेत्र में हिन्दी की गरिमा बचाने हेतु हर संभव प्रयास करना चाहिये, क्योंकि विश्व भर में प्रसिद्ध अपनी हिन्दी देश की क्षेत्रीय भाषाओं के उत्थान का भी सशक्त माध्यम बन चुकी है।

इस अवसर पर श्री श्याम बिहारी मिश्र, श्री रामउदार झा, डॉ॰ आई॰ए॰ खान, श्री रामबाबू राय, श्री त्रिपुरारी मिश्र 'त्रिलोचन', श्री कृष्ण कुमार ठाकुर, श्री विजय नारायण झा आदि विद्वानों ने भी हिन्दी के प्रचार–प्रसार हेतु अपने–अपने तर्कसंगत विचार व्यक्त किये। श्री बच्चा ठाकुर ने आगत प्रतिभागियों और श्रोताओं को आयोजन में बहुमूल्य योगदान करने हेतु भूरि–भूरि धन्यवाद दिया।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

योजना आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय में गरीबी के मापदंड का हलफनामा गरीबी का अपमान है– अतः केन्द्र सरकार से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा गरीबी निदान के लिए विशेष आयोग की मांग स्वीकार करने की– डा॰ जगन्नाथ मिश्र की प्रधानमंत्री से अपील।

पटना, 22 सितम्बर, 2011

उच्चतम न्यायालय में योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत गरीबी निर्धारण का मापदंड सही नहीं है। प्रस्तुत मापदंड गरीबी रेखा की हकीकत को बताने का कम, उसे छिपाने का काम अधिक करती है, इस तर्क को खारिज नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि दो महीने पहले उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को गरीबी का ऐसा पैमाना तय करने की हिदायत दी, जो सच्चाई से मेल खाता हो। उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुपालन के क्रम में योजना आयोग ने गरीबी रेखा का नया वर्गीकरण उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा में बताया है। इसके अनुसार शहरों में 32 रूपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रूपए प्रतिदिन खर्च करने वाले को गरीब नहीं कहा जा सकता। यह सरकार ही जानती होगी कि इतने कम पैसे में कोई कैसे गुजारा कर सकता है। यह मापदंड गरीबों का अपमान है। सरकार उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त विषमताओं को छिपाने के लिए ऐसा मापदंड प्रस्तुत कर रही है।

देश की आबादी के विशाल हिस्से का जीवन--स्तर कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर परदा डाला जा सके। हर साल संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट बता देती है कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिहाज से भारत के अधिकतर लोग कहाँ खड़े हैं। देश के करीब 45 फीसदी बच्चों के कुपोषण की चपेट में होने का तथ्य भी बहुत कुछ बयान कर देता है। इसलिए सरकार और योजना आयोग को सच्चाई को छिपाने के बजाय उसे स्वीकार करने की तैयारी दिखानी चाहिये। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एक बहुत अह्म मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि गरीब आबादी की पहचान के लिए एक स्वतंत्र आयोग बने। केन्द्र सरकार और योजना आयोग को इस सुझाव को गंभीरता से लेना चाहिये। अगर बीपीएल आबादी की पहचान के लिए एक स्वतंत्र आयोग बना तो स्वाभाविक है कि अबतक बताये जा रहे आंकड़ों से भिन्न तस्वीर सामने आयेगी। फिर नीतियों और प्राथमिकताओं को बदलने की बात भी उठ सकती है। लेकिन अगर विकास को समावेशी बनाना है तो इस संभावना से डर क्यों लगना चाहिये। अभाव या गरीबी के निर्धारण में आवास, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन आदि अन्य बुनियादी खर्चों को भी शामिल किया जाना चाहिये। मगर केन्द्र में किसी भी दल या गठबंधन की सरकार रही हो, वह इस तर्क को स्वीकार करने से बचती रही है। इसलिए कि सभी बुनियादी जरूरतों को कसौटी बनायी गयी तो बीपीएल आबादी का आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखायी देगा और फिर योजनागत खर्च में बढ़ोतरी का दबाव बनेगा, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाएं बीपीएल परिवारों को लक्षित कर चलायी जाती हैं। सबसिडी में कटौती करते जाने की योजना भी खाटाई में पड़ सकती है। जबकि बीपीएल आबादी का आंकड़ा वास्तविकता से कम दिखायी दे और उसमें कमी भी होती नजर आए, तो न सिर्फ योजनागत खर्च का दबाव कम रहेगा बल्कि प्रचलित आर्थिक नीतियों की सार्थकता भी साबित होगी। यही कारण है कि गरीबी रेखा इस तरह से तय की गई है कि बहुत से अभावग्रस्त लोग भी इसके ऊपर दिखाई दें।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना—23

प्रेस विज्ञप्ति

आरटीई एक्ट के अंतर्गत निजी स्कूलों का निबंधन अनिवार्य है। "निबंधन का विरोध संविधान एवं केन्द्रीय अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम का विरोध" — डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 28 सितम्बर, 2011

6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का गारंटी करने वाला कानून (आरटीई) आज सम्पूर्ण राज्य में लागू हो चुका है। परंतु इसे व्यवहार्य रूप में लाने में राज्य सरकार को अनेक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी करने वाला कानून (आरटीई) आज हकीकत बन चुका है। लेकिन इसे व्यवहार में उतारने में निजी प्रबंधन बाधा पैदाकर रहा है जो विस्मयकारी है।

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पूरी तत्परता से इस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य देने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 25 प्रतिशत अनिवार्य आरक्षण देने के प्रावधानों को लागू करना चाहते हैं जिसका अल्पसंख्यक एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त, एवं स्वामित्व वाला निजी शैक्षणिक संस्थाएं इस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। उनकी ओर से तीन बिन्दुओं पर विरोध है। उन लोगों ने दावा किया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहद निजी शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन लोगों का यह भी तर्क है कि यह अधिनियम बिना सरकार के हस्तक्षेप से चलाये जा रहे संस्थान की निजी स्वायत्तता में बाधक बन रहा है। उनका यह भी कहना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना सरकार का उत्तरदायित्व है, उनका नहीं। उन्हें अल्पसंख्यक गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में आरक्षण थोपने का अधिकार नहीं है। उनके तर्क के मुताबिक इन संस्थानों को अपनी पसंद के छात्रों का दाखिला लेने का अधिकार है। परंतु वास्तविकता यह है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को समानता एवं प्रतिष्ठापूर्वक जीने के अधिकार के अंतर्गत राज्य का यह दायित्व बनता है कि सभी नगारिकों को शिक्षित, स्वस्थ एवं प्रतिष्ठापूर्वक जीने का अधिकार उपलब्ध हो क्योंकि शिक्षा के अधिकार को इन सभी संवैधानिक प्रावधानों के आलोकों में आकलन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 21 समानता का अधिकार सभी नागरिकों को सुनिश्चित करता है। सरकार तथा न्यायपालिका वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है। केवल शाब्दिक समानता के लिए नहीं। सरकार ने शिक्षा से वंचित समूह को शिक्षित करने के लिए हीं इस प्रकार के अधिनियम को लागू किया है। जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुनिश्चित है जिसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं। उस अधिनियम के अंतर्गत अब शिक्षा एवं स्वास्थ्य अधिकार सम्मिलित माना जाता है। शिक्षा के अधिकार को राज्य के निदेशक तत्व के अंतर्गत देखा जाना चाहिए। समानता के अधिकार निश्चित रूप से जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का अर्थ नागरिकों को गौरवपूर्ण जीवन प्रदान करना है। इस अवधारणा के अंतर्गत निजी स्वामित्व एवं प्रबंधन वाले विद्यालयों में वंचित समूह के 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन किये जाने का प्रावधान बंधनकारी है।

समाज का विशिष्ट वर्ग बेहतर शिक्षा पर केवल अपना अधिकार बनाये रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। वे गरीब लोगों के बच्चों का प्रवेश निषेध मानते हैं। शिक्षा पर सभी लोगों का समान अधिकार उनका मूलभूत अधिकार है। केन्द्र ने शिक्षा को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा बना दिया है मगर इसके लिए सरकारी स्कूलों की ही व्यवस्था है। हर बच्चे को हक है कि वह अपने निकटतम पड़ोसी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। साथ ही हर स्कूल का शिक्षा स्तर हाई स्कूल तक एक समान होना चाहिये और सभी में एक समान सुविधाएं होनी चाहिये। मगर, भारत में सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों के शिक्षा स्तर में जमीन—आसमान का अंतर है। गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल और उच्च वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूल है। जिस प्रकार शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है उसने शिक्षा के क्षेत्र को उद्योग एवं व्यवसाय में बदल दिया है। शिक्षा के व्यापारीकरण का सीधा अर्थ है जन्म से ही ऊँच—नीच का भाव पैदा हो जाये और गरीब के बच्चों को केवल चपरासी या चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए तैयार किया जाये।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

गांधी जयन्ती के अवसर पर राज्य के सभी 8463 पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक होना जमीनी लोकतंत्र का प्रतिक– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 03 अक्टूबर, 2011

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निदेश पर ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार राज्य के सभी 8463 पंचायतों में गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम सभा को सक्रिय करने के लिए आम सभा की बैठक आयोजित कर पंचायत की योजना स्वीकृति करायी है। मुख्यमंत्री ने वैशाली जिले के सदर प्रखण्ड की विशुनपुर बसंत उर्फ शुभई पंचायत में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में अपनी उपस्थिति से जमीनी जनतंत्र को महिमा मन्डित किया है। महात्मा गांधी की पंचायत सोच संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लेखित है, जिसमें कहा गया है कि पंचायत स्वायत्त शासी ईकाई के रूप में कार्य करेगी। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये हैं। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी कोटियों में एकल पद सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण एवं अभिवंचित वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के द्वारा इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। भारत के संविधान में ग्राम सभा की परिकल्पना ग्रामवासियों के एक ऐसे संस्थागत मंच के रूप में की गई है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाय कि गाँव की प्रत्येक आवाज को सुना जाए। समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं और चिंताओं का निराकरण किया जाय। ग्राम सभा पहले तो कभी–कभी होती थी, परंतु अब नियमित रूप से ग्राम सभाओं की बैठक होगी और योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण होगा।

ग्राम सभा अर्थात किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त मतदाताओं की आम सभा, वह सशक्त मंच है जो अपने क्षेत्र की तकदीर एवं तस्वीर दोनों ही बदल सकती है। राज्य में एक बड़ा परिवर्तन यह आया कि ग्राम विकास तथा राज्य उन्नति का सारा दारोमदार ग्राम पंचायतों के कंधों पर है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अनुच्छेद–243(क) के द्वारा ग्राम सभा को शक्तियां एवं कृत्य प्रदान करने का दायित्व दिया गया है। अब ग्राम सभाएं जिला प्रशासन की मदद से ई–पंचायत मॉडल के जरिये ई–चौपाल जैसा मॉडल संयुक्त रूप से संचालित कर सकती हैं।

ग्राम सभा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रथम सोपान है। यह लोकतंत्र का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यह एक स्थायी सभा है जहाँ लोग स्वयं अपने गाँव की योजना बना सकते हैं। अभीतक ग्राम सभा की सबसे बड़ी समस्या है कि इसकी नियमित बैठकें नहीं होती हैं। ग्राम सभा काम तो तभी करेगी जब इसकी नियमित रूप से बैठकें हों। ग्राम सभा के सशक्तीकरण करने का सरकारी प्रयास सराहनीय हैं। ग्राम सभाओं की सक्रियता से ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास का कार्य ईमानदारी और निष्ठा से कर सकती है। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण कर सकती हैं। ग्रामवासियों को ग्राम सभा का महत्व, कार्य और अधिकारों को समझना होगा क्योंकि यही एक ऐसा मंच है जहाँ पर सामाजिक अंकेक्षण हो सकता है। इसलिए ग्राम सभा का जीवंत रूप में कार्य करना अनिवार्य है। ग्राम सभाओं को कारगर बनाकर ही ग्राम स्वराज का सपना साकार हो सकता है। असली शक्ति जनता के हाथों में निहित है। पंचायत की योजना तय करने का अधिकार पंचायत की जनता को है। यदि वार्ड सभा से योजनाएं चयनित होगी, तो उसमें धांधली नहीं होगी। पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा हक मिले और वे शक्तिशाली हों। महिलाएं सजग हों, तो विकास को कोई रोक नहीं सकता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरह 'केन्द्र एवं राज्य' में सरकार है उसी तरह पंचायत में 'पंचायत सरकार' होगी। बिहार ने इस दिशा में पूरे देश में सबसे पहले कदम बढ़ाया है। वे देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विकास की पहली सीढ़ी ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। अपनी उपस्थिति से मुख्यमंत्री ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करने की शुरूआत कर दी है जहाँ उन्होंने ग्राम स्वराज का सपना देखा था। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाकर विकास का मार्ग प्रशस्त करने का अहम संदेश दे दिया है।

(विदयानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार में 14.5 प्रतिशत विकास दर की प्राप्ति पर– डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री को बधाई दी।

पटना, 17 अक्टूबर, 2011

बिहार में 2010–11 वर्ष में 14.5 प्रतिशत विकास दर की प्राप्ति समस्त बिहारवासियों के लिए शानदार उपलब्धि और गौरव का विषय है। इस उपलब्धि से स्थापित होता है कि बिहार में आर्थिक नव जागरण लाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने का भी सफल प्रयास हो रहा है। गत छः वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों के चलते बिहार असफल राज्य से क्रियाशील राज्य (फंक्शनल स्टेट) में बदल गया है। पिछले छः वर्षों में आन्तरिक संसाधन जुटाये जाने में बिहार सरकार की सफलता, राज्य में आधारभूत सुविधा में विस्तार, वित्तीय अनुशासन में सुधार, प्रशासन में उत्तरोत्तर सुधार, कृषि क्षेत्र में अपेक्षित विकास के परिणाम स्वरूप ही यह विकास दर की प्राप्ति हुई है। यह निर्विवाद है कि बिहार अभी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सभी विकास सूचकों के लिहाज से योजनां युग की लगभग शुरूआत से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सबसे कम योजना परिव्यय तथा निवेश का निम्न स्तर। राज्य के प्रति किए गए अन्याय को दूर करने के लिए केन्द्र को विशेष प्रयास करना पड़ेगा। नब्बे के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी, जब उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित होते रहे हैं, बिहार राज्य वंचित ही बना रहा। बिहार में विकास की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ गरीबी और बेरोजगारी, अशिक्षा बेहद और लगातार बनी हुई रही है। सरकार की रणनीति से भूख, कुपोषण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा कमजोर तबके विशेषकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प प्रदर्शित हो रहा है। बिहार की प्रति व्यक्ति भारत की औसत आय का 30 प्रतिशत है। बिहार को अभी देश की विकास दर से आगे जाना होगा, तभी बिहार और भारत के बीच की खाई दूर होगी। बिहार में क्षमता है तो चुनौती भी अधिक है। यहाँ की 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। अतः केन्द्र को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए देना पड़ेगा।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

विकास दर में लगातार सुधार हो रहा है – डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 18 अक्टूबर, 2011

बिहार में 2010–11 वर्ष में 14.5 प्रतिशत विकास दर की प्राप्ति समस्त बिहारवासियों के लिए शानदार उपलब्धि और गौरव का विषय है। इस उपलब्धि से स्थापित होता है कि बिहार में आर्थिक नव जागरण लाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। बिहार में बड़ी चुनौती है, विकास दर में लगातार सुधार हो रहा है। परंतु बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी भारत की औसत आमदनी का 30 प्रतिशत है। महाराष्ट्र तथा पंजाब की तुलना में यह साढ़े चार गुना कम है। बिहार में पहले विकास दर बहुत की थी, इधर तेज हुई है। अब राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने का भी सफल प्रयास हो रहा है। गत छः वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों के चलते बिहार असफल राज्य से क्रियाशील राज्य (फंक्शनल स्टेट) में बदल गया है। पिछले छः वर्षों में आन्तरिक संसाधन जुटाये जाने में बिहार सरकार की सफलता, राज्य में आधारभूत सुविधा में विस्तार, वित्तीय अनुशासन में सुधार, प्रशासन में उत्तरोत्तर सुधार, कृषि क्षेत्र में अपेक्षित विकास के परिणाम स्वरूप ही यह विकास दर की प्राप्ति हुई है। यह निर्विवाद है कि बिहार अभी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सभी विकास सूचकों के लिहाज से योजना युग की लगभग शुरूआत से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सबसे कम योजना परिव्यय तथा निवेश का निम्न स्तर। राज्य के प्रति किए गए अन्याय को दूर करने के लिए केन्द्र को विशेष प्रयास करना पड़ेगा। नब्बे के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी, जब उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित होते रहे हैं, बिहार राज्य वंचित ही बना रहा। बिहार में विकास की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ गरीबी और बेरोजगारी, अशिक्षा बेहद और लगातार बनी हुई रही है। सरकार की रणनीति से भूख, कुपोषण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा कमजोर तबके विशेषकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प प्रदर्शित हो रहा है। बिहार को अभी देश की विकास दर से आगे जाना होगा, तभी बिहार और भारत के बीच की खाई दूर होगी। बिहार में क्षमता है तो चुनौती भी अधिक है। यहाँ की 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। अतः केन्द्र को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए देना पड़ेगा।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 19 अक्टूबर, 2011

6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का गारंटी करने वाला कानून (आरटीई) आज सम्पूर्ण राज्य में लागू हो चुका है। परंतु इसे व्यवहार्य रूप में लाने में राज्य सरकार को अनेक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसे व्यवहार में उतारने में निजी प्रबंधन बाधा पैदाकर रहा है जो विस्मयकारी है। उनके तर्क के मुताबिक इन संस्थानों को अपनी पसंद के छात्रों का दाखिला लेने का अधिकार है। परंतु वास्तविकता यह है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को समानता एवं प्रतिष्ठापूर्वक जीने के अधिकार के अंतर्गत राज्य का यह दायित्व बनता है कि सभी नगारिकों को शिक्षित, स्वस्थ एवं प्रतिष्ठापूर्वक जीने का अधिकार उपलब्ध हो क्योंकि शिक्षा के अधिकार को इन सभी संवैधानिक प्रावधानों के आलोकों में आकलन किया जाना चाहिए। सरकार तथा न्यायपालिका वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है। केवल शाब्दिक समानता के लिए नहीं। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का अर्थ नागरिकों को गौरवपूर्ण जीवन प्रदान करना है। इस अवधारणा के अंतर्गत निजी स्वामित्व एवं प्रबंधन वाले विद्यालयों में वंचित समूह के 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन किये जाने का प्रावधान बंधनकारी है। समाज का विशिष्ट वर्ग बेहतर शिक्षा पर केवल अपना अधिकार बनाये रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। वे गरीब लोगों के बच्चों का प्रवेश निषेध मानते हैं। शिक्षा पर सभी लोगों का समान अधिकार उनका मूलभूत अधिकार है। हर बच्चे को हक है कि वह अपने निकटतम पड़ोसी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। ऐसा लगता है कि गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल और उच्च वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूल है। जिस प्रकार शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है उसने शिक्षा के क्षेत्र को उद्योग एवं व्यवसाय में बदल दिया है। शिक्षा के व्यापारीकरण का सीधा अर्थ है जन्म से ही ऊँच–नीच का भाव पैदा हो जाये और गरीब के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहे और उन्हें केवल चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए तैयार किया जाये। सरकार को शिक्षा से वंचित समूह को शिक्षित करने के लिए हीं इस अधिनियम को लागू करना है। निजी प्रबंधन द्वारा पंजीकरण का विरोध करना औचित्य नहीं है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

विकास दर में लगातार सुधार हो रहा है – डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

मुजफ्फरपुर, 20 अक्टूबर, 2011

बिहार में 2010–11 वर्ष में 14.5 प्रतिशत विकास दर की प्राप्ति समस्त बिहारवासियों के लिए शानदार उपलब्धि और गौरव का विषय है। इस उपलब्धि से स्थापित होता है कि बिहार में आर्थिक नव जागरण लाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। बिहार में बड़ी चुनौती है, विकास दर में लगातार सुधार हो रहा है। परंतु बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी भारत की औसत आमदनी का 30 प्रतिशत है। महाराष्ट्र तथा पंजाब की तुलना में यह साढ़े चार गुना कम है। बिहार में पहले विकास दर बहुत की थी, इधर तेज हुई है। अब राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने का भी सफल प्रयास हो रहा है। गत छः वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों के चलते बिहार असफल राज्य से क्रियाशील राज्य (फंक्शनल स्टेट) में बदल गया है। पिछले छः वर्षों में आन्तरिक संसाधन जुटाये जाने में बिहार सरकार की सफलता, राज्य में आधारभूत सुविधा में विस्तार, वित्तीय अनुशासन में सुधार, प्रशासन में उत्तरोत्तर सुधार, कृषि क्षेत्र में अपेक्षित विकास के परिणाम स्वरूप ही यह विकास दर की प्राप्ति हुई है। यह निर्विवाद है कि बिहार अभी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सभी विकास सूचकों के लिहाज से योजना युग की लगभग शुरूआत से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सबसे कम योजना परिव्यय तथा निवेश का निम्न स्तर। राज्य के प्रति किए गए अन्याय को दूर करने के लिए केन्द्र को विशेष प्रयास करना पड़ेगा। नब्बे के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी, जब उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित होते रहे हैं, बिहार राज्य वंचित ही बना रहा। बिहार में विकास की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ गरीबी और बेरोजगारी, अशिक्षा बेहद और लगातार बनी हुई रही है। सरकार की रणनीति से भूख, कुपोषण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा कमजोर तबके विशेषकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प प्रदर्शित हो रहा है। बिहार को अभी देश की विकास दर से आगे जाना होगा, तभी बिहार और भारत के बीच की खाई दूर होगी। बिहार में क्षमता है तो चुनौती भी अधिक है। यहाँ की 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। अतः केन्द्र को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए देना पड़ेगा।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुजफ्फरपुर, 20 अक्टूबर, 2011

आज मुजफ्फरपुर में ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा **''मानवाधिकार व लैंगिक विषमता''** विषय पर आयोजित कार्यशाला के समापन के अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मानवाधिकारों के मामले में भारत की उपलब्धियाँ कम नहीं हैं, लेकिन उसे अभी लंबी यात्रा तय करनी है। इसलिए जहाँ हमारी नारियाँ सशक्तीकरण के मार्ग पर सतत अग्रसर हैं, वहीं बड़ी तादाद में बच्चे अभी भी बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं और मजदूरी करने के लिए विवश हैं। हमारी कमजोरियाँ चाहे जो भी हों, हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि मानवाधिकार सुनिश्चित करने और सामाजिक न्याय हांसिल करने की हमारी संरचना काफी मजबूत है। न्यायपालिका ने इसे बार–बार सुनिश्चित किया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इस क्षेत्र में कार्यरत अनेकानेक स्वयंसेवी संगठन तथा हमारी केन्द्र और राज्य सरकारें उपयोगी और अर्थपूर्ण कानून बनाकर उन्हें लागू कराने हेतु सक्रिय हैं।

अधिसंख्य महिलाएं आज भी शोषित और पीड़ित हैं तथा बिना मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। जबतक महिलाओं पर होने वाले असंख्य और असीमित अत्याचारों और क्रूरताओं का अंत नहीं होता, उनके साथ किया जाने वाला भेदभावपूर्ण व्यवहार समाप्त नहीं होता, एक स्वस्थ एवं न्यायपूर्ण समाज की संरचना नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में सशक्त कदम उठाये गये। अभीतक महिलोत्थान, महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण जैसे महिलाओं से जुड़े ढेरों शब्द सिर्फ नारों और भाषणों की शोभा तथा शब्दजाल से ज्यादा सार्थक परिणाम नहीं दे सके हैं। यदि लिंग आधारित बजट बने तथा उनके प्रावधानों को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने की इच्छाशक्ति सरकार दिखाए तो तस्वीर बदल सकती है। बजट के खर्चों को स्पष्ट रूप से वह दिशा देनी होगी जो महिलाओं से जुड़े क्षेत्रों में घरेलू एवं महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा, यौन अपराध रोकने क लिए, सामाजिक सेवा क्षेत्र– शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तथा आर्थिक मामलों में स्वरोजगार, समान कार्य समान भुगतान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह बनाने तथा ऐसे ही महिलाओं से जुड़े विभिन्न मदों में बजटीय खर्चों का स्पष्ट निर्धारण आवश्यक है। फिलहाल सरकार को चाहिए कि वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाए जो महिलाओं से सम्बंधित संवेदनशील तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन करे, बिखरे हुए आंकड़ों को इकट्ठा करे, योजनाओं, प्रावधानों को जांचे, वर्गीकृत करे तथा व्यय वितरण के अनुपात का निर्धारण कर लिंग आधारित बजटीय प्रावधानों को प्रभावी और उचित दिशा दे। भारत दुनियां का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ 50 करोड़ से अधिक महिलायें हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों और लोगों की संवैधानिक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि उन्हें समान अधिकार का अवसर दिया जाए जिससे उनकी तरक्की सुनिश्चित हो सके।

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पंचायतों के मामले में ऐतिहासिक और काबिलेतारीफ पहल की है। उन्होंने तीन स्तर पर पंचायती राज संस्था में महिलाओं को पचास फीसदी आरक्षण देने से एक मिशाल कायम की है। किसी भी राष्ट्र की परंपरा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है। महिलाएं समाज की रचनात्मक शक्ति होती हैं। आने वाले कल को सुधारने के लिए हमें आज की महिला की स्थिति में सुधार लाना होगा। इसके लिए हमें रूढ़िवादी दृष्टिकोण से उबर कर एक नया विकासवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। महिलाओं को सबल और सुदृढ़ बनाकर हम देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ बना सकते हैं।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की आवश्यकता– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 20 अक्टूबर, 2011

विगत वर्षों में हमारे राज्य में उच्च शिक्षा का पर्याप्त विस्तार हुआ है। इन वर्षों में उच्च शिक्षा के द्रुत विकास के क्रम में गुणवत्ता और स्तरीयता की अल्पता उत्पन्न हुई जिस कारण से मानव संसाधन की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। गुणवत्ता, प्रभाव एवं प्रासंगिकता ऐसे महत्वपूर्ण तत्त्व हैं, जिनके माध्यम से समाज उच्च शिक्षा की कामयाबी को मापता है। यू॰जी॰सी॰ के द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण से यह प्रकाश में आया है कि लगभग सभी सूचकों पर यथा निकाय के स्तर, पुस्तकालयीय सुविधायें, संगणक (कम्प्यूटर) की उपलब्धता, शिक्षक–छात्र का अनुपात आदि– उच्च शिक्षा को यथाशीघ्र समुन्नत करना अत्यावश्यक है। आज यह जबरदस्त भावना हो गयी है कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की कुशलता जॉब मार्केट की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती हैं, ये प्राप्त शिक्षा (डिग्री) के अनुपात में कर्त्तव्य पर खरे नहीं उतरते हैं। एक ओर तो हम शिक्षित बेरोजगारों की इतनी बड़ी संख्या नहीं चाहते और दूसरी ओर हमारे पास जो कार्य (जॉब) हैं उनके लिये अनुकूल उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।

विश्वविद्यालयों में अराजकता का माहौल है। अध्ययन और शोध अत्यंत ही चिंतनीय अवस्था में है। विश्वविद्यालयों में ऐसे कुलपति हो गये हैं, जिनको अध्ययन और शोध से कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार को बड़े पैमाने पर इसमें सुधार के प्रयास करनी चाहिए। बिहार में अब क्षमतावान पैदा नहीं हो रहे हैं। कॉलेज एवं स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं। शिक्षा का स्तर अत्यंत खराब है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, यहां तकनीकी शिक्षा की बढ़ोतरी हो। पिछले छः वर्षों में अनेक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी संस्थानें स्थापित हुए है। श्री नीतीश कुमार की सरकार ने प्रयास किया है। परंतु बिहार में उच्चतर शिक्षा की सर्जरी की जरूरत है। शिक्षक अच्छे हों, कुलपति अच्छे हों। यह काम अब भी अधूरा है। कुलपतियों की नियुक्तियाँ पहले भी होती थीं, योग्यतम लोगों की नियुक्ति होती रही। मगर अभी जो हो रहा वह अराजकता की स्थिति है। मुख्यमंत्री के अच्छा होने से बिहार में बदलाव आया है। यह सब जगहों पर दिखना चाहिए। विश्वविद्यालयों में अच्छे कुलपति होने चाहिए, तभी तो शिक्षा के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। बिहार के कॉलेजों में पढ़कर अब उच्च कोटि के लोग नहीं आ पा रहे हैं। बिहार के ही छात्र है, जो दूसरे राज्यों में पढ़कर अच्छा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का माहौल सुधरेगा तभी हमें योग्य परिणाम देखने को मिलेंगे। नॉलेज और ज्ञान का युग है। अब ऐसा प्रयास हो कि असर अगले पांच वर्षों में दिखे और इसका असर समाज और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी पड़ेगा। बिहार की तरक्की हो, इसके लिए केन्द्र सरकार को भी ध्यान देना होगा। बिहार जैसे गरीब प्रदेश को बिना केन्द्र की मदद के तरक्की करना कठिन है। संघीय ढ़ाचे में यह केन्द्र का फर्ज है कि वह बिहार के लिए वह बड़ा पैकेज दे। बिहार में निवेश का स्तर अत्यंत ही कम है। क्रेडिट डिपोजिट रेशियो सिर्फ 25 प्रतिशत है। बिहार में एक तरह से पुनर्जागरण का माहौल पैदा हुआ है। इसके लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। गाँव, स्कूल, विश्वविद्यालय सभी जगह प्रयास हो। यहाँ की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को आगे लाना होगा, ताकि नयी पीढ़ी को प्रेरणा मिले। आर्थिक विकास में सामाजिक मूल्यों तथा शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिहार में इसका रोल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा० जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

12वीं योजना के दृष्टिकोण–पत्र पर विचार के लिए आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री बिहार ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग प्रस्तुत की– डा० जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 22 अक्टूबर, 2011

आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 12वीं योजना के दृष्टिकोण–पत्र पर विचार–विमर्श के लिए आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में प्रस्तुत 12वीं योजना के दृष्टिकोण–पत्र में कहा गया है कि 12वीं योजना कई मायनों में एक ऐतिहासिक योजना बनने जा रही है। इस दृष्टिकोण–पत्र में विकास–रणनीति के दोनों अपेक्षित तत्वों पर गौर किया गया है, अर्थात्–त्वरित विकास–प्रक्रिया और उसका समावेशी होना। लोगों का भौतिक जीवन–स्तर सुधारने और विकास–कार्यक्रमों हेतु आवश्यक संसाधनों का सृजन करने के लिए त्वरित विकास चाहिए। इस दृष्टिकोण–पत्र में कुछ नीतियाँ सुझाई गई हैं जिसके माध्यम से उक्त लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। साथ ही एक निवेश–योजना भी दर्शाई गई है जो इसे पूर्व की अपेक्षा अधिक समावेशी बनाएगी। समावेशिता का लक्ष्य कई मायनों में जरा कठिन है। इस दृष्टिकोण–पत्र में इस वास्ते विविध तरीकों का प्रस्ताव है। खासतौर पर इसमें कृषि–विकास की दर दोगुनी करने की बात है। इस पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की आय तथा रोजगार–गुणवत्ता पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। कृषि–रणनीति में भी कई क्षेत्रों में नीतिगत हस्तक्षेप किया जा सकता है।

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए तथ्यों और आकड़ों के आधार पर मांग राष्ट्रीय विकास परिषद् में प्रस्तुत की है क्योंकि यह निर्विवाद है कि बिहार अभी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सभी विकास सूचकों के लिहाज से योजना युग की लगभग शुरूआत से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सबसे कम योजना परिव्यय तथा निवेश का निम्न स्तर है। राज्य के प्रति किए गये अन्याय को दूर करने के लिए केन्द्र को विशेष प्रयास करना पड़ेगा। 90 के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी, जब उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित हो रहे थे, बिहार वंचित ही बना रहा। राज्यों का सामाजिक–आर्थिक विकास जनसंख्या के आकार, जनसंख्या वृद्धि, अधिसंरचना, अवस्थिति और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता जैसे विविध प्रकार के कारकों पर निर्भर करता है। बिहार राज्य में आर्थिक नवजागरण लाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने का भी प्रयास हो रहा है। घरेलू सकल उत्पाद में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी भारत की औसत आमदनी का 30 प्रतिशत है। महाराष्ट्र तथा पंजाब की तुलना में यह साढ़े चार गुना कम है। बिहार में पहले विकास दर बहुत कम थी। इधर तेज हुई है। बिहार को अभी देश की विकास दर से आगे जाना होगा, तभी बिहार और भारत के बीच की खाई दूर होगी। बिहार में क्षमता है, तो चुनौती भी अधिक है। बिहार में 55 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। केन्द्र को गरीबी पर अटैक करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

विद्यापति स्मृति पर्व के अवसर पर देश में मैथिली के विकास एवं मैथिल संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्यरत सभी संगठनों से एक सशक्त संघीय संगठन बनाने की डा॰ जगन्नाथ मिश्र की अपील।

पटना, 9 नवम्बर, 2011

यह कितना दुखद एवं दुर्भावनापूर्ण है कि तीन करोड़ से ज्यादा लोगों की मातृभाषा मैथिली अभीतक राजनीतिक संकीर्ण मानसिकता, शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता के अभाव में मिथिलांचल की सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के ग्राह्य भाषा नहीं बन सकी है। मैथिली की समृद्धि, संपन्न भाषा एवं साहित्यक और ज्यादा समृद्धि विकास एवं प्रसार हेतु सघन जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। इस जागरूकता अभियान की सफलता के लिये देश में कार्यरत सभी मैथिली की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था अतिरिक्त देश की संस्थाओं में एकजुटता दिखाना आवश्यक है। मिथिलांचल की सभी जाति एवं वर्ग के लोग मैथिली बोलते हैं। लेकिन जनगणना काल में वे लिखते हैं मातृभाषा के स्थान पर राष्ट्रभाषा हिन्दी। इसका कारण वोट की राजनीति है। मैथिली का सर्वांगीण विकास के लिये स्वार्थ की राजनीति और संकीर्ण मानसिकता को त्याग करना पड़ेगा। तभी यह भाषा सभी जाति, वर्ग और संप्रदाय को ग्राह्य एवं सर्वमान्य भाषा बन सकती है। इसके लिए मैथिली साहित्य में सभी वर्ग के लोगों के रचना में प्रतिनिधित्व न्यायसंगत है। मैथिली भारतीय संविधान के अष्टम सूची में शामिल होने से संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में ऐच्छिक विषय का मान्यता प्राप्त की है। काफी संख्या मे प्रतियोगी इस विषय का चयन करने लगे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस भाषा का ऐच्छिक विषय के रूप में पुनः स्थान मिल गया है। साहित्य अकादमी से 38 मैथिली साहित्यकार पुरस्कृत हो चुके हैं। मैथिली अकादमी की स्थापना हमारे मुख्यमंत्रित्वकाल में हुआ जो सुचारू रूप से मैथिली साहित्य के समृद्ध करबाने में प्रयत्नशील हैं। वैसे तो मैथिली भाषा एवं साहित्य का विकास हो रहा है। लेकिन छात्रों के साथ–साथ मैथिली शिक्षक एवं पुस्तक का अभाव है। इंटर से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षक हैं। परंतु छात्र का संख्या बहुत कम है। इस पर सभी को ध्यान देना चाहिये। प्रसन्नता की बात है कि इधर मैथिली के पत्रिका का प्रकाशन पटना, दरभंगा, जनकपुर (नेपाल) साथ–साथ कोलकाता, दिल्ली, गुआहाटी, मुम्बई, रांची आदि जगह से अच्छा हो रहा है। जनोपयोगी सामग्री का समावेश किया जाता है। आलोचना से किसी भाषा या साहित्य को जीवंत बनाया जाता है। मैथिली पत्रिका में अभी अच्छी आलोचना रहती है। व्यक्तिगत आलोचना मैथिली के वजाय सहिष्णुता आलोचना में रखना उचित होगा। सर्वविदित है कि अब मातृभाषा मैथिली, भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची में सुप्रतिष्ठित है। संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग में स्पर्धा–परीक्षा के लिये गुणवत्तापूर्ण पुस्तक की आवश्यकता है। इसलिए मैथिली को अधिक उपयोगी, स्वीकार्य, ग्राह्य एवं चयन का सामर्थ्य देना है। इस समस्या का समाधान मैथिली के विद्वानों को करना है। निष्पक्षता, न्यायप्रियता, संघ लोक सेवा आयोग के उच्च स्तरीय आदि बिन्दु पर ध्यान केन्द्र में रखकर पाठ्यक्रम तैयार करना सम्मानजनक होगा। यह मैथिली के विद्वानों को करना है। मैथिली का चयन बहुसंख्यक युवक, आयोग की परीक्षा के लिये तभी कर सकते हैं जब पठन–पाठन का उच्च स्तरीय व्यवस्था होगी। इस दिशा में विशेष अध्ययन केन्द्र मैथिली के लिये चलाना आवश्यक है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

प्रस्तावित लोकायुक्त विधेयक, 2011 पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र द्वारा मुख्य सचिव को भेजे गये सुझाव।

पटना, 22 नवम्बर, 2011

बिहार सरकार ने प्रस्तावित लोकायुक्त अधिनियम विधेयक, 2001 का प्रारूप लोगों की राय प्राप्त करने हेतु प्रसारित किया है। उस संदर्भ में मुख्य सचिव को प्रस्तावित विधेयक में विचार के लिए भेजे गये अनुशंसा में पूर्व मुख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि वर्त्तमान् बिहार सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार मिटाने तथा जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करबाने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। राज्य के विकास को यदि कोई सबसे ज्यादा बाधित कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एंटी करप्शन एक्ट पारित किया है। इस एक्ट के तहत वह भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति ट्रायल के दौरान सरकार जप्त कर रही है। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने लोक सेवा अधिनियम 15 अगस्त से लागू किया है। लोक सेवा का अधिकार कानून सरकारी महकमों में कामकाज को सुचारू बनाने की दिशा में भरोसा जगाने वाला है। भ्रष्टाचार के कारण राज्य के गरीबों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए लगातार किये जा रहे व्यय का अधिकांश भाग बिचौलियों के बीच सिमटता गया है। ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार और विकास जैसी चुनौतियों के लिए भागीरथी प्रयास की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ–साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की घोषणा अत्यंत ही सराहनीय है। यह घोषणा बड़ी एवं चुनौतियों से भरी है। इससे ऐसी आशा बनती है कि मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश द्वारा भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त कराने के लिए प्रभावकारी लोकायुक्त विधेयक प्रस्तुत किया है। परंतु प्रस्तावित लोकायुक्त विधेयक के अनुसार लोकायुक्त खुद मुकदमा चलाने का आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि उसे अभियोजन का अधिकार नहीं है। उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी है। इस तरह लोकायुक्तों की भूमिका सिफारिशी होकर रह जाती है। अतः लोकायुक्त को किसी मामले के जांच के बाद आरोप प्रथम द्रष्टया सही हो तो उन्हें मुकदमा चलाने की शक्ति दी जा सकती है। वर्तमान निगरानी तंत्र लोकायुक्त के अधीन किया जाए।

विधेयक में प्रावधान किया जाए कि लोकायुक्त के निर्देश, निष्कर्ष और शिकायतें सरकारी कर्मचारियों के लिए बंधनकारी हों। विकेन्द्रित निराकरण के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की जाए जिसके अध्यक्ष एक विशेष न्यायाधीश हों। जिला दंडाधिकारी इसके उपाध्यक्ष तथा उप–विकास आयुक्त इसके सदस्य–सचिव हों। आरक्षी अधीक्षक और प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मनोनीत एक अभियंता, जो जिला में पदस्थापित अभियंता में से रहेगा, इसके सदस्य हों। इनके अलावा मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के मनोनीत प्रतिनिधि और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो गैर–सरकारी सदस्य इस समिति में रहें।

सुझावों में कहा गया है कि विधेयक में निजी कम्पनियों, सोसायटी, एन॰जी॰ओ॰, प्रतिष्ठान, व्यवसायी, ठीकेदार, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान, पार्टनरशीप फर्म और एकल फर्म को जोड़ा जाय जो सरकारी वित्त तो नहीं पाते हैं पर जिनका वार्षिक टर्म ओभर 50 लाख रूपया से अधिक है। निजी प्रक्षेत्र में अवैध धनराशि जमा करने की होड़ राज्य भर में देखी जा रही है। इस हालात से निपटने के लिए जनता को किसी की संपत्ति और आय का स्रोत जानने का अधिकार होना चाहिए। संपत्ति ब्योरा के साथ–साथ आमदनी के स्रोत और उसमें बढ़ोतरी का विवरण और स्रोत भी बताने का प्रावधान किया जाय। अगर सरकार संतुष्ट हो जाय कि किसी निजी प्रक्षेत्र के व्यक्ति ने ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है, तो उस व्यक्ति अथवा समूह के विरूद्ध सरकार द्वारा जांच आयोग गठित करने का प्रावधान किया जा सकता है। अगर जांच से यह स्थापित हो जाय कि ''धन'' अवैध रूप से अर्जित है, तो उस ''धन'' को जब्त करने का भी प्रावधान किया जा सकता है।

अधिनियम में प्रावधान किया जाए कि यह लोकायुक्त का दायित्व हो कि वह राज्य की जनता में यह जागरूकता पैदा करे कि लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और पद के दुरूपयोग से संबंधित प्रकरणों पर खामोशी न बरतें। इस तरह के मामलों की सूचना लोक आयुक्त कार्यालय को दें। यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के कुप्रशासन, पद का दुरूपयोग, भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, सरकारी धन के दुरूपयोग आदि के विरूद्ध शिकायत करना चाहता है, तो लोक आयुक्त को शिकायत भेज सकता है। प्रशासकीय कामकाजों में भ्रष्टाचार प्रशासकीय कार्यों के संपादन में भेदभाव, अन्याय, उत्पीड़न, उपेक्षा, अनुचित विलंब और मनमाने ढंग से की जाने वाली कार्रवाई से पैदा होता है। यदि इस पर नियंत्रण प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर दिया जाये, तो कुप्रशासन को नियंत्रित किया जा सकता है। लोक आयुक्त के माध्यम से शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया बिना किसी अन्य खर्च के लोक आयुक्त कार्यालय उस संबंधित विभाग से सुनिश्चित कर सकता है। साथ ही सुनवाई के दौरान मामले की प्रगति से संबंधित सभी सूचनाओं को शिकायतकर्ता को अवगत कर सकता है। लोक सेवक अपने पद पर कार्यरत नहीं रहे, यदि उसके विरूद्ध आरोप प्रथम द्रष्टया साबित हो जाए। लोक आयुक्त के अधीन विशेष पुलिस बल की स्थापना की जाए, जो मामलों की जांच इसके निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण में करे।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मधुबनी जिला के लौकहा विधान सभा क्षेत्र में 30 नवम्बर को होने वाले उप चुनाव में जद (यू॰) उम्मीदवार श्री सतीश प्रसाद साह को समर्थन देने की पूर्व मुख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र की मतदाताओं से अपील।

पटना, 24 नवम्बर, 2011

बिहार में हर जगह सकारात्मक काम हो रहे हैं। सरकार के स्तर पर भी और व्यक्ति के स्तर पर भी। हमें इस माहौल को और मजबूती प्रदान करने के लिए लौकहा विधान सभा क्षेत्र के जद (यू॰) उम्मीदवार को मतदाता समर्थन् दें ताकि नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे समाज पर फिर से हावी न होने पायें। श्री नीतीश कुमार ने विकास, सुशासन के जरिये लोगों में उम्मीदें जगायी हैं। बिहार में विकास तेजी से हो रहा है। इसे कमजोर नहीं होने देना है। बिहार में पिछले छह वर्षों से कई महत्वपूर्ण बदलावों के साथ विकास की नयी इबारत लिखी गयी है, पंचायत स्तर का बदलाव हुआ है, वह काबिले–तारिफ हैं। वर्तमान् सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार दबाने का तथा जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करबाने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। चिन्तन और क्रियाशीलता दोनों ही दृष्टिकोणों से श्री नीतीश कुमार संकीर्ण जातिवादी, संप्रदायवादी और वर्गवादी विचारों के ऊपर के नेता के रूप में उभरे हैं। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन को प्रभावकारी करने के लिए श्री नीतीश कुमार के मनोबल को उंचा करने और उसे बनाये रखने के लिए जद (यू॰) उम्मीदवार को समर्थन देना आवश्यक है।

श्री नीतीश कुमारजी की सरकार में अब राज्य में आर्थिक नवजागरण लाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने का भी वे प्रयास कर रहे हैं। गत छः वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों के चलते बिहार क्रियाशील राज्य (फंक्शनल स्टेट) में बदल रहा है। अतः विकास के इस गति को बनाये रखने और बिहार को उन्नत राज्य में परिवर्तित करने और मिथिलांचल को विकसित करने के लिए इस उप चुनाव में जद (यू॰) उम्मीदवार प्रमुख समाजवादी नेता श्री हरि प्रसाद साह के पुत्र को पूर्ण समर्थन देने की डा॰ मिश्र ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे स्वयं मतदाताओं के बीच आना चाहते हैं परंतु स्वास्थ्य के कारण ऐसा संभव नहीं हो रहा है। अतः उनकी अपील को ही उनकी उपस्थिति मानी जाए।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के शासन के द्वारा 6 वर्ष पूरे होने के दौरान एक असफल राज्य को सफल राज्य में परिवर्तित किये जाने के लिए श्री कुमार को डा॰ जगन्नाथ मिश्र की शुभकामना एवं बधाई।

पटना, 27 नवम्बर, 2011

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सरकार के 6 वर्ष पूरा होने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामना देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि 6 वर्षों में श्री नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में आर्थिक नवजागरण लाने का हर संभव प्रयास किया है। राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने का भी प्रयास हुआ है। गत 6 वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों के चलते बिहार असफल राज्य से क्रियाशील राज्य (फंक्शनल स्टेट) में बदल गया है। ''6 वर्षों की अवधि पूर्ण करने के उपरांत श्री नीतीश कुमार ने सिद्ध कर दियां है कि लोग विकास और सुरक्षा चाहते हैं न कि सम्प्रदायवादी या जातिवादी नारे।''

बिहार विकास के रास्ते पर चल चुका है। पिछले 20–25 सालों की समस्या के समाधान को समाधान के लिए रास्ते पर लाना श्री नीतीश कुमार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले छह सालों का आकलन करें, तो जहाँ कुछ नहीं था, वहाँ चीजें दिखने लगी हैं। चाहे वह गवर्नेस हो या कानून–व्यवस्था हो। बिहार की योजना का आकार बढ़ा है, वित्तीय रूप से मजबूत हुआ है, साधन बढ़ा है। बिहार को आंतरिक संसाधन जुटाने में इसे सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिसका श्रेय निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को मिलना चाहिए।

बिहार में पिछले छह वर्षों में कई सारे बदलावों के साथ विकास की नयी इबारत लिखी गयी है। पंचायत स्तर पर जो बदलाव हुआ है, वह काबिले–तारीफ है। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कई योजनाएं चलायी गयीं जिनमें लड़कियों को साइकिलें दी गयीं और पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। ये सारे काम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रयास हैं। बिहार इन्स्टीच्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के अनुसार पिछले कुछ वषों में 25 से 30 फीसदी पलायन कम हुआ है। संस्थान के निदेशक, डॉ॰ प्यारे लाल के अनुसार पलायन रूकने के कारण मनरेगा व राज्य सरकार की योजनाएं हैं।

वर्त्तमान् सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार दबाने का तथा जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करबाने के कई बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किये हैं। चिन्तन और क्रियाशीलता दोनों ही दृष्टिकोणों से श्री नीतीश कुमार संकीर्ण विचारों के ऊपर के नेता के रूप में उभरे हैं। विकास को यदि कोई सबसे ज्यादा बाधित कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। आज इससे पूरा देश त्रस्त है। लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का कार्य काफी समय से इसके द्वारा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एंटी करप्शन एक्ट पारित किया है। मुख्यमंत्री की बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ–साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की घोषणा अत्यंत ही सराहनीय है। यह घोषणा बड़ी एवं चुनौतियों से भरी है। इससे ऐसी आशा बनती है कि मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश द्वारा भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त करने में सरकार सफल हो सकती है। मुख्यमंत्री ने पहली पारी की सरकार में ई–गवर्नेस के लिए दुनियां में ख्याति अर्जित की है। इसलिए यह आशा बनती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी वे सफल हो सकते हैं। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सबसे जरूरी है कार्यालयों की कार्य संस्कृति में बदलाव तथा विकास की परिकल्पनाओं को आकार देने की चेष्टा के साथ व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। ऐसा होने से बिहार में विकास की गति तेज होगी।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना के अध्ययन से स्थापित हुआ है कि ''प्रर्बजित/पलायित श्रमिकों के सामाजिक–आर्थिक आयाम एवं सरकारी प्रयास से पलायन में कमी'' संस्थान के अध्यक्ष, डा॰ जगन्नाथ मिश्र की घोषणा।

पटना, 28 नवम्बर, 2011

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना ने राज्य के हित में **''प्रर्बजित/पलायित श्रमिकों के सामाजिक–आर्थिक आयाम एवं सरकारी प्रयास से पलायन में कमी''** विषय पर शोध अध्ययन कराया है। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के सर्वेक्षण और अध्ययन के अनुसार पिछले 2005–2010 के बीच में 25 से 30 फीसदी पलायन कम हुआ है। अध्ययन से पलायन रूकने का कारण मनरेगा व राज्य सरकार की योजनाएं हैं। लोग अपने घर के समीप रोजगार चाहते हैं, इससे पलायन कम हुआ है। 6 साल पहले तक अपराध के अलावा बिहार अकूशल श्रमिकों के पलायन के लिए बदनाम था। लोग दो वक्त की रोटी के लिए देश के दुर्गम इलाकों तक की खाक छाना करते थे, पर अब स्थितियां बदल गयी हैं। पलायन में 30 फीसदी तक की कमी आयी है। इससे दूसरे प्रदेशों में मजदूरों की कमी हो गयी है। वहां मजदूरी बढ़ा कर दी जा रही है। इसके बावजूद जरूरी संख्या में श्रमिक नहीं मिल रहे हैं। पहले पलायन करने वाले श्रमिकों में 50 फीसदी अकूशल श्रमिक होते थे, जो देश के विभिन्न हिस्सों में रियल स्टेट व बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगी कंपनियों में काम करते थे। अब इन कंपनियों ने मजदूरी में 35–50 फीसदी की वृद्धि की है, फिर भी मजदूर नहीं मिल रहे हैं। बिहार में पिछले 6 वर्षों में कई सारे बदलावों के साथ विकास की नयी इबारत लिखी जा रही है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान तथा पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा पलायन रोकने के उपायों के प्रभाव का आकलन था। सरकार के द्वारा पलायन रोकने हेतु उठाये गये कदमों की अध्ययन इस शोध का मुख्य बिन्दु था। उक्त अध्ययन पलायित श्रमिकों के सामाजिक–आर्थिक पहलू को भी मूल्यांकन करता है। अध्ययन के दौरान 480 प्रवासी श्रमिकों एवं कुछ पंचायती राज संस्थान के सदस्य, सरकारी सेवकों तथा बुद्धिजीवियों से साक्षात्कार किया गया। अध्ययन हेतु उत्तर बिहार के मधुबनी, सहरसा एवं सिवान तथा दक्षिण बिहार के भागलपुर, नालंदा एवं रोहतास जिला को सैम्पल (नमूना) के तौर पर लिया गया। बिहार के प्रत्येक क्षेत्र से जिले का चयन इस प्रकार किया गया जिससे अध्ययन के उपरांत कई तथ्य उभरकर सामने आये जो निम्नलिखित हैः– पलायन करने वाले अधिसंख्यक श्रमिक युवा थे, जिनकी शैक्षणिक योग्यता अधिकतम सातवीं वर्ग तक था। अधिकांश लोग पुरुष थे और विवाहित भी थे। सामाजिक समूह के वर्गीकरण से पता चला कि तकरीबन साठ (59.58 प्रतिशत) प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के थे। पेशे के हिसाब से ज्यादातर गैर–कृषि श्रमिक थे। अधिकांश पलायित श्रमिक भूमिहीन थे, हालांकि सीमांत कृषक भी रोजगार के लिए पलायन करते थे। श्रमिकों के पलायन का कारण ग्राम स्तर पर नियमित रोजगार का अभाव था। यह भी देखा गया कि पलायन के पूर्व उनकी पारिवारिक आय न्यूनतम थी परंतु पलायन के परिणाम–स्वरूप उसमें बढ़ोतरी पाई गई। इसके बेहतर परिणाम के रुप में 17 फीसदी श्रमिक गरीबी रेखा को पार कर गये। यह भी पाया गया कि पलायन की अवधि में श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार के अवसर सुलभ हुए तथा श्रमिकों ने अपने परिवार के लिए औसतन दो हजार दो सौ तेरह (2213) रूपये घर भेजे जिनमें उत्तर बिहार के श्रमिकों ने 1634 रुपये तथा दक्षिण बिहार के श्रमिकों ने 3076 रुपये अपने परिवारों को भेजा।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय खुदरा व्यापार में बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश राष्ट्र के हित में हानिकारक– डा॰ जगन्नाथ मिश्र।

पटना, 29 नवम्बर, 2011

केन्द्र सरकार के खुदरा बाजार के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोलने का फैसला का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मल्टीब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिये जाने के केन्द्र के फैसले का राज्य सरकार विरोध करेगी। बिहार में इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। केन्द्र सरकार ने भारतीय किसानों और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया है। 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाला पटना शहर इस निर्णय से बेहद प्रभावित होगा। हजारों छोटे दुकानदार बेरोजगार हो जायेंगे। बिहार सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि भारतीय खुदरा व्यापार में बहुर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अधिक निवेश की मंजूरी को किसानों के हित में लिया फैसला बताने वालों से एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि यदि सुपरमार्केट किसानों को लाभ पहुँचाने में सक्षम हैं तो अमेरिका में कृषि क्षेत्र को बड़े पैमाने पर सब्सिडी क्यों देनी पड़ रही है? यह दावा करना कि बहुर्राष्ट्रीय रिटेल चेन भारतीय कृषि का कायाकल्प कर देगा, यहाँ के किसानों ही नहीं, बल्कि देश के साथ भी धोखा है। दरअसल, भारतीय खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेश निवेश सीमा बढ़ाने का फैसला जी–20 देशों के दबाव में लिया गया है। जी–20 समूह के देशों में खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खुली छूट का करार पहले ही हो चुका है। दावा किया जाता है कि ये कंपनियां कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और कोल्ड श्रृंखला ढांचे के विकास में भारी–भरकम निवेश करेगी। उधर, सुपरमार्केट की ओर से दावा किया जाता है कि उनके यहाँ बिचौलिये नहीं होते हैं, जिससे किसानों को उपज का अधिक दाम मिलता है। जबकि वास्तव में होता इसका उलटा है। सुपरमार्केट खुद ही बड़े बिचौलिये हैं। वे इस धंधे की छोटी मछलियों को निगल जाते हैं। भारत में भी 1.2 करोड़ छोटे दुकानदारों, चार करोड़ हॉकरों और कम से कम 20 करोड़ छोटे किसानों की आजीविका खतरे में पड़ जायेगी। जरूरत इस बात की है कि देशभर में मंडियों की स्थापना पर सरकारी खर्च बढ़ाया जाये।

सरकार ने मल्टी–ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने की जो दलीलें दी हैं, वे बनावटी हैं। एक दलील यह है कि किसानों को उनके उत्पाद पर मिलने वाली कीमत और उपभोक्ताओं द्वारा अदा की गई कीमत के बीच बड़ा अंतर है। यह अंतर 'बिचौलियों' द्वारा हड़प लिया जाता है। ये विदेशी रिटेलर्स सीधे किसानों से खरीदेंगे और 'बिचौलियों' को हटाकर वे किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमत देंगे। बड़े रिटेलर भी 'बिचौलिए' हैं। उनकी व्यापारिक नीति सरल है–कम से कम दाम में खरीदो और ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचो। दलील यह है कि जब बड़े रिटेलर किसानों से खरीदने के लिए बाजार में आएंगे, तो वे किसी तरह प्रचलित मूल्य की अनदेखी कर किसानों को अधिक कीमत देंगे। बड़े रिटेलर किसानों की मंडी में जाएंगे और कुछ ही समय में एकाधिकार जमाकर वहाँ की स्पर्द्धा को समाप्त कर देंगे। फिर किसान अपना उत्पादन बेचने के लिए बड़े रिटेलर के रहमोकरम पर रहेंगे। जब 'वालमार्ट, 'टेस्कोस' और 'कार्रफोर्स' बाजार में उतरते हैं, तब वे स्थानीय स्पर्द्धा को पूरी तरह ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि उनका व्यापार उसी पर आधारित है। उनके संसाधन असीम हैं। उनके निवेश उथल–पुथल मचाने की हद तक जा सकते हैं। उनका उत्पादन–स्रोत विश्वव्यापी होगा। भारतीय व्यवसाइयों ने अबतक ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, जो इनकी तुलना में ठहर सकें। इससे समय के साथ आस–पड़ोस के किराना स्टोर्स पूरे देश में हजारों–लाखों की संख्या में बंद हो जाएंगे। बाजार का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा, और कई परिवार व समुदाय आर्थिक रूप से नष्ट हो जाएंगे। जहाँ कहीं भी ये बड़े रिटेलर गए हैं, वहाँ ऐसा ही हुआ है। सरकार 'समावेशी विकास' को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन मल्टी–ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उत्पादन और रिटेल क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार की चोट पहुँचाएगा, जो समावेशी विकास की धारणा के एकदम उलट है।

20 करोड़ से ज्यादा लोग फुटकर और परचून के अलावा किराना कारोबार के धंधों में लगे हुए हैं उनके पेट पर सीधी लात मारकर यह ऐलान किया जाये कि इससे मुल्क में रोजगार बढ़ेगा? क्या अमेरिकी वालमार्ट या मैसी स्टोरों की श्रृंखलाएं भारत के शहरों में खुले जाने से लोगों को सामान सस्ता मिलने लगेगा? बल्कि इसका उल्टा यह होगा कि ये विदेशी स्टोर अपना कारोबार भारत में जमाने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से सस्ता माल अपने स्टोरों में लाकर बेचकर भारतीय उद्योग–धंधों की चौपट करेंगे। विदेशी कंपनियों के स्टोर हमारे देश की गरीब जनता के हित में नहीं बल्कि अपने मुनाफे के हित में काम करेंगे और इस क्रम में वे छोटे–छोटे कस्बों और गाँवों में भी महंगाई कई गुना रफ्तार से बढ़ाने का काम करेंगे। जिस विदेशी निवेश की यह कहकर वकालत की जा रही है कि इससे कृषि क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, क्या वह बिना कीमत चुकाये हो सकेगा और वह भी भारी मुनाफा कमाने की गरज से आयी विदेशी कंपनियों द्वारा। मगर उस गरीब छोटे दुकानदार का क्या होगा जो पूरी तरह बेरोजगार हो जायेगा। इसलिए सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध होना वाजिब है।

विदेशी कंपनियों के रिटेल क्षेत्र में आने से महंगाई, बेरोजगारी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। अंततः इसका खमियाजा आम लोगों को उठाना होगा। जब बाजार पर कुछ बड़ी कंपनियों का नियंत्रण हो जाता है, तो वे बाजार को अपने अनुकूल चलाने की कोशिश करते हैं। इसका खामियाजा छोटे–छोटे खुदरा कारोबारियों को उठाना ही होगा, क्योंकि उनकी पूंजी और संसाधन के सामने घरेलू खुदरा व्यापारी अपने सीमित संसाधनों के बल पर सामना नहीं कर पायेंगे। एक तो वे असंगठित हैं, दूसरी ओर संसाधन और तकनीक के मामले में भी काफी पीछे हैं। पहले से ही बड़ी कंपनियों के खुदरा बाजार में उतरने से छोटे रिटेलरों का कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है। छोटे कारोबारियों को तबाह करने के लिए ये रिटेल कंपनियां ग्राहकों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर सामान बेच रही हैं। ऐसे हालात में छोटे कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई बेरोजगार हो गये हैं। विदेशी कंपनियों के आगमन से यह स्थिति और भी जटिल हो जायेगी, उनके आने पर लाखों छोटे व्यापारियों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो जायेगा। विदेशी कंपनियों के रिटेल क्षेत्र में आने से तात्कालिक तौर पर मध्यवर्गीय ग्राहकों को भले ही कुछ लाभ मिले, लेकिन भविष्य में इसके भयंकर दुष्परिणाम सामने आना तय है। क्योंकि एक बार बाजार पर प्रभुत्व कायम होते ही ये कंपनियां फिर अपनी मर्जी के मुताबिक कीमतों का निर्धारण करने लगेगी।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय खुदरा व्यापार में बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश राष्ट्र के हित में हानिकारक– डा॰ जगन्नाथ मिश्र।

मुजफ्फरपुर, 05 दिसम्बर, 2011

केन्द्र सरकार के खुदरा बाजार के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोलने का फैसला का विरोध करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि 20 करोड़ से ज्यादा लोग फुटकर और परचून के अलावा किराना कारोबार के धंधों में लगे हुए हैं वे सीधे बेरोजगार होंगे। विदेशी कंपनियों के स्टोर हमारे देश की गरीब जनता के हित में नहीं बल्कि अपने मुनाफे के हित में काम करेंगे और इस क्रम में वे छोटे–छोटे कस्बों और गाँवों में भी महंगाई कई गुना रफ्तार से बढ़ाने का काम करेंगे। जिस विदेशी निवेश की यह कहकर वकालत की जा रही है कि इससे कृषि क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, क्या वह बिना कीमत चुकाये हो सकेगा और वह भी भारी मुनाफा कमाने की गरज से आयी विदेशी कंपनियों द्वारा। मगर उस गरीब छोटे दुकानदार का क्या होगा जो पूरी तरह बेरोजगार हो जायेगा। इसलिए सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध होना वाजिब है। विदेशी कंपनियों के रिटेल क्षेत्र में आने से महंगाई, बेरोजगारी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। अंततः इसका खमियाजा आम लोगों को उठाना होगा। जब बाजार पर कुछ बड़ी कंपनियों का नियंत्रण हो जाता है, तो वे बाजार को अपने अनुकूल चलाने की कोशिश करते हैं। इसका खामियाजा छोटे–छोटे खुदरा कारोबारियों को उठाना ही होगा, क्योंकि उनकी पूंजी और संसाधन के सामने घरेलू खुदरा व्यापारी अपने सीमित संसाधनों के बल पर सामना नहीं कर पायेंगे। एक तो वे असंगठित हैं, दूसरी ओर संसाधन और तकनीक के मामले में भी काफी पीछे हैं। पहले से ही बड़ी कंपनियों के खुदरा बाजार में उतरने से छोटे रिटेलरों का कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है। छोटे कारोबारियों को तबाह करने के लिए ये रिटेल कंपनियां ग्राहकों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर सामान बेच रही हैं। ऐसे हालात में छोटे कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं। विदेशी कंपनियों के आगमन से यह स्थिति और भी जटिल हो जायेगी, उनके आने पर लाखों छोटे व्यापारियों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो जायेगा। विदेशी कंपनियों के रिटेल क्षेत्र में आने से तात्कालिक तौर पर मध्यवर्गीय ग्राहकों को भले ही कुछ लाभ मिले, लेकिन भविष्य में इसके भयंकर दुष्परिणाम सामने आना तय है। क्योंकि एक बार बाजार पर प्रभुत्व कायम होते ही ये कंपनियां फिर अपनी मर्जी के मुताबिक कीमतों का निर्धारण करने लगेगी।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

लौकहा विधान सभा उप चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि लोग विकास और सुरक्षा चाहते हैं न कि सम्प्रदायवादी या जातिवादी– डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री एवं लौकहा की जनताओं को बधाई दी।

पटना, 05 दिसम्बर, 2011

लौकहा उप चुनाव में जद (यू॰) उम्मीदवार श्री सतीश कुमार साह की बड़ी जीत ने यह प्रमाणित किया है कि श्री नीतीश कुमार ने सिद्ध कर दिया है कि लोग विकास और सुरक्षा चाहते हैं न कि सम्प्रदायवादी या जातिवादी नारे। अब बिहार उन राज्यों में से एक हैं, जो (राज्य) भारतीय राजनीति पर अधिकतम प्रभाव डाल रहा है। यह राज्य न्याय के साथ विकास के पथ का अनुसरण कर रहा है। लौकहा से पहले दारौंदा और पूर्णिया उप चुनाव नतीजे भी उसी कड़ी में जनता का निर्णय था। वर्त्तमान् सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार दबाने का तथा जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करबाने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। चिन्तन और क्रियाशीलता दोनों ही दृष्टिकोणों से श्री नीतीश कुमार संकीर्ण जातिवादी, संप्रदायवादी और वर्गवादी विचारों के ऊपर के नेता के रूप में उभरे हैं। परंतु राज्य के विकास को यदि कोई सबसे ज्यादा बाधित कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। आज इससे पूरा देश त्रस्त है। लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का कार्य काफी समय से इसके द्वारा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया है। उप चुनाव नतीजे ने लोगों का विश्वास इस सरकार में पुनः दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठापित हुआ है। मुख्यमंत्री की बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ–साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की घोषणा को लोगों ने सराहना की है। लोगों में ऐसी आशा बनी है कि मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश द्वारा भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त करने में सरकार सफल हो सकती है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार के वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा आज लोक सभा में भारत सरकार के खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के निर्णय को स्थगित करने की घोषणा का– डा॰ जगन्नाथ मिश्र द्वारा स्वागत।

पटना, 07 दिसम्बर, 2011

भारत सरकार के वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा आज लोक सभा में भारत सरकार के खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के निर्णय को स्थगित करने की घोषण का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि भारत सरकार ने खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश का जो फैसला किया है उसकी वजह से छह करोड़ से अधिक परिवारों की रोजी–रोटी खतरे में पड़ रही थी। इस जन विरोधी फैसले के खिलाफ न सिर्फ विपक्षी दल ही आपसी राजनीतिक मतभेद भुलाकर एकजुट हो गए। बल्कि सरकार के समर्थक दलों जैसे तृणमुल कांग्रेस, सपा, द्रमुक एवं बसपा आदि ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। करोड़ों छोटे व्यापारी दुकानें बंद करके सड़कों पर उतर आए हैं मगर केन्द्र सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थी। प्रधानमंत्री डा॰ मनमोहन सिंह ने राजहठ का शिकार होकर यह स्पष्ट घोषणा की थी कि खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के फैसले को वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

आमतौर पर कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला लागू किया जाता है। लेकिन अगर राजनीतिक विरोध, भले ही वह विपक्षी दलों की ओर से हो या फिर सरकार के ही सहयोगी दलों से, के कारण कोई फैसला लागू नहीं किया जाता है, तो यह कई कारणों से खतरे की बात है। कैबिनेट का फैसला वापस लेना सरकार के कमजोर होने का संकेत देता है। दूसरा, यह कदम दर्शाता है कि सरकार के पास राजनीतिक प्रबंधन की बुनियादी समझ भी नहीं है। तीसरा, सरकार और सत्तारूढ़ दल के प्रमुख के बीच तालमेल नहीं रह गया है। अंतिम और सबसे खराब, यह संकेत जाता है कि देश के राजनीतिज्ञ आर्थिक सुधारों के साथ भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और न ही देशी उद्योग जगत की नामी हस्तियां भी आर्थिक नीति में आई इस गतिहीनता को लेकर अधिक चिंतित नजर आ रही हैं। इनमें से प्रत्येक कारण सरकार के भविष्य पर गंभीर असर डाल सकता है। इस राजनीतिक पराजय के कारण काफी नुकसान हुआ है और मनमोहन सिंह की सरकार के लिए इसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को अनुमति देना काफी बड़ा फैसला था। इसे वापस लेने पर मनमोहन सिंह सरकार को राजनीतिक स्तर पर भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी।

अमेरिका एवं उसके सहयोगी देश आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। मंदी के कारण गत वर्ष सिर्फ अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पादन 25 प्रतिशत घटा था जिसके कारण अढ़ाई करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए। इसलिए अपने उत्पादन को खपाने और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अमेरिका भारत एफडीआई के लिए दबाव बना रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति ओबामा भारत आए थे तो उन्होंने खुलेआम उपभोक्ता क्षेत्र के दरवाजे अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने की वकालत की थी। तभी डा॰ मनमोहन सिंह ने उन्हें इस संदर्भ में उनसे वायदा किया होगा। सरकार ने विपक्ष एवं संसद से कोई मशविरा किए बिना ही उन बड़ी–बड़ी कंपनियों को खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश करने की अनुमति दे दी। खास बात यह भी है कि मंत्रिमंडल की जिस बैठक में यह फैसला किया गया उसमें आधे से अधिक मंत्रियों ने भी इस प्रस्ताव का डटकर विरोध किया था, मगर इस सबके बावजूद प्रधानमंत्री इस फैसले को बदलने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे थे। आर्थिक उदारीकरण का जो दौर शुरू हुआ उससे किसानों और आम लोगों को कोई भी फायदा नहीं हुआ है, केवल बड़े–बड़े उद्योग घराने लाभान्वित हो रहे हैं। बेतहाशा मूल्य वृद्धि के कारण देश में गरीबी एवं बेरोजगारी बढ़ी। 2001 में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे निर्वाह कर रहे थे जिनकी संख्या बढ़कर 48 करोड़ तक पहुँच गई। ऐसी परिस्थिति में भारत का बाजार विदेशी के हाथों में सौंपना कभी भी राष्ट्रीय हित में नहीं है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा० जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार विधान मंडल में पारित लोकायुक्त विधेयक से राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा – डा० जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 08 दिसम्बर, 2011

सवाल प्रशासनिक पारदर्शिता का है। मुद्दा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिकाधिक जबावदेह बनाने का है। बिहार लोकायुक्त विधेयक का दायरा काफी व्यापक है। सभी स्तर के नौकरशाह एवं राजनैतिक पदधारक, गैर राजनीतिक और गैर सरकारी संगठन के पदधारक इसके दायरे में लाये गये हैं। व्यापक प्रभावकारी लोकायुक्त बिहार विधान मंडल से पारित कराकर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने यह संदेश दिया है कि यह सोचना गलत है कि राजनैतिक लोगों को अलग–थलग करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने में विकास सबसे सर्वोपरि है। राजनीतिक भूमिका की कोई अनदेखी नहीं की जा सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अतः विधान मंडल से ही हल निकाल सकता है जो इस विधेयक ने प्रमाणित किया है।

देश के विकास को यदि कोई सबसे ज्यादा बाधित कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। आज इससे पूरा देश त्रस्त है। लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का कार्य काफी समय से इसके द्वारा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एंटी करप्शन एक्ट पारित किया है। इस एक्ट के तहत वह भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति ट्रायल के दौरान जब्त कर सकती है। इस एक्ट के तहत बिहार सरकार ऑल इण्डिया सर्विस के अधिकारियों की संपत्ति भी जब्त कर सकती है। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट भी लागू किया है। सेवा का अधिकार कानून सरकारी महकमों में कामकाज को सुचारू बनाने की दिशा में भरोसा जगाने वाला है। बिहार में सेवा का अधिकार लागू होने के बाद यहाँ के कर्मचारी अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के कारण राज्य के गरीबों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए लगातार किये जा रहे व्यय का अधिकांश भाग बिचौलियों के बीच सिमटता गया है। ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार और विकास जैसी चुनौतियों के लिए भागीरथी प्रयास की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ–साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की कार्य अत्यंत ही सराहनीय है। यह बड़ी चुनौतियों से भरी है। इससे ऐसी आशा बनती है कि मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश द्वारा भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त करने में सरकार सफल हो सकती है।

लोकायुक्त भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सुओ–मोटो कार्रवाई करने और जनरल पब्लिक से शिकायतें प्राप्त करने का अधिकार का होगा। दोषी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन चलाने का अधिकार होगा। भ्रष्टाचार के मामलों में इसे पुलिस की शक्ति, एफआइआर दर्ज करने और मामले की तफ्तीश करने का अधिकार नहीं होगा। इस विधेयक के लागू होने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच पूरी हुए बगैर प्रथम द्रष्टया आरोप के मद्देनजर आरोपित अधिकारी के निलंबन या स्थानान्तरण के संबंध में लोकायुक्त की अनुशंसा को मानना राज्य सरकार के लिए सामान्यतः बाध्यकारी होगा। यही नहीं लोकायुक्त की अनुशंसा पर अभियोजन की स्वीकृति भी बाध्यकारी होगी। लोकायुक्त को विधेयक के तहत आरोपित के खिलाफ जाँच व अन्य कानूनी कार्रवाई करने की विशेष शक्ति देने का प्रावधान किया गया है। लोकायुक्त द्वारा अनुशंसित मामले की विशेष न्यायालय में सुनवाई होगी। लोकसेवकों के संबंध में लोकायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी विशेष न्यायालय में मामला दाखिल कर सकेंगे और अपने निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट की एक प्रति सक्षम प्राधिकार के पास भेज सकेंगे। सक्षम प्राधिकार ऐसे लोकसेवक पर अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री या राज्य विधान मंडल के सदस्य के मामले में प्रथम दृष्टया सही पाये जाने पर लोकायुक्त इसकी जाँच के लिये निर्देश दे सकेंगे। लोकायुक्त विशेष न्यायालय में मामला दाखिल कर सकेंगे और अपने निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी तथा लोकसेवक को भी भेज सकेंगे। तलाशी और अभिग्रहण के मामले में जहाँ लोकायुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को उन्हें उपलब्ध सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि जिसे नोटिस दिया गया है उसके पास से अन्य कार्यवाही के लिए कुछ दस्तावेज मिल सकता है तो ऐसे मामलों में तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। लोकसेवकों का स्थानान्तरण एवं निलंबन के मामले में लोकायुक्त को यदि लगता है कि निर्दिष्ट लोकसेवक को अपने पद पर बने रहने से जाँच प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है तो वैसी स्थिति में वह संबंधित लोकसेवक के स्थानान्तरण या फिर निलंबन के बारे में सरकार को अनुशंसा कर सकते हैं। राज्य सरकार सामान्यतः लोकायुक्त की अनुशंसा स्वीकार करेगी। लोकायुक्त के अधीन या उससे जुड़े किसी अधिकारी, कर्मचारी या अन्वेषण ब्यूरो के खिलाफ की गयी शिकायत को 60 दिनों की अवधि में पूरा कर लिया जाना है। अपराध व दंड के मामले में इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी भारतीय दंड संहिता 1860 के साथ–साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 जहाँतक अपराध एवं दंड का संबंध है लागू होंगे। विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण एवं वसूली के संबंध में विशेष न्यायालय द्वारा यदि कोई लोकसेवक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोषी हो, तो लोकसेवकों से राजकोष को हुए नुकसान की वसूली के लिये आदेश कर सकेगा। शिकायतकर्ता के संबंध में सूचनाकर्ता आम आदमी या लोकसेवक दोनों हो सकते हैं। सूचना देने वाला पूर्णतः संरक्षित रहेगा। इन्हें जरूरत के हिसाब से सुरक्षा भी प्रदान की जायेगी। शिकायत प्राप्ति के बाद एक माह के भीतर जाँच का आदेश पारित होगा। इसलिए यह आशा बनती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी श्री नीतीश कुमार की सरकार सफल हो सकती है। (1) लोकायुक्त, (2) एण्टी करप्शन एक्ट, (3) लोक सेवा का अधिकार, (4) सूचना का अधिकार एवं (5) बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति से कारगर साबित हो सकता है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने से संसदीय प्रणाली कमजोर हो सकती है– डा॰ जगन्नाथ मिश्र की सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील।

पटना, 12 दिसम्बर, 2011

क्या हम संसद से ऊपर लोकपाल की सत्ता बनाना चाहते हैं? मजबूत लोकपाल बनना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि वह भारतीय संविधान के दायरे में हो। यदि प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आते हैं तो विदेशी शक्तियाँ इसका लाभ उठा सकती हैं। दुनिया की ताकतों की अगर सबसे पैनी निगाह भारत की व्यवस्था है तो वह यहाँ की मजबूत लोकतांत्रिक प्रणाली ही है। आज भारत राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता का पुरजोर दावा कर रहा है। इसने इसी व्यवस्था से इतनी आर्थिक उन्नति की है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। दरअसल विश्व शक्तियाँ अक्सर ऐसे देशों को राजनीतिक रूप से अस्थिर रखने की साजिश करती रहती है जिससे उनके आर्थिक हित सधते रहें। हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद सभी प्रकार के विवादों से निरापद रहना चाहिये। यदि हम ''प्रधानमंत्री'' को लोकपाल के दायरे में लाते हैं तो कोई व्यक्ति उनके खिलाफ शिकायत लोकपाल को भेजेगा और यदि लोकपाल ने उस शिकायत को सिर्फ जाँच के लिए किसी एजेंसी के पास भेज दिया तो इस देश के राजनीतिक दल और मीडिया का एक वर्ग प्रधानमंत्री पर इस्तीफा देने का दबाव बना देंगे। तर्क यह दिया जायेगा कि सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को एकदम पाक साफ होना चाहिए। हमारी शासन प्रणाली में जाँच करने वाले सारे विभाग सरकार के हैं इसलिए इस तर्क को और बल मिलेगा कि जब जाँच सरकार के मुखिया के खिलाफ हो रही है तो विभाग न्याय नहीं कर पायेंगे। क्या जल्दी–जल्दी प्रधानमंत्री बदलेंगे? देश में न स्थायित्व रह पायेगा और न लोकतंत्र दृढ़ रह पायेगा? हम दुनिया के सबसे ऊर्जावान और गतिशील लोकतंत्र हैं। प्रधानमंत्री को सभी विवादों से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिये और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता वाला व्यक्तित्व चाहिये। संसद ही सर्वोच्च है और यह किसी भी सूरत में रहनी चाहिये क्योंकि इसे ही इस देश के वे लोग चुनते हैं जिनके हाथों में सरकार बनाने या गिराने की शक्ति है। प्रधानमंत्री को लोकपाल के अंतर्गत लाकर प्रधानमंत्री के पद को बौना बनाने की ओछी हरकत की जा रही है। इस पद की पवित्रता और विश्वसनीयता पर संदेह करने का सीधा मतलब होगा संसदीय प्रणाली के आधार स्तंभों को हिला डालना।

जन लोकपाल से वास्तव में यह संदेश देने की चेष्टा की जा रही है कि संसद और विधिक संस्थान उपयोगी एवं प्रभावकारी नहीं हैं। दरअसल में कथित सिविल सोसायटी का मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं, नियमों और परंपराओं की अवहेलना कर उन्हें व्यर्थ बनाना है। इनका लक्ष्य है राजनीतिक दलों को निरर्थक करार देना। भ्रष्टाचार, काले धन और विदेशी बैंकों में काले धन को जमा करने संबंधी गंभीर मुद्दे आखिर कैसे उत्पन्न हुई? उदारवादी अर्थव्यवस्था के दौर में हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है। व्यापारी, उद्योगपति घराने केवल पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। वह राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व भूल चूके हैं और सामाजिक सरोकारों से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। उदारवादी नीतियों के चलते पूरा देश एक बाजार बन चुका है। फायदा, कारपोरेट जगत, निजी व्यापारी, उद्योगपति, बिल्डर उठा रहे हैं। यह भी सच है कि केन्द्र की अबतक की सभी सरकारों से काले धन एवं स्विस बैंकों की तिजोरियाँ भरने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग होती रही हैं। यह समझना चाहिए कि व्यवस्था में परिवर्तन केवल आंदोलन से नहीं हो सकता। श्री जयप्रकाश नारायणजी का सम्पूर्ण क्रान्ति का आधार भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन था, परंतु व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सका। व्यवस्था परिवर्तन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए लम्बा रास्ता तय करना होगा। सवाल प्रशासनिक पारदर्शिता का है, भारत के मूल लोकतांत्रिक ढांचे को विकृत करने का नहीं। मुद्दा लोकतंत्र को अधिकाधिक जवाबदेह बनाने का है, इसमें कहीं भी कोई विसंगति नहीं है।

यह प्रश्न विचारणीय है कि लोकपाल के अधीन किस–किस को लाया जाए, दूसरा सवाल उठता है कि लोकपाल किसके अधीन होगा? हमारे सामने सवाल यह है कि कहीं इतने ज्यादा अधिकार एक संस्था को देकर हम उसे तानाशाह तो नहीं बना देंगे? क्या हम ऐसा लोकपाल चाहते हैं जिसके प्रति देश का पूरा शासन जबावदेह हो। यह भारतीय संविधान के संसदीय लोकतंत्र के दायरे में कैस सही बैठगा? क्या लोकपाल की सत्ता संसद के सर्वाधिकारों से भी ऊपर होगी? संसद का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री होता है और उससे जबावतलबी का अधिकार प्रत्येक संसद सदस्य को है, खासकर लोकसभा में जिसके सदस्यों को आम जनता स्वयं चुनकर बहुमत से सदन में भेजती है। तार्किक दृष्टि और वैज्ञानिक संवैधानिक विवेचना के अनुसार ऐसा लोकपाल जनता के मतों की ताकत को कुन्द करते हुए नई सर्वशक्मिान सत्ता की स्थापना करेगा। संसद भारत के लोगों की प्रतिनिधि संस्था है और इससे ऊपर कोई भी पद किसी भी सूरत में अगर बनाया जाता है तो वह सीधे तानाशाही या अधिनायकवादी प्रणाली को जन्म देगा। इसका क्या असर हमारे लोकतंत्र पर पड़ेगा और सरकार की विश्वसनीयता और इसका इकबाल क्या रहेगा?

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

राजनीतिक दलों के नेताओं से डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने अपील की है कि लोकपाल संसद की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं देने वाला बने।

पटना, 14 दिसम्बर, 2011

लोकपाल के संबंध में अन्ना हजारे और उनके समर्थकों ने भी जो तरीका अपनाया, वह लोकतांत्रिक नहीं है। जन लोकपाल से वास्तव में यह संदेश देने की चेष्टा की जा रही है कि संसद और विधिक संस्थान उपयोगी एवं प्रभावकारी नहीं हैं। संसद की सर्वोच्चता को चुनौती दी जा रही है, जो कदम अराजकता पैदा करने वाला सावित हो सकता है। यह प्रश्न विचारणीय है कि लोकपाल के अधीन किस–किस को लाया जाय, दूसरा सवाल उठता है कि लोकपाल किसके अधीन होगा? हमारे सामने सवाल यह है कि कहीं इतने ज्यादा अधिकार एक संस्था को देकर हम उसे तानाशाह तो नहीं बना देंगे? क्या हम ऐसा लोकपाल चाहते हैं जिसके प्रति देश का पूरा शासन जवाबदेह हो? यह भारतीय संविधान के संसदीय लोकतंत्र के दायरे में कैस सही बैठगा? क्या लोकपाल की सत्ता संसद के सर्वाधिकारों से भी ऊपर होगी? संसद का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री होता है और उससे जवाबतलबी का अधिकार प्रत्येक संसद सदस्य को है, खासकर लोकसभा में जिसके सदस्यों को आम जनता स्वयं चुनकर बहुमत से सदन में भेजती है। तार्किक दृष्टि और वैज्ञानिक संवैधानिक विवेचना के अनुसार जन लोकपाल जनता के मतों की ताकत को कुन्द करते हुए नई सर्वशक्मिान सत्ता की स्थापना करेगा? संसद भारत के लोगों की प्रतिनिधि संस्था है और इससे ऊपर कोई भी पद किसी भी सूरत में अगर बनाया जाता है तो वह सीधे तानाशाही या अधिनायकवादी प्रणाली को जन्म देगा। इसका क्या असर हमारे लोकतंत्र पर पड़ेगा और सरकार की विश्वसनीयता और इसका इकबाल क्या रहेगा? यदि हम "प्रधानमंत्री" को लोकपाल के दायरे में लाते हैं तो कोई व्यक्ति उनके खिलाफ शिकायत लोकपाल को भेजेगा और यदि लोकपाल ने उस शिकायत को सिर्फ जाँच के लिए किसी एजेंसी के पास भेज दिया तो इस देश के राजनीतिक दल और मीडिया का एक वर्ग प्रधानमंत्री पर इस्तीफा देने का दबाव बना देंगे। अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, तो सरकार गिर जाएगी। इसके बाद संसद की सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने का दावा करेगी। इसे लेकर जोड़–तोड़ शुरू होगी। बेवजह वक्त और पैसे जाया होंगे। यह क्रम हमें एक अस्थिर देश की ओर ले जाएगा। संसद ही सर्वोच्च है और यह किसी भी सूरत में इसकी सर्वोच्चता रहनी चाहिये।

कैसे लोकपाल 120 करोड़ जनता को भ्रष्टाचार से दूर रखेगा? दरअसल, 120 करोड़ जनता यह चाहती है कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। सांसद व जनता, सबकी यही राय है। टीम अन्ना यह कहती है कि उसका जन लोकपाल विधेयक ही कानून बने। यह तो एक तरह से तानाशाही प्रवृत्ति है। अन्ना जिन मांगों पर अड़े हैं, वह जन आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता। सवाल प्रशासनिक पारदर्शिता का है, भारत के मूल लोकतांत्रिक ढांचे को विकृत करने का नहीं। मुद्दा लोकतंत्र को अधिकाधिक जवाबदेह बनाने का है, इसमें कहीं भी कोई विसंगति नहीं हो।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 15 दिसम्बर, 2011

आज कृष्णा निकेतन स्कूल, कृष्ण बिहार, बाईपास रोड, पटना के तत्वावधान में आयोजित वार्षिक खेल–कुद सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु वाले बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का गारंटी करने वाला कानून (आरटीई) आज सम्पूर्ण राज्य में लागू हो चुका है। परंतु इसे व्यवहार्य रूप में लाने में राज्य सरकार को अनेक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वास्तविकता यह है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 एवं 21 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को समानता एवं प्रतिष्ठापूर्वक जीने के अधिकार के अंतर्गत राज्य का यह दायित्व बनता है कि सभी नगारिकों को शिक्षित, स्वस्थ एवं प्रतिष्ठापूर्वक जीने का अधिकार उपलब्ध हो क्योंकि शिक्षा के अधिकार को इन सभी संवैधानिक प्रावधानों के आलोकों में आकलन किया जाना चाहिए। सरकार तथा न्यायपालिका वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है। केवल शाब्दिक समानता के लिए नहीं। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का अर्थ नागरिकों को गौरवपूर्ण जीवन प्रदान करना है। समाज का विशिष्ट वर्ग बेहतर शिक्षा पर केवल अपना अधिकार बनाये रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। वे गरीब लोगों के बच्चों का प्रवेश निषेध मानते हैं। शिक्षा पर सभी लोगों का समान अधिकार उनका मूलभूत अधिकार है। हर बच्चे को हक है कि वह अपने निकटतम पड़ोसी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। सरकार को शिक्षा से वंचित समूह को शिक्षित करने के लिए हीं इस अधिनियम को लागू करना है। निजी प्रबंधन द्वारा पंजीकरण का विरोध करना औचित्य नहीं है।

सम्मेलन की अध्यक्षता आचार्य वाई के॰ सुदर्शन ने की। विद्यालय की प्राचार्या ने स्वागत भाषण की। क्रीड़ा में भाग लेने वाले छात्राओं को पारितोषिक प्रदान किया गया।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना-23

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण उनकी साझेदारी के लिए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने उचित ठहराया।

पटना, 17 दिसम्बर, 2011

मुसलिम अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके विकास के लिए उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों का सही-सही जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह ने 2005 में सच्चर कमिटी का गठन किया था। जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 2006 में सरकार को सौंपी थी, लेकिन अभीतक उनकी सिफारिशों पर कोई कार्यात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गयी। सच्चर कमिटी ने कहा है कि भारत में तमाम विकासोन्मुख योजनाओं के बावजूद भी मुसलमानों के विकास की दर बहुत धीमी थी, वहीं दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की वृद्धि दर मुसलमानों की अपेक्षा बहुत अधिक थी। सच्चर की रिपोर्ट को पांच साल से ज्यादा होने को आये, लेकिन आजतक सरकार ने कुछ भी नहीं किया है।

रंगनाथ मिश्र आयोग ने कहा है कि मुसलमानों के लिये आरक्षण का मामला अनेक आधारों पर मजबूत है। प्रथमतः लोक-सेवाओं में इनका 4.4 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व है, जबकि देश में अल्पसंख्यकों की आबादी 16.6 फीसदी है जिसका कारण इनके विरूद्ध भेद-भाव है। इनके शैक्षणिक स्तर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, साथ ही नौकरी के लिये इनकी क्षमता को भी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाने के कारण यह इस सीमा को बिना संविधान-संशोधन के पार करना असंभव है। यह सार्थक प्रतीत होता है कि पिछड़े मुस्लिम वर्गों को सरकारी पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाय। जिन राज्य सरकारों ने मुस्लिमों को पिछड़े वर्गों में सम्मिलित करने के कदम उठाये हैं वे धन्यवाद योग्य हैं, अब जैसे कुछ मुस्लिम वर्गों को केरल, तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक में आरक्षण उपलब्ध है। अब केन्द्र सरकार भी ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण में से मुसलमानों को आरक्षण देने की योजना बना रही है। किन्तु अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का कोई कार्य तभी प्रभावकारी होगा जब इसे आरक्षण के कार्य को उनकी शैक्षणिक प्रगति और व्यावसायिक क्रियाशील को प्रोत्साहन और सहयोग करने वाले कार्यक्रमों से पूरित किया जाय। देश के सभी विश्वविद्यालयों में मुसलमान बच्चों की कम-से-कम 15 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित हो, जो कि वर्तमान में नहीं है। उन्हें शिक्षित करके ही उनके विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकेगा। वर्तमान में अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो हम पायेंगे कि दलितों की विकास दर मुसलमानों से कहीं बेहतर है। दलितों में बदलाव की दर 5 प्रतिशत है, जबकि मुसलमानों में यह दर 1 प्रतिशत से भी नीचे महज 0.6 प्रतिशत है। लोक क्षेत्र में या आम जनता के बीच नीतिगत कदमों से मुस्लिमों की कठिनाइयों को आवश्यक रूप से दूर किया जाय। इन्हें उन सभी योजनाओं में सम्मिलित करने हेतु प्राथमिकता दी जाय जिन योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों के लिये अवसरों का विस्तार करना है- चाहे वह शिक्षा-क्षेत्र हो, रोजगार-क्षेत्र हो या अन्य। इस बिन्दु पर राज्य का विश्वसनीय प्रतिबद्धता बनाने की जरूरत है। सब कुछ के बाद मुस्लिमों को अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिये अपने को और अच्छी तरह संगठित करना चाहिये।

सेन्टर फॉर इक्विटी स्टडीज और सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नमेंट एकाउंटविलिटी ने अपने एक सर्वे में कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए लायी गयी तमाम योजनाएं पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। जिन योजनाओं की बुनियाद पर केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यकों का विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की बात कही थी, उसमें वे आज पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है- (1) अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय के अंदर दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी के कारण अल्पसंख्यकों से संबंधित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मसलों को हल नहीं किया जा सका। 2006 में गठित इस मंत्रालय को अबतक 5 साल से ज्यादा हो गये हैं, लेकिन अब भी उसके कामकाज में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। (2) अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित फंड में से सीमित फंड का खर्च भी सरकारी विभागों ने नहीं किया। यही कारण है कि अल्पसंख्यकों को सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला। (3) राष्ट्रीय स्तर पर 2010-11 के लिए अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (मल्टी-सेक्ट्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एमएसडीपी) के लिए आवंटित फंड का सिर्फ 22 प्रतिशत ही उपयोग किया गया। (4) अल्पसंख्यकों के लिए एमएसडीपी फंड में से कुल मिलाकर इन चार साल की अवधि में केन्द्र से अल्पसंख्यकों के बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत 2455.67 करोड़ रूपये निर्गत किये गये, जिसमें से 2011-12 को छोड़कर राज्यों द्वारा आधे से भी कम कुल 1174.93 करोड़ रूपये ही खर्च किया गया। अगर सभी राज्यों में इस फंड को सही तरीके से खर्च किया जाता, तो अल्पसंख्यकों की तस्वीर कुछ और हीं होती। (5) अल्पसंख्यकों के लिए बनाये गये 15 सूत्रीय कार्यक्रमों का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित रहा है, जिससे समावेशी विकास का लक्ष्य भी बहुत सीमित हो गया है। (6) सर्व शिक्षा अभियान और समेकित बाल विकास जैसे विकासोन्मुखी कार्यक्रमों को 15 सूत्रीय कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है, जिससे अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हो सकी। (7) राज्य सरकारों की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की क्षमता बहुत कम है। इसके क्रियान्वयन में बहुत कमियां हैं, जिससे कि विकास कार्यक्रम बाधित होते रहे हैं।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

प्रस्तावित लोकपाल विधेयक एक अधिनायक और पुलिस राज स्थापना का कारण बन सकता है – डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 20 दिसम्बर, 2011

श्री अन्ना हजारे के दबाव में लोकपाल विधेयक का जो प्रारूप संसद के समक्ष उपस्थापित किया जा रहा है। वह एक ऐसा कानून होगा जिसमें भ्रष्टाचार के कारणों की तलाश करने तथा कारणों को दूर करने की व्यवस्था नहीं होगी। कुल मिलाकर जनता के जोड़ पर सुधारने का प्रयास मात्र होगा जो सफल नहीं होगा, बल्कि बेहद खतरनाक कारण बन सकता है। लोकपाल को भले ही असाधारण शक्तियाँ दी जाए वह भारी भरकम नौकरशाही का बोझ जनता पर लादने के सिवा कुछ कर नहीं पायेगा। भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने हेतु पहले से ही हमारे यहाँ विशाल नौकरशाही का ढांचा खड़ा है, जिसके चलते भ्रष्टाचार कम होने के बजाय बढ़ा है और चरण सीमा पर पहुँच चुका है। श्री अन्ना के मांग के मुताबिक कर्मचारियों को यदि लोकपाल के दायरे में लाया जायेगा तो इसके लिए कम से कम चार लाख कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। केवल दण्ड विधान के उपायों से यह समस्या हल नहीं होने वाली है। भ्रष्टाचार इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। पण्डित नेहरू के कार्यकाल में ही उसे बड़ा मुद्दा समझते हुए केन्द्रीय निगरानी की स्थापना हुई थी। उसके अधीन सभी दफ्तरों में निगरानी समितियाँ बनी थी। भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभी भी अनेक कानून बने हुए हैं। पंरतु दृढ़ इच्छाशक्ति एवं जन समर्थन के बिना कानून प्रभावकारी नहीं हैं। संभवतः जन सहयोग, जन जागृत्ति एवं जन चेतना के अभाव में नये लोकपाल विधेयक का भी वही हस्र होगा जो अभीतक अन्य कानूनों का होता रहा है। अभीतक श्री अन्ना हजारे ने जो भी कहा है वह लोकतांत्रिक नहीं है। वे वैसे संदेश देने की चेष्टा कर रहे हैं जो संवैधानिक एवं प्रभावकारी नहीं हैं। वे संसद की सर्वोच्चता को लगातार चुनौती दे रहे हैं।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा० जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

लोकपाल के सम्बन्ध में श्री अन्ना के दबाव को डा० जगन्नाथ मिश्र ने अलोकतांत्रिक कहा।

पटना, 22 दिसम्बर, 2011

गांधीवादी अन्ना हजारे ने चेतावनी दी है कि अगर संसद में उनके सुझाव पर सख्त लोकपाल विधेयक स्वीकृत नहीं किया गया तो वे तीन दिनों का पुनः सांकेतिक अनशन करेंगे और उसके बाद सम्पूर्ण राष्ट्र में जेल भरो आंदोलन चलावेंगे क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जायेगा। लोकतंत्र में संवैधानिक प्रावधानों के विरूद्ध संसद पर दबाव बनाने की यह घोषणा संसदीय प्रणाली और संविधान में कभी भी अनुमान्य नहीं कही जा सकती। संविधान ने देश के लोगों द्वारा चुने गये सांसदों को अधिनियम बनाने और सरकार चलाने का अधिकार दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आंदोलन की चेतावनी दी है जिसे लोकतंत्र के हितों के विरूद्ध कहा जायेगा। उन्होंने संसद में अपना जन लोकपाल विधेयक ही पारित कराने को कहा है क्योंकि उन्हें सरकार का मसौदा स्वीकार नहीं है।

यह महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार का अंत राजनैतिक प्रक्रिया के इस्तेमाल से ही होगा। यह सोचना गलत है कि राजनीतिक लोगों को अलग–थलग करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने में संसद की सर्वोपरि भूमिका की कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। तथाकथित सिविल सोसायटी वास्तव में यह संदेश देने की चेष्टा में है कि संसद और विधिक संस्थान उपयोगी एवं प्रभावकारी नहीं हैं। दरअसल में तथाकथित सिविल सोसायटी का मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं, नियमों और परंपराओं की अवहेलना कर उन्हें व्यर्थ बनाना है। इनका लक्ष्य राजनीतिक दलों को निरर्थक करार देना है। सिविल सोसायटी संकीर्णतावादी विचारों को हवा दे रही है। सिविल सोसायटी द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल का अधिकार क्षेत्र शिकायतों का संज्ञान लेने से शुरू होता है और जाँच करने, मुकदमा चलाने की प्रक्रिया तक बढ़ता चला जाता है। विश्व स्तर पर आपराधिक न्याय प्रक्रिया का स्थापित सिद्धांत है कि अपराध का संज्ञान लेने वाली, जाँच करने वाली, अभियोजन करने वाली, संस्थाएं अलग–अलग और एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। न्याय प्रक्रिया की शुद्धता और निष्पक्षता का भी यही तकाजा है। आधुनिक युग में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था यह कैसे स्वीकार कर सकती है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113 / 77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्र सरकार की केन्द्रीय सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण देने सम्बन्धित निर्णय का डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने स्वागत किया।

पटना, 23 दिसम्बर, 2011

केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़ी जाति के 27 फीसदी आरक्षण में से साढ़े चार प्रतिशत कोटा देने के निर्णय का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि यह आरक्षण अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों के अलावा केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के दाखिले में भी मदद देगा। मुसलमानों के लिये आरक्षण का मामला अनेक आधारों पर मजबूत है। प्रथमतः लोक–सेवाओं में इनका 4.4 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व है, जबकि देश में अल्पसंख्यकों की आबादी 16.6 फीसदी है जिसका कारण इनके विरूद्ध भेद–भाव है। इनके शैक्षणिक स्तर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, साथ ही नौकरी के लिये इनकी क्षमता को भी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाने के कारण यह इस सीमा को बिना संविधान–संशोधन के पार करना असंभव है। यह सार्थक प्रतीत होता है कि पिछड़े मुस्लिम वर्गों को सरकारी पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया। मुस्लिम अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके विकास के लिए उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों का सही–सही जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह ने 2005 में सच्चर कमिटी का गठन किया था। सच्चर कमिटी ने कहा है कि भारत में तमाम विकासोन्मुख योजनाओं के बावजूद भी मुसलमानों के विकास की दर बहुत धीमी थी, वहीं दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की वृद्धि दर मुसलमानों की अपेक्षा बहुत अधिक थी। अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का कार्य तभी प्रभावकारी होगा जब आरक्षण के कार्य को उनकी शैक्षणिक प्रगति और व्यावसायिक क्रियाशीलता को प्रोत्साहन और सहयोग करने वाले कार्यक्रमों से पूरित किया जाय। वर्तमान में अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो हम पायेंगे कि दलितों की विकास दर मुसलमानों से कहीं बेहतर है। दलितों में बदलाव की दर 5 प्रतिशत है, जबकि मुसलमानों में यह दर 1 प्रतिशत से भी नीचे महज 0.6 प्रतिशत है। लोक क्षेत्र में या आम जनता के बीच नीतिगत कदमों से मुस्लिमों की कठिनाइयों को आवश्यक रूप से दूर किया जाय। इन्हें उन सभी योजनाओं में सम्मिलित करने हेतु प्राथमिकता दी जाय जिन योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों के लिये अवसरों का विस्तार करना है– चाहे वह शिक्षा–क्षेत्र हो, रोजगार–क्षेत्र हो या अन्य।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के जन्म–दिन के अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र का शुभकामना संदेश।

पटना, 25 दिसम्बर, 2011

श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के **87वें जन्म–दिन** के अवसर पर फैक्स द्वारा शुभकामना संदेश भेजते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि श्री वाजपेयीजी ने भारत की राजनीति को नए–नए आयाम प्रदान किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद पर पहुँचने और राजनीति को नरमपंथी हिन्दुत्व तक पहुँचाने में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कभी भी स्वंय को कट्टरपंथी हिन्दू के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य अवश्य हुए जिन पर देश गर्व कर सकता है। मई, 1998 में पोखरन विस्फोट और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के दबाव व प्रतिबंध का साहसपूर्वक सामना कर उन्होंने समस्त विश्व को भारत की इच्छाशक्ति का अहसास कराया। इसके साथ ही अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में भारत की धरती पर इजरायल के प्रधानमंत्री श्री एरियल शेरोन का स्वागत कर भारत की विदेश नीति को शीतयु की मानसिकता से बाहर निकालकर व्यवहारवादी दिशा दी। अमेरिकी दबाव के बावजूद वे इराक में भारतीय सेना को नहीं भेजकर भारत की अपनी सार्वभौमिकता का परिचय दिया।

डा॰ मिश्र ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयजी के दीर्घजीवी होने और राष्ट्र का निरंतर मार्ग निदेश करते रहने की कामना की।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 27 दिसम्बर, 2011

आज इंडियन मेडिकल एसोसियेशन हॉल में नेचुरल हेल्थ मिशन के तत्वावधान में आयोजित द्वितीय नेचुरल नेशनल मेगा हेल्थ सेमिनार–सह–रिफ्लेक्शोलॉजी (एक्युप्रेशन) दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि रिफ्लेक्शोलॉजी (एक्युप्रेशर), विधि एक सस्ता, सुलभ एवं प्रभावकारी इलाज का साधन है, जो गरीबी से ग्रसित दलित एवं पिछड़े वर्गों के लोगों के बीच बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य मानव जीवन की एक अनमोल संपत्ति है। मनुष्य के जीवन और उसकी खुशी के लिए स्वास्थ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी अन्य वस्तु की कल्पना करना कठिन है। स्वास्थ्य किसी भी समाज की आर्थिक प्रगति के लिए अनिवार्य है, जो भी व्यक्ति अथवा समाज स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है वह न केवल संपन्नता की दृष्टि से पिछड़ जायेगा बल्कि ऐसे समाज में जीवन मूल्यों की स्थापना करना भी बेहद कठिन है चूंकि अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति और व्यक्तियों से निर्मित समाज अपने गुणों के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। आज चिंता का विषय केवल स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता नहीं है बल्कि हर दिन पनप रहे नये–नये रोग भी परेशानी का सबब बन रहे हैं। रोगोपचार की अनेक प्रचलित विधियों तथा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के निरंतर विकास के बावजूद बढ़ते जा रहे रोगों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। वैकल्पिक चिकित्सा विधि आज रोगों के समाधान के रूप में बहुत प्रचलित हो रही है। लोग इस थैरेपी को प्राचीन एवं पाश्चात्य के सम्मिश्रण के रूप में देख रहे हैं। ऐलोपैथी के अलावा अन्य जो कुछ भी रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, वह सब वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में आता है। प्रौद्योगिकी के युग में आजकल जीवन की दिशा बदल गयी इसलिए मनो–सामाजिक बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। जैसे–माइग्रेन, इनसोमनिया, मेंटल डिसआर्डर, साइनोसाइटिज, अस्थमा, इनडाइजेशन, अर्थराइटिस, थैरालिसिज, एम्जीया आदि कई बीमारियाँ जहाँ उम्र के एक पड़ाव पर होती थीं, आज बचपन व युवावस्था में ही होने लग गयी हैं। यू॰के॰ में इस विषय पर अनेक अध्ययन हुए हैं। इस कारण आज इस वैकल्पिक पद्धति का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की विधियों से चिकित्सा करने वालों के रोगी के प्रति भावनात्मक संबंध हो जाते हैं। ये विधियाँ लम्बी होती हैं और इन्हें ज्यादा समय देना पड़ता है। पर बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि स्पर्श और भावना से रोगी की चिकित्सा करने से उसे आराम अधिक तथा जल्दी मिलता है। उसे अपनत्व महसूस होता है और प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा जब उपचार किया जाता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। उसके खान–पान, सोने की आदतें, आराम का समय, मनोरंजन का समय कभी–कभी इन सभी का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। परहेज भी रोगी को पूरा रखना पड़ता है ताकि उसे रोग से जल्दी मुक्ति मिले।

इस अवसर पर 165 छात्र – छात्राओं को प्रशिक्षण डिप्लोमा डा॰ मिश्र के हाथों बांटे गये। प्रारंभ में डॉ॰ सूरज प्रकाश वर्मा, सचिव ने विषय प्रवेश करबाया।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने संसद द्वारा पारित लोकपाल विधेयक को संविधान की अवधारणा के अनुरूप बताया।

पटना, 28 दिसम्बर, 2011

43 वर्ष से लगातार भ्रष्टाचार से निबटने के लिए चर्चित लोकपाल विधेयक संसद से पारित कर दिये जाने का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की भावना का समावेश करते हुए संसद ने अपनी भूमिका का निर्वहन कर लोकतंत्र की गरिमा और संसद की सर्वोच्च स्थापित किया है। यह स्थापित हुआ है कि भ्रष्टाचार की समाप्ति संसद के माध्यम सही हो सकता है। यह भी संदेश दिया गया है कि भ्रष्टाचार का अंत राजनैतिक प्रक्रिया के इस्तेमाल से ही होगा। संसद को अलग–थलग करके इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने में संसद की सर्वोपरि भूमिका की कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। हमें संसद पर भरोसा करना चाहिये। सवाल प्रशासनिक पारदर्शिता का है, भारत के मूल लोकतांत्रिक ढांचे को विकृत करने का नहीं। मुद्दा लोकतंत्र को अधिकाधिक जवाबदेह बनाने का है। सिविल सोसायटी का आन्दोलन संविधान के बुनियादी ढांचे को विकृत कर सकता है। इस समय सिविल सोसायटी वास्तव में यह संदेश देने की चेष्टा में है कि संसद और विधिक संस्थान उपयोगी एवं प्रभावकारी नहीं हैं। दरअसल में सिविल सोसायटी का मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं, नियमों और परंपराओं की अवहेलना कर उन्हें व्यर्थ बनाना है। इनका लक्ष्य राजनीतिक दलों को निरर्थक करार देना है। सिविल सोसायटी संकीर्णतावादी विचारों को हवा दे रही है। सिविल समाज द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल का अधिकार क्षेत्र शिकायतों का संज्ञान लेने से शुरू होता है और जाँच करने, मुकदमा चलाने की प्रक्रिया तक बढ़ता चला जाता है। विश्व स्तर पर आपराधिक न्याय प्रक्रिया का स्थापित सिद्धांत है कि अपराध का संज्ञान लेने वाली, जाँच करने वाली, अभियोजन करने वाली, संस्थाएं अलग–अलग और एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। न्याय प्रक्रिया की शुद्धता और निष्पक्षता का भी यही तकाजा है। आधुनिक युग में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था यह कैसे स्वीकार कर सकती है कि लोकपाल में पुलिस, अभियोजन और दंडाधिकारी की शक्तियाँ एक साथ समाहित कर दी जाएं। ऐसा करना न्याय की मूल अवधारणा के विरूद्ध होगा। निरंकुशता किसी को भी तानाशाह बना देती है। श्री अन्ना द्वारा प्रस्तावित लोकपाल जैसी सर्वशक्तिमान संस्था की परिकल्पना करना लोकतंत्र की राह से भटक जाने के समान है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादुर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने संसद द्वारा पारित लोकपाल विधेयक को संविधान की अवधारणा के अनुरूप बताया।

.... दिसम्बर, 2011

43 वर्ष से लगातार भ्रष्टाचार से निबटने के लिए चर्चित लोकपाल विधेयक संसद से पारित कर भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की भावना का समावेश करते हुए संसद ने अपनी भूमिका का निर्वहन कर लोकतंत्र की गरिमा और संसद की सर्वोच्च स्थापित किया है। यह स्थापित हुआ है कि भ्रष्टाचार की समाप्ति संसद के माध्यम सही हो सकता है। यह भी संदेश दिया गया है कि भ्रष्टाचार का अंत राजनैतिक प्रक्रिया के इस्तेमाल से ही होगा। संसद को अलग–थलग करके इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने में संसद की सर्वोपरि भूमिका की कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। हमें संसद पर भरोसा करना चाहिये। सवाल प्रशासनिक पारदर्शिता का है, भारत के मूल लोकतांत्रिक ढांचे को विकृत करने का नहीं। मुद्दा लोकतंत्र को अधिकाधिक जवाबदेह बनाने का है। सिविल सोसायटी का आन्दोलन संविधान के बुनियादी ढांचे को विकृत कर सकता है। इस समय सिविल सोसायटी वास्तव में यह संदेश देने की चेष्टा में है कि संसद और विधिक संस्थान उपयोगी एवं प्रभावकारी नहीं हैं। दरअसल में सिविल सोसायटी का मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं, नियमों और परंपराओं की अवहेलना कर उन्हें व्यर्थ बनाना है। इनका लक्ष्य राजनीतिक दलों को निरर्थक करार देना है। सिविल सोसायटी संकीर्णतावादी विचारों को हवा दे रही है। सिविल समाज द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल का अधिकार क्षेत्र शिकायतों का संज्ञान लेने से शुरू होता है और जाँच करने, मुकदमा चलाने की प्रक्रिया तक बढ़ता चला जाता है। विश्व स्तर पर आपराधिक न्याय प्रक्रिया का स्थापित सिद्धांत है कि अपराध का संज्ञान लेने वाली, जाँच करने वाली, अभियोजन करने वाली, संस्थाएं अलग–अलग और एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए। न्याय प्रक्रिया की शुद्धता और निष्पक्षता का भी यही तकाजा है। आधुनिक युग में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था यह कैसे स्वीकार कर सकती है कि लोकपाल में पुलिस, अभियोजन और दंडाधिकारी की शक्तियाँ एक साथ समाहित कर दी जाएं। ऐसा करना न्याय की मूल अवधारणा के विरूद्ध होगा। निरंकुशता किसी को भी तानाशाह बना देती है। श्री अन्ना द्वारा प्रस्तावित लोकपाल जैसी सर्वशक्तिमान संस्था की परिकल्पना करना लोकतंत्र की राह से भटक जाने के समान है।

अब लाखों शिकायतों के निपटारे के लिए लोकपाल के पास विशाल संगठनात्मक ढांचा, भारी–भरकम आर्थिक संसाधन और कार्य निष्पादन के लिए कर्मचारियों की बड़ी फौज की आवश्यकता पड़ेगी। विशाल और विविध भौगोलिक क्षेत्र इसकी क्षमता के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करेगा। तमाम भ्रष्ट व्यवहार को लोकपाल के दायरे में रखने के कारण इसकी शक्ति और कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यही नहीं अपने काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए इसे बड़ी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें प्रशिक्षित स्टाफ भी शामिल है। लोकपाल के रूप में समानांतर नौकरशाही खड़ी हो जाने और भ्रष्टाचार को मिटाने के बजाय खुद भ्रष्टाचार के दलदल में धंसने का खतरा पैदा हो सकता है। एक विशालकाय संगठन को मानव संसाधन प्रबंधन के उपाय तलाशने होंगे, जिनमें खासतौर पर अधिकारियों व कर्मचारियों को ईमानदारी और नैतिक आचरण के मुद्दे प्रमुख हैं।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय सेवाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण उनकी साझेदारी के लिए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने उचित ठहराया।

.... दिसम्बर, 2011

केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़ी जाति के 27 फीसदी आरक्षण में से साढ़े चार प्रतिशत कोटा देने के निर्णय का यह आरक्षण अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों के अलावा केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों के दाखिले में भी मदद देगा। मुसलमानों के लिये आरक्षण का मामला अनेक आधारों पर मजबूत है। प्रथमतः लोक–सेवाओं में इनका 4.4 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व है, जबकि देश में अल्पसंख्यकों की आबादी 16.6 फीसदी है जिसका कारण इनके विरूद्ध भेद–भाव है। इनके शैक्षणिक स्तर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, साथ ही नौकरी के लिये इनकी क्षमता को भी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाने के कारण यह इस सीमा को बिना संविधान–संशोधन के पार करना असंभव है। यह सार्थक प्रतीत होता है कि पिछड़े मुस्लिम वर्गों को सरकारी पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया। मुस्लिम अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके विकास के लिए उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियों का सही–सही जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह ने 2005 में सच्चर कमिटी का गठन किया था। सच्चर कमिटी ने कहा है कि भारत में तमाम विकासोन्मुख योजनाओं के बावजूद भी मुसलमानों के विकास की दर बहुत धीमी थी, वहीं दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की वृद्धि दर मुसलमानों की अपेक्षा बहुत अधिक थी। अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का कार्य तभी प्रभावकारी होगा जब आरक्षण के कार्य को उनकी शैक्षणिक प्रगति और व्यावसायिक क्रियाशीलता को प्रोत्साहन और सहयोग करने वाले कार्यक्रमों से पूरित किया जाय। वर्तमान में अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो हम पायेंगे कि दलितों की विकास दर मुसलमानों से कहीं बेहतर है। दलितों में बदलाव की दर 5 प्रतिशत है, जबकि मुसलमानों में यह दर 1 प्रतिशत से भी नीचे महज 0.6 प्रतिशत है। लोक क्षेत्र में या आम जनता के बीच नीतिगत कदमों से मुस्लिमों की कठिनाइयों को आवश्यक रूप से दूर किया जाय। इन्हें उन सभी योजनाओं में सम्मिलित करने हेतु प्राथमिकता दी जाय जिन योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों के लिये अवसरों का विस्तार करना है– चाहे वह शिक्षा–क्षेत्र हो, रोजगार–क्षेत्र हो या अन्य। जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 2006 में सरकार को सौंपी थी, लेकिन अभीतक उनकी सिफारिशों पर कोई कार्यात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गयी। सच्चर कमिटी ने कहा है कि भारत में तमाम विकासोन्मुख योजनाओं के बावजूद भी मुसलमानों के विकास की दर बहुत धीमी थी, वहीं दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की वृद्धि दर मुसलमानों की अपेक्षा बहुत अधिक थी। सच्चर की रिपोर्ट को पांच साल से ज्यादा होने को आये, लेकिन आजतक सरकार ने कुछ भी नहीं किया है।

सेन्टर फॉर इक्विटी स्टडीज और सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नमेंट एकाउंटविलिटी ने अपने एक सर्वे में कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए लायी गयी तमाम योजनाएं पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। जिन योजनाओं की बुनियाद पर केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यकों का विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की बात कही थी, उसमें वे आज पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है– (1) अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय के अंदर दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी के कारण अल्पसंख्यकों से संबंधित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मसलों को हल नहीं किया जा सका। 2006 में गठित इस मंत्रालय को अबतक 5 साल से ज्यादा हो गये हैं, लेकिन अब भी उसके कामकाज में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। (2) अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित फंड में से सीमित फंड का खर्च भी सरकारी विभागों ने नहीं किया। यही कारण है कि अल्पसंख्यकों को सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला। (3) राष्ट्रीय स्तर पर 2010–11 के लिए अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (मल्टी–सेक्ट्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एमएसडीपी) के लिए आवंटित फंड का सिर्फ 22 प्रतिशत ही उपयोग किया गया। (4) अल्पसंख्यकों के लिए एमएसडीपी फंड में से कुल मिलाकर इन चार साल की अवधि में केन्द्र से अल्पसंख्यकों के बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत 2455.67 करोड़ रूपये निर्गत किये गये, जिसमें से 2011–12 को छोड़कर राज्यों द्वारा आधे से भी कम कुल 1174.93 करोड़ रूपये ही खर्च किया गया। अगर सभी राज्यों में इस फंड को सही तरीके से खर्च किया जाता, तो अल्पसंख्यकों की तस्वीर कुछ और हीं होती। (5) अल्पसंख्यकों के लिए बनाये गये 15 सूत्रीय कार्यक्रमों का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित रहा है, जिससे समावेशी विकास का लक्ष्य भी बहुत सीमित हो गया है। (6) सर्व शिक्षा अभियान और समेकित बाल विकास जैसे विकासोन्मुखी कार्यक्रमों को 15 सूत्रीय कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है, जिससे अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हो सकी। (7) राज्य सरकारों की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की क्षमता बहुत कम है। इसके क्रियान्वयन में बहुत कमियां हैं, जिससे कि विकास कार्यक्रम बाधित होते रहे हैं।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मधुबनी 31 दिसम्बर, 2011

वर्तमान् बिहार सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार मिटाने तथा जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करबाने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। चिन्तन और क्रियाशीलता दोनों ही दृष्टिकोणों से श्री नीतीश कुमार संकीर्ण जातिवादी, संप्रदायवादी और वर्गवादी विचारों के ऊपर के नेता के रूप में उभर रहे हैं। देश के विकास को यदि कोई सबसे ज्यादा बाधित कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। आज इससे पूरा देश त्रस्त है। लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का कार्य काफी समय से इसके द्वारा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया है। उन्होंने मंत्रियों के साथ–साथ भारतीय सेवा के पदाधिकारियों एवं राज्य में वर्ग तीन तक के सभी सरकारी सेवकों से विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से अपनी सम्पत्ति की घोषणा करबाने का निर्णय लिया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एंटी करप्शन एक्ट पारित किया है। इस एक्ट के तहत वह भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति ट्रायल के दौरान जब्त कर सकती है। इस एक्ट के तहत बिहार सरकार ऑल इण्डिया सर्विस के अधिकारियों की संपत्ति भी जब्त कर सकती है। हाल ही में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक निलंबित अधिकारी का मकान तो जब्त ही कर लिया, बिना देर लगाये उसमें स्कूल भी खोल दिया। इससे एक साथ दो बातें हुई हैं। एक तरफ तो भ्रष्ट अफसरों में हड़कंप मचा और उन्हें आगे रिश्वतखोरी व कमीशनखोरी आदि से बचने का सबक मिला। संपत्ति जब्त किए जाने के कुछ ही दिनों के भीतर वहाँ स्कूल खोल दिया गया। इससे जहाँ एक तरफ अब सरकारी हो चुकी उस संपदा का दुरूपयोग रोका जा सका वहीं उसका सदुपयोग तुरंत सुनिश्चित कर दिया गया। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने लोक सेवा अधिनियम 15 अगस्त से लागू किया है। लोक सेवा का अधिकार कानून सरकारी महकमों में कामकाज को सुचारू बनाने की दिशा में भरोसा जगाने वाला है। बिहार में लोक सेवा का अधिकार लागू होने के बाद यहाँ के कर्मचारी अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। बिहार सरकार ने विधायक कोष को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसे एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय कहा जा सकता है। यह निर्णय पूरे देश को एक संदेश देगा। भ्रष्टाचार के कारण राज्य के गरीबों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए लगातार किये जा रहे व्यय का अधिकांश भाग बिचौलियों के बीच सिमटता गया है। ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार और विकास जैसी चुनौतियों के लिए भागीरथी प्रयास की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री की बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ–साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की घोषणा अत्यंत ही सराहनीय है। यह घोषणा बड़ी एवं चुनौतियों से भरी है। इससे ऐसी आशा बनती है कि मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश द्वारा भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त करने में सरकार सफल हो सकती है। मुख्यमंत्री ने पहली पारी की सरकार में ई–गवर्नेस के लिए दुनियां में ख्याति अर्जित की है। इसलिए यह आशा बनती है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में भी वे सफल हो सकते हैं। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सबसे जरूरी है। कार्यालयों की कार्य संस्कृति में बदलाव तथा विकास की परिकल्पनाओं को आकार देने की चेष्टा के साथ व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। ऐसा होने से बिहार में विकास की गति तेज होगी। भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक शिथिलता अशिक्षा पर कारगर ढंग से रोकथाम कर, जनविश्वास अर्जित करने तथा प्रशासनिक शिथिलता समाप्त करने के उद्देश्य से तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित अधिनियमों के दृढ़तापूर्वक लागू करने की आवश्यकता है:– (1) लोक सेवा का अधिकार अधिनियम। (2) सूचना का अधिकार अधिनियम। (3) बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम।

मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान एक गैर–सरकारी स्वयंसेवी संस्था के रूप में मानवाधिकार का उल्लंघन रोकने और उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई कराने के लिए सरकार के कार्यों को जनता के स्तर पर पहुँचाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रतिष्ठान अपने 16 सूत्री कार्य योजना, लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम के कार्यान्वयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सभी कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर एक कमिटी का गठन किया गया है।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

संसद–विधानसभाओं को लोगों की नजरों में व्यर्थ साबित कर दिया जाय और खुद को सबसे बड़ा बना लिया जाय ताकि सरकार की हस्ती ही खत्म हो जाय। हमारी व्यवस्था इतनी नकारा है कि कौन प्रधानमंत्री बन जाय पता नहीं चलता। संसद देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन देश भर के वयस्क मतदाताओं के वोट से निर्वाचित सदस्यों से किया जाता है। यानी ऐसे लोगों का समूह जिस पर देश ने भरोसा जताया है। अब इस संस्था को किसी एक आदमी या गुट की इच्छाओं से बांधा नहीं जा सकता है।

सिविल सोसायटी जो सबसे बड़ी बात कह रही है वह है भ्रष्टाचार की, खासकर ऊँचे पदों पर भ्रष्टाचार की। यहाँ यह जिक्र करना उचित होगा कि भ्रष्टाचार के मामले में कम से कम एक कैबिनेट मंत्री, जो अत्यंत ताकतवर राजनीतिक नेता की बेटी हैं और कई नामी गिरामी कम्पनियों के टॉप मैनेजर इन दिनों जेल में हैं। यानी मौजूदा एजेंसियों को ठीक से काम करने दिया जाय तो वे किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल–भूषण एण्ड कंपनी यह देखने के बजाय कि मौजूदा व्यवस्थाओं को कैसे ताकतवर बनाया जाय वे लोग उस मध्यवर्गीय लोगों की उस मध्ययुगीन भावनाओं को हवा देने में लगे हैं जिससे यह माना जाता है कि नेता का उद्भव जनता के मध्य से उसी तरह से होता है जैसे हमलोग आये हैं। यह बेहद खतरनाक स्थिति और प्रवृति है क्योंकि यह समाजसेवा के नाम पर लोकतंत्र के तंतुओं को समाप्त करने की गहरी साजिश है। इस साजिश को समझने के लिए बाबा रामदेव–अन्ना हजारे–केजरीवाल–भूषण फिनोमिना को समझना जरूरी है। दरअसल जिसे सिविल सोसायटी का नाम दिया गया है वह एक एनजीओ संस्कृति का हिस्सा है। एनजीओ संस्कृति नियोजित कॉरपोरेट पूंजी की संस्कृति है। स्वतःस्फूर्त संस्कृति नहीं है। देश में सैकड़ों एनजीओ हैं जिन्हें विदेशों से हजारों करोड़ रूपये मिलते हैं। एनजीओ समुदाय में काम करने वाले लोगों की अपनी राजनीति है, विचारधारा है, वर्गीय भूमिका और एक खास मकसद भी है। वे परंपरागत दलीय राजनीति के विकल्प के रूप में काम करते हैं। यह एक बहुत बड़ी साजिश की भूमिका है भारत में लोकतंत्र को खत्मकर या पंगु बनाकर देश को किसी निहित स्वार्थी देश या संस्था के हवाले कर देने की। इसलिए बेहद जरूरी है कि मीडिया उन्माद, अन्ना की संकीर्ण वैचारिक प्रकृति और भ्रष्टाचार इन तीनों के पीछे सक्रिय सामाजिक शक्तियों के विचारधारात्मक स्वरूप का विश्लेषण किया जाय। दरअसल वे छद्म संदेश दे रहे हैं कि सरकार, संसद और विधिक संस्थान कोई सही नहीं हैं। दरअसल यह जो कथित सिविल सोसायटी है उसका मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं, नियमों और परंपराओं की अवहेलना कर उन्हें व्यर्थ बनाना है। ये सत्ता सर्किल में पैदा हुए संकीर्णतावाद का सामाजिक स्वरूप हैं। इनका लक्ष्य है राजनीतिक दलों को बेमानी करार देना। यह साजिश का पहला भाग है। दूसरा भाग बेहद गोपनीय है और इस पर आने वाले समय में रोशनी पड़ सकती है। यह तो तय है कि यह सिविल सोसायटी संकीर्णतावादी विचारों को हवा दे रही है। इसका तेजी से मध्यवर्ग में प्रचार–प्रसार हो रहा है। ये सत्ता के विकल्प का दावा पेश कर रहे हैं। सरकार सिविल सोसायटी के चक्कर में ना पड़े और भ्रष्टाचार के विरूद्ध जंग छेड़ दे। उसने सिविल सोसायटी या अन्ना या भूषण या केजरीवाल जैसे लोगों को तरजीह दी तो देश का बहुत कुछ बिगड़ जायेगा।

अन्ना हजारे की टीम संविधान विरोधी बातें कर रही है। संविधान केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। सिविल सोसायटी के शांति भूषण उन लोगों में हैं जिन्होंने संसद में और सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे में किसी तरह के आघात के खिलाफ लगातार आवाज उठाई है। संविधान की 43 धाराओं में संशोधन कर दिए थे। कानून मंत्री के रूप में शांति भूषण ने उन सभी संशोधनों को एक साथ निरस्त करने का विधेयक संसद में पेश कर उसे पारित कराया था। संविधान का बुनियादी ढांचा प्रभावित होगा, अपितु संविधान के डेढ़ दर्जन अनुच्छेद संशोधित करने पड़ेंगे, जो कई सहारों पर टिकी सरकार के लिए संभव नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अथक परिश्रम से सामूहिक चिंतन द्वारा ऐसी संस्थाओं को गठित किया जो सभी एक–दूसरे के प्रति जवाबदेह है। प्रस्तावित लोकपाल गैर–जवाबदेह होगा, जिसके हाथ में मजबूत डंडा होगा। उसकी जवाबदेही किसके प्रति होगी, कहना कठिन है। किसी कानून को बनाने से पूर्व उसे कई प्रक्रिया से गुजरना होता है।

यह प्रश्न विचारणीय है कि लोकपाल के अधीन किस–किस को लाया जाए, दूसरा सवाल उठता है कि लोकपाल किसके अधीन होगा? सवाल यह भी है कि लोकपाल सिर्फ सिफारिश करेगा या सभी जाँच करने वाले विभाग उसके अधीन हों? यहाँ एक बहुत पतली रेखा है, जिस पर हमें गौर करना होगा। हमारे सामने सवाल यह है कि कहीं इतने ज्यादा अधिकार एक व्यक्ति को देकर हम उसे तानाशाह तो नहीं बना देंगे?

ऐसा लोकपाल चाहते हैं जिसके प्रति देश का पूरा शासन जवाबदेह हो। यह भारतीय संविधान के संसदीय लोकतंत्र के दायरे में कितना सही बैठेगा इसकी जाँच–पड़ताल मैं आगे करूंगा। ऐसे लोकपाल की सत्ता संसद के सर्वाधिकारों से भी ऊपर होगी। संसद का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री होता है और उससे जवाबतलबी का अधिकार प्रत्येक संसद सदस्य को है, खासकर लोकसभा में जिसके सदस्यों को आम जनता स्वयं चुनकर बहुमत से सदन में भेजती है। तार्किक दृष्टि और वैज्ञानिक संवैधानिक विवेचना के अनुसार ऐसा लोकपाल जनता के मतों की ताकत को कुन्द करते हुए नई सर्वशक्तिमान सत्ता की स्थापना करेगा। संसद भारत के लोगों की प्रतिनिधि संस्था है और इससे ऊपर कोई भी पद किसी भी सूरत में अगर बनाया जाता है तो वह सीधे तानाशाही या अधिनायकवादी प्रणाली को जन्म देगा। संसद के भीतर प्रधानमंत्री पर आरोप लगे और दूसरी तरफ लोकपाल उनका संज्ञान लेकर जाँच का काम शुरू दें। इसका क्या असर हमारे लोकतंत्र पर पड़ेगा और सरकार की विश्वसनीयता और इसका इकबाल क्या रहेगा? क्या वजह है कि 1964 से लोकपाल विधेयक की चर्चा इस देश में हो रही है और 47 साल गुजरने के बावजूद अभीतक यह मुद्दा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभीतक आजादी के बाद केन्द्र में लगभग सभी दल किसी न किसी रूप में सत्ता में आ चुके हैं। यहाँतक कि कम्युनिस्ट पार्टी भी केन्द्र की सरकार में शामिल रह चुकी है मगर सभी ने पीठ दिखाने का ही काम किया है। मुख्य न्यायाधीश को लोकपाल के दायरे में लाने की भी बात अगर की जा रही है तो वह सतही तौर पर आम लोगों को भरमा सकती है मगर भारत के लोकतंत्र को यह व्यवस्था निगलने की क्षमता भी रखती है, क्योंकि अभीतक भ्रष्टाचार के मामले में जो भी पहल हुई है वह न्यायपालिका की दखलंदाजी के बाद ही हुई है।

''बिहार विनिर्दिष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983''

बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अंतर्गत संबन्धित पदाधिकारी एवं व्यक्तियों के विरूद्व मामला उठाया जा सकता है। मामला प्रथम द्रष्टया सही मालूम पड़े तो उन पदाधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरूद्व थाना, आरक्षी अधीक्षक, जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं स्थानीय कोर्ट में उन व्यक्तियों के विरूद्व मामला (एफ॰आई॰आर॰) दाखिल किया जा सकता है। राज्य सरकार, लोक उपक्रमों, स्थानीय प्राधिकारों, सहकारिता समितियों अथवा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त अन्य संस्थाओं या संगठनों के कार्यकलापों में सेवारत व्यक्तियों अथवा उससे सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा अपनाये जाने वाले भ्रष्ट तरीकों के उन्मूलन के उद्देश्य से बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार संबंधी मामलें से अच्छी तरह निबटा जा सकता है। सरकारी सेवा में या किसी लोक उद्यम आदि में नियुक्त व्यक्ति यदि स्थानान्तरण रोकने या कराने, पदस्थापन या प्रोन्नति रोकने या कराने में छल साधनों का व्यवहार करने का प्रयत्न करता है तो वह छह माह तक कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आनेवाले भ्रष्ट कर्मचारियों को छह माह से लेकर तीन वर्षों तक के कैद या जुर्माने की सजा देने का प्रावधान है। यह अधिनियम सरकार कर्मचारियों (जिसमें डाक्टर भी सम्मिलित हैं), ठीकेदारों, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रेताओं, वन–उत्पादनों के चुराने वालों या कर्मचारियों की वैसी सभी, गतिविधियों पर अंकुश लगा सकता है जो भ्रष्ट आचरण समझा जाता है और जनहित में नहीं है। इस अधिनियम में वैसे अपराधों का वर्गीकरण कर दिया गया है जिसके अंतर्गत लोगों को दंडित किया जा सकेगा। प्रत्येक अपराध की सजा भी सुनिश्चित कर दी गयी है। इसके अनुसार भवन–निर्माण या ऐसे ही अन्य प्रकार के निर्माण कार्य करनेवाले ठेकेदारों को निर्माण सामग्री में करारनामें के अनुसार सामान नहीं लगाने या ऐसे निर्माण कार्य के संबंध में जो सामान्य नियम कार्य विभाग द्वारा निर्धारित है, उनकी अवहेलना करने के लिए दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार की सजा वैसे प्रभारी अधिकारी के लिए भी सुनिश्चित है जो जानबूझकर इस प्रकार के कार्यों को करने देता है या जानकर भी उसे अनसुनी कर देता है या इसी रिपोर्ट नहीं दे पाता है या इस प्रकार ठेकेदार के भ्रष्ट आचरण में सहायक होता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत बिना किसी सामान्य प्रमाण (प्रूफ) के भी किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी जा सकती है। परंतु कोर्ट, यदि स्वीकृति देनेवाले अधिकारी द्वारा उपस्थापित प्रमाण से संतुष्ट नहीं होगा, तो उन्हें भी साक्ष्य देने के लिए बुलाया जा सकता है। मुकदमें की स्वीकृति से जनित किसी तकनीकी खराबी के कारण मुकदमें में तबतक कोई बाधा नहीं पड़ेगी जबतक यह सुनिश्चित नहीं हो जाए कि इस प्रकार ट्रायल से दोषी व्यक्ति के प्रति निष्पक्षता नहीं बरती जा सकेगी। तीन वर्षों की जेल की सजा, उन प्रभारी अधिकारियों के लिए भी है, यदि वे गलत मस्टर रोल या माप की पूंजी तैयार करते हैं, बेनामी कार्यों का भुगतान करते हैं या जो कार्य को जानबूझकर ऐसी श्रेणी में रखते हैं कि उनका उच्चतम दर या गलत दर पर भुगतान किया जा सके जिससे ठेकेदार का लाभ हो। ठेकेदारों द्वारा सीमेंट, लोहा या ऐसी कोई भी वस्तु जिसे कार्य विभाग द्वार दिया गया है, उसे किसी दूसरे को देने के अपराध में भी सजा देय होगी। बेनामी टेंडर देकर ठेका प्राप्त करने पर, दूसरे टेंडर देनेवालों से सांठ–गांठ करने पर ताकि स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं हो सके या ठेका लेने में टेंडर स्वीकृत करनेवाले अधिकारी पर प्रभाव डालने के लिए उसके किसी निकट संबंधी या किसी व्यक्ति विशेष की सहायता लेने को भी इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय समझा गया है। इसके लिए भी तीन वर्षों तक की सजा या जुर्माने की व्यवस्था है। वह अधिकारी जो इस प्रकार के टेंडर को स्वीकृत करता है या उसकी स्वीकृति की अनुशंसा करता है या टेंडर का मूल्यांकन बेईमानी से करता है ताकि टेंडर देनेवाला व्यक्ति लाभान्वित हो सके उसे भी उपर अंकित सजा के योग्य समझा जा सकता है। यदि कोई पदाधिकारी बेईमानी या गलत ढंग से कार्य निष्पादित करते हैं या कार्य स्थानान्तरित करने का आदेश दे या सरकारी वस्तुओं क, संयंत्रों का, मशीनों का, उपकरणों का तथा पार्ट–पूर्जों का गलत ढंग से व्यवहार करने की अनुमति देता है जिससे कार्य विभागों को क्षति पहुँचती है तो इस प्रकार के कार्यों के लिए वह पदाधिकारी भी दंडनीय है। इसके अंतर्गत उसके लिए तीन वर्षों तक की सजा या जुर्माने की व्यवस्था है।

इसी प्रकार अधिनियम के अंतर्गत वैस वन पदाधिकारियों को दंडित किया जा सकता है जो जानबूझकर अनसुना करके वृक्षों को गलत ढंग से कटवाने में, छंटवाने में तथा लकड़ियों की चोरी में सहायता दे। इसके लिए तीन वर्षों तक की जेल अवधि की सीमा अनुशंसित है। परंतु कोर्ट को यह छूट है कि इसकी सीमा एक साल से कम कर सकता है। अधिनियम के अंतर्गत सरकारी अस्पताल का प्रभारी अधिकारी, यदि डिस्पेंसरी या रिलिफ सेन्टर जिसे सरकार द्वारा गठित किया गया है, उसमें ठीक से भंडारपंजी नहीं रखे और देयकों तथा दवाओं के भाउचरों और उपकरणों को भी गलत ढंग से हटा दे या हटाने में सहायता करे तो उसे भी दंड के योग्य समझा जा सकता है। इसके लिए एक से तीन वर्षों तक की सजा दी जा सकती है। अस्पतालों से बिना किसी विशेष कारण के अनुपस्थिति, मरीजों की देख–रेख में असावधानी, उनसे धोखा देकर शुल्क लेने या अस्पताल की अवधि में निजी प्रैक्टिस करने को भी अपराध समझा गया है जिसके लिये कारावास तथा दंड दोनों का प्रावधान है।

इस प्रकार की सजा का प्रावधान वैसे डाक्टरों के लिये भी है जो गलत ''इन्जुरी रिपोर्ट'' बनाते हैं, पोस्टमार्टम रेकर्ड्स बनाते हैं और मरीजों की भर्ती के लिये टिकट बनाते हैं। ऐसे कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को अपराधी समझा जा सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति निर्धारित स्तर से नीचे के स्तर के उपकरण खरीदते हैं उन्हें भी अपराधी माना जा सकता है। उनके लिये भी दंड का प्रावधान है। जन–वितरण प्रणाली के अंतर्गत यदि कोई लाइसेंसधारी बिक्रेता आवश्यक वस्तुओं को भ्रष्ट तरीके से स्थानान्तरित करे और झूठा एकाउन्ट रखे तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत दंड का भागी हो सकता है। इसी प्रकार की व्यवस्था वैसे अधिकारियों के लिए भी है जो बिक्रेताओं के अपराधों में सहायक हों या उन्हें अनदेखी करें। अधिनियम के अंतर्गत वैसे पदाधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है जो गैर कानूनी शराब की बिक्री को रोकने में असफल होते हैं, बिक्री–कर को निरस्त करने के लिये बेनामी फर्मों का पंजीकरण करते हैं, बेनामी व्यक्तियों को कर्ज या आर्थिक सहायता प्रदान करें तथा ऋण के उपयोग का मिथ्या सत्यापन करे और अवैध कॉलोनी या उसमें घर बनावें। राज्य सरकार के अधीन एवं राज्य सरकार नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रम आदि के कर्मचारियों द्वारा समस्त समितियों का बिहार सरकार को सम्पति का विवरण सौंपने का प्रावधान है। भ्रष्टाचार से प्राप्त अवैध धन को राज्य सरकार जाँचोंपरांत जब्त कर सकती है।

01 जनवरी, 2011

देश के विकास को यदि कोई सबसे ज्यादा बाधित कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। आज इससे पूरा देश त्रस्त है। लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का कार्य काफी समय से इसके द्वारा हो रहा है। मंत्रियों के साथ राज्य में वर्ग तीन तक के सभी सरकारी सेवकों को विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से अपनी सम्पत्ति की घोषणा करे। ऐसी व्यवस्था डा॰ जगन्नाथ मिश्र के कार्यकाल में की गई थी जब 1976 में उनकी सरकार में मंत्रियों ने संपत्ति का ब्योरा सौंपा था और वह बिहार विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया था। परंतु यह विस्मयकारी रहा कि उनके कार्यकाल के बाद वह व्यवस्था शिथिल हो गई। श्री नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एंटी करप्शन एक्ट पारित किया है। इस एक्ट के तहत वह भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति ट्रायल के दौरान जब्त कर सकती है। इस एक्ट के तहत बिहार सरकार ऑल इण्डिया सर्विस के अधिकारियों की संपत्ति भी जब्त कर सकती है। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार राइट टू सर्विस एक्ट भी लागू करने का निर्णय लिया है। सेवा का अधिकार कानून बनाने की घोषणा सरकारी महकमों में कामकाज को सुचारू बनाने की दिशा में भरोसा जगाने वाला है। बिहार में सेवा का अधिकार लागू होने के बाद यहां के कर्मचारी अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। बिहार मंत्रिपरिषद ने विधायक कोष को समाप्त करने का निर्णय लिया है जो प्रशासन में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता समाप्त करने की दिशा में एक साहसिक व ऐतिहासिक निर्णय कहा जा सकता है। यह निर्णय देश को एक संदेश देगा।

भ्रष्टाचार पर कारगर ढंग से रोकथाम कर, जनविश्वास अर्जित करने तथा प्रशासनिक शिथिलता समाप्त करने के उद्देश्य से "बिहार विनिर्दिष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983" को पूरे राज्य में तत्कालिक प्रभाव से दृढ़तापूर्वक लागू करने की आवश्यकता है।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र के मुख्यमंत्रित्वकाल में स्वीकृत बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अंतर्गत संबन्धित पदाधिकारी एवं व्यक्तियों के विरूद्व मामला उठाया जा सकता है। मामला प्रथम द्रष्टया सही मालूम पड़े तो उन पदाधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरूद्व थाना, आरक्षी अधीक्षक, जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं स्थानीय कोर्ट में उन व्यक्तियों के विरूद्व मामला (एफ॰आई॰आर॰) दाखिल किया जा सकता है।

राज्य सरकार, लोक उपक्रमों, स्थानीय प्राधिकारों, सहकारिता समितियों अथवा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त अन्य संस्थाओं या संगठनों के कार्यकलापों में सेवारत व्यक्तियों अथवा उससे सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों द्वारा अपनाये जाने वाले भ्रष्ट तरीकों के उन्मूलन के उद्देश्य से बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 लागू है। इससे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार संबंधी मामलें से अच्छी तरह निबटा जा सकता है। इसके अंतर्गत सरकारी सेवा में या किसी लोक उद्यम आदि में नियुक्त व्यक्ति यदि स्थानान्तरण रोकने या कराने, पदस्थापन या प्रोन्नति रोकने या कराने में छल साधनों का व्यवहार करने का प्रयत्न करता है तो वह छह माह तक कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आनेवाले भ्रष्ट कर्मचारियों को छह माह से लेकर तीन वर्षों तक के कैद या जुर्माने की सजा देने का प्रावधान है।

यह अधिनियम सरकार कर्मचारियों (जिसमें डाक्टर भी सम्मिलित हैं), ठीकेदारों, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के विक्रेताओं, वन–उत्पादनों के चुराने वालों या कर्मचारियों की वैसी सभी, गतिविधियों पर अंकुश लगाता है जो भ्रष्ट आचरण समझा जाता है और जनहित में नहीं है। इस अधिनियम में वैसे अपराधों का वर्गीकरण कर दिया गया है जिसके अंतर्गत लोगों को दंडित किया जा सकेगा। प्रत्येक अपराध की सजा भी सुनिश्चित कर दी गयी है। इसके अनुसार भवन–निर्माण या ऐसे ही अन्य प्रकार के निर्माण कार्य करनेवाले ठेकेदारों को निर्माण सामग्री में करारनामें के अनुसार सामान नहीं लगाने या ऐसे निर्माण कार्य के संबंध में जो सामान्य नियम कार्य विभाग द्वारा निर्धारित है, उनकी अवहेलना करने के लिए दंडित किया जायगा। इसी प्रकार की सजा वैसे प्रभारी अधिकारी के लिए भी सुनिश्चित की गयी है जो जानबूझकर इस प्रकार के कार्यों को करने देता है या जानकर भी उसे अनसुनी कर देता है या इसी रिपोर्ट नहीं दे पाता है या इस प्रकार ठेकेदार के भ्रष्ट आचरण में सहायक होता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत बिना किसी सामान्य प्रमाण (प्रूफ) के भी किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी जा सकती है। परंतु कोर्ट, यदि स्वीकृति देनेवाले अधिकारी द्वारा उपस्थापित प्रमाण से संतुष्ट नहीं होगा, तो उन्हें भी साक्ष्य देने के लिए बुलावेगा। मुकदमें की स्वीकृति से जनित किसी तकनीकी खराबी के कारण मुकदमें में तबतक कोई बाधा नहीं पड़ेगी जबतक यह सुनिश्चित नहीं हो जाए कि इस प्रकार ट्रायल से दोषी व्यक्ति के प्रति निष्पक्षता नहीं बरती जा सकेगी। तीन वर्षों की जेल की सजा, उन प्रभारी अधिकारियों के लिए भी है, यदि वे गलत मस्टर रोल या माप की पूंजी तैयार करते हैं, बेनामी कार्यों का भुगतान करते हैं या जो कार्य को जानबूझकर ऐसी श्रेणी में रखते हैं कि उनका उच्चतम दर या गलत दर पर भुगतान किया जा सके जिससे ठेकेदार का लाभ हो। ठेकेदारों द्वारा सीमेंट, लोहा या ऐसी कोई भी वस्तु जिसे कार्य विभाग द्वार दिया गया है, उसे किसी दूसरे को देने के अपराध में भी सजा देय होगी।

बेनामी टेंडर देकर ठेका प्राप्त करने पर, दूसरे टेंडर देनेवालों से सांठ–गांठ करने पर ताकि स्वस्थ प्रतियोगिता नहीं हो सके या ठेका लेने में टेंडर स्वीकृत करनेवाले अधिकारी पर प्रभाव डालने के लिए उसके किसी निकट संबंधी या किसी व्यक्ति विशेष की सहायता लेने को भी भ्रष्टाचार अध्यादेश के अंतर्गत दंडनीय समझा गया है। इसके लिए भी तीन वर्षों तक की सजा या जुर्माने की व्यवस्था है। वह अधिकारी जो इस प्रकार के टेंडर को स्वीकृत करता है या उसकी स्वीकृति की अनुशंसा करता है या टेंडर का मूल्यांकन बेईमानी से करता है ताकि टेंडर देनेवाला व्यक्ति लाभान्वित हो सके उसे भी उपर अंकित सजा के योग्य समझा गया है। यदि कोई पदाधिकारी बेईमानी या गलत ढंग से कार्य निष्पादित करता है या कार्य स्थानान्तरित करने का आदेश देता है या सरकारी वस्तुओं क, संयंत्रों का, मशीनों का, उपकरणों का तथा पार्ट–पूर्जो का गलत ढंग से व्यवहार करने की अनुमति देता है जिससे कार्य विभागों को क्षति पहुँचती है तो इस प्रकार के कार्यों के लिए वह पदाधिकारी भी दंडनीय है। इसके अंतर्गत उसके लिए तीन वर्षों तक की सजा या जुर्माने की व्यवस्था है।

इसी प्रकार अधिनियम के अंतर्गत वैस वन पदाधिकारियों को दंडित किया जायेगा जो जानबूझकर अनसुना करके वृक्षों को गलत ढंग से कटवाने में, छंटवाने में तथा लकड़ियों की चोरी में सहायता देता है। इसके लिए तीन वर्षों तक की जेल अवधि की सीमा अनुशंसित है। परंतु कोर्ट को यह छूट है कि इसकी सीमा एक साल से कम कर सकता है। अधिनियम के अंतर्गत सरकारी अस्पताल का प्रभारी अधिकारी, यदि डिस्पेंसरी या रिलिफ सेन्टर जिसे सरकार द्वारा गठित किया गया है, उसमें ठीक से भंडारपंजी नहीं रखता है और देयकों तथा दवाओं के भाउचरों और उपकरणों को भी गलत ढंग से हटा देता है या हटाने में सहायता करता है तो उसे भी दंड के योग्य समझा जायेगा। इसके लिए एक से तीन वर्षो तक की सजा दी जा सकती है। अस्पतालों से बिना किसी विशेष कारण के अनुपस्थिति, मरीजों की देख–रेख में असावधानी, उनसे धोखा देकर शुल्क लेने या अस्पताल की अवधि में निजी प्रैक्टिस करने को भी अपराध समझा गया है जिसके लिये कारावास तथा दंड दोनों का प्रावधान है।

इस प्रकार की सजा का प्रावधान वैसे डाक्टरों के लिये भी है जो गलत "इन्जुरी रिपोर्ट" बनाते हैं, पोस्टमार्टम रेकर्ड्स बनाते हैं और मरीजों की भर्ती के लिये टिकट बनाते हैं। ऐसे कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को अपराधी समझा गया है। इसी प्रकार जो व्यक्ति निर्धारित स्तर से नीचे के स्तर के उपकरण खरीदते हैं उन्हें भी अपराधी माना गया है। उनके लिये भी दंड का प्रावधान है। जन–वितरण प्रणाली के अंतर्गत यदि कोई लाइसेंसधारी बिक्रेता आवश्यक वस्तुओं को भ्रष्ट तरीके से स्थानान्तरित करता है और झूठा एकाउन्ट रखता है तो वह इस अध्यादेश के अंतर्गत दंड का भागी है। इसी प्रकार की व्यवस्था वैसे अधिकारियों के लिए भी है जो बिक्रेताओं के अपराधों में सहायक होंगे या उन्हें अनदेखी करेंगे। अधिनियम के अंतर्गत वैसे पदाधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है जो गैर कानूनी शराब की बिक्री को रोकने में असफल होते हैं, बिक्री–कर को निरस्त करने के लिये बेनामी फर्मों का पंजीकरण करते हैं, बेनामी व्यक्तियों को कर्ज या आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं तथा ऋण के उपयोग का मिथ्या सत्यापन करते हैं और अवैध कॉलोनी या उसमें घर बनाते हैं। राज्य सरकार के अधीन एवं राज्य सरकार नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रम आदि के कर्मचारियों द्वारा समस्त समितियों का बिहार सरकार को सौंपने का प्रावधान है। भ्रष्टाचार से प्राप्त अवैध धन को राज्य सरकार जाँचोंपरांत जब्त कर सकती है।

अरूण पाण्डेय,

राष्ट्रीय सहारा